दिनांक 23 अगस्त, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धिपत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	16	जनना	जानना
1	20	जिससे	जिसके
2	8	इस	इसे
2	9	विशेषकर	विशेषाधिकार
4	1	"अध्यक्ष" अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।" का लोप कीजिए ।	
4	2	प्रारम्भ में अध्यक्ष जोड़िए ।	
4	13	श्री राम कृपाल यादव (पटना)	श्री राम कृपाल यादव (पटना)
4		निम्नलिखित पाद-टिप्पण जोड़िए, " अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।"	
17	3	तता	तथा
115	नीचे से 9	मोझया	मौज़्या
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	प्रश्न सं· 2873	वसुधरा	वसुंधरा
201	प्रश्न सं· 2987 शीर्षक	विश्व की उष्णकटिबन्धीय	विश्व की उष्णकटि-बन्धीय जलवायु
272	2	डा· सी·सिल्वेरा	डा·सी·सिल्वेरा
364	4	(मोझमा)	(मोज़मा)
384	नीचे से 5	सावत	सावंत
392	12	सावत	सावंत
406	नीचे से 2	श्री किरिप चलीहा	श्री किरिप चलिहा

विषय-सूची

दशम माला, खंड 44, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 13, बुधवार, 23 अगस्त, 1995/1 भाद्र, 1917 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	4-317
तारांकित प्रश्न संख्या : 281—300	4-44
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2858—3065	44-317
नौसेना आकादमी के संबंध में दिनांक 2 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 496 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	318-325
राजनीति के अपराधीकरण के बारे में बोहरा समिति के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रस्ताव	326
श्री राम विलास पासवान	327-336
श्री सलमान खुर्शीद	337-345
श्री जसवन्त सिंह	346-355
श्री अर्जुन सिंह	356-361
श्री पवन कुमार बंसल	362-365
श्री सोमनाथ चटर्जी	366-383
श्री सुधीर सावन्त	384-393
श्री राम कापसे	394-397
श्री इन्द्रजीत गुप्त	398-404

विषय	कालम
श्री किरिप चलिहा	405-410
डा. एस.पी. यादव	411-415
श्री रवि राय	416-425
श्री के.पी. रेड्डय्या यादव	426-431
श्री ए. अशोकराज	432-435
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	436-438
श्री दत्तात्रेय बंडारू	439-443
श्री शरद दिघे	443-445
श्रीमती सुशीला गोपालन	446-451
श्रीमती गीता मुखर्जी	452
श्री चित्त बसु	453-455
श्री अमर पाल सिंह	456-457
श्री हरि किशोर सिंह	458
श्री एस.वी. चव्हाण	459-476
सभा पटल पर रखे गए पत्र	477-483
राज्य सभा से संदेश	484
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकें तथा संकल्पों संबंधी समिति	485
45वां प्रतिवेदन — प्रस्तुत किया गया	

	विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		485-488
(एक)	पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान खामियों को, तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में दूर करने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता श्री पी.पी. कालिया पेरूमल	485
(दो)	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर उम्बराज, कराड़, पीठ और कामेरी में भूमिगत पारपथों का निर्माण करने की आवश्यकता श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	486
(तीन)	उड़ीसा में तालचेर में भारी जल संयंत्र की बंद करने के निर्णय की पुनरीक्षा और उसको पुनर्गठित करने की आवश्यकता श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	487

लोक सभा

बुधवार, 23 अगस्त, 1995/1 भाद्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल से पहले मैं कल हुई एक घटना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

कल हमारे नेता, श्री शरद यादव को जब वह रेल दुर्घटना का मामला उठाना चाह रहे थे, मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी गई। आपने टिप्पणी की थी ''आपको सूचना नहीं दी है''। जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सूचना दी है तो आपने कहा ''मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा''।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): क्या सूचना विशेषाधिकार समिति को भेजी जानी चाहिए?

श्री श्रीकांत जेना: यह माननीय अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय था।

महोदय, मैं जनना चाहता हूं कि क्या शरद यादव का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा चाहते है तो मैं इसे भेज दूंगा।

श्री श्रीकांत जेना: जी नहीं, प्रश्न यह है कि क्या प्रक्रिया नियमों में कोई ऐसा नियम है जिससे अन्तर्गत यदि कोई सदस्य शून्य काल में सूचना देकर अथवा बिना सूचना दिये, कोई मामला उठाना चाहता है तो क्या उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा में दिया गया वक्तव्य ठीक न हो तो विशेषाधिकार समिति उसकी जांच कर सकती है।

श्री श्रीकांत जेना: मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सूचना दी थी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां,

श्री श्रीकांत जेना : उन्होंने कल सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : हम विशेषाधिकार समिति को उसकी जांच करने को कहेंगे ।

श्री श्रीकांत जेना: तब आप उसे तुरन्त विशेषाधिकार समिति को भेजें। आप सारा मामला अभी ही विशेषाधिकार समिति को भेजें।....**(व्यवधान)** इस विशेषकर समिति को भेज दें.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आप सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक है....**(व्यवधान)** आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए....**(व्यवधान)** लोकतन्त्र में ऐसा नहीं चल सकता....**(व्यवधान)*** आप अपनी बात पर पुनर्विचार कीजिए....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: आप सारे मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिए....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

....(व्यवधान)....

श्री श्रीकांत जेना: ....महोदय

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। यह पूरी तरह से अव्यवस्था है....**(व्यवधान)** आपको सदस्य को अनुशासित करना चाहिये। ....**(व्यवधान)**

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री श्रीकांत जेना: महोदय.... *(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल): अध्यक्ष महोदय अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं....(व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय एक ही पार्टी के आदेश के अनुसार काम नहीं कर सकते।

श्री श्रीकांत जेना: अध्यक्ष महोदय को आप भी आदेश नहीं दे सकते हैं।

डा. आर मल्लू: जी हां, अध्यक्ष महोदय को आदेश देना ठीक नहीं है।....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम सभी यह चाहते हैं कि सदन सामान्य ढंग से और प्राय: वर्तमान रहने वाली एक दूसरे को सहन करने वाली भावना से काम करें। महोदय, कई बार गुस्से में आकर बात की जाती है। कोई गलतफहमी भी पैदा हो जाती है। महोदय मुझे मालूम है कि आप भी शरद यादव का आदर करते हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि वह इस संबंध में कुछ दुखी हैं। आखिर वह एक महत्वपूर्ण मसला ही तो उठाना चाहते थे, यह हो सकता है कि उस समय आपने यह समझा हो कि उन्हें उस समय पर वह मसला नहीं उठाना चाहिये था और उस समय कोई और मसला उठाना चाहिये था। परन्तु मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसके बारे में सदस्यों के अपने विचार हैं। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सदन के समुचित कार्यकरण के लिये और मुझे विश्वास है कि जनता दल के मेरे मित्रों सहित हम सभी यह चाहते हैं, यदि आप कृपा करके.....

श्री एडुआर्डो फैलीरो: वे निश्चित रूप से ऐसा चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां, मेरा भी यही विचार है।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में पहल की जानी चाहिये। हमे उससे बड़ी खुशी होगी। यदि कोई गलतफहमी है या किसी की भावनाओं को दुख: पहुंचा है तो इस मसले को आसानी से हल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

....(व्यवधान)....

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मेरे मित्रों को इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मेरा विचार है कि मामूली सी पहल करके मामले को निपटाया जा सकता है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। यदि मैं उनकी जगह पर होता तो संभव है मैं भी इसी प्रकार समझता । सदन के सुचारू कार्यकरण के लिये और सदन में सौहार्दता बनाए रखने के लिये हमें हमेशा आपका सहयोग मिला है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि यदि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिसके अनुसार ऐसा हो कि हमने उनके विरुद्ध इस तरह कुछ नहीं कहा और आपने उस समय को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कुछ कह दिया हो। वह कुछ ऐसा मामला उठाना चाहते थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था....(व्यवधान)

अध्यक्ष: *अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

इस समय मैं उसे यहां पर नहीं उठाना चाहता, कई बार ऐसी जरूरत होती है और कई सदस्यों ने अनुभव किया है और हमें कहा भी है कि नेताओं को मौका मिलता है परंतु यह ऐसे मसले हैं जिनको आपके साथ निपटाया जा सकता है। मैं उनको यहां पर नहीं उठाना चाहता। मेरे विचार से वह आहत हैं। जनता दल के सदस्य और हम यह समझते है कि यह एक ऐसा मामला है जिसे आसानी से निपटाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध नहीं है।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा): परंतु हम व्यक्तिगत रूप से....(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो: यह बात काफी आपत्तिजनक है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना):

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ....आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. मुमताज अन्सारी: यदि आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं....(व्यवधान) परंतु हम इस तरह नहीं होने देंगे..... *(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : हम न्याय चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा को 1.00 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रोगवाही कीट नियंत्रण

*281. **श्री दाऊ दयाल जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगवाही कीट नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का अन्धाधुंध प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं क्योंकि खाद्य और भोज्य पदार्थों में डी.डी.टी. के काफी अंश रह जाते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार डी.डी.टी., बी.एच.सी. और मेलाथियन का कितनी-कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया है; और

(च) किन-किन क्षेत्रों में डी.डी.टी. , बी.एच.सी. और मेलाथियन का इन रोगवाहक कीटों पर प्रभाव न पड़ने की सूचना मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई कीटनाशक दवाइयों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य के लिए किया जाना होता है और छिड़काव कार्य केवल संचारण के मौसम में तथा पूर्ण निगरानी में ही किया जाना होता है।

(ख) खाद्य पदार्थों में डी.डी.टी. के अवशिष्टों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये प्राय: अनुमत सीमाओं के अन्दर हैं। कृषि में डी.डी.टी. के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और जन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल के लिए सीमा निर्धारित है। मलेरिया नियंत्रण के लिए डी डी टी का छिड़काव खेतों में नहीं बल्कि घरों के अन्दर-किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के कुछ क्षेत्रों में डी डी टी, बी एच सी और मेलाथियन, तीनों का प्रभाव न होने की स्थिति का सामना करना पड़ा है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान डी डी टी की आपूर्ति स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1. आंध्र प्रदेश	494.00	671.30	463.00
2. अरूणाचल प्रदेश	64.00	90.00	180.00
3. असम	395.50	721.00	800.00
4. बिहार	3942.00	1799.00	400.00
5. गोवा	15.00		5.00
6. गुजरात	1000.00	835.00	900.00
7. हरियाणा	-	-	
8. हिमाचल प्रदेश	180.00	100.00	180.00
9. जम्मू तथा कश्मीर	103.00	160.00	88.00
10. कर्नाटक ,	285.00	250.00	349.00
11. केरल	-	-	18.75

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
12. मध्य प्रदेश	735.00	414.00	1101.00
13. महाराष्ट्र	1366.00	1000.00	916.00
14. मणिपुर	-	126.00	90.00
15. मेघालय	144.00	81.00	100.00
16. मिजोरम	80.00	-	165.00
17. नागालैण्ड	100.00	100.00	200.00
18. उड़ीसा	315.00	-	120.00
19. पंजाब	528.00	560.00	279.00
20. राजस्थान	722.00	918.00	523.00
21. सिक्किम		12.00	-
22. तमिलनाडु	-	-	-
23. त्रिपुरा	388.00	-	210.00
24. उत्तर प्रदेश	350.00	673.00	537.00
25. पश्चिमी बंगाल	285.50	218.00	480.00
विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
पांडिचेरी	1.00	1.00	1.00
बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23.00	46.00	68.00
चण्डीगढ़	7.00	7.00	7.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
दादर और नगर हवेली			
दमन और दीव			
दिल्ली			
जोड़	11525.00	8792.00 +4000.00 कालाजार के लिए	8181.25 +4000.00 कालाजार के लिए

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान बी एच सी और मेलाथियन की आपूर्ति स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बी एच सी 50% (मी. टन)			मेलाथियन 25% (मी. ट.)		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1. आन्ध्र प्रदेश	227.00	201.5	250.00	-	-	-
2. मध्य प्रदेश	4421.00	4900.00	3060.00	खरीदा नहीं गया		
3. हिमाचल प्रदेश	20.00	-	30.00			
4. राजस्थान	603.00	319.00	550.00	-		-
5. पश्चिमी बंगाल	232.00	200.00	488.00	-		
6. दिल्ली	100.00	-	-	-		-
7. उत्तर प्रदेश	2022.00	1274.00	426.00	-		
8. उड़ीसा	445.00	-	108.00	-		
9. दमन व दीव	2.00	4.00	8.00	-		
10. हरियाणा		390.00	495.00			200.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बी एच सी 50% (मी. टन)			मेलाथियन 25% (मी. ट.)		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
11. पंजाब		491.00	70.00	-		50.00
12. आसाम	-	-	80.00	-		-
13. कर्नाटक	-	-	50.00	-		60.00
14. तमिलनाडु	-	-	50.00	-		-
15. महाराष्ट्र	-	-	640.00	137.00		-
16. गुजरात	-	-	-	-		350.00
17. दादर व नगर हवेली	-	-	-	40.00		40.00
कुल	8072.00	7779.50	6305.00	177.00	-	700.00

[हिन्दी]

आपदा प्रबन्ध

282. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया:**
श्री विजय एन. पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों और शीर्ष अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार ने बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने हेतु आपदापूर्व और आपदा पश्चात् कोई स्वास्थ्य प्रबन्ध नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र की नीति का उद्देश्य महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए रोग निगरानी, अस्पताली आकस्मिकता योजना के कार्यान्वयन तथा संसाधन प्रबंधन द्वारा समय पर चिकित्सा परिचर्या द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण हुई रुग्णता तथा मौतों को कम करना है।

भारत सरकार ने बाढ़, चक्रवातों, सूखा, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में स्वास्थ्य क्षेत्र के आपदापूर्व तथा आपदा पश्चात प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। इन दिशानिर्देशों में संकट प्रबंधन ढांचे का गठन, निगरानी की प्रणाली जिसमें रोग के प्रकोप का पता लगाने के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली, आनपदिक रोग संबंधी जांचों की प्रणाली शामिल है, नियंत्रण उपाय और आपदा पश्चात प्रलेखन शामिल हैं।

इन पर स्वास्थ्य सेवा निदेशकों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों की 27 और 28 जुलाई, 1995 को हुई बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

यह बैठक तीन बड़े क्षेत्रों "रोग के प्रकोप के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली

का विकास, सेवा कालीन प्रशिक्षण द्वारा निचले स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यनिष्पादन में सुधार, क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था'' की सिफारिशों के साथ समाप्त हुई।

आकस्मिक योजना की प्रतियां राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई हैं। नोडल अधिकारियों का पता लगाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आकस्मिकता योजना के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करने के लिए तंत्र भी तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

मलेरिया की रोकथाम

***283. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान परियोजनाओं के विकास हेतु कुछ अमरीकी मलेरिया विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन नई परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) अमरीकी विशेषज्ञों के दौरे से देश में मलेरिया की स्थिति से निपटने में कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या देश में पुन: फैले मलेरिया पर नियंत्रण पा लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले): (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मलेरिया उन्मूलन निदेशालय ने सूचित किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विकास के अन्तर्गत मलेरिया की कोई अनुसंधान परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) 1995 के शुरू में मलेरिया फैलने पर नियंत्रण पा लिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

***284. श्री एस. एम. लालजान बाशा:**
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत वाली निजी विद्युत परियोजनाओं की तुलना में 2.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट लागत वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना की पेशकश की है;

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रोत्साहन देने हेतु सभी सम्बद्ध विभागों की एक बैठक बुलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश का समर्थन करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अपने विद्युत संयंत्र स्थापित करने से हतोत्साहित किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के. करुणाकरन): (क) और (ख). फरवरी, 1994 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने संकेत दिया था कि भेल के उपकरण से टर्नकी आधार पर कोयला आधारित विद्युत संयंत्र (विद्युत संयंत्र की चारदीवारी के भीतर) स्थापित करने की लागत प्रति मेगावाट 2.5 करोड़ रुपये तथा 2.75 करोड़ रुपये के बीच थी। इसमें, विकास की लागत, निर्माण के दौरान ब्याज व मुद्रास्फीति शामिल नहीं है।

ग्राहकों की पूछताछों के प्रत्युत्तर में, भेल अपने चालू वाणिज्यिक कार्यकलाप के एक भाग के रूप में उपर्युक्तानुसार पेशकशें कर रहा है।

(ग) और (घ). भारी उद्योग विभाग ने यह मामला विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि जोतों संबंधी अधिकतम सीमा

***285. श्री जे. चोक्का राव:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि जोतों की अधिकतम सीमा पुन: निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बेनामी कृषि जोतों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी कृषि जोतों की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि उनको बेनामी लेनदेन के बारे में एक सर्वेक्षण कराना चाहिए।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषि जोतों संबंधी अधिकतम सीमा के बारे में मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी राज्य सरकार ने भूमि जोतों संबंधी अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने संबंधित भूमि सुधार अधिनियम के अधिकतम भूमि सीमा प्रावधानों में कुछ छूट देने की पेशकश की है।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में बागवानी उत्पादनों की खेती अथवा कृषि संसाधन इकाई के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति अथवा किसी फर्म, न्यास ,कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किसान से पट्टे पर कृषि योग्य भूमि, जिसकी अवधि 35 वर्ष से अधिक न हो अथवा गैर-कृषि योग्य भूमि अर्थात् बंजरभूमि, परती भूमि, खजान भूमि अथवा खार भूमि किसान से स्वामित्व पर अथवा पट्टे पर अथवा संयुक्त रूप से दोनों पर अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का धारण करने हेतु कुछेक शर्तों के अधीन अनुमति देने की परिकल्पना की गई है। महाराष्ट्र सरकार को जुलाई, 1972 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई कृषि जोतों संबंधी अधिकतम सीमा पर मार्गदर्शिकाओं के आलोक में अपने प्रस्ताव पर पुन: विचार करने की सलाह दी गई है।

पश्चिम बंगाल के मामले में प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधानों की व्यवस्था करने की पेशकश की गई है:-

(1) राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से और राज्य सरकार द्वारा रखी गई शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी फर्म, किसी कम्पनी अथवा व्यक्तियों के किसी संघ या निकाय द्वारा भूमि का अर्जन करने और स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना,

(2) रैय्यत/पट्टेदार की उतनी भूमि रखने की अनुमति प्रदान करना जितनी राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाए,

(3) किसी मिल, कारखाने, कार्यशाला, नगर-क्षेत्र, चाय बागान, पौधरोपण, पशुधन प्रजनन, मुर्गी पालन, डेरी, बागवानी, जल जीवजन्तु के साथ-साथ मछली पालन, पुष्पखेती, रेशम कीट पालना अथवा ऐसी अन्य गतिविधियों के प्रयोजन हेतु अधिकतम सीमा क्षेत्र से अतिरिक्त सरकारी भूमि के बारे में किसी व्यक्ति, फर्म, किसी कम्पनी अथवा व्यक्तियों के संघ या निकाय के साथ मामलों का निपटारा करना।

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

मातृ मृत्यु दर

*286. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों और निर्धन वर्गों में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु क्रियान्वित कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1992-93 के अनुसार, सर्वेक्षण के पूर्वगामी दो वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर औसत मातृ मृत्यु-दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 4.2 मौतें थीं। ग्रामीण क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर, शहरी क्षेत्र में मातृ मृत्यु-दर (3.80) की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक (4.13) थी।

उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार गर्भावस्था में 61.1 प्रतिशत महिलाओं ने

''टेटनस टाक्सायड'' का टीका लगवाया और 50.5 प्रतिशत महिलाओं ने ''आयरन'' और ''फॉलिक एसिड'' की गोलियां लीं। 34.7 प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य व्यवसायियों तता 35 प्रतिशत प्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराए गए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परियोजना सूचना बैंक

*287. **श्री मंजय लाल: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1995 के जनसत्ता में ''लघु क्षेत्र के लिये परियोजना सूचना बैंक बनेगा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सूचना बैंक द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). युवा उद्यमियों को एक ही स्रोत से प्रौद्योगिकी तथा संबंधित परियोजना सूचना उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से नई दिल्ली स्थित सीएसआइआर की घटक इकाई भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेख-पोषण केन्द्र ने सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं, भारत की अन्य संस्थायों तथा अन्य सार्क सदस्य-राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का आंकड़ा आधार तैयार किया है। इस आंकड़ा आधार के नवम्बर, 1995 तक कलकत्ता क्षेत्र में कार्य आरम्भ किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य योजनाएं

*288. **श्री फूलचंद वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता से कितनी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उलब्धियों पर निगरानी रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 23 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं विवरण-I चल रही हैं। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान किया गया राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन योजनाओं की निगरानी जिला और राज्य कार्यक्रम अधिकारियों तथा केन्द्रीय कार्यक्रम प्रभागों द्वारा की जाती है जो समय-समय पर राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त करते हैं तथा इन रिपोर्टों का विश्लेषण करते हैं और सुधारात्मक उपाए करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों से विशेषज्ञों के दल क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यान्वयन की जांच करने के लिए भी जाते हैं और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ संयुक्त पुनरीक्षण करते हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के कभी-कभी स्वतंत्र मूल्यांकन भी किए जाते हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की सूची

क. केन्द्र प्रायोजित योजनाएं:

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर)

(2) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(3) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर)

(4) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)।

(5) राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम (राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर)

(6) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(7) राज्यों में औषध जांच सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(8) राज्य में औषध निरीक्षणालय के स्टाफ को बढ़ाने हेतु सहायता (राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर)

(9) राज्यों को खाद्य जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(10) भारतीय चिकित्सा पद्धति स्नातकोत्तर विभाग के उन्नयन के लिए सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(11) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, रोग प्रतिरक्षण और मुखीय पुनर्जलीकरण कार्यक्रम आदि सहित राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)।

ख. पूर्णतया केन्द्रीय योजनाएं:

(1) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।

(2) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(4) औषध दुर्व्यसन निवारण कार्यक्रम।

(5) प्लेग नियंत्रण कार्यक्रम।

(6) नर्सिंग स्कूलों का सुदृढ़ीकरण।

(7) नए नर्सिंग स्कूल खोलना।

(8) नर्सों का प्रशिक्षण।

(9) शिक्षा का न्यूनतम स्तर हासिल करने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी कालेजों/भारतीय चिकित्सा पद्धति फार्मेसी कालेजों का विकास।

(10) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए होम्योपैथिक कालेजों का उन्नयन।

(11) अध्यापकों, फिजीशियनों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं और औषध निरीक्षकों (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए) आदि के लिए पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(12) औषधीय पादपों के विकास और खेती-बाड़ी के लिए केन्द्रीय योजना।

विवरण-II

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया राज्यवार आबंटन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(लाख रुपये में) आबंटित रकम (1994-95)
1.	आंध्र प्रदेश	10439.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	344.96
3.	असम	3067.15
4.	बिहार	9384.22
5.	गोवा	273.36
6.	गुजरात	7888.17
7.	हरियाणा	2012.70
8.	हिमाचल प्रदेश	2181.88
9.	जम्मू और कश्मीर	3072.10
10.	कर्नाटक	9081.62
11.	केरल	6378.05
12.	मध्य प्रदेश	10233.98
13.	महाराष्ट्र	3000.80
14.	मणिपुर	511.65
15.	मेघालय	370.95
16.	मिजोरम	6444.84
17.	नागालैंड	645.62
18.	उड़ीसा	5710.59

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(लाख रुपये में) आबंटित रकम (1994-95)
19.	पंजाब	2988.39
20.	राजस्थान	9667.64
21.	सिक्किम	271.21
22.	तमिलनाडु	9430.07
23.	त्रिपुरा	1050.98
24.	उत्तर प्रदेश	18978.37
25.	पश्चिम बंगाल	6277.68
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	244.72
27.	चंडीगढ़	266.36
28.	दादर व नगर हवेली	96.55
29.	दमन व दीव	83.85
30.	दिल्ली	2025.42
31.	लक्षद्वीप	72.93
32.	पांडिचेरी	125.72

उपकरणों की खरीद

*289. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, के लिए बड़ी संख्या में मशीनों और उपकरणों का आयात/खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए गए ऐसे उपकरणों/मशीनों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आई है;

(ग) क्या इस समय अस्पताल में एक बाडी "स्कैनिंग मशीन" सहित अनेक मशीनें अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात किए गए उपकरणों/मशीनों तथा उनकी लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए खरीदे (आयात) किए गए उपकरणों/मशीनों की सूची

	उपकरण का नाम	खरीद का वर्ष	अनुमानित लागत (विदेशी मुद्रा में)
1.	कम्प्यूटराइज्ड टी एम टी	1991-92	117919 अमेरिकी डालर
2.	वेन्टीलेटर (शिशु)	1991-92	25409 डी एम
3.	हेव्लेट पैकर्ड सोनस 100 हाई रिवोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम	1991-92	138272 अमेरिकी डालर

	उपकरण का नाम	खरीद का वर्ष	अनुमानित लागत (विदेशी मुद्रा में)
4.	वेन्टीलेटर (शिशु)	1991-92	12065 एन एल जी
5.	डीफिब्रीलेटर मानीटर	1991-92	20707 अमेरीकी डालर
6.	चेन कैमिस्ट्री एनालाइनर	1991-92	33507 डी जी
7.	मिंगोग्राफ	1991-92	109609 डी एम
8.	जेइस आप्थो माइक्रोस्कोप	1992-93	46138 डी एम
9.	सिबा कार्निंग ब्लड गैस एनालाइजर	1992-93	39984 डी एम
10.	स्किन ग्रैफ्ट मेशर	1992-93	3550 अमेरीकी डालर
11.	ब्लड गैस एनलाइजर	1992-93	विश्व स्वास्थ्य संगठन से मुफ्त
12.	कम्प. नर्व मस्क्युलर ट्रांशमिशन मानिटर डिवाइस विद डिजिटल	1992-93	31000 डी एम
13.	मार्टिन ओ.टी.लाइट	1992-93	32435 डी एम
14.	बैंच एनालाइजर	1992-93	20000 अमेरीकी डालर
15.	वेन्टिलेटर	1993-94	56836 डी एम
16.	कम्प्रिहेंसिव पैड सेट	1993-94	1800 अमेरीकी डालर
17.	कार्डियक कैथ लैब	1993-94	632100 एम एल जी
18.	न्यूरो ओ.टी. टेबल	1993-94	9640000 येन
19.	3 चैनल ई.सी.जी. मशीन	1993-94	12480 अमेरीकी डालर
20.	व्होल वाडी सी.टी. स्कैनर	1993-94	3.92 करोड़ रुपये
21.	वेन्टिलेटर (3)	1994-95	145784/84 डी एम
22.	वेन्टिलेटर (1)	1994-95	56836 डी एम
23.	सेमि आटोमेटिक हेमोटोलाजी काउन्टर	1994-95	31466 डी एम

	उपकरण का नाम	खरीद का वर्ष	अनुमानित लागत (विदेशी मुद्रा में)
24.	मल्टी पैरामीटर आटोमेटिक एनालाइजर	1994-95	39282 अमेरिकी डालर
25.	लाइफ पैक (4)	1994-95	30760 अमेरिकी डालर
26.	पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर विद मानीटर (4)	1995-96	25152000 लीरा
27.	एलेक्ट्रोलाइट एनलाइजर	1995-96	6860 अमेरिकी डालर

वर्ष 1995-96 में जर्मनी सहायता सामग्री कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य सैवा महानिदेशालय क्रय सैल द्वारा खरीदे गये उपकरणों की सूची

	उपकरणों के नाम	मात्रा	अनुमानित लागत
1.	12 चैनल इलैक्ट्रो कार्डियोग्राम	2	अमरिकी डालर 22600.0
2.	लेप्रोस्कोप	1	डी एम 7744.13
3.	सिस्टोस्कोप	1	डीएम 77008.93
4.	अर्थ्रोस्कोप	1	डीएम 105801.40
5.	ओ.टी. लाइट सीलिंग	2	डीएम 34461.00
6.	डिफिब्रिलेटर मॉनिटर	4	डीएम 121524.00
7.	सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम	1	डीएम 179030.00
8.	बेडसाइड मॉनिटर	4	
9.	सी-आर्म इमेज इंन्टेंसिफायर बो वी-29	1	अमरीकी डालर 152688.00
10.	एलकन ब्लड सेल काउन्टर	2	डीएम 63802.60
11.	बीआईपी बर्ड वेन्टिलेटर	2	डीएम 25104.00
12.	मोबाइल पोर्टेबल लाइट	2	डीएम 12011.90
13.	आब्स्ट्रेटिक्स चेयरबेड हाइड्रोलिक	1	डीएम 15209.00
14.	मल्टीहेड माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर	1	येन 74658.00

उपकरणों के नाम	मात्रा	अनुमानित लागत
15. बायोकैमिस्ट्री एनालाइजर	3	अमरीकी डालर 85366.50
16. इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट	2	अमरीकी डालर 6000.00
17. पल्सआकासीमीटर	10	अमरीकी डालर 18547.80
18. आइ.सी.यू. बेड इलेक्ट्रिक/हाइड्रोलिक	2	अमरीकी डालर 11009.30
19. नॉन इनवेसिव प्रेसर मानिटर (ऑटोमैटिक	2	येन 570000.00
20. एनेस्थिसिया मशीनें	6	डीएम 246909.84
21. आपरेटिंग माइक्रोस्कोप	2	येन 131400.00
22. अल्ट्रासाउंड	2	डीएम 74330.00
23. वैन्टिलेटर	2	अमरीकी डालर 34856.12
24. कोल्पोस्कोप	1	डीएम 19681.40
25. बेबी इनक्युबेटर	2	अमरीकी डालर 14400.00
26. बेबी वार्मर	2	अमरीकी डालर 8280.00
27. बेहरिंग फिब्रिन्टिमर	1	डीएम 81800.00
28. फ्रैक्टोस्कैन जूनियर	1	डीएम 67200.00
29. आक्सीजन कनसेन्ट्रेटर	1	एस. पाउण्ड 90529.68

स्वास्थ्य रक्षा

***290. डा. के. वी. आर चौधरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार स्वास्थ्य रक्षा पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) जनता को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में स्वास्थ्य परिचर्या पर वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संविधान में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करना राज्य का विषय है तथा बुनियादी तौर पर लोगों की निवारक, संवर्धक तथा रोगहरक संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने के लिए देश भर में ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 1,31,900 उपकेन्द्रों, 22,156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2377 सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों का एक विस्तृत आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया है। आठवीं योजना के दौरान आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इस आधारभूत ढांचे का न्यूनतम विस्तार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर के अस्पताल जो कि रेफरल संस्थान हैं, विशेषज्ञ स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स तथा कैंसर आदि जैसे संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु सुरक्षा तथा रोग प्रतिरक्षण सहित सुरक्षित मातृत्व पर बल दिया गया है। विश्व बैंक को बाह्य सहायता से कुष्ठ, क्षयरोग तथा दृष्टिहीनता और एड्स नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है।

लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट प्रैन्टीशनरों आदि की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है।

विवरण

1989-90 के दौरान जल आपूर्ति तथा परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य (चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य) पर प्रति व्यक्ति (सार्वजनिक क्षेत्र) व्यय

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1989	
		स्वास्थ्य	परिवार कल्याण
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.17	9.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	378.18	9.34
3.	असम	65.40	9.13
4.	बिहार	35.66	5.92
5.	गोवा	490.22	7.80
6.	गुजरात	54.03	12.55
7.	हरियाणा	96.93	9.03
8.	हिमाचल प्रदेश	184.57	21.13
9.	जम्मू व कश्मीर	238.34	6.45
10.	कर्नाटक	54.15	11.42
11.	केरल	70.66	14.53
12.	मध्य प्रदेश	58.10	7.50
13.	महाराष्ट्र	78.13	8.03
14.	मणिपुर	188.73	18.30

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1989	
		स्वास्थ्य	परिवार कल्याण
15.	मेघालय	229.20	13.19
16.	मिजोरम	434.70	16.79
17.	नागालैंड	577.38	13.14
18.	उड़ीसा	47.14	9.27
19.	पंजाब	98.59	8.82
20.	राजस्थान	96.17	9.49
21.	सिक्किम	419.47	25.58
22.	तमिलनाडु	77.35	57.73
23.	त्रिपुरा	152.18	12.55
24.	उत्तर प्रदेश	43.11	8.57
25.	पश्चिम बंगाल	54.92	9.38
26.	पांडिचेरी	246.47	8.27
	अखिल भारत	69.85	13.18

नोट: अखिल भारत कुल खर्च में केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, दमण व दीव और लक्षद्वीप के संबंध में केन्द्रीय सरकार का खर्च शामिल है।

स्रोत: 1. चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए वर्ष 1989-90 के व्यय संबंधी आंकड़े (राजस्व तथा पूंजीगत) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से लिए गए हैं।

2. प्रतिव्यक्ति व्यय भारत के महापंजीयक द्वारा सूचित मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या (30 सितम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार) के आधार पर निकाला गया है।

चुनाव सुधार कानून

*291. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनाव में धनशक्ति के दुरूपयोग को रोकने के लिए तुरन्त कानून बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कानून बनाने से पहले सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कानून कब तक बना दिया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों में धनशक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, राजनैतिक दलों द्वारा अनिवार्य रूप से लेखा रखे जाने और उनकी लेखा परीक्षा कराने का प्रस्ताव समय-समय पर किया है। हाल ही में दिए गए एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उसी प्रस्ताव को दोहराया है।

(ग) से (ङ). इस विष्य पर कोई विधि अधिनियमित करने के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। अत: ऐसी अधिनियमिति के बारे में समय उपदर्शित करना संभव नहीं है। तथापि, सरकार निर्वाचनों से संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण विधान लाने से पहले राजनैतिक दलों से परामर्श करती है।

पंचायतों को आबंटन

***292. श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा 1996-97 से 1999-2000 के लिए पंचायतों को राज्यवार कितनी धनराशि के आबंटन की स्वीकृति दी गई है;

(ख) वर्ष 1995-96 में पंचायतों को राज्य वार कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को एक मुश्त अनुदान देने का है, जिसमें राज्य अपनी ओर से भी पूरक राशि का आबंटन करेंगे अथवा पंचायतों को सीधे आबंटन करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित करने का है जिन पर पंचायतों द्वारा केन्द्रीय आबंटन में से धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र): (क) दसवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यवार प्रस्तावित आबंटन संलग्न विवरण में दिये गए हैं। इसमें दोनों प्रकार के राज्य जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है और वे राज्य जहां ये लागू नहीं होता, शामिल हैं। इन राज्यों में सहायता पंचायती राज संस्थाओं की समकक्ष के स्थान पर कार्यरत निकायों को दी जाती है।

(ख) इस मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत पंचायतों को सीधे ही निधियां आंबटित की जाती हों तथापि, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों से अवश्य पंचायतों को जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं को आबंटन

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-2000
आंध्र प्रदेश	0.00	87.75	87.75	87.75	87.75	351.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	1.13	1.13	1.13	1.12	4.15
असम	0.00	33.34	33.34	33.34	33.34	133.36
बिहार	0.00	126.80	126.80	126.79	126.80	507.19
गोवा	0.00	1.48	1.48	1.48	1.47	5.91
गुजरात	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.01
हरियाणा	0.00	20.66	20.66	20.66	20.66	82.64

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-2000
हिमाचल प्रदेश	0.00	8.05	8.05	8.04	8.04	32.18
जम्मू व कश्मीर	0.00	9.40	9.40	9.40	9.39	37.59
कर्नाटक	0.00	55.44	55.44	55.44	55.45	221.77
केरल	0.00	44.70	44.70	44.70	44.71	178.81
मध्य प्रदेश	0.00	87.17	87.17	87.17	87.18	348.69
महाराष्ट्र	0.00	86.75	86.75	86.75	86.76	347.01
मणिपुर	0.00	2.33	2.33	2.33	2.32	9.31
मेघालय	0.00	2.16	2.16	2.17	2.16	8.65
मिजोरम	0.00	0.74	0.74	0.73	0.73	2.94
नागालैंड	0.00	1.16	1.16	1.16	1.17	4.65
उड़ीसा	0.00	50.25	50.25	50.25	50.24	200.99
पंजाब	0.00	25.84	25.84	25.84	25.83	103.35
राजस्थान	0.00	53.05	53.05	53.06	53.06	212.22
सिक्किम	0.00	0.48	0.48	0.47	0.47	1.90
तमिलनाडु	0.00	71.83	71.83	71.84	71.84	287.34
त्रिपुरा	0.00	3.48	3.48	3.49	3.49	13.94
उत्तर प्रदेश	0.00	189.88	189.88	189.88	189.99	759.52
पश्चिम बंगाल	0.00	83.36	83.36	83.36	83.37	333.45
कुल योग	0.00	1095.23	1095.23	1095.23	1095.24	4380.93

इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड

*293. **श्री एन. डेनिस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में "मोनोवालाकुरिची" में जिरकोनियम, टाइटेनियम डायोक्साइड कारखाना स्थापित करने तथा इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने और इसके कार्य-कलाप में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख). तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मानवलाकुरूची में ज़र्कोनियम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड इस समय अपने मानवलाकुरूची संयंत्र में गार्नेट और ज़रकॉन के उत्पादन को बढ़ाने की संभाव्यता का अध्ययन कर रही है।

एल.पी.जी. चालित वाहन

*294. **डा. वी. राजेश्वरन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एल.पी.जी. से चलने वाली कारों और भारी वाहनों के निर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को इस प्रकार की गैस से चलने वाले वाहनों के निर्माण हेतु अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन): (क) एल.पी.जी. से चलने वाली कारों तथा भारी वाहनों का उत्पादन करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

क्रयादेश रद्द किया जाना

*295. **श्री चिन्मयानंद स्वामी:**
श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को अल्जीरिया से प्राप्त अनुबन्ध रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) अल्जीरिया के अतिरिक्त अन्य किन-किन देशों से भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या सप्लाई की गई मदों का निर्माण भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया था अथवा उप ठेकेदारों से करवाया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). जी, नहीं। वस्तुत: संविदा के अंतर्गत पूर्तियां ग्राहक की पूरी संतुष्टि के अनुसार पूरी की गई है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). पूर्ति की गई मदें भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने बनाई थीं। मुख्यत: वाहनों में रूपांतरण करने से संबंधित छोटे-मोटे कार्य उप संविदा के माध्यम से कराए गए थे।

[अनुवाद]

भूमि की अधिकतम सीमा

*296. **श्री रवि राय:**
डॉ. चिन्ता मोहन:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों, अधिकतम सीमा से

फालतू भूमि के वितरण और भूमि अभिलेखा प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसे अद्यतन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डॉ. जगन्नाथ मिश्र): (क) और (ख). सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में 27 भूमि सुधार कानूनों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इन 27 कानूनों में से 9 कानून बिहार, कर्नाटक और उड़ीसा प्रत्येक के एक-एक, केरल के दो, राजस्थान के तीन, तमिलनाडु के चार और पश्चिम बंगाल के सात कानून शामिल हैं। ये 27 कानून उन 222 भूमि कानूनों के अलावा हैं जिन्हें नवीं अनुसूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इस संबंध में एक विधेयक राज्य सभा में लाया गया है जो कि वहां विचारार्थ लंबित है।

(ग) अधिकतम सीमा कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में भारत सरकार की भूमिका परामर्शी और समन्वयकारी है। तदनुसार राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा कानूनों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने और फालतू भूमि के तेजी से वितरण की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर सलाह दी जाती है। इस संबंध में हुई प्रगति की सरकारी स्तर के साथ-साथ राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समीक्षा की जाती है।

जहां तक भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और उन्हें अद्यतन बनाने का संबंध है, दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् (1) राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना और (2) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण चल रहा हैं जिनके अंतर्गत भूमि राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने, जिसमें उनका कम्प्यूटरीकरण शामिल है, के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक उपरोक्त (1) और (2) योजनाओं के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को क्रमश: 104.73 करोड़ रुपए और 24.28 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*297. **श्री तारा सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1995 के "पॉयनियर" में "5 लैक प्रैगनेंसी डैथ्स एवी ईअर: रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी परिवार नियोजन संबंधी जानकारी और सुविधाओं के अभाव के कारण ऐसी मौतें हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए नए परिवार नियोजन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(घ) नये परिवार नियोजन कार्यक्रम कितने प्रभावी रहे हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां। भारत में अनुमानित मातृ मौतें 1.16 लाख प्रतिवर्ष हैं।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार परिवार नियोजन जानकारी भारत में लगभग सभी को है जिसमें 96 प्रतिशत महिलाओं को कम से कम एक गर्भनिरोधक विधि की जानकारी है।

(ग) से (च). मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को अगस्त, 1992 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू करके सुदृढ़ किया गया है। परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता और सुदृढ़ीकरण के लिए भारत जनसंख्या परियोजनाओं और सामाजिक सुरक्षा नेट के अधीन आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

मिलियन वेल्स स्कीम

*298. **श्री संतोष कुमार गंगवार:**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और सीमान्त किसानों के लाभ हेतु नि:शुल्क कुंए खोदने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिलियन वेल्स स्कीम चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लघु और सीमान्त किसानों को उथले नलकूल लगाने/कुएं खोदने हेतु सहायता भी प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या इस नई योजना को ग्रामीण विकास विभाग ने अपने संसाधनों से ही कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यह योजना किन-किन राज्यों और क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी;

(ङ) मिलियन वेल्स स्कीम के अन्तर्गत अब तक राज्य वार कितने कुऐं खोदे गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों को क्या निर्देश दिए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डॉ. जगन्नाथ मिश्र): (क) से (च). दस लाख कुओं की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में 1988-89 के दौरान शुरू की गई थी और इसे जवाहर रोजगार योजना, जो 1.4.1989 को शुरू की गई थी, को एक घटक के रूप में जारी रखा गया । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियां केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में वहन की जाती हैं।

दस लाख कुओं की योजना की निधियां मजदूरी रोजगार निधियों का एक भाग होने से, इन्हें गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमान्त किसानों तथा मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को बिना लागत के खुले कुएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल किया जा सकता है । 1993-94 से दस लाख कुओं की योजना के लाभों में गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे और सीमान्त किसानों को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों को मिलने वाले वित्तीय लाभ दस लाख कुओं की योजना के आबंटन के एक तिहाई से अधिक नहीं। योजना के अन्तर्गत ट्यूबवैल और बोर वैल अनुमेय नहीं हैं। कुओं के निर्माण का कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण में लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाना होता है। जहां भू-भौतिकीय कारणों से कुएं व्यवहार्य नहीं है वहां दस लाख कुओं की योजना निधियों का दूसरी छोटी सिंचाई योजनाओं जैसे कि सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचों और लक्षित समूह की भूमि के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है।

दस लाख कुओं की योजना जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना होने से सारे देश में कार्यान्वित की जाती है। मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना की निधियों की 30 प्रतिशत निधियां दस लाख कुओं की योजना के लिए आबंटित की जाती हैं। दस लाख कुओं की योजना की राज्यों के लिए निर्धारित निधियों को राज्य सरकारों द्वारा जिलों में लक्षित समूह की असिंचित भूमि की संभाव्यता के आधार पर कुओं द्वारा सिंचाई के लिए आंबटित किया जाता है। अब तक इस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत राज्यवार बनाए गए कुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1988-89 से 1995-96 के दौरान बनाए गए कुएं

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए कुएं
1.	आंध्र प्रदेश	72448
2.	अरूणाचल प्रदेश	163
3.	असम	5016
4.	बिहार	253782
5.	गोवा	65
6.	गुजरात	37850
7.	हरियाणा	4778
8.	हिमाचल प्रदेश	344
9.	जम्मू व कश्मीर	7534
10.	कर्नाटक	2021
11.	केरल	1321
12.	मध्य प्रदेश	172927
13.	महाराष्ट्र	43023
14.	मणिपुर	1197
15.	मेघालय	2466
16.	मिजोरम	3169
17.	नागालैंड	3531
18.	उड़ीसा	119338
19.	पंजाब	0
20.	राजस्थान	45949
21.	सिक्किम	197
22.	तमिलनाडु	30114
23.	त्रिपुरा	6166

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए कुएं
24.	उत्तर प्रदेश	20359
25.	पश्चिम बंगाल	37919
26.	अंडमान व निकोबार	19
27.	दादर व नगर हवेली	194
28.	दमन व दीव	0
29.	लक्ष द्वीप	0
30.	पांडिचेरी	34
	योग	902010

टिप्पणी: 1. 1995-96 के लिए सूचनाएं जून, 1995 तक की हैं।

2. पंजाब और लक्षद्वीप को दस लाख कुओं की योजना की निधियों को जवाहर रोजगार योजना के अन्य घटकों के लिए अपवर्तन की स्वीकृति दी गई है।

[अनुवाद]

सेना कार्मिकों हेतु रेल आरक्षण

***299. श्रीमती सरोज दुबे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना कार्मिकों के स्थानांतरण के मामले में अल्प सूचना पर रेल आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). रेवले बोर्ड ने विभिन्न रेलगाड़ियों में वातानूकूलित II टायर, प्रथम क्षेणी और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की कुछ सीटों/शयनयानों को रक्षा सेवा कार्मिकों के उपयोग के लिए नियम किया हुआ है जिसे रक्षा विभाग कोटा (डी डी कोटा) कहा जाता है और इसका नियंत्रण अलग-अलग स्टेशन पर स्थित सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (एम.सी.ओ.) द्वारा किया जाता है। यदि सिविलियनों की सारी मांग पूरी करने के बाद भी कुछ शयनयान/सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें रक्षा विभाग कोटे के अतिरिक्त भी रक्षा सेवा कार्मिकों के उपयोग के वास्ते आबंटित किया जा सकता है। यदि रक्षा विभाग कोटे का पूर्णत: उपयोग न किया जा सके तो वह रेलवे कोटे में मिला दिया जाता है। रेलवे और रक्षा प्राधिकारी संयुक्त रूप से रक्षा विभाग कोटे की समय-समय पर पुनरीक्षा करते हैं तथा उसके वास्तविक उपयोग के अनुरूप परिवर्तन करवाए जाते हैं।

सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना

***300. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय सरकार के कितने पेंशनभोगी हैं;

(ख) क्या सरकार को रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए उदारीकृत स्वास्थ्य योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) 1994 की स्थिति के अनुसार, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की कुल अनुमानित संख्या 31.50 लाख है।

(ख) जी, हां। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना या सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के लिए विकल्प दे सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास केन्द्र

2858. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकास केन्द्रों के आरंभ किए जाने के बाद से उन्हें राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, वित्तपोषण के क्या मानदंड है, प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने विकास केन्द्र अभिनिर्धारित किए गए हैं और उनके आरंभ होने के

बाद से राज्यवार उनकी कितनी प्रगति की रिपोर्ट मिली है तथा उनकी क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या अनेक राज्यों में यह योजना अधिक सफल नहीं हो पाई है और राज्य-वार विशेषत: गोवा के संदर्भ में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रशासनिक बाधाएं हटा दी गई हैं और चालू वित्त वर्ष में संशोधित योजना कार्यान्वयन हेतु तैयार है और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो विकास केन्द्र योजना आरंभ करने के लिए गोवा सरकार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, चालू वर्ष में तय किए गए लक्ष्य क्या है और ढांचागत सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण वृद्धि केन्द्रों में औद्योगिक वृद्धि को बाधा न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ). विकास केन्द्र योजना, 1988 के तहत स्थापित किये जाने वाले 70 विकास केन्द्रों में से विभिन्न राज्यों में अब तक पता लगाये गए 69 विकास केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें अब तक राज्यवार विभिन्न विकास केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा जारी सहायता राशि के विवरण भी दिये गये हैं। प्रत्येक विकास केन्द्र के विकास की लागत करीब 25 से 30 करोड़ रु. होगी जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 10 करोड़ रुपया होगा।

उक्त योजना-के तहत विकास केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य राज्य सरकारों के सुपुर्द किया गया है। औद्योगिकीकरण की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में यथा संभव मदद करती है। केन्द्रीय सहायता कार्यान्वयन संबंधी प्रगति के आधार पर राज्यों को प्रदान की जाती है। 4 विकास केन्द्र अर्थात् बावल (हरियाणा), धिरोंजी (मध्य प्रदेश), ईरोड (तमिलनाडु) और सहजनवा (उत्तर प्रदेश) के लिए 10 करोड़ रुपये की समग्र केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। अन्य विकास केन्द्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राजस्थान में आबू रोड, बीकानेर और झालावाड़ केन्द्र, उत्तर प्रदेश में मुंगरा-स्थारिया और सहजनवा केन्द्र, पंजाब में भटिन्डा केन्द्र, कर्नाटक में धारवाड़ केन्द्र, आंध्र प्रदेश में हिन्द पुर केन्द्र तथा मध्य प्रदेश में खेड़ा, धिरोंजी, सिलतारा व बोराई केन्द्रों को कुछ औद्योगिक भू-खंड भी आबंटित किये गये हैं।

जहां तक गोआ राज्य को आबंटित विकास केन्द्र की प्रगति का संबंध है, इलैक्ट्रोनिक शहर (वर्ना प्लैटयू) स्थित विकास केन्द्र को 27.1.1993 को अनुमोदित कर दिया गया था। इस केन्द्र को अब तक केन्द्रीय सहायता के रूप में पहले ही 524 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा भी 262 लाख रुपये की रकम जारी की जा चुकी है। इस विकास केन्द्र के लिए वर्तमान व्यय 312 लाख रुपया बताया गया है। इस केन्द्र के लिए 330 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है।

विवरण

पता लगाये गये विकास केन्द्रों की सूची और इन विकास केन्द्रों को केन्द्र द्वारा जारी धनराशि

विकास केन्द्र का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश (4)	
1. हिन्दपुर	200.00
2. खम्माम (वेमसूर मण्डल)	50.00
3. ओंगोले	200.00
4. विजिनाग्राम-बोब्बिली	200.00
अरुणाचल प्रदेश(1)	-
5. निकलोक नगोरलंग	-
असम (2)	
6. चारिधुआर	-
7. बालिजाना	-
बिहार (6)	
8. भागलपुर	-
9. दरभंगा	-
10. हजारीबाग	50.00
11. बेगूसराय	50.00
12. मुजफ्फरपुर	-

विकास केन्द्र का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
13. छपरा	-
गोआ (1)	
14. इलेक्ट्रोनिक शहर	524.00
गुजरात (3)	
15. गांधीधाम	100.00
16. पालनपुर	100.00
17. वागरा	960.00
हरियाणा (2)	
18. बावल	1000.00
19. अम्बाला	-
हिमाचल प्रदेश (1)	
20. कांगड़ा	-
जम्मू और कश्मीर (2)	
21. गंधरबल	-
22. साम्बा	200.00
कर्नाटक (3)	
23. धारवाड़	420.00
24. रायचूर	320.00
25. हस्सान	300.00
केरल (2)	
26. एलेप्पी-पाथानामथिट्टा	168.00
27. कन्नौर-कोजिकुडे-मालापुरम	484.00
मध्य प्रदेश (6)	
28. बोराई	368.00
29. चैनपुरा	100.00
30. घिरोंगी	1000.00
31. खेडा	123.00
32. सतलापुर	50.00
33. सिलतारा	866.00
महाराष्ट्र (5)	
34. अकोला	200.00
35. चन्द्रपुर	200.00
36. धुले	200.00
37. रतनागिरि	-
38. नंदेड़	-
मणिपुर (1)	
39. कांगलोटोंगबि	-
मिजोरम (1)	
40. लुआगमुआल	-
नागालैण्ड (1)	
41. दीमापुर	50.00

विकास केन्द्र का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
उड़ीसा (4)	
42. चतरपुर	50.00
43. चिपलिमा	50.00
44. डुबरी	50.00
45. केसिंगा	-
पांडिचेरी (1)	
46. करायकल	-
पंजाब (2)	
47. भटिण्डा	900.00
48. पठानकोट	800.00
राजस्थान (5)	
49. आबू रोड	500.00
50. भीलवाड़ा	50.00
51. बीकानेर	300.00
52. झालावाड़	300.00
53. धौलपुर	200.00
तमिलनाडु (3)	
54. इरोड	1000.00
55. पनांगगुडी-थिरुमरूगल	-
56. तिरुनेवेलि (गंगई कोंडल ननौर ब्लाक)	930.00
त्रिपुरा (1)	
57. उत्तर चम्पापुरा, त्रिपुरा (वेस्ट)	50.00
उत्तर प्रदेश (8)	
58. बचौली-बुजुर्ग	50.00
59. बनथारा	50.00
60. चौधरपपुर	50.00
61. डिबईपुर	
62. खुर्जा	50.00
63. मुगरा सतारिया	50.00
64. सहजनवा	1000.00
65. शिवराजपुर- पदमपुर	50.00
पश्चिम बंगाल (3)	
66. बोलपुर	-
67. जलपाईगुडी	-
68. मालदा	
मेघालय (1)	
69. मेंदीपथार	-
योग	15,463.00

प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्ठकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं।

औषधियों का असंगत मिश्रण

2859. डा. वंसत पवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ औषधि निर्माण कंपनियां बे मेल मिश्रण की औषधियां तैयार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके उपयोग से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन औषधियों का उत्पादन करने वाली कौन-कौन सी कंपनियां हैं; और

(घ) सरकार का इन औषधियों के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. श्री. सिल्वेरा): (क) बेमेल औषध सम्मिश्रणों का निर्माण तथा बिक्री वर्जित है। अब तक औषधों के 39 बेमेल सम्मिश्रण वर्जित किए गए हैं।

(ख) बेमेल होने के आधार पर औषधों के सम्मिश्रण वर्जित किए गए थे।

(ग) चूंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधों तथा प्रतिपादनों को लाइसेंस दिए जाते हैं, इसलिए कोई केन्द्रीय सूची नहीं रखी जाती है।

(घ) बेमेल औषधों के उत्पादन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में प्रतिबंधित बेमेल औषधों के नाम तथा विवरण अधिसूचित करने वाले राजपत्र की प्रतियां, तत्काल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा उनके अंतर्गत औषध नियंत्रकों, औषध निर्माताओं के प्रमुख संघों तथा कैमिस्टों को उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रदान करना शामिल है।

पानून कश्मीर समिति द्वारा पारित संकल्प

2860. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पानून कश्मीर की राजनीतिक मामलों संबंधी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार संकल्प में, अन्य बातों के साथ मांग की गई है कि:

(एक) कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रतिनिधियों को, जम्मू एवं कश्मीर के लिए किसी राजनीतिक एवं आर्थिक पैकेज के संबंध में होने वाली किसी भी बातचीत में सभी स्तरों पर शामिल किया जाए;

(दो) भारत सरकार को कश्मीरी पंडित समुदाय के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए और उनके लिए "प्रवासी" तथा "शरणार्थी" शब्दों के स्थान पर "आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया जाए;

(तीन) जनगणना के आंकड़ों, मतदाताओं की संख्या और घाटी में कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी वाले चुनाव क्षेत्रों के अवमिश्रण के बारे में समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए, और एक विशेष जनगणना शुरू करने तथा विशेष जनगणना के आलोक में चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण के लिए एक सीमांकन आयोग का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएं;

(चार) धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित प्रजातंत्र को पुनर्जीवित किया जाए; और

(पांच) समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और जातीय-धार्मिक चरित्र को संरक्षित और प्रोन्नत किया जाए और इसे कट्टरतावादी आंतकवादी गतिविधियों से सुरक्षित रखा जाए।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने प्रयासों में सरकार, राज्य और समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखने के प्रति चिन्तित है और तदनुसार ही कदम उठाएगी। इसके एक हिस्से के रूप में सरकार का यह उद्देश्य और प्रयास भी है कि आतंकवादी हिंसा के कारण घाटी में स्थित अपने घर छोड़ने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा और जो इस समय राज्य/देश के विभिन्न अन्य भागों में रह रहे हैं, उनके लिए शीघ्रतम अपने घरों को लौट पाने लायक स्थितियां तैयार की जाएं और उन्हें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एवं संस्थानों में पूरी तरह से हिस्सा लेने योग्य बनाया जाए।

सहायकों के रिक्त पद

2861. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम": क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है;

(ख) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) ने वर्ष 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 के दौरान वर्षवार सहायक सेलेक्ट लिस्ट हेतु कितने रिक्त पदों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दी;

(ग) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) में सेवानिवृत सेवा काल के दौरान मृत्यु सेलेक्ट लिस्ट सहायकों की पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप उपर्युक्त सेलेक्ट लिस्ट वर्षों अर्थात् 1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक के दौरान वास्तव में कितने पद रिक्त हुए;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तरों में दिए गए आंकड़े समान नहीं हैं तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस विषम स्थिति के उपचार के लिए क्या कदम उठाए गए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 23 अगस्त, 1995 की स्थिति के अनुसार रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) में सहायकों के 262 संस्वीकृत पद हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 1989, 1990, 1991, 1992 तथा 1993 के चयन सूची वर्षों के लिए जो वर्षवार रिक्तियां सूचित की हैं वे इस प्रकार हैं:-

1989	1990	1991	1992	1993
109	103	91	46	114

1989 से 1992 के दौरान सूचित की गई उपर्युक्त रिक्तियों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायकों के दीर्घकालिक पदों की संख्या भी शामिल थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमानित रिक्तियों की संख्या इससे भी कम बैठेगी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

	1989	1990	1991	1992	1993
कुल रिक्तियां	109	103	91	46	114
सहायकों के दीर्घकालिक पद	86	58	58	1	शून्य
वास्तविक अनुमानित रिक्तियां	23	45	33	45	114

(ग) 01 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक के समय में उपर्युक्त चयन सूची वर्षों के दौरान जो रिक्तियां वास्तव में हुई वे इस प्रकार हैं:-

	1989	1990	1991	1992	1993
पदोन्नतियां	17	26	28	06	19
सेवाकाल के दौरान मृत्यु	-	02	02	-	01
त्यागपत्र	02	03	01	01	02
सेवा निवृत्तियां	08	15	22	14	14

	1989	1990	1991	1992	1993
प्रतिनियुक्तियां	04	01	-	-	04
योग	31	47	53	21	40
नए सृजित पद	-	01	-	02	-
कुल योग	31	48	53	23	40

(घ) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और त्याग पत्र आदि के बारे में वर्ष-दर-वर्ष चयन सूचियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित की गई रिक्तियां प्रस्तुत प्रस्तावों और पूर्वानुभावों के आधार पर तैयार किए गए अनुमानित आंकड़े है। अत: घट-बढ़ होना अवश्यम्भावी था।

2. वर्ष 1993 के लिए प्रारम्भ में सूचित की गई रिक्तियों (24) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार संशोधित करके 14 कर दिया गया ताकि रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों के पदग्रहण न करने के परिणामस्वरूप उन रिक्तियों के बैकलॉग को भी शामिल किया जा सके।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

उद्यमियों को प्रोत्साहन

2862. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवकों के लाभ हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को प्रशिक्षण देने वाली उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है/सहायता दी जाती है;

(ग) उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की क्या भूमिका है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख). युवाओं के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड के तत्वावधान में एक योजना है। इस योजना के अधीन युवाओं को वेतन/स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में कार्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन करने में सक्षम एवं समर्पित गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक इस योजना के तहत 93 एजेंसियों को, जिनमें करीब 30 गैर-सरकारी संगठन तथा स्वैच्छिक एजेंसियां शामिल हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, विभाग के विज्ञान और समाज योजना के तहत गांव के गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए जिनमें युवा भी लाभावन्वित होते हैं, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ). उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1982 में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड के तत्वावधान में उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थाओं में उद्यमवृत्ति विकास सैलों की स्थापना तथा श्रेष्ठतम संस्थानों में एवं उनके आसपास विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों की स्थापना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं। बोर्ड ने देश के कुछ चुनिन्दा पिछड़े जिलों में उन जिलों के अप्रयुक्त अथवा कम प्रयुक्त संसाधनों पर आधारित उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास स्कीम नामक एक कार्यक्रम की भी शुरूआत की है। इसके अलावा, प्रोत्साहन योजनाएं जैसे-राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन स्कीमें भी चलायी जा रही हैं।

मंथन द्वारा अमृत निकालना

2863. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अमृत बाई समुद्र मंथन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गहरे समुद्र में मंथन द्वारा अमृत निकालने पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस संबंध में अब तक प्राप्त परिणाम इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई धनराशि के किस हद तक अनुरूप है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग द्वारा, हिन्द महासागर से संभावित औषधियां विषय पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है जिसमें 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और संस्थान भाग ले रहे हैं, यह राष्ट्रीय परियोजना दूसरे चरण में है, जिसकी समय अवधि 1993-1996 तक है। इस परियोजना के पहले चरण (1990-1993) की वित्त व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई थी।

इस परियोजना में, औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु जैव सक्रिय यौगिकों को प्राप्त करने के लिए समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात का अन्वेषण करने पर विचार किया गया है। अभी तक भिन्न-भिन्न तटीय प्रदेशों में 460 से भी अधिक समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात में से लगभग 100 नमूने एकत्र किए गए और उनके सार (एक्सट्रेक्ट्स) की छानबीन की जा रही है। लगभग 10 समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात किसी न किसी रोग के लिए जैव सक्रिय पाए गए। आगे भी अन्वेषण प्रगति पर है।

(ग) पहले चरण के लिए 158.33 लाख रुपये की राशि रिलीज़ की गई है जबकि दूसरे चरण के लिए 467.13 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में से अब तक 308.64 लाख रुपये की राशि रिलीज़ की जा चुकी है।

(घ) अब तक प्राप्त किए गए निम्नलिखित कुछ परिणाम काफी आशाजनक हैं। एक चिकित्सा वनस्पति (अल्गा) में एंटीवाइरल सक्रियता देखी गई है तथा जीव प्रतिरूपों में एनसीफलों माइको कारडिआटिस वाइरस (ई.एम.सी.वी) के प्रति प्रभाव दर्शाने वाले एक नये यौगिक की पहचान की गई है। दो अन्य (वनस्पतियों) से चूहे के प्रतिरूप में शक्तिशाली मधुमेह रोधी प्रभाव देखने को मिले हैं। एक सक्रिय यौगिक को भी अलग किया गया है तथा जीव प्रतिरूपों में इसके द्वारा रुधिर शर्करा (ब्लड शुगर) कम करने के प्रभाव की भी पुष्टि हुई है।

ऐसे कई अन्य जीवों (स्पांज, कोरल, एकाइनोटर्माटा) की भी पहचान की गई है जिनमें शक्तिशाली यकृत संरक्षी गुण है जो यकृत की सुरक्षा करता है। कुछ रक्तचाप के प्रति प्रभावकारी (निम्नरक्तचाप) हैं तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमक क्रिया दर्शाते हैं जीवन प्रतिरूपों में अमीबता (एमीबाइसिस) के प्रति प्रभावी एक प्रवाल की भी पहचान की गई है।

प्राथमिकता वाले निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्रियता से अनुसंधान किया जा रहा है:

(1) एन्टीफर्टिलिटी, (2) एन्टीवायरल, (3) एन्टीपैरासाइटिक (विशेषरूप से मलेरिया रोधी), (4) एन्टी एमीबिक, (5) सी.वी.एस. एण्ड सी.एन.एस. (कार्डियोवस्कुलर और नर्वस सिस्टम) सक्रिय (6) मधुमेह-रोधी, और (7) इंसेक्टीसाइडल/पेस्टीसाइडल एजेन्ट्स।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

2864. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केरल में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु चयनित स्थानों तथा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) सरकार केरल सहित पूरे देश में अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और उपभोग हेतु अनुदान, राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन देकर तथा लोगों में जागरूकता पैदा कर उनका संवर्धन कर रही है। केरल राज्य में राजकोषीय सहायता द्वारा स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 156 मेगावाट क्षमता वाले 140 लघु हाइड्रो स्थलों और पवन से विद्युत उत्पादन हेतु 7 स्थलों की पहचान की जा चुकी है। सिद्धांत रूप से, 50% लागत की भागीदारी सहित विद्युतीय और यांत्रिक अवयवों सहित कुल 5.5 मेगावाट क्षमता वाली दो लघु हाइड्रो परियोजनाएं प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की जा चुकी हैं। 2 मेगावाट पवन फार्म कन्जीकोडे में कमीशन हो चुका है और अन्य 2 मेगावाट क्षमता वाला कोटाथारा में कार्यान्वयनाधीन है जिसे प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरों के लिए सरकार द्वारा 50% फंड मुहैय्या कराया जाता है।

चालू वित्त वर्ष में केरल राज्य के लिए 1500 बायोगैस संयंत्रों, 70,000 उन्नत चूल्हों और 5000 सौर लालटेनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तदनुसार बायोगैस संयंत्रों के लिए 42 लाख रुपये, उन्नत चूल्हों के लिए 45.50 लाख रु. सौर लालटेनों के लिए 80 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

विवरण

केरल राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के द्वारा निधियन किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित नई तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का ब्यौरा

1. बायोगैस संयंत्र (संख्या)		42,100	
2. उन्नत चूल्हा (संख्या)		4,50,000	
3. बायोमास गैसी फायर (संख्या)		10	
4. सौर तापीय	(क) संग्राहक क्षेत्र (वर्ग मीटर)	2,398	
	(ख) सौर कुकर (संख्या)	188	
5. सौर प्रकाशवोल्टीय			
	(क) सौर लालटैन (संख्या)	4,310	
	(ख) सौर घरेलू रोशनी (संख्या)	715	
	(ग) सौर सामुदायिक रोशनी (संख्या)	31	
	(घ) सौर सड़क रोशनी	420	
	(ङ) सौर विद्युत संयंत्र (किवा)	4	(4.7 किवा.)
	(च) सौर प्रकाशवोल्टीय एम्पन प्रणालियां (संख्या)	61	
6. विद्युत			
	(क) पवन विद्युत	2.00 मेवा.	
	(ख) लघु पन बिजली	8.02 मेवा.	

तपेदिक रोग का फिर से फैलना

2865. श्री विजय एन. पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तपेदिक के मामलों के पुन: सामने आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बीमारी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षय रोगियों की संख्या के बारे में सूचित आंकड़ों से प्रकट होता है कि इस रोग का कोई पुनराविर्भाव नहीं हुआ है।

1962 में सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से मृत्यु-दर को कम करने में सफलता मिली है। शैशवावस्था के क्षय रोग और वयस्कों में गम्भीर किस्म के क्षय रोग में कमी हो रही है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार करना तथा इसका कारगर कार्यान्वयन करना शामिल है। गुणवत्ता सूक्ष्मदर्शिकी के माध्यम से क्षय रोगियों का पता लगाने और थूक के नए पाजिटिव रोगियों और अधिक कारगर अल्पावधि रसायचिकित्सा की "डायरेक्टली आब्सवर्ड थिरेपी" से रोगियों के अच्छा होने की 85 प्रतिशत दर प्राप्त करने के लिए एक संशोधित कार्यनीति का पांच जिलों और 10 शहरों के चयनित परियोजना क्षेत्रों में परीक्षण किया जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2866. श्री राम नाईक: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग

की जनशक्ति के पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय प्रशासन संस्थान को सौंपने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस तारीख से दिया गया;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसे शीघ्र करने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) ने यह कार्य 7.11.94 को स्वीकार किया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग रिपोर्ट को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए इस मामले में आई.आई.पी.ए. से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

तथ्यान्वेषी समिति

2867. डॉ. सुधीर राय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा तकनीकि विकास निगम में कथित अनियमितताओं तथा कुप्रबंधन की जाँच हेतु एक समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो समिति किन आरोपों की जाँच कर रही है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). ईटीएण्डटी के प्रबंध के विरुद्ध सांसदों और संघों से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी बोर्ड नियुक्त किया गया था।

(ग) और (घ). जी हां। सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

टी.बी. के रोगी

2868. श्री परसराम भारद्वाज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुष्ठ रोग तथा टी.बी. के रोगियों के लिए आफ्टर केयर तथा रिहैब्लीटेशन केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र को कितनी धनराशि दी गयी है और विदेशों से प्रत्येक केन्द्र को कितनी सहायता मिली है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) देश में कुष्ठ रोगियों के लिए 98 परिचर्योत्तर (आफ्टर केयर) तथा पुनर्वास केन्द्र हैं।

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) कुष्ठ रोग परिचर्योत्तर तथा पुनर्वास केन्द्रों के लिए कोई पृथक अनुदान नहीं दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय कुष्ठे उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के स्वरूप के अनुसार व्यय के आधार पर, राज्यों के लिए समग्र केन्द्रीय अनुदान में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन भी स्वैच्छिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों को सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

बंजरभूमि विकास

2869. डॉ. सत्य नारायण जटिया:
डॉ. महादीपक सिंह शाक्य:
श्रीमती सरोज दुबे:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बंजरभूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में राज्यवार कुल कितने एकड़ भूमि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपजाऊ बनाया गया;

(ग) राज्यवार, कब तक सम्पूर्ण बंजरभूमि को उपजाऊ बना दिया जाएगा;

(घ) क्या राज्यों से बंजरभूमि विकास योजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ

2870. **डॉ. पी. वल्लल पेरूमान:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से पुंछ क्षेत्र में घुसपैठ की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने विदेशी नागरिक पकड़े गए; और

(ग) इस क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पुंछ सेक्टर में किए गए एक प्रयास सहित जम्मू और कश्मीर में पिछले 6 महीनों के दौरान घुसपैठ के 28 प्रयासों को बीच में रोक दिया गया।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में 17 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं। इनमें, नियंत्रण रेखा/सीमा पर सतर्कता में वृद्धि करना, आसूचना तंत्र को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना, विभिन्न प्रचलनात्मक एजेन्सियों के बीच गहन समन्वय स्थापित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती की लगातार समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार इसे सुदृढ करना, नियंत्रण रेखा/सीमा पर और संवेदनशील क्षेत्रों में गस्त गहन करना सम्मिलित है। इन सभी प्रबंधो की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और संगठनात्मक रूप के होने वाली घुसपैठ से संबंध में राज्य सरकार से नियमित और गहन रूप से इसका प्रबोधन करने के लिए कहा गया है। सीमा पर सवंदेनशील क्षेत्रों में, बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय भी लिया गया है।

उड़ीसा में औद्योगिक पार्क

2871. **डा. कृपासिन्धु भोई:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में गैर-सरकारी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ औद्योगिक पार्क बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या ये आधुनिक औद्योगिक पार्क 1995-96 में बना लिए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) उड़ीसा में निजी भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक औद्योगिक पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास

2872. **श्री उद्धव वर्मन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास में सुधार लाने हेतु कुछ कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों हेतु समन्वय और योजना तैयार करने संबंधी कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विभाग में अलग से कोई प्रभाग है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रभाग कार्य किस प्रकार से करता है और इस क्षेत्र

में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों को बढ़ावा देने में इसकी क्या भूमिका है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख). जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं संघशासित क्षेत्रों द्वारा उनकी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना में मदद की है। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें अपने-अपने राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के प्रारूपण, आयोजन, समन्वयन तथा प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेन्सियों के तौर पर कार्य करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया

2873. श्रीमती वसुधरा राजे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेलरिया के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की बढ़ती हुई घटनाओं से परिचित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों से ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) क्या सरकार ने गर्भवती महिलाओं की मलेरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). ऐसी घटनाओं पर पृथक रूप से आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया है।

(ग) मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं जैसे असुरक्षित वर्गों को कवर किया जाना शामिल है:-

- रोगी का शुरू में ही पता लगाना और शीघ्र उपचार;
- वैक्टर नियंत्रण के लिए उपयुक्त कीटनाशकों और लार्वारोधी उपायों सहित चयनात्मक छिड़काव;
- ग्राम स्तर पर औषधियां उपलब्ध कराना;
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अस्पताल के क्लीनीशियनों का प्रशिक्षण और मलेरिया के गम्भीर और पेचीदा रोगियों का इलाज और उपचार;
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता;
- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम मेलरिया की प्रबलता वाले आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में नियंत्रण संबंधी उपायों को तेज करने के लिए अतिरिक्त निवेश ।

इन सामान्य उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मेलरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव होने तक केवल क्लोरोक्वीन दी जाती है और उन्हें कोई मूल उपचार प्रदान नहीं किया जाता है।

सेना कैंटीन

2874. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अगस्त, 1995 के नवभारत टाइम्स में "सेना मुख्यालय कैंटीन में भ्रष्टाचार का आरोप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कैंटीन सेवाओं में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों सहित इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस कैंटीन से सेवानिवृत्त होने वाले सिविल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने और इसकी लाभार्थी सूची में संसद सदस्यों को भी शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समाचार में प्रबन्ध समिति के विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन, झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य इस बात के लिए प्राधिकारियों पर दबाव डालने का है कि वे अपने ग्राहकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए सुधारों को लागू न करें। इसके बावजूद, इन आरोपों की सच्चाई की जांच करने के लिए एडजूटेंट जनरल

शाखा, सेना मुख्यालय के तत्वावधान में 8 अगस्त 1995 को जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

(घ) सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों और संसद सदस्यों को ये सुविधाएं दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आयुध कारखाने

2875. डा. महादीपक सिंह शाक्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखानों में निर्मित हथियार ग्राहकों को वैधानिक तौर पर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे हथियारों की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) आयुध निर्माणियों द्वारा निर्मित तीन किस्म के अनिषिद्ध शस्त्र अर्थात् .315 स्पोर्टिंग राइफल, 12 बोर दुनाली बन्दूक तथा .32 रिवाल्वर वैध लाइसेंसधारकों द्वारा खरीदे जा सकते है। .315 स्पोर्टिंग राइफल तथा 12 बोर दुनाली बन्दूक बाजार में प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के माध्यम से बेची जाती हैं, .32 रिवाल्वर केवल निर्माणियों से बेची जाती हैं तथा सुरक्षा की जरूरत पड़ने पर कतिपय विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित की जाती हैं।

(ख) और (ग). गत दो वर्षों के दौरान .32 रिवाल्वर के प्रारंभिक विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि 12 बोर दुनाली बन्दूक के प्रारंभिक विक्रय-मूल्य में लगभग 15 प्रतिशत तथा .315 राइफल के प्रारंभिक विक्रय-मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादन-लागत तथा बाजार-स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्यों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव

2876. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा:
डॉ. कृपासिंधु भोई:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल और प्रोडेक्शन) 1994 का अन्तिम परिणाम घोषित किया है और आकाशवाणी/दूरदर्शन में 278 रिक्त पदों को भरने के लिए 182 उम्मीदवारों का चयन किया है तथा 17 उम्मीदवार पैनल में हैं;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी/दूरदर्शन के 278 रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग का विचार शेष 96 रिक्त पदों का अनुपूरक परिणाम घोषित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आरक्षित रिक्त पद समय पर न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार आरक्षित रिक्तियों को भरने में विलंब न होने देने के लिए देश भर में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के सभी 458 रिक्त पदों को उक्त परीक्षा के अनुपूरक परिणाम द्वारा भरने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ङ). उपयोगकर्ता (यूजर) कार्यालयों द्वारा ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल और प्रोडक्शन) की केवल 194 रिक्तियां (न कि 278 जैसाकि प्रश्न में कहा गया है) ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल तथा प्रोडक्शन) परीक्षा, 1994 के परिणाम के आधार पर भरे जाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सूचित किया गया था। इस परीक्षा के 20-7-95 को घोषित परिणाम के अनुसार 182 उम्मीदवारों (उन 17 उम्मीदवारों सहित जिनका चयन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनापत्ति की शर्त के अध्यधीन अनन्तिम है) के नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग शेष 12 रिक्तियों के लिए चयन नहीं कर पाया।

(च) से (ज). न भरी गई 12 रिक्तियां तथा उपयोगकर्ता विभागों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की जाने वाली ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल तथा प्रोडक्शन) की अतिरिक्त रिक्तियों के लिए चयन अगली नियमित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

मध्यम स्तर के अस्पताल

2877. श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के विभिन्न जिलों में मध्यम स्तर के अस्पताल खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यह योजना कितने जिलों में लागू की गई है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) से (ग). विदेशी सहायता का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक में द्वितीयक स्तर की अस्पताली सेवाओं को सुदृढ़ करने की एक परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 19 जिलों को लाये जाने का प्रस्ताव है जिसका शीघ्र ही विश्व बैंक के बाह्य मिशन द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(घ) इस परियोजना का अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही इस उपलब्ध कराया जायेगा।

बाढ़/सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सेटेलाइट सर्वेक्षण

2878. **श्री सुरेशानंद स्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बाढ़ एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में कोई सेटेलाइट सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उपग्रह सर्वेक्षण आयोजित किया गया। यह सर्वेक्षण, प्रतिवर्ष जून से अक्तूबर की अवधि के दौरान जिला स्तर पर मासिक फसल और ऋतुनिष्ठ स्थिति संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। इसमें वनस्पति की स्थिति और उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से व्युत्पन वनस्पति सूचकांक द्वारा प्रतिबिम्बित सूखे से संबंधित स्थिति, यदि कोई हो, तो उसका निर्धारण शामिल है। इसे 1992 से प्रचलनात्मक रूप में किया जा रहा है।

प्रतिवर्ष अगस्त/सितम्बर में बाढ़ के समयबद्ध मानचित्रण के लिए उपग्रह आंकड़े का उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। बाद में, यह सूचना बाढ़ प्रबन्धन से कार्यरत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी एजेन्सियों को उपलब्ध की जाती है। अन्तरिक्ष विभाग ने भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के साथ क्षति की सीमा दर्शाने वाले बाढ़ मानचित्रों को उपलब्ध किया है।

केन्द्रीय स्टाफ योजना के अंतर्गत आने वाले भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी

2879. **श्री लोकनाथ चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय केन्द्रीय स्टाफ योजना के अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी सरकार में संयुक्त सचिव और उससे उच्च पदों पर आसीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की कैडर संख्या और आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता को मद्देनजर रखते हुए क्या भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का उपरोक्त (क) में उल्लिखित पदों पर प्रतिनिधित्व समुचित है;

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित पदों पर भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारियों की तुलना में कितना है; और

(घ) केन्द्रीय स्टाफ योजना के अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के वरिष्ठ पदों पर उचित प्रतिनिधित्व में सुधार हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रैट आल्वा): (क) से (घ). अवर सचिव तथा इसके ऊपर से स्तर के पद केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भी जाते हैं। ऐसे पदों को किसी सेवा विशेष के सदस्यों के लिये निर्दिष्ट नहीं किया जाता। इन पदों को टेन्योर प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिये भरा जाता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर ये अधिकारी अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्त हो जाते हैं। भारत सरकार में अवर सचिव या इससे ऊपर के स्तर के पदों को भरने के लिये भारतीय अर्थसेवा (आई.ई.एस.), केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में भाग लेने वाली संगठित सेवाओं में से एक है। इस सेवा से सम्बन्धित अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता/उपलब्धता की शर्त पर विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

नौसेना दस्ता

2880. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:**
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण और संचालन कार्य विशेषरूप से नौसेना हवाई अड्डों पर हवाई दस्तों का संचालन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, कुछ हिस्से-पुर्जों की कमी और खराब मौसम के कारण कुछ स्क्वाड्रनों से संबंधित उड़ान कार्यों में थोड़ी-सी कमी आई है। आवश्यक हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति के प्रयास जारी हैं।

दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी

2881. श्री बलराज पासी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के समक्ष ऐसे अभिकल्पित तथा प्रक्रियायों, जिनका संवेदनशील उपयोग किया जा सकता है, के दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी के निर्यात का संकट है;

(ख) यदि हां, तो उससे कौन से क्षेत्र प्रभावित हुये;

(ग) क्या भारतीय शोध, तकनीक संगठन, भारतीय उद्योग और पूंजीनिवेश करने वाले अन्य संस्थानों ने एक कान्सोर्टियम बनाने और शोध और विकास कार्य को मजबूत बनाने के लिए कोई मैपिंग अभ्यास किया है; और

(घ) यदि हां, तो यदि इसमें कोई नए शोध, प्रौद्योगिकी के नमूने का उपयोग किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

2882. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में जांच और पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) से (ग). जी, हां। जांच और पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय में एक उप महानिदेशक के कार्यालय की 18.5.1995 को तलाशी की गई थी। यह आरोप था कि अधिकारी और कुछ पेट्रोलियम व्यापारी राजस्थान के कई पेट्रोलियम व्यापारियों से धन एंठने के आपराधिक षड़यंत्र में शामिल थे। हांलाकि जांच जारी है फिर भी संबंधित अधिकारी को 28.6.1995 से निलम्बित कर दिया गया है।

पेंशन दावों का निपटान

2883. श्री मुहीराम सैकिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन दावों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ). पेंशन की स्वीकृति एवं अदायगी प्रणाली का संचालन विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाता है। सरकारी कर्मचारी जिस मंत्रालय/विभाग से सेवा निवृत होता है, वे ही बिना किसी देरी के ऐसी अदायगियां सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सेवानिवृत हो रहे व्यक्तियों के मामले में समय पर पेंशन का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(एक) कार्यालय अध्यक्ष तथा लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का समय रहते निर्धारण सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों तथा रेलवे कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा संबद्ध नियमों में विशिष्ट समय सीमा निश्चित की गयी है।

(दो) सेवानिवृति की तारीख तक अनंतिम या अंतिम रूप से पेंशन प्राधिकृत करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुपालन के

लिए विभागों/कार्यालयों के प्रधान को ज़िम्मेदार बनाना।

(तीन) पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान को मानीटर करने के लिए मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्दिष्ट करना।

(चार) सेवानिवृत हो रहे वे कर्मचारी जिन्हें सेवानिवृति की तारीख को पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं नहीं मिलती हैं, वे ऐसे मामले सरकार के ध्यान में ला सकते हैं।

(2) अर्हक सेवा का समय पर सत्यापन, पेंशन के मामले निपटाने वाले कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के उपबन्धों का प्रचार तथा प्रशासनिक अध्यक्षों तथा लेखाअधिकारियों के बीच आवधिक समन्वय बैठकों की जरूरत पर बल देते हुये, सरकार ने नई, 1994 में पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के समयपूर्वक भुगतान से सम्बन्धित अनुदेशों को दोहराया है। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भुगतान में देरी के लिये अधिकारी जिम्मेदार पाये जाते हैं तो सम्बन्धित विभाग ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

पैट्रोल पम्प/रसोई गैस डीलर

2884. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानिदेशक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान एम. आर. टी. पी. सी. एक्ट, 1969 का उल्लंघन करने के लिए पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस के डीलरों के खिलाफ कितने जांच पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है;

(ग) क्या एम. आर. टी. पी. सी. में इन पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस डीलरों के खिलाफ बहुत से मामले अभी लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

लिपिक संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षाएं

2885. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1993 से 1995 तक आयोजित की गई लिपिक संवर्ग की (क्लर्क ग्रेड) की विभागीय परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष तक के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई है; और

(ग) बाकी उम्मीदवारों की कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केवल वर्ष 1993 तथा 1994 की लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियें के लिए) का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से संबद्ध कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 1993 तथा 1994 की परीक्षाओं के लिए सूचित रिक्त पदों पर, 1993 की परीक्षा से 183 में से 160 रैंकों तक सफल उम्मीदवारों का नामांकन संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों को कर दिया है ।

(ग) चूंकि यह परीक्षा अर्हक स्वरूप की है, अत: सफल उम्मीदवारों की संख्या, इसके लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या से कोई मायने नहीं रखती । रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को यदि कोई हैं, आने वाले वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों में समायोजित कर लिया जाता है । वर्ष 1993 तथा कुछ पिछले वर्षों की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक थी । परिणामत: संख्या से अधिक उम्मीदवारों को आने वाले वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों पर समायोजित करना था जिसके कारण नियुक्तियों में विलम्ब हुआ । वर्ष 1993 तथा वर्ष 1994 की परीक्षा के समायोजित न किए जा सके उम्मीदवारों को आने वाले वर्षों की रिक्तियों पर समायोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

डी. ई. सी. यू., इसरो की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2886. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विकास और शैक्षणिक इकाई (डी. ई. सी. यू.) में आयातित अत्यधिक उपकरणों की खरीद और रखरखाव में बरती गई अनियमितताओं के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्तरिक्ष उपयोग उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद के विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट में की गई एक प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि झूठे दस्तावेज और केनन जूम लेन्स के पुन: क्रय द्वारा विभाग को संभवत: 97,500/-रुपये का नुकसान पहुंचा है । कुछ अन्य उपस्कर, जिनकी लागत लगभग 4.00 लाख रुपये तक की है, का भी पता नहीं चला है । इस संबंध में विस्तृत जांचें शुरू की गई हैं ।

समान रैंक-समान पेंशन

2887. श्री देवी बक्श सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा कार्मिकों पर लागू किये जा चुके "समान रैंक समान पेंशन" के लाभ को 1.6.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए (निशक्त पेंशनरों सहित) सैनिक पेंशनरों को देने के लिए पेंशन में एक बार की वृद्धि देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस निर्णय को कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एच. एल. ई. सी.) ने भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन से संबंधित मांग पर विचार किया था । विभिन्न कारणों से एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया था । तथापि, उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों के अनुसार 01 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 1992 से पंशन में एक बार की वृद्धि की योजना मंजूर कर दी गई है । 01 जून, 1953 से पूर्व के सैन्य पेंशनभोगियों तथा की गई सेवा के आधार पर पेंशन पाने वाले निशक्त पेंशनरों की पेंशन में एक बार की वृद्धि स्वीकृत की गई है । 01 जून, 1953 से पूर्व के सैन्य पेंशनभोगियों तथा अन्य श्रेणियों के पेंशनरों जिनके लिए पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना लागू की गई है, के लिए स्वीकार्य पेंशन में एक बार की वृद्धि की दर 16 मार्च, 1992 को अधिसूचित की गई थी ।

बसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

2888. श्री अमर रायप्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 17 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 6027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान बसंत विहार, नई दिल्ली में एलोपैथिक औषधालय की स्थापना हेतु सम्पदा निदेशालय से एक फ्लैट खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बसंत विहार में भारतीय चिकित्सा पद्धति वाला एक औषधालय खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस एलोपैथिक औषधालय द्वारा कब से कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). बसन्त विहार में एलोपैथिक औषधालय खोलने के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी गई है । वहां पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय खोलने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) बसन्त विहार में एलोपैथिक औषधालय खोलने के लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

[हिन्दी]

गांव स्तर पर न्यायालय

2889. श्री गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगम आयोग ने सिफारिश की है कि गांव स्तर पर न्यायालय गठित किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधि आयोग ने, अपनी 114वीं रिपोर्ट में, प्रत्येक तालुक/तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की सिफारिश की है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर न्याय उपलब्ध कराया जा सके । किसी गांव को प्रशासन की इकाई के रूप में लिया जाएगा । ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि राज्यों में न्याय पंचायतें स्थापित किए जाने के प्रश्न पर 3 जुलाई, 1995 को नई दिल्ली में हुए पंचायत मंत्रियों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के सम्मेलन में विचार किया गया था और अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की गई थी कि न्याय पंचायतें, जिन्हें विवादों के निपटान की एक कारगर और कम खर्चीली पद्धति समझा गया था, पंचायती राज के संबंध में राज्य विधान का भाग बन सकती थीं या उनके संबंध में पृथक रूप से विधान बनाया जा सकता था । तथापि, संविदान के भाग-9 में न्याय पंचायतों का उल्लेख नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे बहुत कम राज्यों में पंचायती राज के संबंध में अपने विधान में न्याय पंचायतों का उपबंध समाविष्ट किया है । फिर भी पंचायती राज विधान में न्याय पंचायतों से संबंधित उपबंधों का किया जाना राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता के भीतर है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

रिवर्स डिसेलिनेशन प्लांट्स

2890. श्री राजेश कुमार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खारे पानी से खारापन समाप्त करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन प्लांट्स" सप्लाई किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इन संयंत्रों की प्रति मिनट क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार खारे पानी से खारापन दूर करने की योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ब्यौरे विवरण-II में दिये गए हैं ।

विवरण-I

खारापन दूर करने के संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदित संयंत्रों की संख्या	लगाए गए संयंत्रों की संख्या
I. आंध्र प्रदेश	14	14
II. गुजरात	12	11
III. हरियाणा	2	2
IV. महाराष्ट्र	2	2

राज्य	अनुमोदित संयंत्रों की संख्या	लगाए गए संयंत्रों की संख्या
V. राजस्थान	107	85
VI. तमिलनाडु	22	20
VII. पश्चिम बंगाल	3	3
VIII. लक्षद्वीप	10	10
IX. पांडिचेरी	7	3
	179	150

टिप्पणी : इसमें वे 25 खारापन दूर करने के संयंत्र शामिल है जिन्हें सभी चरणों में स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित कुल 115 संयंत्रों में से पहले चरण में बाड़मेर जिले के लिए स्थापित किये जाने हेतु हाल ही में अनुमोदित किया गया है ।

विवरण-II

रिवर्स आस्मोसिस (आर. ओ.) खारापन दूर करने के संयंत्रों का ब्यौरा और उनकी क्षमता

राज्य	संयंत्रों की क्षमता					
	10 एम.3	20 एम.3	30 एम.3	50 एम.3	100 एम.3	कुल
(I) आंध्र प्रदेश	8	–	1	–	1	10
(II) गुजरात	–	2	2	4	3	11
(III) हरियाणा	1	–	–	–	–	1
(IV) राजस्थान	10	20	12	2	2	46
(V) तमिलनाडु	4	10	3	2	–	19
(VI) पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	1	1
(VII) लक्षद्वीप	–	–	4	6	–	3
(VIII) पांडिचेरी	–	–	–	2	1	3
	23	32	22	16	8	101

आई. ए. ए. एस. की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

2891. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंडिया आडिट एंड एकाउंट्स सेवा में भर्ती के लिए 19 मार्च, 1995 को परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) क्या उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1994 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 का घोर उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किए गए थे;

(ग) क्या इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण न किए जाने के विरोध में अन्य लोगों सहित संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इससे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है चूँकि भर्ती का तरीका मुख्यत: ''स्थानांतरण'' पर आधारित है ।

(ग) इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में जलाए गए तथा नष्ट किए गए मकान

2892. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के अब तक कितने मकान जलाए और नष्ट किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों में मुआवजा दे दिया गया है या बीमा दावा का निपटारा कर दिया गया है;

(ग) कितने मामलों का अभी निपटारा किया जाना है; और

(घ) मुआवजा तथा बीमे की धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या तथा नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु-ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). उपबलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार को, अनुग्रहपूर्वक राहत हेतु 3670 दावे कश्मीरी प्रवासियों से प्राप्त हुए हैं जिनमें से अप्रैल, 1995 तक 1172 मामलों में भुगतान कर दिया गया था । बीमा दावों के मामलों में, 6132 दावों में से 5781 को निपटा दिया गया है और 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 351 मामले लम्बित पड़े हैं ।

[अनुवाद]

कूड़े करकट पर आधारित विद्युत संयंत्र परियोजनाएं

2893. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अनिवासी भारतीय ने बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में कूड़े करकट पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी नहीं । तथापि एक अप्रवासी भारतीय की एक भारतीय कम्पनी द्वारा बंगलौर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे नगर निगमों से कूड़े करकट पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु बातचीत की है । नगर-निगमों को इस कम्पनी से उसकी परियोजनाओं का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

फार्मास्यूटिकल उत्पादों का पेटेंट

2894. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उत्पादों के पेटेंट के लिए सरकार को अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत/लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये लम्बित प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

2895. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के इन्सुलेटर का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी स्थापित क्षमता की तुलना में इन्सुलेटरों का वास्तव में कितना उत्पादन किया गया;

(ख) स्थापित क्षमता की तुलना में कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कारखाना लम्बे समय से घाटे में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो 31 मार्च, 1995 तक इस कारखाने को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) इस कारखाने की क्षमता और कार्य-निष्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भेल के जगदीशपुर स्थित इंसुलेटर संयंत्र की गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता तथा इसका उत्पादन इस प्रकार है :-

सिरेमिक मी. टन में

क्षमता	1992-93	1993-94	1994-95
स्थापित	6000	6000	6000
उत्पादन	3617	4208	4349

(ख) यह संयंत्र इंसुलेटरों का निर्माण करता है जिनके लिए देश में स्थापित क्षमता मांग से कहीं अधिक है । इसके परिणामस्वरूप, बाजार सीमित है और कहीं प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें अलाभकारी हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यथा 31 मार्च, 1995 को फैक्टरी को कुल 82.08 करोड़ रुपये का घाटा हुआ ।

(ङ) फोग और एन्टीफोग किस्म के इंसूलेटरों, अपघर्षण प्रतिरोधी सिरेमिक लाइनिंग, प्रभाव रोधी टाइलों, फ्लाईऐश टाइलों और कोरडिराईट भट्ठी फर्नीचर इत्यादि जैसे नए उत्पादों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया/किया जा रहा है ।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम

2896. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में आखातीज उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष बाल विवाह अवरोध अधिनियम का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे; और

(घ) सरकार ने गत तीन वर्षों को दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए बाल-विवाह अवरोध अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से प्रवृत्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टरों को परिपत्र जारी किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो (चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग) तथा महिला और बाल विकास विभाग इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं । 'प्रभात फेरी', 'नुक्कड़ नाटक' 'संगोष्ठियों' 'कार्यशालाओं' 'लोक माध्यमों' और प्रचार के अन्य उपायों के माध्यम से बाल-विवाह के बुरे परिणामों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रत्येक वर्ष आखातीज के अवसर पर बाल-विवाह को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है और समाचारपत्रों, पुस्तिकाओं, हैंडबिलों आदि में प्राधिकारियों द्वारा अपील की जाती है ।

विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, महिला और बाल विकास तथा राज्य प्रशासनिक मशीनरी के प्रयासों के माध्यम से, बाल-विवाह के विरुद्ध जागरूकता पैदा की गई है । बाल-विवाहों के समारोहों पर काफी हद तक रोक लग गई है। वर्ष 1994 के दौरान 714 बाल-विवाह वास्तविक रूप में रोके गए थे । चालू वर्ष के दौरान भी बड़ी संख्या में बाल-विवाह रोके गए हैं ।

[अनुवाद]

स्वीडन की सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनी

2897. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरिफ्लेम इंटरनेशनल नामक स्वीडन की किसी सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनी का विचार नोएडा में घरेलू बाजार तथा निर्यात के लिए उत्पादन कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना रॉल्सकाम इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा शर्तें क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां । मैं. ओरिफ्लेम इन्टरनेशनल ए. बी., स्वीडन को मैं. रॉल्सकान (ई.) लि., नई दिल्ली के साथ भारत में नोएडा, उ. प्र. में एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग करने का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) मैसर्स ओरिफ्लेम इन्टरनेशनल ए. बी. स्वीडन को भारत में ओरिफ्लेम उत्पादों का विनिर्माण करने अथवा अन्य एककों से विनिर्माण करवाने और बिक्री करने के लिए मैसर्स रॉल्सकान (ई.) लि. के साथ भारत में नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने हेतु दिनांक 15 जून, 1995 को विदेशी सहयोग अनुमोदन सं. एफ. सी.-II: 420 (95)/130(95) दिया गया है । उत्पादों की श्रृंखला में क्लींचर, मोइस्चराइजर, विभिन्न किस्मों की क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, लिपिस्टिक, फेसियल पाउडर, नेल पालिश आदि शामिल हैं । अनुमोदन पर अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं :-

(1) समझौता अवधि के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए आन्तरिक बिक्रियों पर 5% और निर्यात पर 8% रायल्टी जो कर के अधीन होगी ।

(2) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण नहीं करेगा और यदि संयुक्त उद्यम बाद में कभी आरक्षित मदों का विनिर्माण करने का निर्णय लेता है तो इसे लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के अपने कम से कम 75% उत्पादन का निर्यात करने का वचन देना होगा ।

(3) लाभांश भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा के बर्हिगमन को निर्यात आय से संतुलित किया जाएगा ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

2898. श्री हरिभाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक गुजरात में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्य में और देश के अन्य भागों में आरक्षण संबंधी लक्ष्य हासिल कर लिये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित अवधि के दौरान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). गुजरात में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की उपलब्धियों तथा देश में कुल उपलब्धियां के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

समग्र स्वीकृतियों * की तुलना में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के मामलों की स्वीकृति की गुजरात व अखिल-भारतीय स्थिति

गुजरात राज्य

क्र. सं.	वर्ष	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति का योग	कुल स्वीकृतियों में अनु. जाति । अनु. जनजाति का प्रतिशत
1.	1993-94	527	50	1	51	9.7
2.	1994-95	5,715	512	224	736	12.9
		अखिल भारत				
1.	1993-94	31,797			2834	8.9
2.	1994-95	1,87,913**			22362	11.9

* अनन्तिम

** यद्यपि 1994-95 के दौरान स्वीकृत मामलों की संख्या 1,93,964 है लेकिन स्वीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों की संख्या केवल 1,87,917 के संदर्भ में ही बताई गई है ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निर्धारित आरक्षण 22.5 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कम भागीदारी के लिए राज्यों द्वारा बताए गए कारणों में से कुछेक इस प्रकार हैं-पर्याप्त संख्या में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी सेवाओं को तरजीह देते हैं और जहां आरक्षण का प्रावधान होता है । अन्य योजनाओं की वित्तीय शर्तें और अधिक आकर्षक हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, जिसके कारण ये हैं- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ब्याज मुक्त/कम ब्याज पर ऋण/अनुदान प्रदान करना, कुछ अन्य सरकारी योजनाओं पर राजसहायता की प्रतिशतता में बढ़ोतरी ।

(घ) 31.8.1994 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम अपनाने के लिए सहमत हुए । 14.6.1995 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों की भागीदारी में वृद्धि के लिए कुछ सुझाव दिए । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लाभग्राहियों के लिए बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के प्रभारी जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर के अधिकारियों को जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर प्रधान मंत्री रोजगार योजना संबंधी जिला प्रधान मंत्री रोजगार योजना समिति, राज्य प्रधान मंत्री रोजगार योजना समिति और राज्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति में हाल ही में शामिल किया गया है ।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2899. डा. साक्षीजी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस संबंध में वास्तविक रूप से क्या उपलब्धियां रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के तरीकों का लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धि स्तर

परिवार नियोजन के तरीके	लक्ष्य	उपलब्धियां	1992-93 प्र. उ. स्तर/ लक्ष्य	1993-94 उपलब्धियां	1994-95 प्र. उ. स्तर/ लक्ष्य	उपलब्धियां
बन्यकरण	650000	385706	700000	420076	600000	546001
आई. यू. डी. निवेशन	1600000	1213830	1900000	1843384	2144000	2180455
समीकृत परम्परागत गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ता	1765000	1832120	2248000	2426117	2656000	2724599
समीकृत मुखसेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	342000	239771	403000	425742	457000	470445

*अनन्तिम

[अनुवाद]

लघु/बड़े एककों की सरकार पर बकाया धनराशि

2900. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अनन्तराव देशमुख :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लघु/बड़े उद्योगों की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या लघु एवं बड़े उद्योग के एककों के विवाद को निपटाने हेतु न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायाधिकरण कब से कार्य करना प्रारंभ कर देगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लघु/बड़े उद्योगों की बकाया राशि के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ख) और (ग). वर्तमान में, लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक अधिनियम, 1993 के तहत-बिलंबित भुगतानों पर ब्याज के उपबंधों में लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को यदि भुगतान निर्धारित समय के बाद किया जाता है तो ब्याज पर दंड लगाने का प्रावधान है । उक्त अधिनियम के तहत दिवानी मुकद्दमा करके रकम की वसूली की जा सकती है । उक्त अधिनियम के तहत मामलों की न्यायिक जांच कराने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने हेतु विभिन्न उद्यमों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

2901. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सेना के प्रयोजनार्थ कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) भूमि से बेदखल किए जाने वाले व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). गया में 1.65 एकड़ और 2.25 एकड़ माप के दो भूखण्डों को अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है । 1.65 एकड़ भूमि के लिए 1,26,914.45 रुपए के मुआवजे की धनराशि कलक्टर के पास जमा करा दी गई है । 2.25 एकड़ भूमि की लागत 1,33,800 रुपए के लगभग है जिसे अधिनिर्णय के समय संशोधित किया जा सकता है ।

[अनुवाद]

अस्पतालों के उपकरण

2902. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय तथा रेडियोलाजिकल उपकरण खराब हैं तथा निर्धन मरीजों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में अधिक कीमतों पर उपचार करवाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनिवार्य उपकरणों की मरम्मत और उन्हें दुबारा लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). सरकारी अस्पताल प्राधिकारियों ने निर्माता फर्मों के साथ वार्षिक अनुबंध करके उपस्करों के खराब हो जाने पर उनकी मरम्मत करने की व्यवस्था की है । प्राधिकारियों द्वारा उपस्करों के रख-रखाव की सतत् समीक्षा की जाती है ।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा पम्प सेट

2903. श्री सुखदेव पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा पम्प सेटों का उत्पादन करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने पम्प सेटों का उत्पादन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है और वास्तव में कितने सेटों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या बिहार के बिना बिजली चाले ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को रियायती दर पर सौर ऊर्जा पम्प सेट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान देश में प्रगामी रूप से सौर जल पंपन प्रणालियों की एक योजना शुरू की है । आरंभ में कृषि और उससे संबद्ध प्रयोगों के लिए 1000 सौर प्रकाशवोल्टीय जन पंपन प्रणालियों की स्थापना का कार्यक्रम उदार ऋण तथा आर्थिक सहायता की व्यवस्था से शुरू किया गया । इस कार्यक्रम में बिहार को भी शामिल किया गया है । अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 888 सौर पंपन प्रणालियों की स्थापना की गई है जिसमें से 29 प्रणालियां बिहार राज्य में हैं ।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत पी. वी. पम्पों का बाजारीकरण सीधे विनिर्माताओं और वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा किया जाता है । सभी किसान, व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन और अन्य संगठन आर्थिक राज सहायता और उदार ऋण हेतु पात्र हैं ।

1995-96 के दौरान अन्य 500 सौर पी. वी. जन पंपन प्रणालियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है । सरकार पी. वी. और क्षमता युक्त प्रणालियों को 125 रु. प्रति वाट की आर्थिक राज सहायता प्रदान कर रही है जो 1.5 लाख रु. से अधिक नहीं होगी और प्रति पम्प प्रणाली के लिए 1 लाख रुपये तक का उदार ऋण प्रदान कर रही है जो 5% ब्याज पर 10 वर्षों में लौटाने की व्यवस्था है ।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर की चोरी

2904. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) व्यवस्था के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर की चोरी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी चोरी के कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर की चोरी से हुए नुकसान का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय टायर निगम

2905. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टायर निगम का काकीनाड़ा एकक जिसे नया रूप दिया गया है केवल अन्य टायर उत्पादकों के लिए उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य टायर निर्माताओं से लिया जाने वाला परिवर्तन शुल्क लागत से कम होता है;

(घ) क्या क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से कम है; और

(ङ)यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख).जी नहीं । वर्ष 1994-95 के दौरान टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अपने ब्रांड वाले 96,646 टायरों का उत्पादन किया गया था ।

(ग) अन्य टायर निर्माताओं से वसूल किए गए परिवर्तन प्रभारों को कंपनी द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि रोजगार-लागत, ईंधन-लागत और फैक्टरी की अन्य उपरिलागतों की भरपाई की जा सके ।

(घ) और (ङ). जी, हां । संचयी हानियों और कार्यशील पूंजी की कमी से उत्पन्न नकदी के संकट के कारण क्षमता उपयोगिता 50% से कम है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शोध और विकास कार्य

2906. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में पशु चालित वाहनों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या अनेक संगठनों ने कार्यक्रम पशु चालित बैलगाड़ियों का डिजाइन तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी कार्यक्रम बैलगाड़ियों के विनिर्माण या उनकी खरीद के लिए कोई राज सहायता दी जाती है;

(ङ) क्या सरकार इस क्षेत्र में शोध और विकास कार्य के लिए धन उपलब्ध करा रही है; और

(च) यदि हां, तो अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और ऐसी कितनी परियोजनाएं अभी कार्य कर रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) भारतीय पशुधन गणना, 1987 के अनुसार भारत में 1,43,50,400 पशु गाड़ियां थी । इस सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल और महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, रहूरी ने बैल गाड़ियों के डिजाइन में सुधार किया है । कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी बैलगाड़ियों के डिजाइन में सुधार किये जाने की सूचना है ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है । यह सहायता सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में होती है । सब्सिडी की सीमा लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर 4000 रुपये से 6000/-रुपये तक निर्धारित हैं । बैंक ऋण पर कोई सीमा नहीं है ।

(ङ) और (च). अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अतर्गत पशु ऊर्जा के उपयोग के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निधियां उपलब्ध करती है । गतिविधियों में अच्छे किस्म की पशु गाड़ियों पर अनुसंधान भी शामिल है । इस परियोजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दर्शायी गई है :-

1992-93	1993-94	1994-95
24.39 लाख रुपये	29.35 लाख रुपये	20.06 लाख रुपये

इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड डिवलैपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

2907. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के बैंकरों ने निगम को व्यापार सूची पर ऋण दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों तथा उस पर अदा की गई ब्याज की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई/की जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

एन. डी. डी. बी.

2908. श्री नवल किशोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मामलों के निपटान में विलंब का लाभ उठाते हुए एन. डी. डी. बी. अपने कामगारों को डराने-धमकाने का काम अब भी जारी रखे हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रैंक प्रणाली

2909. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना में वर्तमान रैंक प्रणाली की शुरुआत स्वाधीनतापूर्व अंग्रेजों ने की थी;

(ख) यदि हां, तो सभी रैंकों का नामवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटिश सेना में भी इतनी संख्या में रैंक हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रैंक प्रणाली को वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप अद्यतन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका कार्यान्वयन कब किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय सेना में 17 रैंक हैं । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भारतीय परिवेश के अनुरूप भारतीय सेना का मौजूदा रैंक ढांचा उचित पाया गया है और इसे अद्यतन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

भारतीय सेना में रैंकों का ब्यौरा

1.	1. सिपाही/राइफलमैन/सवार
2.	गैर-कमीशन प्राप्त अफसर
	2. लांस नायक/लांस दफादार
	3. नायक
	4. हवलदार/दफादार
3.	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर
	5. नायब सूबेदार/नायब रिसालदार
	6. सूबेदार/रिसालदार
	7. सूबेदार मेजर/रिसालदार मेजर
4.	कमीशन प्राप्त अफसर
	8. सेकंड लेफ्टिनेंट
	9. लेफ्टिनेंट
	10. कैप्टन
	11. मेजर
	12. लेफ्टिनेंट कर्नल
	13. कर्नल
	14. ब्रिगेडियर
	15. मेजर जनरल
	16. लेफ्टिनेंट जनरल
	17. जनरल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

2910. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह संस्थान परिवार कल्याण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा पूरे किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट संबंधित प्रायोजक एजेंन्सी/राज्य सरकार को उनकी उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं ।

(ग) ये अध्ययन संस्थान की कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू तथा पूरे किए जाते हैं ।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा

2911. श्री केसरी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में स्थित दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में इस पर कितनी राशि खर्च करने का अनुमान है; और

(ग) उन गांवों की संख्या क्या है जहाँ पर सौर ऊर्जा स्टेशन खोले जाने की आशा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकार का कानपुर के देहात जिले में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत सयंत्रों की स्थापना की कोई योजना नहीं है। तथापि वे चालू वर्ष के दौरान इस जिले के लिए 200 सौर लालटेनों और 35 घरेलू रोशनी प्रणाली मुहैया कराने का प्रस्ताव रखते हैं । इन प्रणालियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि लगभग 5.10 लाख रुपये है ।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा

2912. **श्री प्रमथेश मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी देशों को निर्यात के लिए स्वदेशी सौर विद्युत उपस्करों के संवर्धन हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्णय न लेने या निर्णय में विलंब के कारण इस संबंध में संवर्धन गतिविधियों में बाधा आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). अफ्रीकी देशों में कई इच्छुक अनुप्रयोगों जैसे रोशनी, जल पंपन और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कई प्रकार के सौर विद्युत संयंत्र भारत में बनाए जाते हैं । भारतीय सामान के निर्यात के लिए उपलब्ध कई प्रोत्साहन और सुविधाएं सौर उपकरण के लिए भी उपलब्ध हैं । अफ्रीकी देशों में भारत के बने हुए सौर विद्युत उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं :-

(एक) भारत जी-15 देशों जिसमें 5 अफ्रीकी देश शामिल हैं, के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कार्यकलापों का समन्वयन कर रहा है । इसके एक भाग के रूप में सेनेगल में एक सौर-रोशनी परियोजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रथम चरण के रूप में भारतीय परामर्शदाता द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

(दो) जी-15 देशों के लिए भारत में प्रकाशवोल्टीय अनुप्रयोगों और ग्रामीण विद्युतीकरण पर कार्यशाला आयोजित की गई । यूनिडा के प्रायोजन से ग्रामीण अनुप्रयोगों पर वर्ष 1994 में एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । इन कार्यशालाओं से अफ्रीकी देशों को भारतीय क्षमताओं और विनिर्माण सुविधाओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ ।

(तीन) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका और सोमालिया में आयोजित की गई प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों में भारतीय सौर उपकरणों को प्रदर्शित किया गया ।

ऐसे संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों में कोई अनिर्णय अथवा विलंब की स्थिति नहीं है ।

[हिन्दी]

काली सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठन

2913. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "कापार्ट" द्वारा घोषित काली सूची में डाले गए तथा जाली संगठनों से धनराशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से काली सूची में डाले गए कुछ संगठनों को पुन: शुरू करने पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) कापार्ट ने सूचित किया है कि उसने ऐसे दोषी स्वयंसेवी संगठनों को राशि लौटाने का निर्देश दिया जहां पुन: सहायता मांगी गई है अथवा परियोजनाएं निरस्त कर दी गई हैं कुछ मामलों में ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी व गई है ।

(ख) और (ग). काली सूची में रखे गए संगठनों को अपने मामले को कापार्ट के सम्मुख प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है और, जहां ऐसा करना जरूरी होता है, ऐसे संगठनों के नाम काली सूची से हटाने के लिए कापार्ट द्वारा आवश्यक आदेश पारित किये जाते हैं । ऐसी समीक्षाएं निरन्तर की जाती हैं ।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2914. **श्री सूरज मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की सिफारिश पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कितने मरीजों का इलाज किया जाता है;

(ख) देश में तथा देश के बाहर से सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयां खरीदने का विद्यमान मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एजेन्ट के माध्यम से दवाइयां खरीदता है; और

(घ) यदि हां, तो सीधे अस्पताल से दवाएं खरीदने और एजेन्ट के माध्यम से दवाएं खरीदने पर इनके मूल्यों में अंतर कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ऐसा कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) सरकारी अस्पतालों के लिए औषधियों को खरीदने की कोई एक-समान क्रियाविधि नहीं है ।

(ग) और (घ). यह संस्थान औषधियों को सीधे निर्माताओं से खरीदता है और यदि निर्माता स्थानीय एजेटों को आर्डर देने के लिए कहते हैं, तभी ये औषधियां स्थानीय एजेंटों के माध्यम से खरीदी जाती हैं । स्थानीय एजेटों को इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाती है ।

कम्प्यूटर के क्षेत्र में भारत का स्थान

2915. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कम्प्यूटर के क्षेत्र में विश्व में पाई जाने वाली औसत दर से पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). प्रति 1000 व्यक्ति कम्प्यूटरों की संख्या विश्व की 25 की औसत के मुकाबले भारत में 0.7 है । इसका कारण यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अभी तक भारत में व्यापक प्रसार नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं । कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का स्वदेश में विकास करने के लिए उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) पुणे, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई.आर.एण्डडी.सी.) और इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा परीक्षण केन्द्र (सी. ई. डी. टी.) में अनुसंधान तथा विकास करने की सुविधाएँ स्थापित की गई है । ये केन्द्र मुख्यत: समानान्तर अभिकलन, प्रतिबिम्ब संसाधन तथा सॉफ्टवेयर के विकास के क्षेत्र में स्वदेशी तथा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए अनुसंधान तथा विकास के कार्य करते हैं ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की कई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, गांधीनगर, नोएडा, भुवनेश्वर तथा त्रिवेन्द्रम में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस. टी. पी.) स्थापित किए हैं ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने समूचे देश में कम्प्यूटीकरण और नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए सुविधा स्थापित की है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भी सरकारी विभागों में कम्प्यूटीकरण को बढ़ावा दे रहा है । आयकर विभाग, सीमा शुल्क, पुलिस विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो आदि में कम्प्यूटीकरण की परियोजना शुरू की गई है ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन के साधनों का विकास करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया है :-

1. भारतीय भाषाओं के पाठ के शब्द संग्रह का विकास ।
2. मशीन की सहायता से अनुवाद प्रणाली ।
3. प्राकृतिक भाषा संसाधन के मूल तत्व ।
4. कम्प्यूटर साधित शिक्षण तथा अध्यापन पैकेजों का विकास ।

सरकार ने विकास की अत्यधिक संभावना वाले सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रिएलिटी) में पहल की है । देश में आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी के लिए जागरूकता, विकास तथा अनुप्रयोग को बढ़ावा

देने के लिए आभासी वास्तविकता विशेष अभिरुचि दल का गठन किया गया है। यह दल आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास और देश में इसके वास्तविक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने तथा सामूहिक उपाए करने के लिए इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विकास का पता लगा रहा है ।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2916. श्री एन. जे. राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता/अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका रखरखाव राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय परिव्यय का विवरण (जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था तथा उपकेन्द्रों का निर्माण भी शामिल है) संलग्न है।

विवरण

स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का परिव्यय और व्यय

			(1992-93)		(1993-94)	(1994-95)
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना स्वीकृत परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	संशोधित परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय
1	2	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	5360.00	700.00	753.28	800.00	800.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1250.00	273.00	259.35	279.00	346.05
3.	असम	8100.00	1620.00	1620.00	1695.00	1890.00
4.	बिहार	33722.00	7515.00	2919.00	1110.00	2700.00
5.	गोवा	1222.00	232.00	160.24	232.00	232.00
6.	गुजरात	11787.00	1650.00	1492.12	1018.00	1718.00
7.	हरियाणा	6768.00	981.00	833.47	873.50	900.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4800.00	932.00	997.00	975.00	1257.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7500.00	1499.00	1373.18	1500.00	1662.00
10.	कर्नाटक	13050.00	2282.00	2671.55	3517.00	3438.00
11.	केरल	2297.00	6660.00	219.74	511.00	506.00

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना स्वीकृत परिव्यय	(1992-93) स्वीकृत परिव्यय	(1992-93) वास्तविक व्यय	(1993-94) संशोधित परिव्यय	(1994-95) स्वीकृत परिव्यय
1	2	9	10	11	12	13
12.	मध्य प्रदेश	15000.00	3000.00	1762.90	2262.18	3350.00
13.	महाराष्ट्र	28100.00	6000.00	3627.32	3879.00	3566.00
14.	मणिपुर	1015.00	210.00	135.44	151.79	225.00
15.	मेघालय	1800.00	400.00	554.34	500.00	500.00
16.	मिजोरम	1500.00	300.00	300.00	400.00	328.00
17.	नागालैंड	640.00	120.00	70.00	72.00	175.00
18.	उड़ीसा	7800.00	1200.00	861.38	1039.92	1489.00
19.	पंजाब	800.00	1335.00	608.47	742.00	1000.00
20.	राजस्थान	15000.00	2040.00	2040.00	2173.00	2950.00
21.	सिक्किम	1345.00	345.00	106.10	111.55	250.00
22.	तमिलनाडु	6500.00	402.00	1380.00	2448.00	2670.00
23.	त्रिपुरा	2000.00	424.00	348.00	450.00	450.00
24.	उत्तर प्रदेश	26000.00	4035.00	4242.71	3142.00	4295.00
25.	पश्चिम बंगाल	12178.00	2245.00	400.00	800.00	1107.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	945.00	216.00	252.18	240.00*	372.00
27.	चण्डीगढ़	75.00	27.00	46.75	55.00*	90.00
28.	दादरा व नगर हवेली	104.00	24.15	12.10	24.75	38.00
29.	दमण व द्वीव	100.00	25.00	40.60	41.00	45.00

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना स्वीकृत परिव्यय	(1992-93) स्वीकृत परिव्यय	(1992-93) वास्तविक व्यय	(1993-94) संशोधित परिव्यय	(1994-95) स्वीकृत परिव्यय
1	2	9	10	11	12	13
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	180.00	35.00	24.96	35.55*	48.32
32.	पांडिचेरी	900.00	178.00	147.70	199.00	211.00
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का योग		225038.00	39103.15	30081.67	31277.74	38617.84

*=वही परिव्यय रखा गया

-कार्य दल द्वारा सुझाया गया परिव्यय तथा इसे नियत नहीं किया गया

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राइफल्स के कब्जे वाली भूमि

2917. **श्री चित्त बसु :**
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू के डोडा जिले और कश्मीर घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में ढेर सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकृत भूमि खंडों में बड़े-बडे बगीचे, कृषि-योग्य और सिंचित जमीन है जो कि गरीब ग्रामीणों और उस क्षेत्र में रह रहे अधिकांश लोगों की जीविका का एकमात्र साधन है; और

(घ) राष्ट्रीय राइफल्स के कब्जे में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि में बगीचे और कृषि योग्य क्षेत्र है और कुल कितने फलदार वृक्ष हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों के कब्जे में संक्रियात्मक प्रयोजनों के लिए डोडा क्षेत्र में 176.51 एकड़ और जम्मू-कश्मीर घाटी में 2490.67 एकड़ भूमि है ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों द्वारा अधिकृत भूमि में कुछ बगीचे और कृषि योग्य भूमि शामिल है । कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स ने जो भूमि अधिकृत की हुई है उसमें 130 एकड़ भूमि में बगीचे हैं । डोडा क्षेत्र में कोई बगीचा कब्जे में नहीं लिया गया है ।

कर्नाटक में सौर ऊर्जा संयंत्र

2918. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर और गुलबर्गा जिलों में सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जर्मनी की सरकार ने सौर ऊर्जा बिजली घरों की स्थापना में राजसहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). राजस्थान में जोधपुर में मथानिया में 35 मेवा. सौर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु जर्मनी और विश्व बैंक/जी. ई. एफ. से रियायती वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया गया है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

2919. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने गुजरात में किन्हीं नए एककों का वित्त पोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ । निगम ने वर्ष 1994-95 के दौरान नए एककों को वित्त उपलब्ध कराया है ।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान निगम द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन गुजरात में उपलब्ध कराई गई सहायता की मात्रा इस प्रकार है :-

	कार्यकलाप	एककों की संख्या	सहायता का मूल्य (रुपये लाख में)
1.	कच्चा माल सहायता	51	3058.92
2.	उपकरण पटटा योजना	7	72.19
3.	किराया खरीद योजना	3	16.74
4.	एकीकृत विपणन सहायता	12	1566.86
5.	माने गए निर्यात	4	588.78

(ग) निगम गुजरात में सक्रिय रहा है । राज्य में कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए अहमदाबाद कार्यालय का दर्जा 1 जून, 1994 से उप क्षेत्रीय कार्यालय से बढ़ाकर क्षेत्रीय कार्यालय कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त निगम ने यह सूचित किया है कि लघु एककों के लिए सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य में पिछले वर्ष के 54.30 करोड़ रुपये के कारोबार को वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त राजकोट में एक आदयरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र है जो कई औद्योगिक व्यवसायों का प्रशिक्षण देता है । यह केन्द्र मशीनों और उपकरणों का विकास भी करता है और लघु एककों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है । यह केंन्द्र कम हॉर्स पावर के डीजल इंजिनों में इंधन की बचत के मामले में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है ।

व्यावसायिक संस्थाएँ

2920. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य में केंद्रीय शोध प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक/व्यावसायिक संस्थाओं या विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों में ऐसे संस्थाओं की संख्या अधिक है जबकि कुछ में कम है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों को अलग-अलग जगह पर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन प्रत्येक राज्य तथा संघशासित क्षेत्र में केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक/व्यावसायिक, संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनकी संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) नए संस्थानों/प्रयोगशालाओं की स्थापना कई बातों पर निर्भर करता है जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय जरूरतें और साथ ही साथ देश में इस प्रकार की सस्थाओं की समुचित रूप से व्याप्ति की आवश्यकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अकादमी/व्यावसायिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या	संस्थान का नाम
आंध्र प्रदेश	4	सेन्टर फॉर सेल्यूलर और मोलूक्यूलर बायोलॉजी (सी.एस.आई.आर.)
		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलोजी (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल ज्योफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		एडवांसड रिसर्च सैन्टर फॉर पाउडर मेटालर्जी और न्यू मैटिरियल्स (डी.ए.टी.)
असम	1	रीजनल रिसर्च लेबोरेट्री (सी.एस.आई.आर.)
बिहार	3	सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल मेटालर्जीकल लेबोरेट्री (सी.एस.आई.आर.)
चंडीगढ़	2	सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्सट्रूमेन्टस आरगनाईजेशन (सी.एस.आई.आर.)
		इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल लेबोरेट्री (सी.एस.आई.आर.)
देहली	6	सी.एस.आई.आर. सेन्टर फॉर बायोकेमिकल्स (सी.एस.आई.आर.)
		सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस.आई.आर.)
		इंडियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेनटेशन सेन्टर (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी (डी.बी.टी)
गोवा	1	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशियनोग्राफि (सी.एस.आई.आर.)
गुजरात	3	सैन्ट्रल साल्ट एंड मैरीन कैमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		इलैक्ट्रीकल रिसर्च एंड डेवलेपमेन्ट एसोसिएशन (सी.एस.आई.आर.)
		इंस्टीट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च (डी. एस. टी.)
हिमाचल प्रदेश	1	सी.एस.आई.आर. काम्प्लैक्स (सी.एस.आई.आर.)
जम्मू और कश्मीर	1	रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
कर्नाटक	5	सैन्ट्र फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल ऐरोनॉटिकल लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
		इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स (डी. एस. टी.)
		जवाहर लाल नेहरू सैन्टर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (डी.एस.टी.)
		रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (डी. एस. टी.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या	संस्थान का नाम
केरल	2	रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी
		श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साईंसिज एंड टैक्नॉलोजी (डी. एस. टी.)
मध्य प्रदेश	1	रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
महाराष्ट्र	6	नेशनल केमीकल लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल एनवायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी. एस. आई. ए.)
		नेशनल फेसिलिटी फार एनीमल टिशू एंड सैल कल्चर (डी. बी. टी.)
		अधारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (डी. एस. टी.)
		इंडियन इंस्टीयूट आफ जियोमैग्नीटिजम (डी. एस. टी.)
		इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैटरोलॉजी (डी. एस. टी.)
उड़ीसा	1	रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी (सी.एस.आई.आर.)
राजस्थान	1	सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
तमिलनाडु	3	सैन्ट्रल इलैक्ट्रोकैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		सैन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		इन्स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सैन्टर (सी.एस.आई.आर.)
उत्तर प्रदेश	9	सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडीसिनल एंड ऐरोमेटिक प्लांटस (सी.एस.आई.आर.)
		इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम (सी.एस.आई.आर.)
		इंडस्ट्रियल टाक्सीकोलोजी रिसर्च सैन्टर (सी.एस.आई.आर.)
		नेशनल बाटनीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		इंस्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सैन्टर (सी.एस.आई.आर.)
		बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियोबॉटनी (डी. एस. टी.)
		वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी (डी. एस. टी.)
पश्चिम बंगाल	6	सैन्ट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		सैन्ट्रल मकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.एस.आई.आर.)
		इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल बायलॉजी (सी.एस.आई.आर.)
		बोस इंस्टीट्यूट (डी. एस. टी.)
		इंडियन एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस (डी. एस. टी.)
		एस. एन. बोस नेशनल सैन्टर फार बैसिक साइंसिज (डी. एस. टी.)
सी. एस. आई. आर.		काउन्सिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
डी. बी. टी.		डिपार्टमेन्ट आफ बॉयोटैक्नॉलोजी
डी. एस. टी.	:	डिपार्टमेन्ट आफ साइंस एंड टैक्नॉलोजी

पल्स पोलियो

2921. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 अक्तूबर और 4 दिसम्बर, 1994 के दो चरणों में हुये पोलियो पल्स अभियान में धन के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अभियान के लिए केन्द्रीय सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों से दिल्ली सरकार को कुल कितना धन प्राप्त हुआ;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने धन का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले की छानबीन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नकद धनराशि आबंटित नहीं की गई थी ।

(ग) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

रेडियोधर्मिता प्रभाव

2922. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री धर्मण्णा मोड्रया सादुल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र दोनों के कर्मचारियों पर रेडियोधर्मिता प्रभाव से होने वाली रसोली घातक (मलिग्नेट ट्यूमर) का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तारापुर परमाणु बिजलीघर में विकिरण से संबद्ध कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की जानपदिक रोगविज्ञानीय जाँच करने के लिए टाटा स्मारक अस्पताल के साथ एक परामर्शी सेवा अनुबंध किया है । तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में टाटा स्मारक अस्पताल द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है ।

(ग) सरकार के पास अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देख-भाल करने के लिए पहले से ही एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम है । सभी प्रचालनरत बिजलीघरों में अस्पताल की सुविधाएं स्थापित की हुई हैं जहाँ पर सभी कर्मचारियों की आवधिक रूप से चिकित्सा जाँच की जाती है ।

पंचायत चुनाव

2923. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने राज्यों को स्थानीय चुनावों में सहायता देने के लिए निति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों को पंचायत चुनाव करवाने में इस संशोधित नीति से किस हद तक सहायता मिलेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं । भारत के चुनाव आयोग को पंचायतों के चुनाव कराने में राज्यों की मदद करने का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है । अनुच्छेद 243 "के" के अन्तर्गत स्थानीय निकायों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और चुनावों के आयोजन हेतु राज्यों में अपने राज्य चुनाव आयोग हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को काम में लाना

2924. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नवादा जिले के ग्रामों में भी सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस काम पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). राज्य सरकार से वैशाली जिले में पुरुषोत्तम पुर गाँव में 10 किलो-वाट सौर प्रकाशवोल्टीय (एस. पी. वी.) विद्युत परियोजना और पटना जिले के हेतनपुर गाँव में अन्य 15 किलोवाट एस. पी. वी. विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रस्तावों के लिए उपकरणों की कारखाना लागत का 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । तथापि नवादा जिले में गाँवों के लिए एस. पी. वी. विद्युत परियोजनाओं से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

निर्यात/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

2925. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा 1994-95 के दौरान कितना निर्यात किया गया;

(ख) इसमें लघु उद्योग क्षेत्र का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने नई दिल्ली में कोई सॉफ्टवेयर/ तकनीकी पार्क विकसित किया है; और

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा सॉफ्टवेयर/निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा अनुमानत: 1535 करोड़ रुपए का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया ।

(ख) चूंकि सॉफ्टवेयर उद्योग लाइसेंस मुक्त है तथा इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, अत: अधिकतर इकाइयों को लघु उद्योग इकाइयों के रूप में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजनाओं के अंतर्गत निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को भी आमतौर पर स्वयं को लघु उद्योग इकाइयों के रूप में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् में उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमान है कि कम्प्यूटर सेक्टर के निर्यात में लघु क्षेत्र की भागीदारी देश से निर्यात होने वाले कुल सॉफ्टवेयर की लगभग 5-10% होगी ।

(ग) जी, हाँ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के अंतर्गत कार्य कर रही शत-प्रतिशत सॉफ्टवेयर निर्यात इकाइयों को मूल संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ।

(घ) परिषद् के सभी कार्यकलापों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों में प्रतिनिधित्व तथा परिषद् द्वारा शुरू किए गए अन्य किसी संवर्धनात्मक कार्यकलाप में लघु उद्योग क्षेत्र को उचित तरजीह दी जाती है । किन्तु, लघु उद्योग क्षेत्र की ओर से इस संबंध में कोई और कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

रिहायशी आवास

2926. डा. परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य बलों की अधिकतर इकाइयों में विवाहित सैनिक श्रमिकों के लिए रिहायशी आवासों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे फ्लैटों के पर्याप्त संख्या में निर्माण होने तक इन आवासों को किराये पर लेने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । सरकारी परिवार आवास की कमी को मकान किराए पर लेकर पूरा किया जा रहा है । अफसरों को किराया प्रतिपूर्ति आधार पर मकान

किराए पर लेने की अनुमति भी दी जाती है । अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को आवास के बदले में मुआवजा दिया जाता है ।

(ग) और (घ). पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी सैन्य स्टेशनों में आवास किराए पर लिए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

सरकारी चिकित्सक

2927. श्री अमर पाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने नौकरी छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान नौकरी छोड़ने वाले चिकित्सकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों/संस्थाओं में कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर बड़ी संख्या में अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

2928. श्री शरत पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 से 1995-96 तक देश में विदेशी सहायता से लागू किये गये स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंतरिक रूप से या विदेशी एजेंसी द्वारा इसकी कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की कार्यान्वयन स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक उपचारी उपायों पर राज्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाती है । इसके अतिरिक्त, दृष्टिहीनता, एड्स, कुष्ठ, क्षय रोग नियंत्रण जैसे प्रमुख विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों पर विदेशी विशेषज्ञों के साथ समन्वय रखकर उनका मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाता है ।

विवरण

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट से माध्यम से प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा

स्कीम का नाम	बाह्य सहायता का स्रोत	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	सीडा	2.87	4.50	-	-
	डानिडा	2.19	0.25	0.37	0.57
	नोराड	1.10	1.50	-	-
	विश्व स्वास्थ्य संगठन		-	0.50	-
	विश्व बैंक	-	-	9.00	52.00

स्कीम का नाम	बाह्य सहायता का स्रोत	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सीडा	2.50	5.00	1.00	
	विश्व बैंक	-	-	-	4.00
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	डानिडा	5.90	3.20	4.71	7.00
	विश्व बैंक	-	-	21.00	54.00
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	यू. एस. एड.	-	-	4.40	4.40
	विश्व बैंक	58.00	64.17	66.87	74.60
राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	यू. एस. एड	0.42	-	-	-
राष्ट्रीय जैविक संस्थान	यू. एस. एड	0.52	-	2.62	0.20
नोएडा (उ. प्र.)	ओ. ई. सी. एफ, जापान	4.48	4.23	3.98	19.30

सीडा -स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

डानिडा -डेनिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

नोराड - नार्वेजियन विकास एजेंसी

ओ. ई. सी. एफ. -समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि

यू. एस. एड -अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

तंबाकू उत्पाद

2929. श्री के. प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या देश में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर मुद्रित वर्तमान सांविधिक चेतावनी तंबाकू और इसके उत्पादों की खपत पर वांछित प्रभाव डालने में असफल रही है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान चेतावनी में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है ताकि यह आम जनता में सहज स्वीकार्य हो सके;

(ग) क्या सरकार ने नई सांविधिक चेतावनी को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी.

सिल्वेरा): (क) से (घ). मौजूदा सांविधिक चेतावनी ने वांछित प्रभाव नहीं डाला है । तदनुसार एक व्यापक विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर और अधिक प्रभाव डालने वाले नारों के रूप में सांविधिक चेतावनी देने की व्यवस्था है । नारों, नारों के वर्णों के आकार और उन भाषाओं जिनमें इन्हें छापा जायेगा, को सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी ।

पेयजल के लिए आबंटित राशि का उपयोग न किया जाना

2930. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने पेयजल के लिए केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुदान का किन्हीं अन्य कार्यों के संबंध में उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) आबंटन के 25% तक अगले वर्ष में ले जाने की अनुमेय सीमा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1994-95 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया था :-

(लाख रुपये में)

	राज्य	उपयोग न की गई राशि
1.	बिहार	467.51
2.	केरल	1246.91
3.	महाराष्ट्र	612.57
4.	मेघालय	400.90
5.	नागालैंड	530.92
6.	तमिलनाडु	643.03
7.	त्रिपुरा	141.28
8.	दादर व नगर हवेली	48.75
9.	दमन व दीव	17.04
10.	दिल्ली	0.75
11.	पांडीचेरी	4.70

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के लिए निर्धारित लक्ष्य

2931. **श्री अनादि चरण दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1995 तक देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या इस लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) 900 मेगावाट की कच्छ की खाड़ी परियोजना के कब तक चालू होने की आशा है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में 508 मेवा. से अधिक की समग्र क्षमता वाली अपारंपरिक ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है, जिनकी प्रतियूनिट पूँजीगत लागत सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । केवल पवन फार्मों के मामले में ही विद्युत उत्पादन डाटा उपलब्ध है । पवन ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा 30.6.1995 तक गिड को 57.40 करोड़ यूनिट से अधिक विद्युत दी जा चुकी है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से 600 मेवा. विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार कच्छ की खाड़ी में 900 मेवा. ज्वारीय विद्युत परियोजना की लागत मई, 1993 के मूल्य स्तर पर 6300 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है । चूँकि विभिन्न प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों की व्यवहार्यता अभी जाँच पड़ताल के अंतर्गत है, इस चरण में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

विवरण

देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी	स्थापित संचयी क्षमता (30.6.95 तक)	लागत रुपए
1.	पवन विद्युत	366 मेवा.	3.5-4.0 करोड़/मेवा.
2.	लघु पन बिजली	121 मेवा.	3.5-5.5 करोड़/मेवा,
3.	बायोमास सह-उत्पादन/ कम्बस्टशन पावर	20 मेवा.	2.0-2.5 करोड़/मेवा.
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	820 मेवा.	3.5-4.00 लाख/किवा.

मिलावटी दूध

2932. **डा. असीम बाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय दुग्ध तथा शिशु आहार कम्पनियां मिलावटी दूध का इस्तेमाल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा इसके अन्तर्गत नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

क्षय रोग अस्पताल

2933. श्री राजबीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षय रोग के और अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षय रोग के मरीजों को पूर्ण उपचार के पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) उन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर क्षयरोगियों को आवासीय उपचार प्रदान किया जाता है । गंभीर मामलों में ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है । उपचार से ऐसे रोगियों की सामान्य स्थिति में एक बार सुधार होने तथा गम्भीर स्थिति समाप्त होने पर आगे का उपचार घर पर ही पूरा किया जा सकता है ।

एन. सी. सी. प्रशिक्षण

2934. श्री के. जी. शिवप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी सहशिक्षा संस्थाओं में 17 से 25 वर्ष की आयु के सभी स्वस्थ छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण को अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). अत्यधिक वित्तीय और आधारभूत आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर में युवाओं के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और लोकतांत्रिक लोकाचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण को स्वैच्छिक ही रखा जाना चाहिए ।

सौर ऊर्जा चालित कुकर

2935. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में सौर ऊर्जा चालित कुकर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में सौर ऊर्जा चालित कुकर स्थापित करने तथा उसके प्रचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). आर्थिक राज सहायता से सौर कुकरों को लगाने/आपूर्ति के एक कार्यक्रम को आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया गया । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों के लिए आर्थिक राज सहायता के स्थान पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम को अप्रैल, 1994 में संशोधित किया गया । सहायता दिए गए कार्यकलापों में प्रचार, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कुकिंग प्रतियोगिताएं, और बिक्री केन्द्रों और सर्विस केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है । विनिर्माताओं के प्रचार कार्य के लिए 50% लागत भागीदार आधार पर सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य को भी शामिल किया गया है । वर्ष 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5.5 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है । आठवीं योजना अवधि के दौरान 31.3.1995 तक गुजरात में कुल 5935 सौर कुकर बेचे गए हैं । राज्य के लिए वर्ष 1995-96 हेतु 2500 कुकरों का एक प्रतीकात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

2936. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वैज्ञानिकों द्वारा घास, धान,

भूसी, लकड़ियों जैसे अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने के कई तरीकों का अविष्कार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन तरीकों की अधिक जानकारी नहीं है अथवा व्यापक तौर पर व्यवहार में नहीं लगाए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरीके को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दो अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत बंगलौर स्थित एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान (संस्थानों) ने धान-भूसी, गन्ने की सीठी और लकड़ी से ऊर्जा उत्पादन हेतु गैसीफायर प्रौद्योगिकी का विकास किया है ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । गैसीफायर प्रौद्योगिकी का विकास पहले ही भा. वि. संस्थानों और उद्योगों द्वारा किया जा चुका है । इसे बायोगैस गैसीफायर प्रदर्शन की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत विभिन्न अनुप्रयोगों, उपयोगकर्त्ता उद्योगों के प्रशिक्षण और प्रचार हेतु दी जाने वाली पूंजीगत लागत पर 30 से 75% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । पहले वर्ष 100% ह्रास जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट भी उपलब्ध है । भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं ।

खनिजों का खनन

2937. श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संपदा से समृद्ध समुद्री तल के खनन के संबंध में भारतीय प्रयास अंतिम दौर में पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह खनन कार्य कब से वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गहरे समुद्री खनिजों के विदोहन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास अन्वेषण प्रावस्था में है । भू-आधारित संसाधनों की उपलब्धता के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धातु-मूल्यों के प्रतिकूल रुख के कारण अमेरीका सहित किसी भी देश ने समुद्रीय पिण्डिकाओं के वाणिज्यिक विदोहन हेतु अब तक पूर्ण खनन प्रणाली का विकास नहीं किया है ।

(ग) फ्रांस और आस्ट्रेलिया द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययनों से यह पता चलता है कि सन् 2010/2015 से पहले समुद्र संस्तर खनन वाणिज्यिक तौर पर संभव नहीं हो सकेगा ।

पुरुष नसबंदी

2938. श्री अनंतराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरुष नसबंदी के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को वर्ष 1995-96 के दौरान कुल नसबंदी में से 10 प्रतिशत तक का स्तर पुरुष नसबंदी का प्राप्त करने की सलाह दी गई है । जिन राज्यों में यह स्तर पहले ही 10 प्रतिशत है, उन्हें यह स्तर 15 प्रतिशत करने की सलाह दी गई है ।

(ग) पुरुष नसबंदी को और लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार कार्यकलापों के अतिरिक्त बिना चीरा लगाए नसबंदी की नई विधि आरम्भ की गई है । पुरुष सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्यों को पुरुष बहुद्देश्यीय कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने की सलाह दी गई है ।

[हिन्दी]

कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया

2939. डा. लाल बहादुर राबल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के कोर्ट मार्शल में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोर्ट मार्शल के विरुद्ध कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार के समक्ष पुनरीक्षा के कितने मामले लंबित हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ), सेना अधिनियम के तहत न्याय-विधान के लिए बहुत सुस्पष्ट व्यवस्था की गई है । यह सामान्यत: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (भूविधि) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप है । प्रसंगत: सैन्य न्याय-व्यवस्था न केवल दोषी व्यक्ति अपितु पीड़ित व्यक्ति व सैन्य संगठन के लिए भी उपयुक्त है ।

2. किसी अपराध के उजागर होने पर दो अथवा तीन सदस्यों की जांच अदालत बिठाई जाती है । यद्यपि जांच-अदालत बिठाना बाध्यकारी नहीं है तथापि सामान्यत: सभी पेचीदा मामलों में और जहां अपराधी और अपराध की प्रकृति का पता न चल पाने पर अनिवार्यत: जांच-अदालत बिठाई जाती है । सेना अधिनियम के तहत यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा सैन्य प्रतिष्ठा पर जांच आने वाली हो तो उस व्यक्ति को जांच अदालत की पूरी कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने, किसी गवाह से जिरह करने, बयान देने और बचाव के लिए किसी गवाह से पूछताछ करने का पूरा मौका दिया जाता है । प्रथम दृष्टया अपराधी और अपराध साबित होने पर अपराध मान लिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है ।

3. अपराध मान लिए जाने के बाद कमान अफसर दोषी व्यक्ति की मौजूदगी में आरोप के बारे में सुनवाई शुरू कर देता है । दोषी व्यक्ति को किसी गवाह से जिरह करने, बचाव पक्ष के किसी गवाह से पूछताछ करने और अपने बचाव में ब्यान देने का पूरा मौका दिया जाता है । यदि सुनवाई की इस स्थिति में कमान अफसर प्रथम-दृष्टया मामले की स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आरोप खारिज कर दोषी व्यक्ति को पूर्णत: निर्दोष ठहरा देता है । परंतु प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने पर कमान अफसर दोषी व्यक्ति (अफसर रैंक से नीचे) के मामले की सरसरी तौर पर न्यायिक जांच कर सकता है । अथवा मामले को उच्च प्राधिकारी के पास भेज सकता है अथवा साक्ष्य-सार का रिकार्ड करने के लिए आदेश दे सकता है । दोषी वयक्ति को पूरी कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने तथा दोबारा अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने, अपने बचाव के लिए किसी भी तरह का बयान देने व बचाव पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ करने का पूरा मौका दिया जाता है ।

4. सेना अधिनियम के तहत चार प्रकार के कोर्ट मार्शल यानी जनरल कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल हैं । सभी कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम और सेना नियमावली में उल्लिखित सांविधिक उपबंधों के अनुसार ही किए जाते हैं । जहां तक इन न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार और दंड-शक्तियों का संबंध है, ये सांविधिक उपबंधों से ही नियंत्रित होते हैं । सेना अधिनियम के तहत कोर्ट मार्शल अथवा समरी ट्रायलों द्वारा सभी मुकदमों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों अर्थात् दोषी व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने, अपने बचाव में गवाहों से पूछताछ करने और अपने बचाव के लिए बयान देने के अधिकार के बारे में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है । कोर्ट मार्शल द्वारा सभी मुकदमों की सुनवाई के दौरान साक्ष्य-विधि पूर्णत: लागू होती है ।

5. कोर्ट मार्शल द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर उसे पुष्टीकरण प्राधिकारी को पूर्व-पुष्टीकरण याचिका (समरी कोर्ट मार्शल के मामले को छोड़कर) प्रस्तुत करने का अधिकार होता है । पुष्टीकरण के बाद भी दोषी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार, सेनाध्यक्ष तथा कमान में पुष्टिकरण प्राधिकारी से वरिष्ठ अन्य सैन्य प्राधिकारी को पुष्टीकरण के पश्चात् याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है । जिन सभी प्राधिकारियों को याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हों उन्हें याचिका नामंजूर करने अथवा कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने तथा मामले के औचित्य के आधार पर यथोचित/समुचित राहत देने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

6. इस समय कमीशन-प्राप्त अफसरों की 14 याचिकाएं और अन्य रैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई 22 याचिकाएं विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं ।

मलेरिया

2940. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस धनराशि को अपर्याप्त बताया है; और

(ग) यदि हां, तो आबंटित धनराशि को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता के रूप में 995.20 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं । यह सहायता सामग्री अर्थात कीटनाशियों, मलेरिया रोधी औषधों आदि के रूप में है ।

(ख) और (ग). मलेरिया के नियंत्रण के लिए उपलब्ध सहायता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं । ये प्रस्ताव मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की परिधि के अन्दर विचार-विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

2941. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने मान्यताप्राप्त ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत इन मान्यताप्राप्त ब्लड बैंकों की सहायता कर रही है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार;

(घ) गुजरात में मान्यताप्राप्त कितने ब्लड बैंक केन्द्र कार्य कर रहे हैं;और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन ब्लड बैंकों को कितनी राशि की सहायता की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). इस समय चलाए जा रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 608 रक्त बैंक जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है, नगद और सामग्रीगत सहायता प्राप्त कर रहे हैं ।

(घ) गुजरात में 114 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं ।

(ङ) 48.56 लाख रुपये ।

विवरण

रक्त बैंकों का विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त सं.		बिना लाइसेंस प्राप्त		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान निकोबार	1	-	-	-	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2	-	2
3.	आन्ध्र प्रदेश	6	48	39	-	93
4.	असम	-	-	6	-	6
5.	बिहार	23	20	-	-	43
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	-	-	-	1
7.	दिल्ली प्रशासन	15	14	-	-	29
8.	दादरा और न. हवेली	-	-	-	-	-
9.	दमण और दीव	-	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त सं.		बिना लाइसेंस प्राप्त		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7
10.	गुजरात	46	68	-		114
11.	गोवा	3	3	-	-	6
12.	हरियाणा	12	-	2	-	14
13.	हिमाचल प्रदेश	3	-	8	-	11
14.	जम्मू और कश्मीर	-	-	3	-	3
15.	केरल	7	28	30		76
					(प्राइवेट अस्पतालों में आपाती रक्तधान केन्द्र)	
16.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	4	46	29	-	79
18.	महाराष्ट्र	68	121	-	-	189
19.	मेघालय	3	-	-	-	3
20.	मध्य प्रदेश	4	17	17	-	38
21.	मिजोरम	2	-	1	-	3
22.	मणिपुर	2	-	-	-	2
23.	नागालैंड	-	-	-	-	-
24.	उड़ीसा	8	13	-	20 रेडक्रास	41
25.	पंजाब	16	7	26	-	49
26.	राजस्थान	4	-	31	-	35
27.	सिक्किम	1	-	1	-	2

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त सं.		बिना लाइसेंस प्राप्त		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7
28.	तमिलनाडु	44	61	43	-	148
29.	त्रिपुरा	-	-	-	1	1
30.	उत्तर प्रदेश	2	33	-	-	35
31.	पश्चिम बंगाल	53	23	12	-	88
32.	पांडिचेरी	2	-	-	-	2

	सरकारी	प्राइवेट	कुल
लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की कुल संख्या	330	502	832
बिना लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की कुल सं.	251	31 (20 रेडक्रास)	282
	581	533	

(11 आपाती रक्ताधान केन्द्र)

रक्त बैंकों की कुल संख्या	1114
पहले बिना लाइसेंस प्राप्त	342
अब लाइसेंस प्राप्त	25,312

कम्पनी विधि बोर्ड

2942. श्री एम. जी. रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1995 के "द बिजिनेस स्टैंडर्ड" में "आडिट फाइंड्स आई. टी. सी. लॉस अन्डरस्टेटेड बाई 20 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही लेखा प्रणाली का ब्यौरा मांगा है;

(ग) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने कम्पनी को कोई नोटिस दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कम्पनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). जी, नहीं । कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनियों की लेखा प्रणालियों के ब्यौरे स्वप्रेरणा से नहीं मांगता है ।

(ङ) कम्पनी का तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि खाता अभी तक वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं किया गया है तथा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया गया है ।

भारतीय प्राशसनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2943. डॉ. मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत 6 महीनों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कदाचारों की कोई शिकायत प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ). भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के कार्यों के संबंध में सेवा करनी होती है । संबंधित सरकारें जिनके कार्यों के संबंध में वे तत्समय सेवारत होते हैं, इन अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए पूर्णत: सक्षम होती हैं तथा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 के अनुसार आगे की कार्यवाही, यदि अपेक्षित हो, कर सकते हैं । राज्य सरकारों को प्राप्त शिकायतों के संबंध में सूचना तथा उस पर की गई कार्यवाही को केन्द्रीकृत रूप से मानिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है । केन्द्र सरकार के अन्तर्गत मंत्रालय/विभाग में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा यह जानने के लिए जांच की जाती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, क्योंकि प्रशासन की विशुद्धता, सत्यनिष्ठा तथा कार्यकुशलता को बनाये रखने की जिम्मेवारी मंत्रालयविभाग के सचिव तथा विभागाध्यक्ष पर होती है । इस सूचना को इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से मानीटर करने की आवश्यकता नहीं है । पिछले 6 महीनों के दौरान, केन्द्र सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार तथा कदाचार की 18 शिकायतें इस विभाग में प्राप्त हुई । इन्हें सतर्कता मैनुअल की शर्तों के अनुसार सत्यापित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया । इनमें से तीन शिकायतों पर सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही समाप्त कर दी गई क्योंकि इनमें निहित आरोप निराधार पाए गए ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

फिंड फार्म

2944. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फार्म स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में पवन ऊर्जा प्राप्त की गई है; और

(ग) इस संबंध में भावी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पवन विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान के लिए पवन स्रोतों का मूल्यांकन किया जा रहा है । पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना उपयुक्त स्थलों की पहचान किए जाने पर निर्भर करेगी ।

रेट्रो राकेट हेतु मिश्रधातु

2945. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेट्रो राकेट के उत्पादन हेतु मिश्रधातु का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स हैदराबाद द्वारा इस ईंधन का देश में उत्पादन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल, रेट्रो मोटर केसों के लिए प्रयुक्त उच्च सामर्थ्य के स्टील शीटों को आयात किया जा रहा है । इस सामग्री को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वदेशी प्रयास जारी है ।

(ग) और (घ). न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स ने हाल ही में एक इन्सैट अन्तरिक्षयान थ्रस्टर के लिए एक विशेष एलॉय का विकास किया है, जोकि प्रयोक्ता अर्हक जांच के अधीन है ।

नंगे पैर डाक्टर योजना

2946. प्रो. एम. कामसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मध्य प्रदेश में कोई ''नंगे पैरे डाक्टर योजना'' आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के उद्देश्यों के साथ उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने के साथ-साथ ये सशक्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी योजना आरंभ करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

केटालिटिक कन्वर्टर्स

2947. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में 1 अप्रैल, 1995 और 31 जुलाई, 1995 के बीच ''केटालिटिक कन्वर्टर्स'' सहित कितनी कारें बेची गई;

(ख) देश के अन्य भागों में इसी अवधि के दौरान इसी तरह की ''केटालिटिक कन्वर्टर्स'' सहित कितनी कारें बेची गई; और

(ग) देश की अधिकांश कारों में ''केटालिटिक कन्वर्टर्स'' कब तक लगा दिए जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1.4.95 से 31.7.95 की अवधि के दौरान महानगरीय शहरों में केटालिटिक कन्वर्टर्स सहित 28142 कारें बेची गई हैं ।

(ख) इसी अवधि के दौरान देश के अन्य भागों में केटालिटिक कन्वर्टर्स के बिना इसी प्रकार की 55087 कारें बेची गई हैं ।

(ग) अन्य क्षेत्रों में बेची गई कारों में केटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना, देश के बाकी हिस्सों में शीशा रहित पेट्रोल की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक एककक

2948. डा. साक्षीजी :
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में लघु आयुर्वेदिक एककों के दवा निर्माताओं को कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या निर्माताओं को दूसरे राज्यों से कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री खरीदने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (ग). देश में छोटी आयुर्वेदिक इकाईयों के निर्माताओं, जिसमें गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के निर्माता भी शामिल हैं, को प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है । आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करने वाली लघु इकाइयां सभी सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों की पात्र हैं जो सामान्यतौर से लघु इकाइयों पर लागू होते हैं ।

[अनुवाद]

क्षय रोगी

2949. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में क्षय रोगियों के मूल्यांकन के लिए आयु-वार पुरुष, स्त्रियों और बच्चों की संख्या का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या जानकारी की कमी ही इस भयंकर बीमारी के फैलने का एक कारण है क्योंकि ग्रामीण लोग उसके कारणों व रोकथाम के उपायों के बारे में नहीं जानते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसके संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सतत् स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं । क्षयरोग तथा उसके शीघ्र उपचार की आवश्यकता के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, समाचार पत्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

2950. श्री लाल बाबू राय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण बोलियों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं और किन-किन जिलों में पहले ही कम्प्यूटरीकरण हो गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए भूमि के समस्त अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने के लिए 78 नए परियोजा जिलों को वित्त-पोषित किया है आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से पहले 24 संस्वीकृत प्रायोगिक परियोजनाओं को अतिरिक्त रूप से वित्त-पोषित किया गया है ।

(ख) जिलों के नाम के साथ ही उन जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है संलग्न है ।

(ग) सरकार सम्पूर्ण देश में चरणबद्ध तरीके से भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने पर विचार कर रही है तथा यह आशा की जाती है कि ये भूमि झगड़ों को शीघ्र निपटाने में सहायता करेगी ।

विवरण

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. रंगा रेड्डी
		2. करीमनगर
		3. कुड्डप्पा
		4. नेल्लौर
		5. कुरनूल
		6. पश्चिम गोदावरी
		7. अनंतपुर
		8. श्रीकाकुलम

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1	2	3
2.	असम	1. सोनितपुर
		2. कामरूप
		3. नौगोंग
		4. करीमनगर
		5. दारंग
3.	बिहार	1. पूर्वी सिंहभूम
		2. संथाल परगना
		3. दुमका
		4. गया
		5. मुजफ्फरपुर
		6. लौहारडग्गा
		7. जहानाबाद
4.	गुजरात	गांधीनगर
5.	गोआ	सम्पूर्ण राज्य
6.	हरियाणा	1. रिवाड़ी
		2. सिरसा
		3. गुड़गांव
		4. रोहतक
		5. अम्बाला
7.	हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
		2. किन्नौर
		3. सिरमौर
		4. हमीरपुर
		5. कुल्लु
		6. सोलन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1	2	3
8.	जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर व जम्मू
		2. कठुआ
		3. बदगम
9.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. मैसूर
		3. रायचूर
10.	केरल	1. तिरूवनंतपुरम
		2. कोट्टयम
		3. अल्लापुजा
11.	मध्य प्रदेश	1. मौरेना
		2. होशंगाबाद
		3. इन्दौर
		4. सिधी
		5. विदिशा
		6. जबलपुर
		7. भोपाल
12.	महाराष्ट्र	1. वर्धा
		2. अमरावती
		3. नासिक
		4. औरंगाबाद
		5. बम्बई
		6. नागपुर
		7. पुणे

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1	2	3
13.	मणिपुर	1. इम्फाल
		2. बिशनपुर
		3. थौबल
14.	मिजोरम	आइलोज
15.	उड़ीसा	1. मयूरभंज
		2. धेनकनाल
		3. गंजम
16.	पंजाब	1. रोपड
		2. जालन्धर
		3. भटिण्डा
		4. कपूरथला
		5. संगरूर
17.	राजस्थान	1. डूंगरपुर
		2. बाड़मेर
		3. जयपुर
		4. जोधपुर
		5. कोटा
18.	सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य
19.	तमिलनाडु	1. सेलम
		2. त्रिरूचिरापल्ली
		3. थिरूनेलावेली
		4. रामनाथपुरम

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1	2	3
20.	त्रिपुरा	1. उत्तरी जिला
		2. दक्षिणी त्रिपुरा
		3. पश्चिमी त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश	1. देवरिया
		2. इटावा
		3. आगरा
		4. मुरादाबाद
		5. मैनपुरी
		6. इलाहबाद
		7. अलीगढ़
		8. बरेली
		9. नोंडा
		10. हरदोई
		11. नैनीताल
22.	पश्चिम बंगाल	1. वर्द्धमान
		2. हुगली
		3. जलपाईगुड़ी
		4. नाडिया
		5. हावड़ा
23.	दादर व नागर हवेली	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
24.	दिल्ली	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
25.	पांडिचेरी	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
	योग	102 परियोजनाएं

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित परियोजना जिलों में भूमि रिकार्डों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है

1. मध्य प्रदेश में मोरेना

2. हरियाणा में रेवाड़ी

3. कर्नाटक में गुलबर्गा

4. असम में सोनितपुर

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

2951. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आबंटित कुल बजट में से कितने प्रतिशत धनराशि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर खर्च की जा रही है तथा इस संबंध में राजस्थान के लिए कितना बजट आबंटन है; और

(ख) वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां प्लेग, मलेरिया तथा गुर्दे से संबंधित बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक प्रणाली से किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) वर्ष 1995-96 में स्वास्थ्य के लिए 644.57 करोड़ रुपये और परिवार कल्याण के लिए 1581.00 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लिए, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, 22.99 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं । आठवीं योजना की शेष अवधि में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के नए बनाए गए विभाग के लिए, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में उपयोग हेतु 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय मंजूर किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, जयपुर और पटना और क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, हस्तिनापुर तथा गंगटोक और ए. लक्ष्मीपति आयुर्वेद केन्द्र, वी. एच. एस., मद्रास में मलेरिया पर अनुसंधान कर रही है ।

अमरनाथ यात्रा

2952. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पवित्र स्थल की वार्षिक तीर्थयात्रा में कितने तीर्थयात्रियों ने भाग लिया;

(ख) क्या इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में ज्यादा थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यात्रा के मार्ग में कितने बम विस्फोट हुए और कितने लोग इन विस्फोटों में हताहत हुए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, इस वर्ष अमरनाथ गुफा की यात्रा में लगभग 70,000 तीर्थयात्रियों ने भाग लिया ।

(ख) और (ग). 1993 में 35,000 तीर्थयात्रियों और 1994 में 40,000 तीर्थयात्रियों की तुलना में इस वर्ष, भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा की यात्रा की । राज्य में समग्र स्थिति गुणात्मक सुधार, लोगों की मन स्थिति और दृष्टिकोण में बदलाव और यात्रा के लिए किए गए विस्तृत सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंधों की वजह से यात्रा सुचारू और सफल हो सकी और इस वर्ष इसमें भारी संख्या में तीर्थ यात्री भाग ले सके ।

(घ) यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर 7 विस्फोट हुए, जिनमें एक व्यक्ति मारा गया और 9 व्यक्ति जख्मी हुए ।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य निर्धारण

2953. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार ने कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक औषधियों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एलोपैथिक औषधियों के निर्माता आयुर्वेदिक औषधियों के नाम का प्रयोग करके उत्पाद शुल्क की चोरी कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा ऐसे औषध निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधों को कवर नहीं किया जाता है ।

(ख)और (ग). आयुर्वेदिक औषधों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है । वैसे आयुर्वेदिक/यूनानी/सिद्ध/होमियोपैथी ब्रांड की पेटेन्ट औषधों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 30 के अनुसार 10 प्रतिशत यथा मूल्य उत्पाद शुल्क आरोप्य हैं ।

(घ) और (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है ।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

2954. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत पैदा करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी योजनाएं विकसित की गई हैं; और

(ग) आर. ई. बी. द्वारा इन योजनाओं के विकास में कुल कितनी राशि खर्च हुई और इसे किन स्रोतों से पूरा किया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है । तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 39.19 मेवा. विद्युत के उत्पादन के लिए 87.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 11 योजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है । इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ये धनराशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के आन्तरिक संसाधनों और ओवरसीज इकोनोमिक कारपोरेशन फंड (ओ. सी. एफ.) से सहायता में से उपलब्ध कराई गई।

[हिन्दी]

विंड मानिटरिंग सेंटर्स

2955. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने वायु नियंत्रण केन्द्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बायोगैस संयंत्रों सौर ऊर्जा पम्प सेटों, सौर ऊर्जा चूल्हों और सौर ऊर्जा हीटरों की स्थापना हेतु परियोजना आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में विलंब यदि कोई हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर मंत्रालय द्वारा 208 पवन मानीटरिंग स्टेशन और 530 पवन मानचित्रण स्टेशन मंजूर किए गए हैं । अब तक तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप समूह में ऐसे 85 संभावित स्थलों की पहचान की गई है जिन पर पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए विचार किया जा सकता है ।

(ग) से (ङ). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहे हैं । इनमें, अन्य के अलावा, परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, सामुदायिक/संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र, सोलर पावन पम्प सैट, सौर कुकर और सौर जल तापक शामिल हैं । इन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्यों को राज्य सरकार के साथ परामर्श से तय किया जाता है और लक्ष्यों और समय-समय पर हुई प्रगति के आधार पर धनराशि जारी की जाती है ।

[अनुवाद]

दूर संवेदी

2956. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1995 के "इकानामिक टाइम्स नई दिल्ली में प्रकाशित फार्म डाटा अण्डर रिपोर्टेड, सेज नासा रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नासा दूर संवेदी एजेंसी द्वारा फार्म डाटा की पर्याप्त रिपोर्टिंग न किए जाने का आधार क्या है; और

(घ) डाटा का मिलान करने और सही डाटा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). योजना आयोग, भारत सरकार के अनुरोध पर अन्तरिक्ष विभाग ने सीमित भू-तथ्य के साथ बहुतिथि उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए 1:250,000 पैमाने पर जिलावार भू-उपयोग/भू-आवरण मानचित्र तैयार किया है । भू-उपयोग/भू-आवरण के 22 वर्गों का मानचित्रण करने के लिए 1988-89 के उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया गया है और कृषि उपयोग, निर्मित वर्ग, वन भूमि, परती भूमि, जल-निकाय इत्यादि के विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत आने वाली भूमि को मानचित्र दर्शाता है । विशेष रूप में, कृषि के अन्तर्गत वर्गीकरण में पांच श्रेणियां हैं, अर्थात् खरीफ़, रबी, खरीफ, रबी फसलें, वर्तमान परती भूमि और कृषि रोपण प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र संबंधी सांख्यिकी का भी जनन किया गया है ।

योजना आयोग ने उपग्रह आंकड़ा विश्लेषण से जनित सांख्यिकियों, को, कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और संबंधित राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो (बी. ई. एस.) द्वारा प्रकाशित अंकों के साथ तुलना की है । अन्तरिक्ष विभाग और बी. ई. एस. के अंकों के बीच विचलन, विशेष रूप से नेट एरिया साउन के संबंध में प्रेक्षित किये गये । यथार्थता के मूल्यांकन के लिए बी. ई. एस. व आन्ध्र प्रदेश के सरकार के सहयोग से अन्तरिक्ष विभाग ने आन्ध्र-प्रदेश के तीन जिले कृष्णा, करनूल और नेलगोण्डा जिलों में नमूने सर्वेक्षण आयोजित किये । इन तीन जिलों में किये गये नमूने सर्वेक्षण के परिणामों ने यह दर्शाया है कि सुदूर संवेदन से उपलब्ध सांख्यिकियां यथार्थ हैं । यह अन्तर, इन जिलों में बी. ई. एस. अंकों में देखी गयी अन्डर-रिपोर्टिंग की वजह से हैं तथा और मेल-मिलाप की प्रक्रिया जारी है । ऐसे मूल्यांकन व मेल-मिलाप अन्य राज्यों के जिलों में भी किया जा रहा है ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

2957. डा. वसंत पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम 1969 के उल्लंघन के लिए किन-किन कम्पनियों को दोषी पाया गया है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा किए गए उल्लंघनों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. भार भारद्वाज) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अभिकथित उल्लंघनों के लिए जारी जांचों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	जांच की श्रेणी			क्षतिपूर्ति आवेदन
	अवरोधक व्यापार प्रथा जांचें	अनुचित व्यापार प्रथा जांचें	एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांचें	
1993	58	34	5	359
1994	138	146	1	321

कम्पनियों के नामों को संकलित किया जा रहा है और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा । उपर्युक्त जांचें आयोग के पास विचार के विभिन्न चरणों में हैं

[हिन्दी]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2958. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बरेली सहित अनेक स्थानों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने तारीख 7-11-94 के अपने पत्र द्वारा प्रस्ताव किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ आगरा में और नैनीताल और देहरादून में, उसकी दो सर्किट न्यायपीठें स्थापित किए जाने के संबंध में जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सकता है । तथापि, उसी प्रस्ताव में, उन्होंने यह सूचित किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति को उक्त क्षेत्र में किसी न्यायपीठ का स्थापित किया जाना इस कारण से स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति सहायक नहीं थी ।

आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और न्यायपीठ के दैनिक प्रशासन और न्यायाधीशों का समनुदेशन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा । अत: न्यायपीठ की स्थापना के लिए राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सहमत होना अनिवार्य है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना

2959. श्री उद्धव बर्मन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां ।

(ख) गुवाहाटी में स्थित मौजूदा मौसम विज्ञान केन्द्र के एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है । गुवाहाटी स्थित इस केन्द्र द्वारा जिसके पास उत्तर पूर्व भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में मौसम विज्ञान यूनिटों का सम्पूर्ण प्रशासनिक व तकनीकी नियंत्रण होगा । विमानन बाढ़ पूर्वानुमान के लिए हाईड्रो मिटिरियोलोजिकल सूचना, कृषि मौसम सेवाएं, खराब मौसम की चेतावनी, जलवायु संबंधी सूचना के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी रीजन की सभी मौसम विज्ञानी जरूरतें तथा अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी ।

भारतीय सिविल सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

2960. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यक्तियों की आय के संबंध में "क्रीमी लेयर" के निर्धारण के मानदण्ड क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (एस. सी. टी.) की एक प्रति संलग्न विवरण में है ।

विवरण

संख्या 36012/22/93-स्था. (अनु. जा.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

मुझे, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक तथा

शैक्षिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में इस विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1990 तथा 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/31/90-स्था. (अनु. जा.) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले (1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 930) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के लाभ से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को शामिल न किये जाने के लिए मानदण्डों की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है ।

2. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर, उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित इस विभाग के दिनांक 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36.12/31/90-स्था. (अनु. जा.) में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए एतद्द्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं :-

(क) सिविल पदों तथा सेवाओं के रिक्तियों का 27% (सत्ताईस प्रतिशत) जिसे भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा । आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

(ख) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवारों के लिए नियत किए गए मानकों पर किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं उन्हें 27% के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा ।

(ग)(1) उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा ।

(2) आरक्षण से बाहर रखने का नियम कारीगरों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों अथवा पैतृक व्यवसायों, पेशे आदि में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा । ऐसे व्यवसायों, पेशों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी ।

(घ) पहले चरण में उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे जातियां तथा समुदाय होंगे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूचियों दोनों में एक समान है । ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है ।

(ङ) उपर्युक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । किन्तु ये उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां भर्ती की प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई है ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के बारे में इसी प्रकार के अनुदेश क्रमशः लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तारीख से जारी किए जाएंगे ।

ह./-
(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि :

(1) लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली,
(2) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग) नई दिल्ली ।

अनुरोध है कि इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा निगमों के बारे में भी जारी किए जाएं ।

अनुसूची

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
I.	संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) भारत के राष्ट्रपति; (ख) भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
		(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
		(घ) संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त; भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक;
		(ङ) समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति ।
II	सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
	(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह क श्रेणी-I अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)	(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही श्रेणी-I अधिकारी हैं;
		(ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक श्रेणी-I अधिकारी है;
		(ग) जिनके माता-पिता में दोनों की श्रेणी-I अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।
		(घ) जिनके माता-पिता में से एक श्रेणी-I अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी तारीख अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा ली हो ।
		(ङ) जिनके माता पिता दोनों ही श्रेणी-I के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो
		बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-
		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (यों)
		(क) जिनके माता-पिता में कोई एक या दोनों श्रेणी-I अधिकारी हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।
		(ख) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह श्रेणी-I अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन देना चाहती है ।
	(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह ख श्रेणी-II के अधिकारी (सीधी भर्ती)	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
		(क) जिनके माता-पिता जो दोनों ही श्रेणी-II अधिकारी हैं ।

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
		(ख) जिनके माता-पिता में से केवल पति श्रेणी-II का अधिकारी है और वह 40 अथवा इससे पूर्व आयु में श्रेणी-I अधिकारी बनता है । (ग) जिनके माता-पिता दोनों ही श्रेणी-II अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो; (घ) जिनके माता-पिता में से पति श्रेणी-I अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी श्रेणी-II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए; अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए, तथा (ङ) जिनके माता-पिता में से पत्नी श्रेणी-I अधिकारी हो (सीधी भर्ती से अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति श्रेणी-II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए । बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :- निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-II अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है । (ख) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ।
	(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी	इस श्रेणी में उपर्युक्त क तथा ख में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा तुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियुक्ति के अन्तर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा । इन संस्थानों में समकक्ष अथवा तुल्य आधार पर पदों के मूल्यांकन तक, इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर निम्न श्रेणी 6 निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
III. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध-सैनिक बल शामिल हैं (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं) ।		उन माता-पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर अपना जलसेना तथा वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
		कार्यरत हैं ।
		(I) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी एवयं सशस्त्र सेना अर्थात् विचारार्थ श्रेणी में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुंच जाएगी । बशर्ते कि :-
		(II) पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे स्तर को इकट्ठा नहीं जोड़ा जाएगा ।
		(III) यहां तक कि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियमों को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह मद संख्या II के तहत सेवा की श्रेणी में न आ जाए ।
IV.	व्यावसायिक श्रेणी तथा व्यापार और उद्योग में लगे हुए कर्मचारी	
	(I) चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेट, आयकर-परामर्श-दाता, वित्तीय तथा प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता, वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटककार खिलाड़ी, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाड़ी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय; एवं	श्रेणी-VI के समक्ष निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
	(2) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	श्रेणी-VI के आगे दर्शाया गया मानदण्ड लागू होगा ।
		स्पष्टीकरण :
		I. चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी श्रेणी-II अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पति का आकलन केवल पती को आय के आधार पर किया जायेगा ।
		II. यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति श्रेणी-II अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पति का आकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।
	V. सम्पत्तिधारक	
	क. कृषि क्षेत्र	एक ही परिवार (माता, पिता तथा अवयस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
		जो निम्नलिखित के स्वामी है :

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
		(क) केवल सिंचित भूमि के जो कानूनी सीमा के 85% क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या (ख) निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि: अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्वनिर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे कामन नाम के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) अर्थात् सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी उपरी सीमा का 40% या उससे अधिक हो । इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को बाहर निकालकर की जाएगी) यदि वह 40% से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जाएगा । वह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान विनियमन सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार में बदलकर किया जाएगा । इस असिंचित क्षेत्र में से आंकलित सिंचित क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र में जमा किया जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के लिए तय की गई कानूनी उपरी सीमा का 85% या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी । II. यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णत: असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।
(ख) बागान		
I. काफी, चाय, रबड़, आदि		नीचे श्रेणी-I में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा ।
(II) आम, खट्टे फल सेब के बाग आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिए इस श्रेणी पर उपरोक्त "क" मापदम्ड लागू होगा ।
(ग) खाली भूमि और/या शहरी तथा उप-नगरीय क्षेत्रों में इमारतें		नीचे श्रेणी-VI में निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा :- **स्पष्टीकरण :** भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ।
VI. आय/सम्पत्ति आंकलन		
@ पुत्र तथा पुत्रीयां		
(क) ये व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक हो या जिनके पास पिछले तीन वर्षों में लगातार संपति कर नियमावली में दी गई सीमा से अधिक की संपत्ति हो ।		
(ख) श्रेणी I, II, III तथा VE जो कि आरक्षण की सुविधा के हकदार नहीं है लेकिन उन्हें सम्पत्ति के अन्य स्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के मापदण्ड के भीतर आते हों ।		

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3

स्पष्टीकरण: (I) वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(II) रुपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा । तथापि परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरणावधि कम भी हो सकती है ।

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सके ।

प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार

2961. श्री मुहीराम सैकिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभागों में उप सचिव और उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि/कार्यकाल में विस्तार करने के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है; और

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने अधिकारियों के कार्यकाल बढ़ाने/बढ़ाने की मांग करने के मामले में यह प्रक्रिया अपनायी गई है/अपनायी जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव तथा इससे उच्च स्तर के पद केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत भरे जाते हैं । सामान्यत: केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्त अधिकारी की सेवावधि में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती है । तथापि, आपवादिक मामलों में, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, कार्यकाल की सामान्य अवधि से अधिक वृद्धि के संबंध में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से विचार किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अधिकारियों की नियुक्ति उस संगठन में विभिन्न पदों के लिए पृथक् भर्ती नियमों द्वारा शासित की जाती है न कि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत । तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित सामान्य अनुदेशों के अनुरण में विनियमित की जाती है ।

चरार-ए-शरीफ का पुनर्निर्माण

2962. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरार में दरगाह शरीफ का पुनर्निर्माण कर लिया गया है या यह निर्माणाधीन है और यदि हां, तो पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत क्या है और इस कार्य में किस एजेंसी को लगाया गया है;

(ख) मई, 1995 में चरार-ए-शरीफ में कितने घर नष्ट हुए थे;

(ग) अब तक कितने घरों को फिर से बना दिया गया है;

(घ) कितने परिवारों को उनके आवास और व्यापार की हानि के लिए अनुग्रह-राशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) अनुग्रह राशि के रूप में अब तक कितनी राशि वितरित की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) चरार कस्बे में स्थित दरगाह शरीफ, जम्मू एवं कश्मीर मुस्लिम ओकाफ ट्रस्ट के प्रबंधन में है जिसने कि प्रस्तावित नए ढांचे के लिए वास्तुकलात्मक एवं इंजीनियरी नक्शे तैयार कराने के लिए कदम उठाए हैं । मुख्य दरगाह घर निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है । तथापि, ट्रस्ट ने पवित्र स्थल के चारों ओर एक सुरक्षा दीवाल बनाई है । सरकार द्वारा दरगाह के पुनर्निर्माण का विचार नहीं है क्योंकि लोगों की ओर से ऐसा करने संबंधी कोई मांग नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). चरार-ए-शरीफ में मई, 1993 में आगजनी में 865 घर नष्ट हो गए थे । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिकांश मकानों के

पुर्निर्माण का कार्य अब शुरू हो चुका है ।

(घ) 865 घर आग से जल जाने का कारण 1022 परिवार प्रभावित हुए । त्वरित राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 10,000/-रु. की अंतरिम सहायता दी गई थी । निर्माण को हुई क्षति के लिए, प्रधानमंत्री राहत कोष से हर एक मामले में 1 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी । यह राशि, उस राहत के अतिरिक्त है जिसके लिए कोई मकान मालिक, राज्य सरकार के नियमों अर्थात "आकलित हानि का 50% परन्तु प्रत्येक मामले में अधिकतम 1 लाख रुपया" के अधीन हकदार है ।

(ङ) दोनों ही स्रोतों से अब तक बांटी जा चुकी, अनुग्रह राहत की कुल राशि 14.442 करोड़ रु. है ।

छोटी सिगरेटों का उत्पादन

2963. श्री देवी बक्स सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी सिगरेट विनिर्माता कंपनियों द्वारा छोटी सिगरेटों के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की ओर ध्यान दिया है जो बीड़ी उद्योग की अर्थक्षमता को कुप्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने मूल्य की छोटी सिगरेटों का विनिर्माण किया गया;

(ग) छोटी सिगरेट निर्माण में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) बीड़ी उद्योग और इस उद्योग से जुड़े अनुषंगी कार्यों में लगे अन्य कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सरकार को बीड़ियों के विनिर्माताओं और बीड़ी श्रमित संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि 60 मि. मि. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर रहित सिगरेटों पर विशेष उत्पाद शुल्क की मौजूदा दर से बीड़ी उद्योग और श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । सिगरेट के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क 60 रुपये से 1000 रुपये प्रति हजार सिगरेट हैं जबकि बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क 5 रुपये प्रति हजार बीड़ी है ।

सिगरेट की कीमतों संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 की अवधि में 60 मि. मि. से अनधिक लम्बी फिल्टर रहित सिगरेटों के उत्पादन से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद राजस्व में वृद्धि हुई है । फलस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान उसी प्रकार की सिगरेटों का उत्पादन भी बढ़ा है ।

यद्यपि सिगरेट उत्पादन पर उत्पाद शुल्क बीड़ी उत्पाद शुल्क से काफी ज्यादा है, फिर भी यह कहना अनुचित है कि लम्बाई के आधार पर सिगरेटों पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली का बीड़ी उद्योग और श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद

2964. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का विचार कश्मीर में आतंकवाद और तोड़-फोड़ का नया सिलसिला शुरू करने का है और वह आतंकवादियों को और अधिक परिष्कृत हथियार तथा प्रक्षेपास्त्र उपलब्ध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने अफगान तथा पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों द्वारा कश्मीर में विदेशी नागरिकों का अपहरण करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में जून-जुलाई 1995 के दौरान राकेटों से भी विशाल स्तर पर आक्रमण किये हैं; और

(च) यदि हां, तो आक्रमणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा का उच्च स्तर बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहा है । उग्रवादियों पर सुरक्षा बलों के सतत दबाव, लोगों की मन:स्थिति तथा दृष्टिकोण में बदलते हुए और प्रत्यक्ष परिवर्तन और सरकार के, विकास गतिविधियों,

स्थानीय प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः सक्रिय बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान निरुद्देश्य गोलीबारी, अपहरण/व्यपहरण और सार्वजनिक स्थानों में बम विस्फोटों सहित सोफ्ट टार्गेट को लक्ष्य बनाकर हताशापूर्ण कार्रवाई का अधिक सहारा ले रहा है । साथ-साथ ही उसने किसी भी कीमत पर राजनीतिक/चुनावी प्रक्रिया को निष्फल करने के लिए स्थानीय लोगों में डर और हिंसा को बढ़ाने की कोशिश में अधिक से अधिक विदेशी राष्ट्रिकों और भाड़े के सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्री आदि के साथ देश में घुसपैठ कराने की कोशिश की है ।

(ग) और (घ). माह जुलाई, 1995 के दौरान, अब तक अज्ञात उग्रवादी गिरोह "अल-फरान", जोकि प्रत्यक्षतः पाकिस्तान आधारित और दीर्घकाल से सक्रिय गिरोह हरकत-उल-अंसार के लिए काम करता है, ने 6 विदेशी राष्ट्रिकों का उस समय अपहरण कर लिय था जब वे अनन्तनाग जिले पहलगाम क्षेत्र में ट्रेकिंग कर रहे थे । उनमें से एक का सिर काटकर नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई जबकि दूसरा भाग निकला और बचा लिया गया ।

(ङ) और (च). पाकिस्तान तथा उसके द्वारा प्रयोजित तथा समर्थित आतंकवादी गिरोह उच्च स्तर पर हिंसा को बनाए रखने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में क्षति और विध्वंस करने के लिए और नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ करने वालों को कवर प्रदान करने हेतु राकेट दागने का भी अधिक से अधिक सहारा ले रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ सीधी टक्कर से बचने की कोशिश करते हैं । स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है और उग्रवादियों को खदेड़ने तथा उनके हथियारों और विस्फोटकों आदि का सफाया करने के लिए नियमित अभियान के द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

रक्षा भूमि पर निर्माण

2965. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री तारा सिंह :
डॉ. लाल बहादुर रावल :
श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कमान के अंतर्गत आने वाले छन छावनियों के नाम और ब्यौरा क्या है जहां ओल्ड ग्रान्ट स्थलों पर बहुमंजिली इमारतें ऐसे भवन निर्माण के नक्शों के साथ अथवा उसकी स्वीकृति के बिना बन रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर कोई जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) रक्षा भूमि पर अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्यवाही नहीं की; और

(च) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)मध्य कमान में केवल लखनऊ और पचमढ़ी दो ऐसी छावनियां हैं जहां छावनी परिषदों की स्वीकृति लिए बिना ओल्ड ग्रांट भू-खण्डों पर बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं ।

(ख) से (च). छावनी परिषदें चुने गए सदस्यों वाले स्वतंत्र सांविधिक निकाय हैं जिन्हें ऐसे अनधिकृत निर्माण कार्यों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों के अधीन अधिकार दिए गए हैं । छावनी परिषदों ने अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों को गिराए जाने के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन लखनऊ छावनी में किए गए अनधिकृत निर्माण कार्य से संबंधित मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

आप्टिकल लेंस

2966. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक आधारित अमरीकी कम्पनी 1995-96 के दौरान भारत में सी. आर.-39 ट्राइफोकल और मल्टीफोकल प्राग्रेसिव आप्टिकल लेंस बनाने के लिए 100% ई. ओ. यू. लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र इंटराफिन रेजिलेंस लिमिटेड के सहयोग से लगाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा और संयंत्र कहां लगेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उर्वरक आधारित अमरीकी कम्पनी से सी. आर.-93 ट्राइफोकल और मल्टीफोकल प्रोग्रेसिव आप्टिकल लैंस बनाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

फोटो परिचय पत्र

2967. श्री एस. एम. लालजानबाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने घरों तथा गृह राज्यों से दूर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों/रक्षा कार्मिकों/अर्ध सैनिक बलों के लए जो अपने गृह राज्योंके ाधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि का अनुपालन नहीं कर सके, उनके मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार, सेवारत निर्वाचकों को पहचान पत्र जारी नहीं किए जाने हैं और अन्य सभी निर्वाचक अपने पहचान पत्र उन निर्वाचन क्षेत्रों से जारी कराएंगे, जहां उनके नाम रजिस्ट्रीकृत हैं । ऐसे निर्वाचकों से, जो अपने फोटो खिंचवाने के लिए विहित तारीख को, विहित स्थान पर जाने में असमर्थ हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वे पहचान पत्र जारी कराने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर से, उसके द्वारा नियत किए गए स्थान, समय और तारीख को संपर्क स्थापित करें ।

कश्मीरी प्रवासी को सुविधाएं

2968. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न शिविरों में कश्मीर घाटी के कितने कश्मीरी पंडित रह रहे हैं;

(ख) ये शिविर किन-किन जगहों पर स्थित हैं;

(ग) इन कश्मीरी पंडितों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार को उनकी लंबित मांगों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मागों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गये/किए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में दर्ज कश्मीरी प्रवासी परवारों की संख्या संलग्न विवरण- I में दी गयी है । इनमें से 4740 परिवार शिवरों में, जम्मू में (4513 परिवार), दिल्ली में (205 परिवार) और चंडीगढ़ में (22 परिवार) रह रहे हैं । शेष परिवार अपनी स्वयं की व्यवस्था करके रह रहे हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों में दी जा रही सुविधाओं/राहत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

(घ) और (ङ). सरकार को शिविरों में रहने वालों की समस्याओं की जानकारी है जो मुख्यत: समय पर राहत के वितरण, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, सफाई की सुविधाओं, जल-आपूर्ति, बिजली, बच्चों को उचित शिक्षा और शिविरों की समग्र हालात से संबंधित हैं । प्रवासियों की समस्याओं की समीक्षा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उच्च अधिकारी-स्तर पर की जा रही है और उनकी कठिनाइयों के दूर करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाते हैं । उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा/प्रबोधन केन्द्रीय स्तर पर भी सर्वाधिक रूप से किया जाता है ।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में रह रहे जम्मू और कश्मीर के परिवारों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
1.	जम्मू	26,933
2.	दिल्ली	19,338
3.	हिमाचल प्रदेश	115

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
5.	चंडीगढ़	206
6.	पंजाब	100
7.	उत्तर प्रदेश	500
8.	मध्य प्रदेश	40
9.	कर्नाटक	60
10.	गोवा	140
11.	केरल	5
12.	महाराष्ट्र	124
13.	राजस्थान	47
	कुल	48,131

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में राहत की मात्रा

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर सरकार, 4 या 4 से अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 1500 रु. की नगद राहत के अलावा सभी प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम आटे की दर से बैसिक कच्चा राशन और प्रति परिवार प्रति माह की दर से 1 कलोग्राम चीनी दे रही है, चाहे वे जम्मू में शिविरों में रह रहे हो या शिविरों से बाहर । इन राहतों के अलावा, प्रवासियों को उनकी अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान के लिए, नुकसान के 50 प्रतिशत की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रु. है ।

दिल्ली

दिल्ली में, शिविरों में रह रहे प्रवासियों को 1000 रु. की दर से नगद राहत और लगभग 750 रु. का आटा, चावल और चीनी दी जा रही है और जो अपनी व्यवस्था करके रह रहे हैं उन्हें 1500 रु. की नगद राहत दी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार, बर्तन इत्यादि जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति परिवार 1500 रु. का एक-समय का भुगतान और प्रति परिवार प्रति माह 750 रु. की दर से मासिक नगद सहायता दे रही है ।

राजस्थान

राजस्थान सरकार प्रति परिवार प्रतिमाह 500 रु. की दर से नगद राहत दे रही है ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश

पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारें चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 460 रु. की दर से नगद राहत के अलावा, बर्तन, बिस्तर इत्यादि की खरीद के लिए एक-समय 860 रु. का अनुदान दे रही हैं ।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार, प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह 200 रु. की नगद राहत दे रही है। उन्हें राशन कार्ड और सर्दियों में कम्बल उपलब्ध कराए जाते हैं ।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन, फरवरी 1994 से शिविरों में रह रहे व्यक्तियों को प्रति

व्यक्ति प्रति माह 250 रु. की दर से नगद राहत का भुगतान कर रही है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 1000 रु. है, इसके अलावा दूध, डबलरोटी, राशन और मुफ्त आवास और जो शिविरों से बाहर रह रहे हैं उन्हें प्रति सदस्य प्रति माह 375 रु. की दर से दिया जा रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 1500 रु. प्रति माह प्रति परिवार है ।

हरियाणा

हरियाणा सरकार, स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा सुविधाएं (केवल शिक्षा शुल्क), अस्थायी राशन कार्ड, सामुदायिक आवास, मुफ्त चिकित्सा सहायता (केवल बहिरंग रोगी विभाग) प्रदान कर रही है ।

भूकम्प प्रवण क्षेत्र

2969. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां ।

(ख) भूकंपीय आंकड़ों तथा विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को पांच जोनों में विभाजित किया है। जोन (V) भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय तथा जोन-1 सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है ।(V) जोन के अंतर्गत मुख्य रूप से समस्त उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, कच्छ का रन, उत्तर बिहार तथा अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भाग आते हैं । जोन (iv) में मोटे तौर पर जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर बिहार के शेष भाग, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग एवं पश्चिम तट के निकट महाराष्ट्र का एक छोटा भाग आता है । जोन I, II, III के अंतर्गत देश के शेष भाग आते हैं ।

भूमि की अधिकतम सीमा का उल्लंघन

2970. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वाणिज्यिक कृषि के लिए भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि लेने की अनुमति देकर भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का गुप्त रूप से उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). भारत सरकार को उदारीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वाणिज्यिक कृषि के लिए भूमि की अधिकतम सीमा से पालतू भूमि देकर राज्यों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

वैज्ञानिकों द्वारा चोरी

2971. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री रामविलास पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने इसरो से करोड़ों रुपये के मूल्य के उपकरणों की चोरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद के विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट में की गई एक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि झूठे दस्तावेज और केनन जूम लेन्स के पुनः क्रय द्वारा विभाग को संभवतः 97,500/-रुपये का नुकसान पहुंचा है । कुछ अन्य उपस्कर, जिनकी लागत लगभग 4.00 लाख रुपये तक की है, का भी पता नहीं चला है । इस संबंध में विस्तृत जांचें शुरू की गई हैं । दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

संघ की सदस्यता

2972. **श्री सुधीर राय :**
श्री मुहीराम सैकिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई सुझाव मिला है कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान जिन-जिन संघों के सदस्य थे उनके सदस्य बन सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). कर्मचारी पक्ष की मांग स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि सेवा संघ, सेवारत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तें, कल्याण आदि से संबंधित हित साधन के लिए ही बनाए जाते हैं ।

सामाजिक सहायता योजना

2973. **डा. के. वी. आर. चौधरी :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : इस मंत्रालय के लिए पूरक अनुमान मांगों की पहली खेप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान करने प्रस्ताव किया गया है । राज्यवार आबंटन राज्यों/संघ शासित क्षेलों द्वारा परियोजित आवश्यकता पर निर्भर करेगा । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अभी अपनी आवश्यकताओं को सूचित नहीं किया है ।

मेडिकल कॉलेज

2974. **कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेज कार्य कर रहे है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार/निजी संस्था से राज्य में कुछ और मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा राज्य में तीन सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं और इस राज्य में कोई प्राइवेट मेडिकल कालेज नहीं चल रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

दिल की शल्यक्रिया

2975. **श्री सुकदेव पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में हृदय संबंधी परीक्षण तथा शल्यक्रिया का शुल्क तथा खर्च निर्धन लोगों की पहुंच के बाहर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार साधनहीन निर्धन नागरिकों को हृदय संबंधी परीक्षण और शल्यक्रिया के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी.

सिल्वेरा): (क) से (घ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल विशिष्ट जांचों तथा मध्यवर्ती प्रक्रियाओं के लिए प्रभार लिया जाता है जिनके लिए रोगियों को डीवाइसिस-एन्जियों फिल्मों, पेस मेकरों आदि के लिए खर्च करना पड़ता है । गरीब तथा दीनहीन रोगियों के लिए सभी अस्पताली प्रभारों से पूरी छूट की व्यवस्था है । सरकारी अस्पतालों में गरीब रोगियों के लिए लगभग सारी नान-इनवेसिव जांचें निःशुल्क की जाती हैं तथा हृदय शल्य क्रिया आपरेशन वाले गरीब रोगियों के लिए रियायतें दी जाती हैं ।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पताल

2976. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के उनके दौरे के दौरान क्या विसंगतियां पाई गई हैं;

(ग) क्या इन अस्पतालों में मरीजों की भीड़-भाड़ बढ़ रही है और अस्पतालों के प्राधिकारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिल्ली में कुछ केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है और यह पाया कि केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं में सुविधाओं को कारगर बनाने तथा उनमें सुधार किए जाने की जरूरत है ।

(ग) और (घ). रोगियों की भीड़-भाड़ बढ़ रही है लेकिन रोगियों को देखा जाता है और उनमें चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है । केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में हर वर्ष संसाधनों की समग्र उपलब्धता के भीतर सुविधाओं का उन्नयन किया जाता है । अस्पताल के प्रबंध में सुधार करने के लिए उपाए शुरू किए गए हैं ।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

2977. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में सहयोग करने वाली प्रत्येक कार्यरत और प्रस्तावित कम्पनी का पंजीकृत नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक विदेशी सहयोगी कम्पनी का नाम क्या है;

(ग) उनके द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की सूची, उनका वजन और संख्या क्या है और रुपयों में उनका विक्रय और उनके बाजार शेयर कितने है;

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनके पास 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किये गये आयात और बिल तारीख के ब्यौरे क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ). उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी सहयोग सहित, अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम व देश का नाम जिससे यह संबंधित है, विदेसी इक्विटी भागीदारी की राशि का प्रतिशत और विनिर्माण की मद, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

वजन, संख्या, बिक्री, इनके बाजार शेयरों से संबंधित आंकड़े और कंपनियों द्वारा किए गए आयात के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

[अनुवाद]

रक्त बैंक

2978. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि देश के कुछ भागों में सरकारी तथा निजी रक्त बैंक दूषित तथा बिना परीक्षण किये रक्त बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में सरकारी तथा निजी रक्त बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) लाइसेंस प्राप्त सरकारी तथा निजी रक्त बैंकों की संख्या कितनी हैं;

(ङ) सरकार किस तरह रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है; और

(च) बिना लाइसेंस के देश में चल रहे रक्त बैंकों से निपटने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी.. सिल्वेरा): (क) और (ख). दिनांक 9.7.95 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशत रिपोर्ट के द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात आयी कि इंडियन रेड क्रास सोसाइटी ब्लड बैंक बम्बई ने महाराष्ट्र में विभिन्न अस्पतालों को संक्रामक रक्त की आपूर्ति की है। खाद्य और औषध प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच-पड़ताल की और भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, ब्लड बैंक बम्बई का निरीक्षण भी किया । खाद्य और औषध विभाग, महाराष्ट्र ने निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रेडक्रास सोसायटी ब्लड बैंक बम्बई की अनुज्ञप्ति को अस्थायी रूप से रद्द करने के लिए आदेश दिए हैं और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस में दायर की है ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) और (च). सरकार ने राज्य औषध नियंत्रकों को सलाह दी है कि अनुज्ञप्ति रहित सभी रक्त बैंकों को अनुज्ञप्ति दी जाए । केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों के निरीक्षणालयों के स्टाफों को सभी रक्त बैंकों का निरीक्षण करने की सलाह दी गयी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रक्त संचारित रोगों नामत: एच. आई. वी. हेपाटाइटिस, सिफलिस और मलेरिया से रक्त के मुक्त होने का परीक्षण कर लिये जाने पर ही रक्त बैंक रक्त उपलब्ध कराते हैं ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		बिना लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
1.	अंडमान द्वीप समूह	1	-	-	-	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2	-	2
3.	आंध्र प्रदेश	6	48	39	-	93
4.	असम	-	-	6	-	6
5.	बिहार	23	20	-	-	43
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	-	-	-	1
7.	दिल्ली प्रशासन	15	14	-		29
8.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-		-
9.	दमण व दीव	-	-	-	-	
10.	गुजरात	46	68	-	-	114

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		बिना लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
11.	गोवा	3	3	–	–	6
12.	हरियाणा	12	–	2	–	14
13.	हिमाचल प्रदेश	3	–	8	–	11
14.	जम्मू व कश्मीर	–	–	3	–	3
15.	केरल	7	28	30	11 (प्राइवेट अस्पतालों में आपाती रक्ताधान केन्द्र)	76
16.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
17.	कर्नाटक	4	46	29	–	79
18.	महाराष्ट्र	68	121	–	–	169
19.	मेघालय	3	–	–	–	3
20.	मध्य प्रदेश	4	17	17	–	38
21.	मिजोरम	2	–	1	–	3
22.	मणिपुर	2	–	–	–	2
23.	नागालैंड	–	–	–	–	–
24.	उड़ीसा	8	13	–	20 (रेडक्रास)	41
25.	पंजाब	16	7	26	–	49
26.	राजस्थान	4	–	31	–	35
27.	सिक्किम	1	–	1	–	2
28.	तमिलनाडु	44	61	43	–	148
29.	त्रिपुरा	–	–	–	1	1

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		बिना लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक		कुल
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	
30.	उत्तर प्रदेश	2	33	-	-	35
31.	पश्चिम बंगाल	53	23	12	-	88
32.	पांडिचेरी	2	-	-	-	2

	सरकारी	प्राइवेट		कुल
लाइसेंस प्राप्त बैंकों की कुल संख्या	330	502		832
बिना लाइसेंस के रक्त बैंकों की कुल संख्या	251	31	(20 रेडक्रास)	282
	581	533	(11 आपाती रक्ताधान केन्द्र)	
रक्त बैंकों की कुल संख्या	1114			
पहले गैर-लाइसेंस	342			
अब लाइसेंस शुदा	25.312			

चमड़ा उद्योग

2979. श्री राम कापसे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने देश में चमड़ा उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज भारत में निगमित और उद्योग स्पर्धाशक्ति का और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई चुने हुए देशों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है । चमड़ा और चमड़े के उत्पाद भी इस अध्ययन के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में से एक है । यह अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

एड्स नियंत्रण

2980. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितना महिलाएं एच. आई. वी. और एड्स से पीड़ित हैं; और

(ख) एड्स के कारण अब तक मरने वाली महिलाओं की संख्या क्या बताई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्तमान एच. आई. वी. जांच नीति के अनुसार प्रहरी निगरानी, एच. आई. वी. व्यापतता और एच. आई. वी. रुझानों का पता लगाने के लिए चुनिंदा जनसंख्या समूहों में गुमनाम और असंबद्ध आधार पर की जाती है । 31 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार जांचें गए कुल 2639872 नमूनों में से 19432 के एच. आई. वी. पाजिटिव होने की सूचना दी गई है । एड्स से ग्रस्त सूचित की गई महिलाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 31 जुलाई, 1995 को समाप्त अवधि में एड्स से 195 महिलाओं की मौत होने का सूचना मिली है ।

विवरण

एड्स ग्रस्त महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगियों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	शून्य
2.	असम	-तदेव-
3.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2
4.	पंजाब	17
5.	दिल्ली	19
6.	दादरा और नागर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र)	शून्य
7.	गोवा	4
8.	गुजरात	2
9.	हरियाणा	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	2
11.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	7
14.	मध्य प्रदेश 6	
15.	महाराष्ट्र	217
16.	मणिपुर	8
17.	नागालैण्ड	शून्य
18.	पांडिचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	3
19.	राजस्थान	शून्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोगियों की संख्या
20.	उत्तर प्रदेश	1
21.	पश्चिम बंगाल	12
22.	तमिलनाडु	125
	कुल :	485

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

2984. श्री रवि राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कार्यकलाप का मौके पर अध्ययन करने के लिए रांची का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्होंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को भारत सरकार के अन्य विभागों से आदेश दिए जाने का मामला उठाया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी, हां । उद्योग मंत्री ने रांची का दौरा दिनांक 20.7.1995 को किया । दौरे के दौरान उन्होंने कंपनी की टर्न अराऊण्ड योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बारे में अधिकारियों तथा श्रमिकों को सूचित किया तथा उनसे कड़ी मेहनत करने की अपील की । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्पादकता में सुधार तथा लागत में कटौती के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे कम्पनी का टर्न अराउण्ड शीघ्र सुनिश्चित हो सके । उन्होंने कम्पनी के पुनरुद्धार तथा अन्य सरकारी विभागों से आदेश प्राप्त करने में सभी संभव सहायता देने का भी आवश्वासन दिया ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य लाभ

2982. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य लाभ देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मांग पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी उन पर लागू वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान योजना के अंतर्गत अपनी सेवा-निवृत्ति संबंधी प्रसुविधाएं प्राप्त करते हैं । कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/प्रशासनिक मंत्रालयों ने सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को लागू करने की संभाव्यता की जांच करने का सुझाव दिया था । इस सुझाव पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि जहाँ वर्तमान सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं अर्थात अंशदायी भविष्य निधि और उपदान योजनाएं लागू रहनी चाहिए, वहीं अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यदि चाहे तो वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निधियों से इतर, तथा उद्यम सरकार पर बिना कोई बोझ डाले, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अंशदान आधारित उपयुक्त वार्षिकी योजनाएं बना सकते हैं ।

पुरुष प्रजनन शक्ति

2983. श्री तारा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया को तथा अन्य संक्रामक रोगों की रोकथान के लिए डी. डी. टी. के उपयोग से पुरुष प्रजनन शक्ति पर बूरा असर पड़ता है;

(ख) क्या बहुत से देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) इस कथन के समर्थन में कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए कीटनाशक राज्य सरकारों द्वारा स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य के लिए उपयोग किए जाने होते हैं, छिड़काव कार्य संचरण अवधि तक ही सीमित होना चाहिए तथा घनिष्ठ पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए।

खेती बाड़ी में डी. डी. टी. के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध है और जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए कीटनाशकों के प्रयोग की एक सीमा है ।

भेल

2984. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल द्वारा निर्मित और डिजाइन की गई विद्युत उत्पादन के लिए सुस्थापित और सस्ती प्रौद्योगिकी/जेनरेटरों/बायलरों का अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय/विश्वव्यापी निविदाओं के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है जबकि भेल द्वारा निर्मित इन्हीं मशीनों का बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उपस्करों के आयात और उन किए गए व्यय तथा ''भेल'' द्वारा किए गए निर्यात की तुलना में विद्युत मंत्रालय अथवा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भेल को दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के सस्ते और अच्छी प्रकार से चलने वाले बढ़िया उपकरणों के संबंध में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए क्रयादेश देकर भेल की विकास क्षमता का उपयोग करना चाहती है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष लम्बित मामले

2985. श्री बलराज पासी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष अनेक मामले काफी अरसे से निर्णय हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले तीन वर्ष से अधिक समय से निर्णय हेतु लंबित हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड को भेजे गए मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बोर्ड के समक्ष मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ). यह विषय श्रम मंत्रालय से संबंधित है और उस मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.8.95 को लेक सभा में प्रश्न सं. 1619 के रूप में इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । उनके उत्तर की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

मध्यस्थता बोर्ड

1619. श्री बलराज पासी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्यस्थता बोर्ड के पास अधिनिर्णय हेतु अनेक मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जो अधिनिर्णय के लिए तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) क्या उक्त बोर्ड के पास भेजे गए मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). 1.8.1995 की स्थिति के अनुसार विवाचन बोर्ड के समक्ष लंबित कुल 32 संदर्भित मामलों में से 10 तीन वर्षों से अधिक अवधि से लंबित हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). विवाचन बोर्ड द्वारा मामलों के निपटान के लिए संयुक्त

परामर्श तंत्र स्कीम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

[हिन्दी]

जलापूर्ति योजना

2986. श्री एन. जे. राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष रूप से गुजरात राज्य सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं का स्थान-वार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को अब तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ). 1995-96 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजना/ स्थान	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	कूरनूल जिले में फ्लोराइड/ खारापन/अभाव से प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना	1	21862.00	आंध्र प्रदेश सरकार से अतिरिक्त सूचना देने का अनुरोध किया गया है ।
2.	दिल्ली	मंडी पहाड़ी में गहरे नलकूप लगाना	3	2.80	अनुमोदित
3.	गुजरात	(1) फ्लोरोसिस पर नियंत्रण के कार्यक्रमों के अंतर्गत डी. एफ. संयत्रों को लगाना, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनायें, चालू योजनाओं एवं जल आपूर्ति योजनाओं से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना	174	3653.38	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है ।
		(2) 63 बसावटों के लिए खण्ड में फ्लोराइड से प्रभावित गांव के लिए प्रायोजिक परियोजना	1	900.00	--वही--
4.	हरियाणा	रेवाड़ी में पेयजल में फ्लोराइड पर नियंत्रण तथा गुड़गांव जिले में सिंचाई बंधों को जल एकीकरण ढांचों में बदलना	13	1233.55	योजनायें हाल ही में प्राप्त हुई हैं।
5.	मेघालय	मेघालय के पर्वतीय जिलों में अत्यधिक लौह की समस्या से निपटने के लिए उप-मिशन के अन्तर्गत जल की गुणवत्ता में सुधार के अनुमान	17	222.777	अनुमोदित
6.	मध्य प्रदेश	(1) मबुआ जिले भील भीलाल क्षेत्र,	4	2007.78	मध्य प्रदेश सरकार से अतिरिक्त सूचना देने का अनुरोध किया गया है ।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजना/ स्थान	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	स्थिति
		(2) सरगुजा जिला,			
		(3) बीरहोर पिछड़ी जनजाति,			
		(4) रायपुर जिले में कामर जनजातिय जनसंख्या को जल आपूर्ति			

[अनुवाद]

विश्व की उष्णकटिबन्धीय

2987. प्रो. एम. कामसन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व की जलवायु पर उष्णकटिबन्धीय समुद्रों के प्रभाव को समझने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से दीर्घअवधि के कुछ कार्यक्रम शुरु किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत ने इंटरनेशनल ट्रॉपिकल ओशन ग्लोबल एटमास्फीयर (टोगा) प्रोग्राम के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है । टोगा विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का एक कोर प्रोजेक्ट है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू. एम. ओ.) तथा इंटरनेशनल काउंसिल आफ साइंटिफिक यूनियन (आई. सी. एस. यू.) द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाता है । टोगा को विशेष रूप से ऊष्ण देशीय महासागरों में मौसम तथा जलवायु की घटनाओं की मौसमी तथा अन्तरवार्षिक पैमानों पर समझ तथा पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए डिजाइनित किया गया है ।

1988-89 में आरंभ किये गये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मद्रास-पोर्टब्लेयर-कलकत्ता तथा बम्बई मारीशस के जहाज मार्गों के साथ-साथ भौतिक समुद्र वैज्ञानिक तथा मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्र करता रहा है । भारतीय तट के 14 ज्वार मापकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में एक नेशनल टोगा डाटाबेस सेन्टर स्थापित किया गया है । कार्यक्रम के अधीन तैयार किये गये डाटा के आधार पर, वैज्ञानिक मौसम विज्ञानी विशेषताएं जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर के ऊपर पायी जाती है, के संदर्भ में मानसून विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझने की दिशा में कार्य कर रहे हैं । इसमें भारतीय क्षेत्र पर मानसून परिवर्तनीयता की मॉडलिंग भी शामिल है जिसका महत्वपूर्ण सामाजिक/विकासात्मक प्रभाव पड़ता है ।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ

2988. श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष-वार क्या उपलब्धियाँ रहीं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कतिपय महत्वपूर्ण उपलब्धियां/कदम इस प्रकार हैं : (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय क्षमताओं से युक्त बड़े अनुसंधान समूहों की स्थापना, (2) चीनी उत्पादन, उन्नत सम्मिश्रों, फलाईऐश निपटान तथा अनुप्रयोग के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन पद्धति परियोजनाओं की शुरुआत, (3) भूकम्पीय उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत, (4) अंकीय मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि मौसम विज्ञान फील्ड यूनिटों के लिए संचार सुविधाओं की स्थापना, (5) पैरलल प्रोसेसिंग कंम्प्यूटर प्रणालियों के विकास में उच्च स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता, (6) औषध एवं फार्मास्युटिकल्स अनुसंधान पर एक अंतर-एजेंसी कार्यक्रम की शुरुआत, (7) अंतर्राष्ट्रीय गुणता मानकों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना, (8) नाभिकीय रियेक्टर प्रौद्योगिकी

तथा इससे सम्बद्ध सम्पूर्ण ईंधन चक्र के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, (9) खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, (10) आधुनिकतम संचार एवं दूर संवेदी उपग्रहों तथा 1000 कि. ग्रा. वर्ग के दूर संवेदी उपग्रहों को ध्रुवीय सनसिक्रोनस कक्ष में प्रक्षेपित करना, (11) भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास-अब हमारे यहां ऊतक संवर्धन उद्योग, जलकृषि, औषध तथा फार्मास्युटिकल्स, जैव आणविक तथा रोग-प्रतिरक्षी नैदानिक उद्योग उपलब्ध हैं, (12) अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान तथा गहरे समुद्र में पॉलिधात्विक नोड्यूलों की खोज तथा सर्वेक्षण में भारत की सफलता ने इसे समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत एक पायनियर इन्वेस्टर के तौर पर पंजीकृत किये जाने का गौरव दिलाया है । (13) औद्योगिक उत्प्रेरकों, रसायनों खाद्य प्रसंस्करण, चर्म संसाधन एवं उत्पादों, निर्माण सामग्रियों, औषध तथा फार्मास्युटिकल्स एवं जैव चिकित्सा युक्तियों इत्यादि के क्षेत्र में कई प्रौद्योगिकियों का विकास तथा वाणिज्यीकरण किया गया, (14) उत्पादन प्रक्रिया में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा अनुप्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग निधि की स्थापना के बारे में कार्रवाई, (15) नई प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए प्रयास शुरू करने, (16) उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नये वित्तीय प्रोत्साहन जैसे प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 125 प्रतिशत की भारित कर कटौती, (17) इस अवधि में वैज्ञानिक विभागों के आबंटन में काफी बढ़ोत्तरी ।

[अनुवाद]

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को काम में लाना

2989. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर, द्वारका, ओखा, पोरबन्दर, भावनगर और अन्य क्षेत्रों में समुद्री ज्वार-भाटा, पवन-चक्की, बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों की सहायता से बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) गुजरात के प्रत्येक जिले और देश के अन्य भागों में गत पाँच वर्षों के दौरान इन संसाधनों की सहायता से वर्ष-वार कितने किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(घ) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान इन संसाधनों की सहायता से कितने किलोवाट विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन संसाधनों की सहायता से गुजरात में विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रकार की सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). पवन, सौर और ज्वारीय ऊर्जा आदि से विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात राज्य में अच्छी संभाव्यता है । गुजरात में जामनगर, द्वारका, ओखा, पोरबंदर और अन्य क्षेत्रों में 65 मेवा. समग्र क्षमता की पुन विद्युत परियोनजाएं स्थापित की गई हैं । इसके अलावा राज्य में 2 मेवा. वाली एक लघु पन बिजली परियोजना और 14 के. डब्ल्यू. पी. कुल. क्षमता की 3 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाएं कमीशन की गई हैं । यह मंत्रालय कच्छ की खाड़ी में 900 मेवा. की एक ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना की संभाव्यता का भी पता लगा रहा है ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि विद्युत का उत्पादन मोटे तौर पर पवन से 12-25 लाख यूनिट/मेवा, लघु पन-बिजली के लगभग 40-50 लाख यूनिट/मेवा. और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्यु संयंत्रों से 1400-1600 यूनिट/किवा. है ।

(घ) गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान विद्युत का उत्पादन समग्र संस्थापित क्षमता पर निर्भर करेगा।

(ङ) अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई संवर्द्धनात्मक, वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । इन प्रोत्साहनों में 100% संवर्द्धित ह्रास, पाँच वर्ष का कर अवकाश, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पूंजीगत और ब्याज आर्थिक/राज सहायता शामिल है । राज्य ने नए तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत की वीलिंग, बैंकिंग और खरीद-वापसी सुविधाएं और बिक्री कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं ।

सेना द्वारा निशानेबाजी अभ्यास

2990. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1995 के "स्टेट्समैन" में "फ्यूटर ओवर आर्मीज फायरिंग प्रैक्टिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान चांदमारी को इससे प्रभावित जन-जीवन तथा पर्यावरण को बचाने हेतु अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी, हां । यह समाचार नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में था जिसे बिहार सरकार ने सेना के गोलाबारी अभ्यासों के लिए मई 2002 तक अधिसूचित किया हुआ है । 3 तथा 4 अगस्त, को एक गोलाबारी अभ्यास की योजना बनाई गई तथा इसकी मंजूरी के लिए सिविल प्रशासन से संपर्क किया गया । इसके संबंध में सिविल लोगों तथा व्यापार पत्रों ने प्रतिकूल टिप्पणी की जैसा कि 25 जुलाई, 1995 के "स्टेट्समैन" में बताया गया था । किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सेना ने नियत गोलाबारी अभ्यास को रद्द कर दिया था ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । तथापि, मौजूदा अधिसूचित रेंज का उपयोग किए जाने के विरुद्ध स्थानीय लोगों के निरंतर दबाव के कारण बिहार सरकार ने यह बताया है कि वे नेतहाट फील्ड फायरिंग रेंज के बदले में वैकल्पिक स्थल का पता लगा रहे हैं । इस संबंध में भारत सरकार को राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

पवन ऊर्जा फार्म

2991. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक गैर तटीय राज्य में पहला वाणिज्यिक पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी देश में पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमि. द्वारा पहला वाणिज्यिक पवन फार्म मध्य प्रदेश के देवास जिले में जमगोदरनी में स्थापित किया गया है ।

(ग) और (ख). नई कार्यनीति और कार्य योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से पवन विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है । आठवीं योजना के लिए संशोधित लक्ष्य 500 मेवा. है । पवन विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई संवर्द्धनात्मक और राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । अब तक नवीं योजना के लिए लक्ष्य नहीं किए गए हैं ।

रोजगार के अवसर

2992. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें रोजगार का स्वरूप भी शामिल हो;

(ग) गत वर्ष के दौरान इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला; और

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में दीर्घकालिक रोजगार पैदा करने की क्षमता के प्रदर्शन तथा रोजगार पैदा करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को पूरा करने के लिए एक पायलट स्कीम है ।

(ग) कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों को दी जाने वाली निधि तथा 1994-95 के दौरान पैदा किये गये रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) 1995-96 में 5000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है ।

विवरण

1994-95 में राज्यवार आवंटित राशि एवं सृजित-रोजगार

क्रम सं.	राज्य/संघ शा. प्रदेश	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	सृजित-रोजगार
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.01	35
2.	आंध्र प्रदेश	8.32	200
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.90	80
4.	असम	14.10	590
5.	बिहार	12.94	480
6.	दिल्ली	4.40	150
7.	गोआ	2.00	150
8.	गुजरात	6.95	600
9.	हरियाणा	6.67	320
10.	हिमाचल प्रदेश	6.45	230
11.	जम्मू-कश्मीर	3.00	250
12.	कर्नाटक	5.06	150
13.	केरल	4.97	156
14.	मध्य प्रदेश	26.35	1218
15.	महाराष्ट्र	27.75	430
16.	मणिपुर	4.37	150
17.	मेघालय	3.09	130
18.	नागालैण्ड	0.27	10
19.	उड़ीसा	2.59	135

क्रम सं.	राज्य/संघ शा. प्रदेश	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	सृजित-रोजगार
20.	पंजाब और चंडीगढ़	14.80	600
21.	राजस्थान	7.70	568
22.	सिक्किम	2.03	85
23.	तमिलनाडु	43.83	1565
24.	त्रिपुरा	2.75	110
25.	उत्तर प्रदेश	27.28	1145
26.	प. बंगाल	21.72	1356
	जोड़	262.30	10893

अनुभाग अधिकारियों की वरीयता सूची

2993. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कैट" के निर्णय के अनुपालन में सी. एस. एस. के अनुभाग अधिकारियों की वरीयता सूची संशोधित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) सी. एस. एस. के कितने अधिकारी वर्ष 1991 के बाद संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पेनल में आए;

(ग) कितने अधिकारियों को मंत्रालय-वार पोस्टिंग मिली; और

(घ) शेष अधिकारियों को पोस्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के निर्णय के अनुपालन में अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरीयता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया तथा इसे दिनांक 3.7.95 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी संवर्गों के बीच परिचालित कर दिया गया है । संबद्ध पार्टियों को आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है । प्राप्त आपत्तियों को देखा जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिनिर्णय में दी गई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सामान्य वरीयता की फाइनल सूची 22 नवम्बर, 1995 तक जारी कर दी जाएगी ।

(ख) और (ग). अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं ।

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के उपबन्धों के अनुसार भरा जाता है। निदेशक/संयुक्त सचिव के स्तर पर पैनल में शेष बचे के.स. से. के अधिकारियों का नियोजन केन्द्रीय स्टाफिंग योजना प्रक्रिया तथा इस विषय से संबंधित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन किया जा रहा है ।

विवरण-I

वर्ष 1991 से संयुक्त सचिव, निदेशक तथा उप सचिव के पैनल में शामिल अधिकारियों की संख्या

वर्ष	संयुक्त सचिव	निदेशक	उप सचिव
1991	4	23	40
1992	10	19	40

वर्ष	संयुक्त सचिव	निदेशक	उप सचिव
1993	21	27	-
1994	11	-	40
1995	2	20	1

विवरण-II

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालयवार)

वर्ष	मंत्रालय विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
संयुक्त सचिव		
1991	रक्षा मंत्रालय	1
	गृह मंत्रालय	
	विधायी विभाग	1
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	1
	(स. प्र. प्र. सं.)	(कुल 4)
1992	मृत्यु हो गई	2
	रक्षा मंत्रालय	2
	राज्य सभा सचिवालय	1
	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	1
	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	1
	कम्पनी कार्य विभाग	1
	न्याय विभाग	1
	भूतल परिवहन मंत्रालय	1
		(कुल 10)
1993	वाणिज्य मंत्रालय	1
	कम्पनी कार्य विभाग	1
	वित्त मंत्रालय	1
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1
	कल्याण मंत्रालय	2
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	1

वर्ष	मंत्रालय विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
	इस्पात मंत्रालय	1
	मंत्रिमंडल सचिवालय	1
	खाद्य विभाग	1
	खाद्य वसूली एवं वितरण विभाग	1
		(कुल 11)
1994	शिक्षा विभाग	1
	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	1
	श्रम मंत्रालय	1
		(कुल 3)

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
निदेशक		
1991	रक्षा	1
	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1
	गृह मंत्रालय	6
	खान	2
	राजस्व	1
	पर्यावरण एवं वन	2
	व्यय	2
	ग्रामीण विकास	1
	मंत्रिमण्डल सचिवालय	1
	खाद्य	1
	सूचना एवं प्रसारण	1

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
	कार्मिक तथा प्रशिक्षण	1
	शहरी विकास	1
	भारी उद्योग	1
	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	1
		23

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
1992	गृह मंत्रालय	4
	कृषि एवं सहकारिता	2
	आर्थिक कार्य	2
	व्यय	1
	उर्वरक	1
	औद्योगिक विकास	2
	श्रम	1
	संघ लोक सेवा आयोग	1
	ग्रामीण विकास	1
	लोक उद्यम	1
	वाणिज्य	1
	रक्षा	2
		19

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
निदेशक		
1993	आर्थिक कार्य	1
	गृह मंत्रालय	5
	कम्पनी कार्य	2
	भूतल परिवहन	1
	कपड़ा	1
	श्रम	1
	सिविल आपूर्ति	1
	विधि कार्य	1
	बायो-टैक्नोलॉजी	1
	राजस्व	1
	कार्मिक और प्रशिक्षण	1
	वाणिज्य	1
	रक्षा	1
	मंत्रिमंडल सचिवालय	1
	भारी उद्योग	1
	व्यय	1
	सूचना तथा प्रसारण	1
	कर्मचारी चयन आयोग	1
	कोयला	1
		24

टिप्पणी :-27 अधिकारियों में से, एक अधिकारी पैनल के अनुमोदन के समय सेवानिवृत्त हो गया था । दो अधिकारी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
निदेशक		
1995	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1
	योजना आयोग	1
	कर्मचारी चयन आयोग	1
	राजस्व	1

टिप्पणी : शेष 16 अधिकारियों में से, 3 अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
उप-सचिव		
1991	मंत्रिमंडल सचिवालय	1
	कृषि एवं सहकारिता	5
	कार्मिक और प्रशिक्षण	1
	सांख्यिकी	1
	खाद्य	1
	विद्युत	1
	संघ लोक सेवा आयोग	1
	भूतल परिवहन	1
	आर्थिक कार्य	1
	गृह मंत्रालय	5
	ग्रामीण विकास	2

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
	विधायी विभाग	1
	जल संसाधन	3
	राजस्व	1
	औद्योगिक विकास	2
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3
	रसायन एवं पैट्रो-रसायन	1
	सूचना एवं प्रसारण	3
	शहरी विकास	1
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1
	शिक्षा	1
	श्रम	1
	रक्षा	1
		39

टिप्पणी : एक अधिकारी विदेशनियुक्ति पर है तथा वह पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है ।

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
उप-सचिव		
1992	गृह मंत्रालय	6
	सागर विकास	1
	बायो-टैक्नोलोजी	1
	औद्योगिक विकास	2

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
	महिला एवं शिशु विकास	1
	जल संसाधन	2
	शिक्षा	3
	कपड़ा	1
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1
	नागरिक उड्डयन	1
	कार्मिक और प्रशिक्षण	5
	सूचना एवं प्रसारण	1
	कम्पनी कार्य	1
	आपूर्ति	2
	संघ लोक सेवा आयोग	1
	राजस्व	1
	मंत्रिमंडल सचिवालय	1
	ग्रामीण विकास	3
	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1
	परती भूमि विकास	1
	रसायन तथा पैट्रो रसायन	1
	शहरी विकास	2
		39

टिप्पणी : एक अधिकारी विदेश नियुक्ति पर है तथा वह पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है ।

उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें तैनात किया गया (मंत्रालय-वार)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
उप सचिव		
1994	उर्वरक	1
	राजस्व	4
	आर्थिक कार्य	3
	कोयला	1
	शहरी विकास	1
	रसायन तथा पैट्रोरसायन	1
	शिक्षा	3
	महिला तथा शिशु विकास	1
	संघ लोक सेवा आयोग	2
	कार्मिक तथा प्रशिक्षण	1
	कपड़ा	1
	कल्याण	2
	जल संसाधन	1
	वेतन आयोग	2
	औद्योगिक विकास	1
	कम्पनी कार्य	1
	इस्पात	1
	गृह मंत्रालय	4
	सिविल आपूर्ति	1

वर्ष	मंत्रालय/विभाग जिसमें नियुक्त किया गया	नियुक्त अधिकारियों की संख्या
	ग्रामीण विकास	1
	रक्षा	3
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	1
	विद्युत	1
		38

टिप्पणी : शेष 2 अधिकारियों के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

मलेरिया की दवाई

2994. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई देशों में होने वाले फेल्सी पेरम मलेरिया की रोकथाम के लिए आर्टमिसीनिन नाम की एक नई दवाई का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलेरिया का मुकाबला करने के लिए इस दवाई का प्रयोग करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में इस दवाई की दो किस्मों पर परीक्षण चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां । आर्टिमेसीनाइन समूह की औषधों को पी. फेल्सीपेरम के रोगियों और विशेषकर जटिल किस्म के मलेरिया के इलाज में कारगर पाया गया है ।

(ख) वैकल्पिक औषध नीति की पुनरीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने इंजेक्टेबल फार्मूलेशन के पंजीकरण और इसके संवितरण और आपूर्ति को सशर्त बनाने तथा कड़ाई से उसकी मानीटरिंग करने के बारे में सिफारिश की ।

(ग) और (घ). आर्टिमिथर और आर्टिसुनाटे के नैदानिक परीक्षणों के अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं ।

सरकारी वाहनों का दुरुपयोग

2995. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "कार ब्रीयेज पी एम्स सिक्योरिटी कार्डोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 7 मार्च, 1995 को सेना का एक अफसर स्टाफ कार सं. 86बी 4048 में यात्रा कर रहा था । इस अफसर को मुख्यालय दिल्ली एरिया की प्लेटिनम जयंती समारोह से संबंधित व्यवस्था करने के लिए डाक भवन और उसके बाद वसंतकुंज जाना था । तत्संबंधी कार्य पूरा करने के बाद अपने निवास स्थान को लौटते समय वे लगभग 2125 बजे नीति मार्ग और शांति पथ चौराहे के नजदीक पुलिस द्वारा खड़े किए गए सड़क अवरोधक को पार कर गए ।

स्टाफ कार ड्राइवर ने अवरोधक से आगे कार चला दी इसलिए सशस्त्र सिपाही ने कार पर फायर करके टायर पंचर कर दिया जिससे ड्राइवर की टांग पर मामूली सी चोट लग गई । वाहन रुक गया और बाद में पुलिस ड्राइवर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले गई । अफसर की पत्नी भी उसके साथ थी। वे सरोजनी नगर की ओर से आ रहे थे तथा दिल्ली छावनी की तरफ जा रहे थे ।

इस मामले की जांच के लिए 8 मार्च, 1995 को एक जांच अदालत का गठन किया गया है । पुलिस ने भी चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

जांच अदालत के निष्कर्षों के आधार पर उक्त अफसर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है । तथा ड्राइवर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दे दिया गया है ।

एड्स पर नियंत्रण

2996. **श्री राजबीर सिंह :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने और एड्स नियंत्रण के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी विदेशी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना के प्रसार के लिए सरकार के पास उपलब्ध सभी माध्यमों का प्रचार अभियान में उपयोग किया जा रहा है । इनमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय संगीत तथा नाटक प्रभाग तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय शामिल हैं । इसके अतिरिक्त उपयोग हो रहे दूसरे सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों का भी इस प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस कार्यक्रम को 840 लाख अमरीकी डालर के ऋण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 15 लाख डालर तक की तकनीकी सहायता के रूप में सहायता उपलब्ध की गई है ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई राशि तथा वास्तव में रिलीज की गई अनुदान राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के लिए दी गई अग्रिम अनुदान राशि में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर भारत सरकार विश्व बैंक सहायता प्राप्त करती है ।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
राज्य-वार आबंटन तथा जारी की गई राशि

(लाख रुपए में)

		1992-93		1993-94		1994-95	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	146.55	106.74	186.89	25.09	237.04	257.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.63	20.63	32.98	8.24	45.72	12.19
3.	असम	37.25	34.83	53.15	12.43	76.89	50.37
4.	बिहार	103.89	70.25	136.92	16.69	191.45	87.00

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95	
		आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान
5.	गोवा	28.58	26.91	33.15	7.87	48.19	41.82
6.	गुजरात	70.67	63.41	150.05	65.83	181.37	129.29
7.	हरियाणा	52.25	39.98	61.76	33.36	89.66	62.27
8.	हिमाचल प्रदेश	91.85	82.75	100.83	22.93	117.17	87.27
9.	जम्मू-कश्मीर	7.64	2.80	72.16	37.32	46.24	12.35
10.	कर्नाटक	117.87	89.24	129.31	53.08	197.88	138.33
11.	केरल	96.24	64.78	126.21	16.19	154.96	100.88
12.	मध्य प्रदेश	103.85	75.05	158.55	62.29	198.43	217.79
13.	महाराष्ट्र	199.33	146.67	267.97	219.69	361.72	292.60
14.	मणिपुर	34.37	29.53	36.57	31.72	53.31	52.50
15.	मेघालय	4.42	2.00	24.40	21.98	27.80	40.29
16.	मिजोरम	23.20	20.78	34.15	31.73	47.89	56.40
17.	नागालैंड	31.70	31.70	40.00	30.00	53.83	67.33
18.	उड़ीसा	58.03	52.27	110.05	19.82	143.40	126.10
19.	पंजाब	53.02	40.75	69.77	11.99	94.77	64.50
20.	राजस्थान	65.88	52.86	111.06	47.64	137.88	123.84
21.	सिक्किम	20.23	17.81	21.90	4.87	30.69	17.82
22.	तमिलनाडु	210.52	145.42	239.48	153.25	294.40	277.44

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95	
		आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान	आबंटित राशि	जारी किया गया अनुदान
23.	त्रिपुरा	34.72	27.46	38.99	32.73	51.73	3.00
24.	उत्तर प्रदेश	146.05	107.74	195.36	27.59	278.92	121.00
25.	पश्चिम बंगाल	149.20	101.04	184.63	22.86	233.65	185.64
26.	पांडिचेरी	19.15	19.15	34.95	8.74	40.74	10.18
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	17.08	0.00	22.23	0.00	31.27	0.00
28.	चंडीगढ़	14.25	0.00	22.70	0.00	28.65	0.00
29.	दादरा व नगर हवेली	11.00	0.00	17.95	0.00	25.15	0.00
30.	दमन व दीव	5.00	0.00	17.95	0.00	26.15	0.00
31.	दिल्ली	59.82	27.44	123.52	48.70	151.19	73.79
32.	लक्ष द्वीप	7.00	0.00	18.48	0.00	27.52	0.00
	कुल	2041.24	1499.99	2874.07	1074.63	3725.66	2733.66

नोट : अधिकांश राज्यों द्वारा धन राशि कम खर्च किए जाने तथा उनके पास खर्च न की गई काफी सारी राशि पड़ी होने के कारण आवंटन की पूरी राशि रिलीज नहीं की जा सकी ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2997. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय लागू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या मेडिकल स्टोर्स संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फर्मास्यूटिकल वस्तुएं खरीदने वाला एजेंसी हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में मेडिकल स्टोर्स संगठन तथा उसके अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न मेडिकल स्टोर्स डिपुओं द्वारा, पृथक-पृथक, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य की फार्मास्युटिकल वस्तुओं की खरीद की गई;

(घ) क्या मेडिकल स्टोर्स संगठन तथा मेडिकल स्टोर्स, डिपुओं के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस (सतर्कता) के कुछ मामले लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) देश में निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :-

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम ।
5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ।
6. राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम ।
7. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम ।
8. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम ।
9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।
10. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलीकरण कार्यक्रम सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम ।

(ख) और (ग). जी, हां । चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन केवल तीन प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों अर्थात कुष्ठ, क्षयरोग और मलेरिया के कार्यक्रम अधिकारियों से प्राप्त हुए मांग पत्रों के आधार पर भेषजीय मदों की खरीद कर रहा है । प्रत्येक कार्यक्रम की वार्षिक जरूरतों के लिए प्राप्त हुई भेषजीय मदों की खरीद करने संबंधी कार्रवाई निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चिकित्सा सामग्री भंडार मुख्यालय द्वारा की जाती है । डिपुओं का काम संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षण करना, उन्हें भंडारित करना और वितरित करना है । पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा खरीदी गई मदों का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) से (च). जी, हां । अनुशासनिक कार्यवाहियां चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के 3 सहायक महानिदेशकों, 2 उप सहायक महानिदेशकों और एक डिपू प्रबन्धक के विरुद्ध लंबित है तथा एक सहायक डिपू प्रबन्धक, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपू, करनाल (अब सरकारी चिकित्सा भंडार सामग्री डिपू, मद्रास में तैनात) को आरोप पत्र दिया गया है । ऐसे मामलों में कार्रवाई केन्द्रीय सिविल सेवा (सी. सी. ए.) नियमावली/सतर्कता मैनुअल में उपबन्धों के अनुसार की जाती है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों को दौरान चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए खरीदी गई औषधों के मूल्य

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1. क्षयरोधी	3604.42	2073.00	4244.73
2. मलेरिया रोधी	80.76	24.55	1086.36
3. कुष्ठरोधी	190.74	326.50	194.22

नमक का उत्पादन

2998. डा. लाल बहादुर रावल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 की अवधि के दौरान नमक की कुल उत्पादित मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त अवधि में खाद्य प्रयोजन, उद्योगों तथा निर्यात हेतु कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(ग) क्या सरकार औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नमक को शुद्ध करने हेतु नमक साफ करने के कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)

में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नमक के उत्पादन संबंधी आंकड़े कैलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं । देश में वर्ष 1993 और 1994 के दौरान नमक उत्पादन की कुल माला का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	नमक का उत्पादन (हजार टन में)
1993	13727.8
1994	12344.2

(ख) उक्त अवधि में खाद्य प्रयोजनों, उद्योगों और निर्यात के लिए प्रयुक्त नमक की माला का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त	औद्योगिक प्रयोजन	(हजार टन में) निर्यात
1993	5989.4	4819.9	605.4
1994	5799.4	5020.5	472.6

(ग) खाद्य और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नमक की अपेक्षित गुणवता को सुधारने के लिए सरकार नमक साफ करने/शुद्ध करने के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है ।

देश में 28 एककों के पंजीकरण की स्वीकृति दी गई है । जिनमें से 9 एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है ।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास पर व्यय

2999. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया है;

(ख) अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में वर्ष-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास से संबंधित योजनागत योजनाओं पर हुआ वर्ष-वार व्यय नीचे दिए अनुसार हैं :-

1993-94	37.16 करोड़ रुपए
1994-95	63.59 करोड़ रुपए

(ख) और (ग). पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कुछ मुख्य उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

(1) वर्ष 1993-94 के दौरान उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) ने परम मशीन, जो एक उच्च कार्यनिष्पादन वाली समानान्तर संसाधन अभिकलन मशीन है, के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए इसके दर्जे में वृद्धि की । वर्ष 1994-95 के दौरान नई पीढ़ी के परम का एक प्रोटोटाइप तैयार करने का पहला लक्ष्य हासिल किया गया ।

(2) अनुसारक नामक मशीनी अनुवाद प्रणाली का विस्तार तीन भाषाओं तक करके उसमें सीमित शब्दावली की कन्नड़-हिन्दी, तेलुगु-हिन्दी तथा मलयालम-हिन्दी प्रणाली को शामिल किया गया है ।

(3) गैर दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए तंतु प्रकाशिकी प्रणालियों एवं उत्पादों की एक रेंज को विकास कर लिया गया है ।

(4) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की भावी विमान संचालन प्रणाली मिशन (फैन्स) के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिनमें विश्वव्यापी स्थिति-निर्धारण प्रणाली (जी. पी. एस. रिसीवर) उल्लेखनीय है ।

(5) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दो वर्षों में कई परियोजनाओं की प्रौद्योगिकी का अंतरण हुआ है ।

(6) वर्ष 1993-94 के दौरान अनुसंधान के प्रयोजनों से मध्यमण्डल, समताप मण्डल, क्षोभ मण्डल (एम. एस. टी.) रेडार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया । यह रेडार अब गडंकी (तिरुपति के पास), आंध्रप्रदेश स्थित अन्तर विश्वविद्यालय ऊपरी वायुमण्डलीय अध्ययन केन्द्र में कार्यरत है ।

(7) इलेक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई. आर. एण्ड टी. सी.), तिरुवनन्तपुरम द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई उल्लेखनीय परियोजनाओं में ये शामिल है; नियंत्रण एवं यंत्रीकरण, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी, जन संचार, कृत्रिम बुद्धि, मत्स्य खोजी आदि के क्षेत्र में परियोजनाएँ । ई. आर. एण्ड टी. सी. पुणे तथा ई. आर. एण्ड डी. सी., कलकत्ता ने भी अपने कार्यकलापों के संबंधित क्षेत्रों में कई परियोजनाएँ पूरी की हैं ।

(8) पिछले दो वर्षों में बी. एल. एस. आई. सिपों की एक रेंज डिजाइन की गई है तथा इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है । इसके अतिरिक्त, वी. एल. एस. आई. डिजाइन के लिए विन्यास कैड साधन का विकास कर लिया गया है तथा इसका व्यवसायीकरण कर लिया गया है । आण्विक रश्मि एपीटैक्सी (एम. बी. ई.), प्रकाशीय स्टेपर जैसी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए आवश्यक पूँजीगत उपस्कर का डिजाइन कर लिया गया है तथा उसका विन्यास कर लिया गया है ।

(9) 4 एवं 6 मेव की इलेक्ट्रॉन त्वरक पर आधारित एक्स-रे मशीन, कैन्सर की चिकित्सा के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाला चिकित्सकीय लाइनैक उपस्कर तथा गैर-विध्वंसक परीक्षण के लिए रेडियो ग्राफिक लाइनैक प्रणाली का विकास प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), बम्बई की हाल ही की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं ।

(10) इलेक्ट्रॉनिकी पैकेजिंग प्रौद्योगिकी एवं एरगोनॉमिक डिजाइन केन्द्र (सेप्टेड) की स्थापना की गई है । इस केन्द्र की सहायता से समीर गुणवत्ता के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उद्योग को कुल उत्पाद डिजाइन में सहयोग दे पाता है ।

(11) बम्बई में उपनगरीय ई. एम. यू. के लिए व्यावसायिक डीसी चॉपर चालू किए गए तथा इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली पहली ट्रेन ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया । रेलवे संकेतन के लिए ठोस अवस्था अंतर्ग्रथन प्रणाली की इंजीनियरीकृत इकाई का विकास किया गया, क्षेत्रीय परीक्षणों आदि की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई ।

(12) ट्रांस्प्यूटर पर आधारित उच्च कार्यनिष्पादन की नियंत्रण तथा यंत्रीकरण प्रणाली (चरण 1) का विकास कर लिया गया है तथा इसकी प्रौद्योगिकी का अंतरण कर दिया गया है ।

(13) वैयक्तिक कम्प्यूटर पर आधारित वितरित नियंत्रण प्रणाली, उन्नत संयंत्र स्वचालन तथा नियंत्रण प्रणाली, तंत्रिकीय नेटवर्क पर आधारित सीक्वेंस इवेंट रिकॉर्डर, बहुपाश नियंत्रक जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास कर लिया गया है तथा इनकी तकनीकी जानकारी का अंतरण कर दिया गया है ।

उपर्युक्त के अलावा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत कई परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं तथा पिछले 2 वर्षों के दौरान इनकी तकनीकी जानकारी अंतरित कर दी गई है ।

(14) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन. सी. एस. टी.) में भाषा शिक्षण रूपरेखा विद्या के लिए हिन्दी पाठ, अंग्रेजी में देवनागरी से लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर, हाई स्कूल गणित में समाधानपरक अनुदेश के लिए एक बुद्धिपरक शिक्षण प्रणाली, एक मुख्य तेल कम्पनी के लिए पाइपलाइन नियतन प्रणाली का विकास किया है ।

(15) अर्नेट परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है । देश भर में 500 से भी अधिक संस्थान, जो शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, सहयोग एवं संचार के लिए सूचना प्राप्त करने, उसे आपस में बांटने तथा उसे दूसरे स्थान पर प्रेषित करने के लिए इस नेटवर्क का व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

तपेदिक रोग की रोकथाम

3000. **डा. खुशी राम ढुंगरोमल जेस्वाणी :**
श्री एन. जे. राठवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कोढ़, पोलियो, कैन्सर और तपेदिक के रोगियों की अनुमानित कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन रोगों के उपचार और रोकथाम हेतु उपरोक्त राज्य को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) इन रोगों के उपचार हेतु उपरोक्त राज्य में कितने विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल खोले गए हैं; और

(घ)केन्द्र सरकार द्वारा इन रोगों के उपचार और रोकथाम हेतु उपरोक्त राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) गुजरात में निम्नलिखित रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या इस प्रकार है :-

(I) कुष्ठ	16534
(II) पोलियो	665 (दिसम्बर 1994 की स्थिति के अनुसार)
(III) कैंसर	अनुपलब्ध
(IV) क्षयरोग	6.7 लाख

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम सन् 2000 ई. तक भारत से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों का रोग के आरम्भावस्था में पता लगाने तथा कुष्ठ रोगियों को बहु औषध विधान नि:शुल्क उपलब्ध करने के उपाय किए गए हैं । प्रशिक्षित कुष्ठ रोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर पर ही उपचार को बढ़ावा दिया जाता है । कुष्ठ रोग के लिए किसी विशिष्ट अस्पताल की आवश्यकता नहीं है ।

बाल सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जिसमें पोलियो का उपचार भी शामिल है, 1993 में शुरू किया गया था तथा विश्व बैंक तथा यूनिसेफ के संयुक्त वितपोषण से शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के एक भाग के रूप में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

गुजरात में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, नामत: गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद है जो कैंसर के निदान तथा उपचार की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करता है । इसके अलावा, कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा संबंधी सुविधाएं राज्य की और चार संस्थाओं में उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे मशीन, वाहनों, एक्स-रे फिल्मों आदि सहित क्षयरोग रोधी औषधियों, सामग्रियों, और उपस्करों जैसी केंद्रीय सहायता 50:50 के हिस्से के आधार पर प्रदान की जाती है । गुजरात राज्य के सभी जिलों में जिला क्षयरोग कार्यक्रम क्रियान्वित कर दिया गया है । जिला क्षयरोग केन्द्रों के मुख्य कार्य-कर्ताओं को राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बेंगलूर में प्रशिक्षित किया जाता है । अल्पकालिक रसायनचिकित्सा की औषधें सभी जिलों में मुफ्त प्रदान की जाती हैं । राज्य में क्षयरोग के उपचार के लिए 21 विशिष्टताप्राप्त अस्पताल हैं । राज्य में विशिष्ट और सामान्य प्रकार के अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुल बिस्तर 3588 उपलब्ध हैं ।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात को दी गयी केंद्रीय सरकार की सहायता इस प्रकार से है :-

कार्यक्रम	सहायता (लाख रुपये में)
1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	77.57
2. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	1022.46
3. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	100.00
4. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	162.05

मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम

3001. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्राम स्तर पर, विशेषकर मध्य प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में, परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्शदाता (हेल्थ गाइड) की नियुक्ति हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना मध्य प्रदेश राज्य में पहले से ही चल रही है ।

(ख) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 30619 ग्राम स्वास्थ्य गाइड थे । ये गाइडें स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदाय की मदद करते हैं । इन स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 50/-रुपये का मानदेय दिया जाता है ।

[हिन्दी]

रक्षा प्रतिष्ठान

3002. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख)क्या राजस्थान में मंत्रालय का कोई भी प्रतिष्ठान नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय का राज्य में एक नये प्रतिष्ठान की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). रक्षा मंत्रालय सचिवालय स्थापना के कार्यालय केवल दिल्ली में स्थित हैं । लेकिन इनमें सेना, वायुसेना और नौसेना, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उत्पादन तथा लेखा यूनिटों की स्थापनाओं को मिलाकर बहुत बड़ी संख्या में रक्षा स्थापनाएं हैं जो राजस्थान सहित पूरे देश में फेली हुई हैं । इन यूनिटों का ब्यौरा प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है ।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाना

3003. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसका सेवाकाल बढ़ाये जाने संबंधी कोई नीति है;

(ख)यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उसके सेवाकाल में वृद्धि की जाएगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य के बावजूद सेवाकाल बढ़ाया जाना आवश्यक समझा था कि इससे उन लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा जो प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा में वृद्धि मंजूर करना सरकार की आम नीति नहीं है । फिर भी, कभी ऐसे अवसर हो सकते हैं, जब विशिष्ट योग्यता वाले सरकारी कर्मचारी को या कार्य की अत्यावश्यकता के कारण सरकारी कर्मचारी की सेवावृद्धि मंजूर करना आवश्यक हो जाता है । सेवावृद्धि मंजूर किए जाने संबंधी विषय पर अनुदेशों में यह शर्त है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में वृद्धि नेमी तौर पर मंजूर न की जाए परन्तु केवल विरल तथा आपवादिक परिस्थितियों में ही इसका आश्रय लिया जाए । सेवा में वृद्धि मंजूर करने का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह स्पष्ट रूप से लोकहित में होनी चाहिए तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो शर्तों में से एक पूरी की जानी चाहिए :-

(एक) अन्य अधिकारी कार्य ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं; या

(दो) सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता वाला है ।

2. सेवा में वृद्धि विषयक विद्यमान मानदण्ड तथा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनायी गयी है कि सेवा निवृत्त अधिकारियों को सेवावृद्धि देने के मामले न्यूनतम रखे जाएं तथा केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही इसका आश्रय लिया जाए ।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में निजी पार्टियों की भागीदारी

3004. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पार्टियों से अपारंपरिक ऊर्जा पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या किन्हीं विदेशी कंपनियों ने संयुक्त उद्यम में गैर परंपरागत ऊर्जा पैदा करने की रूचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ)प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उसकी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता कितनी होगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). अपारंपरिक ऊर्जा

उत्पादन हेतु मंत्रालय को समय-समय पर निजी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । देश के विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हेतु विदेशी कम्पनियों ने संयुक्त उद्यम में अपनी रूचि दिखाई है । पिछले दो वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा 7 विदेशी पूंजी संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है । इसके अलावा खत्ता गैस परियोजनाओं सहित प्रमुखतया विद्युत उत्पादन कार्यकलापों में कार्यरत कराने के लिए भारत में कम्पनी में रूप में 100% विदेशी साम्या रखने हेतु मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंट लिमि. । आस्ट्रेलिया ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया है । मैसर्स केनटैक कारपोरेशन यू. एस. ए. ने उपयोग पैमाने के पवन संयंत्र विद्युत प्रणालियों के संयोजन और निर्माण, ऐसे विद्युत संयंत्रों को चलाने और उनके अनुरक्षण तथा आयातित एवं भारत में बने दोनों ही प्रकार के संघटकों को एक पूर्ण पवन टरबाइन यूनिट में जोड़ने जैसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 100% स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी में साम्यां निवेश के लिए और मैसर्स किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमि. ने मैसर्स विंड एनर्जी गुप इंटरनेशनल लिमि., ब्रिटेन के साथ पवन टरबाइन जनरेटर प्रणालियों और पार्ट्स के विनिर्माण हेतु अपने सहयोग के लिए आवेदन किया है ।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी विनिमय के लिए अनुमोदित प्रस्ताव

कार्यक्रम	सहयोग		कुल लागत	उद्देश्य और राज्य जहां
	भारतीय	विदेशी	(विदेशी साम्य)	परियोजनाएं लगाए जाने का प्रस्ताव है
1. पवन ऊर्जा	I) सनसोर्स इंडिया लिमिटेड	कैनन पावर कारपो. यू. एस. ए.	60.00 करोड़ (60%)	गुजरात राज्य में पवन फार्म की स्थापना
	II) एल. एम. ग्लास फाइबर (आई.) लिमि.	एल. एम. ग्लास फाइबर डेनमार्क एवं दि इन्डस्ट्रीयलाइजेशन फंड फार डेवलपिंग कैट्रीसन (आई. एफ. यू.) डेनमार्क	12.60 करोड़ (75%)	कर्नाटक राज्य में पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के लिए ब्लैडों का उत्पादन
2. सौर प्रकाश-वोल्टीय	(I) सोलर टैक इंडिया लिमि.	हिलोस इटली	56.00 लाख (40%)	राजस्थान राज्य में सिलिकॉन वेफरों का विनिर्माण
	(II) इको सोलर सिस्टमस इंडिया प्रा. पुणे	मि. कोनार्ड जॉस्लीन इट. स्वीटजरलैंड	65.00 लाख (14%)	महाराष्ट्र राज्य में वैकल्पिक सामग्री सौर सेलों के लिए विनिर्माण सुविधा की स्थापना
	(III) अरविन्द माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लिमि.	सन पावर सोलर टैक्नीक जैम्भ, जर्मनी	1.00 करोड़ (25%)	आंध्र प्रदेश राज्य के रंगारेड्डी जिले में सौर प्रकाशवोल्टीय और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए पावर कंडीशनिंग उपकरण और साजसामान के विनिर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना करना
3. बैटरी चलने वाली चालित वाहन	पीयरलैस डेवलपस लिमि. कलकत्ता	फ्रेजरनैस लिमि., ब्रिटेन	20.00 करोड़ (18%)	पश्चिम बंगाल राज्य में बैटरी से चालित और प्रकाशवोल्टीय चार्जिंग से अनुपूरित सौर पैसेंजर परिवहन वाहन का विनिर्माण
4. सामान्य	ओवीमैक्स सर्विसेज, इंडिया सिकंदराबाद	ओवीमैक्स, रूस	10.00 लाख (50%)	आंध्र प्रदेश राज्य में प्रकाशवोल्टीय सेमीकंडक्टरों, अपारंपरिक ऊर्जा प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्र में सेवाएं

एम. आर. पी. बोर्ड

3005. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990-91 के दौरान कुछ अधिकारी एम.ई.एस. के विभाग जी.ई.रानीखेत, से बाजार मूल्यों का पता किये बगैर एम.आर.पी बोर्ड पर तथाकथित रूप से हस्ताक्षर करने के दोषी पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो एम.आर.पी. बोर्ड के सभी सदस्यों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उस जाँच समिति की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए, जिसने कि इन अधिकारियों द्वारा किये गये इन अवैध कार्यों की जाँच की थी, बोर्ड के इन सदस्यों में से एक सदस्य को पदोन्नति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसंधान और विकास विंग पर निगरानी

3006. **डा. वसंत पवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विंग पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) रक्षा उत्पादन एवं विकास संगठन के सभी कार्यकलापों की मानीटरिंग परियोजना लागत, प्रौद्योगिकीय जटिलता और अंतिम प्रयोक्ता के आधार पर निर्मित बहुस्तरीय समीक्षा की व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। समीक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय एजेंसियों और प्रयोक्ता सेनाओं आदि से लिया जाता है। इसके अलावा, परियोजना आधारित बहुस्तरीय प्रबंधन बोर्डों, संचालन समितियों, अनुसंधान एवं विकास पैनलों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा विवेचनात्मक रूप से भी की जाती है। सेनाध्यक्षों द्वारा स्थिति समीक्षा भी की जाती है और रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री द्वारा शीर्ष स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर गत तीन वर्षों के दौरान किए गए वर्षवार व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

वर्ष	व्यय(सकल) (करोड़ रुपए)
1992-93	793
1993-94	1049
1994-95	1257*

*संशोधित विनियोजन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए परिणाम इस प्रकार हैं:-

(क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा सफलतापूर्वक विकसित की गई और उत्पादन किए जाने के बाद सेनाओं को सुपुर्द की गई प्रणालियां

5.56 मि.मी. राइफल, वैरी लो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, प्रोग्रामेबल डीप मोबाइल टार्गेट, 81 मि.मी. इल्यूमिनेटिंग एम्यूनीशन 1 मार्क-11, इंटिग्रेटिड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट, अकाउस्टिक टार्गेट, ड्रिल एंड प्रेक्टिस टॉरपीडो, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, बैलून बैराज सिस्टम ।

सफलतापूर्वक विकसित की गई और प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद सेनाओं द्वारा स्वीकार की गई प्रणालियां

जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी", मुख्य युद्धक टैंक-"अर्जुन", 5.56 मि.मी. हल्की मशीन गन (एल एम जी), इन्द्र पल्स कम्प्रेशन रेडार, मैनुअली लांच्ड एसॉल्ट ब्रिज (एम एल ए बी), इन्द्र पल्स कम्प्रेशन रेडार, मैनुअली लांच्ड एसॉल्ट ब्रिज (एम एल ए बी), रेपिड इंटरवेन्शन व्हीकल रेडिओ लोकल सिस्टम, रेडिओ ट्रंक सिस्टम, सिम्हिका (सोनोबॉय

प्रोसेसर), सी माइन्स, माइन एंटी पर्सोनल इन्फलेमेबल, बंड ब्लास्टिंग डिवाइस, गायलट रहित लक्ष्यभेदी वायुयान (पी टी ए), आर्मर्ड एम्बुलेंस, कैरियर मोर्टार ट्रेकेड, टी-55 आधुनिकीकृत टैंक के लिए स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर, पुल बिछाने वाला टैंक- कार्तिक।

वे प्रणालियां जिनका मूल्यांकन उन्नत चरण में है

आकाश-जमीन से आकाश में मध्यम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल-जमीन से आकाश में कम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, नाग-तीसरी पीढ़ी का टैंक-भेदी प्रक्षेपास्त्र, 5.56 मि. मी. कार्बाइन, बहुनाल रॉकेट प्रणाली- "पिनाक, सुदूर चालित वाहन-फाल्कन, उन्नत सोनार तथा सामरिक शस्त्र नियंत्रण प्रणाली (पंचेन्द्रिय), हल माउंटिड सोनार (हंस), गुप्त दूरभाष प्रणाली (सेक्टेल), आर्टिलरी कॉम्बेट कमांड कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेसर बेस्ट ग्राउंड साइन।"

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित परिणाम भी प्राप्त किए गए हैं:-

- प्रौद्योगिकी प्रदर्शक "अग्नि" को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

- पैरलल प्रोसेसिंग एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम "पेस-प्लस" को विकसित करके उसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

- समुद्री ध्वनिक अनुसंधान पोत "सागर ध्वनि" का जलावतरण किया गया है।

- हल्के युद्धक वायुयान को पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास के माध्यम से विकसित किया जा रहा है और अगस्त 1995 में प्रथम वायुयान कार्य आरम्भ करने के लिए तैयार होने जा रहा है।

- हल्के युद्धक वायुयान के लिए कोर-इंजन "काबिनी" विकसित कर लिया गया है और उसका परीक्षण-स्थल पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित बहुत सी प्रणालियों का उत्पादन कर लिया गया है और उन्हें प्रयोक्ता सेनाओं को सौंप दिया गया है। ऐसे उत्पादन का संचयी मूल्य अब तक छह हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

सुरक्षा प्रौद्योगिकियां

3007. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिये सुरक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु बिजलीघरों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में पिछले दो वर्षों से परस्पर सहयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत को परमाणु सुरक्षा उपकरणों से वंचित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णय से भारत के परमाणु सुरक्षा कार्यक्रमों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किन्हीं वैकल्पिक कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(च) क्या परमाणु विनियम आयोग के निदेशक ने यह बताया है कि मई, 1995 में न्यूयार्क सम्मेलन में परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिये बढ़ाये जाने के पश्चात परमाणु सुरक्षा के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के साथ सहयोग करना संभव नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच परमाणु सुरक्षा सहकार विषय पर बातचीत चल रही है। अमरीका के ऊर्जा सचिव सुश्री हेजल ओ' लियरी ने जुलाई, 1994 और फरवरी, 1995 में भारत का दौरा किया था तथा यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष परमाणु प्रौद्योगिकी, विशेषकर परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में सहकार वाले क्षेत्रों का पता लगाएं। वियाना में हुए परमाणु सुरक्षा कन्वेंशन के दौरान अमरीका तथा वहां परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में गए भारतीय प्रतिनिधियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ था। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था और यू.एस.एन.आर.सी. के साथ विचार-विमर्श किया था। इसके बाद यू.एस.एन.आर.सी. के अध्यक्ष डा. ईवान सेलिन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 12-18 फरवरी, 1995 के बीच भारत के दौरे पर आया था। इस यात्रा के दौरान यू.एस.एन.आर.सी. के दल को नरोरा परमाणु बिजली घर, तारापुर परमाणु बिजलीघर और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई की कुछ सुविधाएं भी दिखाई गई थी।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) और (छ). सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्ट देखी है। तथापि, ऐसा कोई भी कथन यू.एस.एन.आर.सी. अथवा यू.एस.स्टेट डिपार्टमेन्ट द्वारा सरकारी तौर पर भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में अपहरण

3008. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
डा. वंसत पवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा वर्ष-वार कितने विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया और उनके विवरण क्या हैं;

(ख) क्या अत्यंत अशांत जम्मू-कश्मीर का भ्रमण करने के लिए विदेशी व्यक्तियों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन सालों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा निम्नलिखित 8 विदेशी पर्यटक, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, अपहृत किए गए:-

नाम	राष्ट्रीयता	अपहरण का माह/वर्ष
श्री डेविड मेशी	ब्रितानी	जून, 1994
श्री किम हाउसगो	ब्रितानी	जून, 1994
श्री डी पी ह्युचिंग्स	अमेरिकी	जुलाई, 1995
श्री जान चाइल्ड्स	अमेरिकी	जुलाई, 1995
श्री पी एस वेल्स	ब्रितानी	जुलाई, 1995
श्री के. सी. मैंगन	ब्रितानी	जुलाई, 1995
श्री डर्क हेजर्ट	जर्मन	जुलाई, 1995
श्री ओ.एच. क्रिस्टीन	नोर्वेजियन	जुलाई, 1995

पहले दोनों विदेशियों का अपहरण पहलगाम के 'अरू' स्थान से हरकत-उल-अंसार उग्रवादी गिरोह द्वारा जून, 1994 में किया गया था। तथापि, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए रिहा कर दिया गया था। अन्य 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण जुलाई, 1995 में अपने आपको 'अल फलान' बताने वाले अब तक अज्ञात एक गिरोह द्वारा पहलगाम क्षेत्र से किया गया था, जहां वे ट्रेकिंग के लिए गए थे। उनमें से एक, जॉन चाइल्ड्स, उग्रवादियों के चंगुल से भाग निकला और उसे बचा लिया गया जबकि श्री ओ.एच. क्रिस्टीन की उग्रवादियों द्वारा क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई और उसका सिरकटा शव 13.8.1995 को बरामद किया गया।

(ख) और (ग). जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा के लिए विदेशियों को सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विदेशी स्थानीय पर्यटकों को दूर दराज के और एकाकी क्षेत्रों जो कि आंतकवादी गतिविधियों लिए सुभेद्य हो सकते हैं, में जाने से बचने को कहा गया है।

अग्रिम जमानतें

3009. **श्री राम नाईक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विधि आयोग ने अग्रिम जमानत के प्रावधान का दुरूपयं रोकने के लिए उचित उपाय किए जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि सुधार

3010. **श्री देवी बक्श सिंह:**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में मालगुजारी को समाप्त करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को भूमि सुधार के व्यापक पहलू के रूप में राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मालगुजारी की क्षति पूर्ति करने के लिए राज्यों को मुआवजा देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रमीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) चूंकि राज्यों द्वारा भूमि लगान को इकट्ठा करने के बारे में भारत सरकार द्वारा निगरानी नहीं की जाती है इसलिए राज्यों में भूमि लगान को समाप्त करने के बारे में वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ख) और (ग). जी नहीं। तथापि, भूमि लगान से संबंधित मामले की जांच भूमि राजस्व प्रशासन को पुनर्जीवित करने के बारे में भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1993 में गठित एक समिति द्वारा की गई थी। समिति ने मार्च, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इस ने राज्यों द्वारा भूमि लगान को बढ़ाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के साथ-साथ समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों की राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ). उपरोक्त बताई गई स्थिति को देखते हुए राज्यों की भूमि लगान की हानि हेतु पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माइक्रोस्कोप

3011. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में वितरण हेतु लगभग 5000 माइक्रोस्कोपों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इन माइक्रोस्कोपों की कितनी कीमत है; और

(ग) इन माइक्रोस्कोपों की किन-किन राज्यों की आपूर्ति की गयी है और प्रयोक्ता राज्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा अब तक 1660 माइक्रोस्कोप खरीदे गए हैं जिनका मूल्य लगभग 4.60 करोड़ रुपये है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

माइक्रोस्कोपों की आपूर्ति संबंधी स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आपूर्ति की गई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	100 (आबंटित)
2.	अरूणाचल प्रदेश	29
3.	असम	100
4.	बिहार	10
5.	गोवा	10
6.	गुजरात	100
7.	हरियाणा	50
8.	जम्मू और कश्मीर	10

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आपूर्ति की गई
1	2	3
9.	कर्नाटक	100
10.	मध्य प्रदेश	20
11.	मणिपुर	84
12.	महाराष्ट्र	100
13.	मेघालय	39
14.	मिजोरम	100
15.	नागालैंड	84
16.	उड़ीसा	200
17.	पंजाब	1
18.	राजस्थान	200
19.	सिक्किम	10
20.	तमिलनाडु	50
21.	त्रिपुरा	50
22.	दिल्ली	35
23.	पांडिचेरी	4
24.	चंडीगढ़	5
25.	आर.ओ.एच. एवं एफ. डब्ल्यू शिलांग	10
26.	---तदैव--- चंडीगढ़	2
27.	---तदैव--- अहमदाबाद	6
28.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सी.सी.ओ. लेबोरेटरी	5
29.	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान प्रशिक्षण	55
30.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मुख्यालय में शेष	9
	कुल	1660

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

3012. श्री एस.एम. लालजान बाशा: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गांवों में महिलाओं का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने वाली शीर्ष एजेंसी का क्या नाम है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम की समय सीमा पर लेखा परीक्षा की जाएगी ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम नामक कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार

3013. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक विकास के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है;

(ख) प्रमुख योजनावार वितरण दें;

(ग) राज्यवार विवरण दें; और

(घ) चालू योजनावधि के लिए कुल आबंटन और योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल व्यय कितना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) से (ग). प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जाती है। तथापि, कुछ कार्यक्रम जैसे गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है। गहन जवाहर रोजगार योजना 1993-94 से चयनित राज्यों के 120 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां सुनिश्चित रोजगार योजना विभिन्न राज्यों में आदिवासी तथा पिछड़े खण्डों, सुखाप्रवण तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों की तरह पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करती है, चालू वर्ष के लिए प्रमुख कार्यक्रमों हेतु कुल आबंटन का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास हेतु 8वीं योजना के लिए कुल आबंटन 30,000 करोड़ रुपये है। प्रमुख कार्यक्रमों हेतु 8वीं योजना के प्रमुख तीन वर्षों के दौरान कुल खर्च विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

1995-96 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कुल आबंटन कुल आबंटन (लाख रु. में)

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना आबंटन	गहन जवाहर रोजगार योजना आबंटन	सुनिश्चित रोजगार योजना आबंटन	इन्दिरा आवास योजना आबंटन	दस लाख कुओं की योजना आबंटन	समन्वितग्रामीण विकास कार्यक्रम आबंटन
1.	आंध्र प्रदेश	31415.94	3108.09	5937.50	9705.26	4342.14	8336.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	322.51	-	200.00	99.64	44.58	623.43
3.	असम	10342.01	-	5012.50	3194.94	1429.41	2743.50
4.	बिहार	61621.21	11807.41	9225.00	19036.51	8516.94	16218.24
5.	गोवा	348.46	-	-	107.65	148.16	141.87
6.	गुजरात	11532.18	1936.16	2425.00	3562.61	1593.91	3059.22
7.	हरियाणा	2770.19	-	1662.50	855.79	388.88	735.33
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	-	450.00	342.06	153.04	239.78
9.	जम्मू व कश्मीर	2250.00	425.00	4600.00	695.09	310.99	999.09
10.	कर्नाटक	21094.44	2347.09	5050.00	6516.66	2915.55	5594.91
11.	केरल	7674.44	-	750.00	2370.85	1060.71*	2036.15

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना आबंटन	गहन जवाहर रोजगार योजना आबंटन	सुनिश्चित रोजगार योजना आबंटन	इन्दिरा आवास योजना आबंटन	दस लाख कुओं की योजना आबंटन	समन्वितग्रामीण विकास कार्यक्रम आबंटन
12.	मध्य प्रदेश	39808.58	7588.23	10412.50	12297.99	5507.11	10565.39
13.	महाराष्ट्र	34247.70	5086.19	6150,00	10580.08	4733.53	9037.73
14.	मणिपुर	413.36	-	562.50	127.70	57.14	449.59
15.	मेघालय	483.68	-	0.00	149.43	66.85	477.57
16.	मिजोरम	203.76	-	512.50	62.95	28.16	201.82
17.	नागालैंड	518.46	-	0.00	160.16	71.66	335.69
18.	उड़ीसा	25485.70	3982.98	5687.50	7873.25	3522.49	6763.85
19.	पंजाब	1969.93	-	-	608.56	272.23**	521.53
20.	राजस्थान	16539.01	2274.29	6662.50	5109.36	2285.93	4388.01
21.	सिक्किम	188.76	-	0.00	58.31	26.09	55.95
22.	तमिलनाडु	28399.54	2361.08	3050.00	8773.41	3925.23	7537.14
23.	त्रिपुरा	536.90	-	650.00	165.86	74.21	641.42
24.	उत्तर प्रदेश	76559.63	5248.94	8325.00	23651.43	10581.64	20316.50
25.	पश्चिम बंगाल	28153.28	3835.56	4337.50	8697.34	3891.19	7472.20
26.	अंडमान व निकोबार	152.69	-	0.00	47.17	21.11	70.94
27.	चण्डीगढ़		-	-	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	82.88	-	0.00	25.61	11.46	14.99
29.	दमन व दीव	48.83	-	0.00	15.08	6.76	27.97
30.	लक्षदीप	76.55	-	0.00	23.65	10.58***	6.99
31.	पांडिचेरी	149.48	-	-	46.18	20.66	57.95
	कुल	404497.39	50000.00	81662.50	124960.58	55907.36	109721.16

* 207.14 लाख रुपयों सहित इन्दिरा आवास योजना हेतु उपयोग करने की अनुमति है।

** इन्दिरा आवास योजना के लिए उपयोग किया गया

*** सामान्य जवाहर रोजगार योजना हेतु।

*जवाहर रोजगार योजना की निधियों में से इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के निर्धारण के मुकाबले आबंटन

विवरण-II

1995-96 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आवंटन

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आवंटन	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (के. क्षेत्र) आवंटन	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (आवंटन)		
				गर्म शुष्क क्षेत्र	गर्म रेतीले क्षेत्र	शुष्क क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	2635.00	6027.00	540.00	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	1092.00	-	-	-
3.	असम	-	1845.00	-	-	-
4.	बिहार	2245.00	7099.00	-	-	-
5.	गोआ	-	170.00	-	-	-
6.	गुजरात	1345.00	3850.00	883.00	766.00	-
7.	हरियाणा	-	2312.00	180.00	469.00	-
8.	हिमाचल प्रदेश	165.00	1215.00	-	-	500.00
9.	जम्मू व कश्मीर	495.00	3362.00	-	-	600.00
10.	कर्नाटक	2265.00	5594.00	732.00	-	-
11.	केरल	-	2819.00	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	3510.00	6673.00	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	4295.00	8023.00	-	-	-
14.	मणिपुर	-	401.00	-	-	-
15.	मेघालय	-	430.00	-	-	-
16.	मिजोरम	-	307.00	-	-	-
17.	नागालैंड	-	422.00	-	-	-
18.	उड़ीसा	1045.00	3159.00	-	-	-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आवंटन	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (के. क्षेत्र) आवंटन	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (आवंटन)		
				गर्म शुष्क क्षेत्र	गर्म रेतीले क्षेत्र	शुष्क क्षेत्र
19.	पंजाब	–	1006.00	–	–	–
20.	राजस्थान	865.00	9739.00	–	5258.00	–
21.	सिक्किम	–	372.00	–	–	–
22.	तमिलनाडु	1470.00	4779.00	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	380.00	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	1985.00	11182.00	–	–	
25.	पश्चिम बंगाल	640.00	4317.00	–	–	
26.	अंडमान व निकोबार	–	44.00	–	–	
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	
28.	दादर व नगर हवेली	–	25.00	–	–	
29.	दमन व दीव	–	15.00	–	–	–
30.	दिल्ली	–	29.00	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	12.00	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	30.00	–	–	–
	योग	22960.00	86680.00	2335.00	6493.00	1100.00

विवरण-III

8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल खर्च

(लाख रुपये में)

वर्ष	जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सनिश्चित रोजगार योजना*	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
1992-93	270958.93	–	–	69308.00	9954.02	48366.10	4851.12
1993-94	359020.56	28850.26	18375.03	95665.00	15166.90	58520.70	6385.61
1994-95	335987.91	90845.23	123543.94	99526.00	15217.89	57042.10	8236.04

* ये योजनाएं अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई थी।

[हिन्दी]

भर्ती नियम

3014. **श्री सुकदेव पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के भर्ती संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भर्ती संबंधी नियमों का उल्लघंन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न कमजोर वर्गों तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की भर्ती में अनियमितताएं बरतने के लिए तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) अनुदेश जारी करके मंत्रालयों/विभागों से यह आग्रह किया गया है कि वे नियुक्त प्राधिकारियों को स्पष्टता बतायें कि सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा उनसे संबंधित अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसका भी प्रावधान रखा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने तथा उनसे संबंधित अन्य आदेशों में जानबूझ कर लापरवाही बरतने या चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाये।

(ख) से (ग). अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की है। अत: यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्या का प्रयास

3015. **श्री राम कापसे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हिमालयन भूगर्भीय संस्थान, देहरादून के एक वैज्ञानिक ने हाल में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जनवरी 1995 के महीने में एक सीनियर रिसर्चफिलो (एस आर एफ) ने जो ''प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली'' के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित अस्थायी समयबद्ध परियोजना में कार्यरत थे, परियोजना की समीक्षा तथा उसके पूरे होने के कारण फेलोशिप के समाप्त होने की वजह से आत्महत्या की धमकी दी।

(ख) और (ग). जांच की जानी अपेक्षित नहीं, थी, परियोजना के अस्थायी होने की वजह से तथा सीनियर रिसर्च फेलोशिप की शर्तों को मद्देनजर रखते हुए किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, स्थिति की पुनरीक्षा की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, सीनियर रिसर्च फेलो तथा कुछ अन्य अनुसंधान वैज्ञानिकों को जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी थीं, नई समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं में लगा लिया गया है।

महिला स्वास्थ्य

3016. **श्री रवि राय:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 27 जुलाई, 1995 के दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दु'' में ''इंडिया रैंक्स मीडियम रिस्क इन वूमैन हैल्थ'', शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आगामी दशक में प्रत्येक महिला को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काहिरा कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार प्रति महिला शिशु जन्मों की संख्या, गर्भपात नीतियों, अनेमिया अन्य बीमारियों और मातृ मौतों सहित अनेक पहलुओं के आधार पर भारत के प्रजनक जोखिम इन्डेक्स के 39.5 होने की सूचना दी गई है।

(ग) महिलाओं को 131695 उप केन्द्रों, 21165 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2314 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा रही है। शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन देश भर में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न

उपाए शुरू किए गए हैं।

सालिड स्टेट फ़िज़िक्स लेबोरेटरी

3017. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सालिड स्टेट फ़िज़िक्स लेबोरेटरी की मैनेजमेंट इन्फारमेशन रिपोर्ट 1976 में दिल्ली में कार्यरत सालिड स्टेट फ़िज़िक्स लेबोरेटरी के रिकार्ड भंडारों में अनियमितताएं होने का उल्लेख किया गया है और यह भी दावा किया गया है कि विमान रोधी प्रक्षेपास्त्रों के लिए आवश्यक उच्चतम प्राथमिकता वाली परियोजना पी.एक्स.-एस.पी.एल.-47 में तोड़फोड़ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन नियमों के अधीन "मीर" के लेखक को ऐसे गम्भीर आरोपों को सिद्ध करने के लिए नहीं पूछा गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संसद में दिए गए आश्वासन के अनुसार "मीर" के लेखक को एक अवसर देने का है, जबकि अब ले. जनरल सपरा की अध्यक्षता में "मीर" का मूल्यांकन किया जा चुका है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). इस "प्रबंध सूचना रिपोर्ट (मैनेटमेंट इन्फारमेशन रिपोर्ट), 1976" में ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली के एक अधिकारी द्वारा इनफ्रा-रेड-सेंसर्स के विकास से संबंधित परियोजना पी एक्स- 73 एस पी एल-47 सहित कुछ परियोजनाओं और भण्डार लेखा तथा प्रशासनिक मामलों पर व्यक्त किए गए व्यक्तिगत विचार शामिल किए गए हैं।

(ग) चूंकि इस रिपोर्ट में लेखक के व्यक्तिगत विचार निहित हैं, जो दोषारोपण के रूप में नहीं थे, इसलिए उनसे अपने विचारों के समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था। तथापि, नमूना लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल-मई 1977 में लेखाओं की विशेष नमूना लेखापरीक्षा की गई थी। इस नमूना लेखापरीक्षा में कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई। ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला के दूसरे वैज्ञानिक द्वारा याचिका दायर करने पर इस मामले की जांच राज्य सभा समिति ने भी की थी। राज्य सभा समिति ने भी इस बात की पुष्टि की कि इसमें कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं हुई थीं।

(घ) यद्यपि इस रिपोर्ट में दिल्ली स्थित ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला के एक अधिकारी के व्यक्तिगत विचार शामिल हैं तथापि, इसकी जांच इलेक्ट्रानिक विकास पैनल के तत्कालीन प्रमुख ले. जनरल आर.पी. सपरा ने की थी। ले. जनरल सपरा की रिपोर्ट राज्य सभा समिति के सभापति द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई गई थी। समिति ने रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं पाई जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई और कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

अनुभाग अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं

3018. श्री बलराज पासी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों से मांग की गई है कि भारत सरकार के उन पदोन्नत सहायकों को, जिन्होंने चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने कुछ सांसदों को आश्वासन दिया है कि तदनुसार संबद्ध भर्ती नियमों में उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे और इसे 1994 की परीक्षा से प्रभावी बनाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक किया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए चार वर्ष की समान पात्रता सेवा की व्यवस्था के संबंध में मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ

3019. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गुलबर्गा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

3020. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ए.ई.आर.बी. के जांचकर्ताओं द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या भा.प.अ.के. यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि इम्मोबिलाईजेशन संयंत्र के पाइप में किस स्तर पर दरारें पड़ गई;

(ग) क्या भा.प.अ.के.डब्ल्यू. आई. पी. परिसर में भंडारण सुविधाओं के बारे में भी नहीं बता सका है;

(घ) यदि हां, तो तारापुर संयंत्र में कई गलतियां उजागर होने संबंधी जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) तारापुर विद्युत संयंत्र कब तक पुन: चालू हो जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने रिसाव की घटना से संबंधित सभी अपेक्षित उत्तर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को दे दिए हैं।

(ख) इस रिसाव का पता अप्रैल, 1995 के पूर्वार्द्ध में पर्यावरण संबंधी मानीटरन के दौरान लगा।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र के परिसर में स्थित भंडारण सुविधाओं के बारे में सूचना दी थी।

(घ) की गई जांच में अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र, तारापुर में पाए दोषों की संख्या उजागर नहीं की गई है।

(ङ) यह घटना अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र में हुई थी, न कि तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में जिसका निरन्तर प्रचालन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा

3021. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान गुजरात के गांवों में बड़े पैमाने पर सोलर फ़ोटोवाल्टाइक डोमेस्टिक लाइट और लालटेन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख). सरकार गुजरात सहित देश में सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में कई प्रकार की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं जिसमें सौर लालटेनें और सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1500/- रुपये प्रति लालटेन केन्द्रीय राज आर्थिक सहायता और अन्य प्रणालियों की लागत का 50% उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य के लिए 3000 सौर लालटेन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षा बलों में महिलाओं की भर्ती

3022. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल:**
डा. परशुराम गंगवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा के कुछ विशेष अनुभाग/कोर में महिला अधिकारियों/महिलाओं की भर्ती करने हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत 13 अगस्त, 1994 तक कितने महिला अधिकारियों की भर्ती की गई;

(घ) तत्संबंधी विभाग-वार, कोर-वार और कमांड-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में उक्त योजना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ). सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की अयोधी शाखाओं में महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती सेना, नौसेना और वायु सेना की निम्नलिखित शाखाओं में की जाती है:-

सेना:	आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, ई एम ई, सेना शिक्षा कोर, आसूचना और जज एडवोकेट जनरल शाखा।
नौसेना :	शिक्षा संभारिकी, विधि, हवाई यातायात नियंत्रण।
वायु सेना:	उड्डान, वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी), वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक), प्रशासन, संभारिकी, लेखा, शिक्षा, मौसम विज्ञान।

2. महिलाओं की भर्ती अफसर संवर्ग तक ही सीमित रखी गई है जोकि अल्पकालिक सेवा कमीशन के आधार पर प्रारंभत: 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है किन्तु वायुसेना की तकनीकि शाखा में यह भर्ती केवल तीन वर्ष के लिए की जाती है।

3. सेना, नौसेना तथा वायुसेना की उपर्युक्त शाखाओं में 13 अगस्त, 1994 तक भर्ती की गई महिला अफसरों की संख्या क्रमश: 75, 49 तथा 95 है। इस योजना की कार्य-प्रणाली की समीक्षा की जाएगी तथा इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इस योजना को जारी रखे जाने या अन्यथा बंद किये जाने का निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

जन्म दर कम करने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी मिशन

3023. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में जन्म दर कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से एक विशेष प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की प्रगति पर निगरानी रखने और कार्यार्य हस्तक्षेप करने हेतु विशिष्ट क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(ग) मिशन की अनुमानित लागत क्या है और इस समय उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेला): (क) से (घ). बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश चार राज्यों के लिए प्रस्तावित परिवार कल्याण संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को बजट संबंधी संसाधनों की कठिनाई के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका। तथापि, प्रौद्योगिकी मिशन दस्तावेज में उल्लिखित उपायों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जरिए कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

रक्षा विभाग की भूमि का हस्तांतरण

3024. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में रेलवे लाइन के पूर्वी हिस्से में स्थित रक्षा विभाग की भूमि के हस्तांतरण हेतु रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कांडीवली रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 0.0691 एकड़ और 0.7461 एकड़ माप के दो रक्षा भूखण्ड दिए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को सिद्धांत रूप में मान लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित ओवरब्रिज के उत्तर में स्थित 1.5 एकड़ तथा रेलवे लाइन के पूर्व में स्थित 2.33 एकड़ के दो और भूखंडों के लिए राज्य सरकार के दूसरे अनुरोध पर भी सहमति हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा रक्षा भू-नीति के अनुसार सभी चारों भूखंडों को बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान कर दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

तम्बाकू से संबंधित बीमारियां

3025. श्री दत्ता मेघे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तम्बाकू से संबंधित बीमारियों पर किये गये व्यय की निगरानी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक प्रारम्भिक अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1990 में निदान किए गए तम्बाकू से संबंद्ध रोगों के रोगियों के उपचार पर 28.3 बिलियन रुपये खर्च किए गए। यह व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा रोगी उपचार के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधा सृजित करने पर किए गए व्यय के अतिरिक्त है।

[अनुवाद]

टी.बी. के मामले

3026. डा. कृपासिंधु भोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में क्षयरोग के उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षयरोग का किस वर्ष तक उन्मूलन हो जायेगा;

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने कोई परियोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, सरकार का 2000 ईस्वी तक क्षय रोग पर नियंत्रण पाने तथा इससे होने वाली मौतों को कम करके एक लाख आबादी के पीछे 10 तक करने का विचार है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति तैयार कर ली गई है तथा चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही है ताकि इलाज किए गए रोगियों में 85 प्रतिशत से अधिक को रोग मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

जम्मू क्षेत्र

3027. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समूचे जम्मू क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग). इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार सुरक्षा स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है और जम्मू क्षेत्र सहित राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

तेल कंपनियां

3028. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा कुछ वितरकों को बिना तापमान के संदर्भ के पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा आपत्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग को उ.प्र. के पेट्रोलियम व्यापारियों की एसोसियेसन से इन कंपनियों के विरूद्ध टैंकों के लदान के समय का तापमान बीजक में न अंकित करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों में ऐसे अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इन कंपनियों के विरूद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) से (घ). जी, हाँ। इंडियन आयल कारपोरेशन लि. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. तथा इंडो बर्मा पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. के विरूद्ध तापमान के संदर्भ के बिना वाल्यूम के आधार पर मोटर स्पिरिट उच्च गति वाले डीजल (एच एस डी) तथा हलकी डीजल आयल (एल डी ओ) की कम मात्रा में सप्लाई करने पर अनुचित व्यापार प्रथा जांचे जारी की गई हैं।

(ङ) अनुचित व्यापार प्रथा जांच संख्या 10/93 में सम्माननीय आयोग ने दिनांक 31.5.93 के अपने आदेश के द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को

चालानों के संबंद्ध कालमों में, जिस तापमान पर टैंकर में हलका डीजल आयल (एल डी ओ) भरा जाता है, तापमान दर्शाने के निर्देश देने का एक व्यादेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के पैट्रोलियम डीलरों के एसोसिएशन से उक्त 4 कम्पनियों के विरूद्ध शिकायत पर अनुचित व्यापार प्रथा जांच संख्या 75/92 में आयोग के समक्ष जांच चल रही है।

चूंकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, अत: उक्त मामले आयोग के समक्ष न्यायाधीन हैं।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

3029. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पुर्नवास नीति को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख). भारत सरकार के पास विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का एक प्रस्ताव है। यह नीति केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके तैयार की जा रही है।

(ग) इस नीति के कार्यान्वित किये जाने के बारे में कोई सही समय सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

क्लोरोक्वीन की प्रतिरोध क्षमता

3030. श्री दाऊ दयाल जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास मोडीयम फलसिप्रम के कारण होने वाले मलेरिया पर क्लोरोक्वीन दवाई बेअसर हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य और क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह दवाई बेअसर हो गई है;

(ग) इन राज्यों में पाये गये ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) प्लास मोडीयम फलसिप्रम के लिए वैकल्पिक दवाई विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के 106 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से पी फाल्सीपेरम (पी. एफ.) पर क्लोरोक्वीन दवाई के बेअसर होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) इन राज्यों से ऐसे 409 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पी फाल्सीपेरम रोगियों पर क्लोरोक्वीन दवा के बेअसर हो जाने पर सल्फाडॉक्सीन तथा पाइरेमिथामिन सम्मिश्रित औषधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश में अनुसंधान संस्थानों द्वारा आर्टिमिसनिन वर्ग की नयी औषधियों के साथ नैदानिक परीक्षण किये गये हैं।

पेय जल मिशन

3013. श्री एस. एम. लालजान बाशा: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेय जल मिशन द्वारा शुरू किए गए सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) आई.ई.सी. कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) 1995-96 के दौरान 12 राज्यों के 65 जिलों को कवर करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार कार्यक्रम की मुख्य बातें अंतर-वैयक्तिक संचार, परंपरागत मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संबंधित गतिविधियों की मार्फत ग्रामीण स्वच्छता और जल आपूर्ति क्षेत्र के प्रति जागरूकता का सृजन करना है। कार्यक्रम का विस्तार चरण बद्ध तरीके से समूचे देश में किया जाएगा।

(ख) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों के 10% के अलावा सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम के लिए 14 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

(ग) सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के बारे में सामुदायिक स्तर पर एक स्थायी व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता का सृजन करने हेतु समाज के सभी वर्गों को शामिल करना है।

क्षयरोग निरोधी औषधियां

3032. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग निरोधी औषधियों हेतु वर्षवार कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार वस्तुत: कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) राज्यों द्वारा किए गए व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार उन राज्यों को उक्त प्रयोजनार्थ ये औषधियां किस प्रकार प्रदान करती है जो योजना से निर्धारित लक्ष्यों का 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों को क्षयरोगरोधी औषधों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में किया गया कुल आबंटन तथा राज्यों द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार से है:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)	किया गया व्यय
1992-93	26.50	24.50
1993-94	32.50	12.58
1994-95	45.00	30.30

(ग) केन्द्रीय सहायता से क्षयरोग रोधी औषधों पर किया गया राज्यवार व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सरकार ये औषधियां राज्यों को उपचार किये गये रोगियों, इस्तेमाल की गयी औसत मात्रा वर्तमान स्टाक और जिलों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर प्रदान करती है।

मांगकर्ता द्वारा उपयोग को उचित ठहराये जाने पर कार्यक्रम के हित में मेडिकल स्टोर डिपुओं में शेष बचे हुए कुल स्टाक में से अतिरिक्त आपूर्तियां की जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता में से क्षय रोग रोधी औषधियों पर हुआ कुल व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधियों पर व्यय		
		1994-95	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	123.28	62.03	265.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	34.39	7.36	6.41
3.	असम	76.70	47.18	35.53
4.	बिहार	66.11	9.66	194.98
5.	गोआ	12.24	1.18	10.13
6.	गुजरात	143.13	77.01	154.62

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधियों पर व्यय		
		1994-95	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	61.83	22.58	41.89
8.	हिमाचल प्रदेश	21.74	8.27	59.80
9.	जम्मू और कश्मीर	56.57	7.38	41.22
10.	कर्नाटक	165.02	48.82	76.61
11.	केरल	79.88	35.75	72.55
12.	मध्य प्रदेश	51.15	118.44	181.95
13.	महाराष्ट्र	371.52	168.97	604.19
14.	मणिपुर	9.46	4.52	9.05
15.	मेघालय	6.61	7.46	4.57
16.	मिजोरम	5.13	0.61	2.05
17.	नागालैण्ड	4.22	2.08	7.70
18.	उड़ीसा	82.84	32.05	83.14
19.	पंजाब	55.55	27.85	60.88
20.	राजस्थान	76.00	60.54	154.90
21.	सिक्किम	0.51	0.74	5.70
22.	तमिलनाडु	129.49	64.54	128.23
23.	त्रिपुरा	7.04	6.04	8.89
24.	उत्तर प्रदेश	493.69	216.30	374.61
25.	पश्चिम बंगाल	216.48	111.15	378.61

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधियों पर व्यय		
		1994-95	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
26.	पांडिचेरी	1.70	3.84	6.49
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.82	1.62	7.88
28.	चंडीगढ़	2.88	1.89	2.08
29.	दादरा व नागर हवेली	0.77	1.13	2.68
30.	दिल्ली	89.31	100.61	42.38
31.	लक्षद्वीप	0.07	0.58	0.46
32.	दमन व दीव	0.53	0.01	4.88
	योग	2450.66	1258.19	3030.35

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जासूसी कांड

3033. श्री राम कापसे:
श्री वी. एस. विजयराघवन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जासूसी कांड की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय जांच किस चरण में है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग). इसरो जासूसी कांड के संबंध में जांच अभी भी जारी है और इसे यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रक्षा संबंधी मदों की बिक्री

3034. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय आयुध कारखानों के हथियारों को और रक्षा बलों के अन्य उपकरणों को बेचने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम पहले से ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

(ख) रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई कार्रवाई में प्रक्रियात्मक उदारीकरण, विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों का अधिक योगदान,

व्यक्तियों के लिए योजनाएं हैं जहां तक विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध हैं, इसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सुपरिचित और सुस्थापित सूत्र के अनुसार आवंटित किया जाता है। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है, इनका विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों, पहले के अनुदानों के उपयोग, समान शेयर के लिए राज्यों के बजटों में प्रावधान आदि के अनुसार आवंटन किया जाता है। जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय विकास निगमों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अन्य प्राधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और दूसरी पिछड़ी जातियों को राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से विभिन्न राज्य/निगमों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए ऋण अग्रिम पर दिए जाते हैं। यही स्थिति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और राष्ट्रीय अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए दिए गए फण्डों की है। अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की एक योजना है, जिसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहां तक विकलांग व्यक्तियों के कारण का सम्बन्ध है, ये योजनाएं कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और अनुदान प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान किया जाता हैं और बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा मुहैया कराने के लिए किया जाता है। जहां तक समाज रक्षा योजनाओं का सम्बन्ध है, ये सभी योजनाएं केन्द्र प्रायोजित किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण तथा नियंत्रण की योजना और भिक्षावृत्ति की योजना को छोड़कर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त मांग के अनुसार और उनके द्वारा अपने हिस्से के संबंध में बजट प्रावधानों तथा पहले ही निर्मुक्त किए गए अनुदानों के उपयोग को भी ध्यान में रखे हुए अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-1995 के दौरान मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	4	5	6
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	53 81	474.76	725.23
2.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	207.92	168.63	121.76
3.	पुस्तक बैंक	24.37	36.90	42.14
4.	लड़कों के होस्टल	101.84	–	130.65
5.	लड़कियों के होस्टल	134.52	0.64	–
6.	कोचिंग तथा संबद्ध	3.00	3.00	–
7.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	24.00	57.65	51.88
8.	विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	1839.09	2803.81	2097.50
9.	सफाई कर्मचारियों को मुक्ति	1336.00	1226.00	1589.00
10.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	101.10	16.75	204.52
11.	योग्यता का उन्नयन	–	–	20.95

सेनाध्यक्षों सहित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करना, रक्षा प्रदर्शनियों में सहभागिता, प्रचार के लिए उपाय करना तथा विपणन कौशल एवं संरचनात्मक व्यस्तता का लाभ उठाना शामिल है।

भारत में उत्पादन क्षमताओं को देखते हुए निर्यात की पर्याप्त संभावना है परन्तु निर्यात के लिए प्रतिस्पर्द्धा होने तथा अधिकतर देशों में मांग घटते रहने और लाइसेंस करारों के लिए संविदात्मक प्रतिबंधों जैसी समस्याओं के कारण थोड़े निर्यात पर ही संतोष करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

मारूति उद्योग लिमिटेड

3035. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
प्रो. के वी. थामस:
प्रो. पी. जे. कुरियन:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री हरिकिशोर सिंह:
श्री गुरुदास कामत:
श्री वी. एस. विजयराघवन:
कुमारी सुशीला तिरिया:
श्री धर्मभिक्षम:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड में सुजुकी मोटर्स कंपनी की इक्विटी सम्पत्ति 31 मार्च, 1995 तक कितनी थी;

(ख) मारूति उद्योग लिमिटेड ने सुजुकी मोटर्स को 31.3.95 तक कितनी रायल्टी का भुगतान किया;

(ग) क्या सरकार ने सरकार को प्राप्त लाभांश की धनराशि की तुलना में मारुति उद्योग लिमिटेड को उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर में राहत, इस्पात पर रिआयती शुल्क तथा पूंजीगत माल पर शून्य शुल्क के रूप में दी गई रिआयतों की कुल धनराशि का परिकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सुजुकी मोटर्स को दी गई रायल्टी तथा कार के कंपोनेंट्स (घटकों) के आयात के रूप में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की धनराशि की तुलना में मारुति वाहनों के निर्यात में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि आनुपातिक रूप से बहुत कम रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विस्तार-सह-आधुनिकीकरण योजना तथा तीसरे संयंत्र की शीघ्र ही संभावित स्थापना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) यथा 31.3.95 को, मारुति उद्योग लिमिटेड की 132.29 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी की 50% धारिता सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पास है।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा सुजुकी मोटर कारपोरेशन को दिनांक 31.3.95 तक (आयकर के पश्चात निवल) भुगतान की गई रायल्टी की कुल धनराशि 87.69 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) और (च). वर्ष 1993-94 के अंत तक सरकार को भुगतान किए गए लाभांश की धनराशि 30.6 करोड़ रुपये तथा सुजुकी मोटर कारपोरेशन को 22.9 करोड़ रुपये (कर पश्चात् निवल) थी। रायल्टी के रूप में विदेशी मुद्रा निर्गमन की धनराशि 87.69 करोड़ रुपये है तथा कलपुर्जों का आयात 2479.1 करोड़ रुपये का है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1080.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

(छ) उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष 1,00,000 ईकाई की वृद्धि करने तथा लगभग 1910 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मौजूदा उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव मारूति उद्योग लिमिटेड के विचाराधीन है।

बकाया राशि का भुगतान

3036. **श्री मोहन रावले:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय पर भारत पर्यटन विकास निगम की कुछ धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि कब से बकाया है;

(घ) बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) यहां आए दो प्रतिनिधि मंडलों पर हुए व्यय के बिल लंबित हैं। इनकी कुल राशि 3,24,018/- रुपए है।

(ग) फरवरी/मार्च, 1995 से।

(घ) एक प्रतिनिधि मंडल पर हुए व्यय के संबंध में मंजूरी तभी जारी की जाती है जब उस विशेष प्रतिनिधि मंडल के दौरे से संबंधित सभी बिल प्राप्त हो जाते हैं। अन्य स्थानों से बिल प्राप्त नहीं होने की वजह से इनका भुगतान रुका हुआ है।

(ङ) अब ये सभी बिल प्राप्त हो चुके हैं इसलिए उनका भुगतान शीघ्र किए जाने की संभावना है।

मलेरिया नियंत्रण

3037. श्री दाऊ दयाल जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मलेरिया के उपचार के लिए उपलब्ध उन दो पथ्यापथ्य नियमों की जानकारी है जिनमें से एक वि.स्वा. सं. के अनुसार और दूसरा एन.एम.ई.पी. के अन्तर्गत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेरिया के उपचार हेतु समान पथ्यापथ्य नियम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) यह खुराक और अवधि के आधार पर भिन्न-भिन्न है।

(ग) औषध रेजिमेन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और इसके बारे में विशेषज्ञों द्वारा जनसंख्या की सेमि-रोग प्रतिरक्षण स्थिति, औषध प्रतिरोध शक्ति, विषाक्तता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

भूस्वामियों को मुआवैजा

3038. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या **प्रधान मंत्री** 24 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुआवजे फर्जी लोगों को दिए गए थे, न कि वास्तविक भू-स्वामियों को;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्हें मुआवजे दिए गए और प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रटेका स्टेशन के अधिकारियों ने अधिगृहीत भूमि के साथ-साथ अनधिकृत रूप से अन्य भूमि पर भी कब्जा कर रखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस स्टेशन को अन्यत्र ले जाने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भूमि अर्जन अधिकारी के मुआवजे का भुगतान भू-स्वामियों को न करके किन्हीं अन्य व्यक्तियों को किया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्व प्राधिकारियों से अनधिकृत क़ब्जे के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) रतूड़ा गाँव में स्थित टुकड़ी को कहीं और ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अर्द्ध न्यायिक निकाय

3039. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बड़ी परियोजनाओं संबंधी विवादों के शीघ्र निवारण के लिए कोई अर्द्ध न्यायिक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके कारण परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है, और समय भी अधिक लगता है;

(ख) यदि हां, तो इस वैकल्पिक विवाद निवारण निकाय के कार्य क्या होंगे, तथा इसकी संभावित सदस्यता रचना क्या होगी;

(ग) क्या किसी बड़ी परियोजना पर होने वाले निवेश के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध-सरकार के विचाराधीन हैं। अभी कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

लिंग परिवर्तन

3040. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन अस्पतालों में लिंग परिवर्तन किया जाता है अर्थात स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ऐसे आप्रेशनों सहित इस अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के लिंग परिवर्तन संबंधी आप्रेशनों के संबंध में कोई कानून बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख). ऐसी कोई सूचना सरकार द्वारा संकलित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिनियर एक्सलेटर

3041. **श्री तारा सिंह:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
डा. लाल बहादुर रावल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लिनियर एक्सलेटर स्थापित करने हेतु कोई तदर्थ क्रय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद और गठन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति का गठन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है और यदि हां, तो किन उपबंधों के अंतर्गत किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस तदर्थ समिति के गठन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम 1958 की अनुसूची 1 के क्रम संख्या 3 के अनुसार संस्थान के निदेशक को उपस्करों सहित भंडारों की खरीद करने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। तदनुसार निदेशक द्वारा समिति का गठन किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समिति का गठन और विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:

विचारार्थ विषय:

(1) निविदा हेतु अनिवार्य विनिर्देश की रूप रेखा तैयार करना।
(2) निविदाएं प्राप्त होने के उपरांत उनकी समीक्षा करना।
(3) उपस्करों की खरीद के लिए चयन करते हुए उनकी संस्तुति करना।

समिति का गठन

(1) प्रो. पी. के. दवे : अध्यक्ष
एम. एस., अ. भा. आ. सं.

(2) डा. वी. कोचपिल्लै मुख्य, आई.आर. सी. एच अ. भा. आ. सं.	उपाध्यक्ष
(3) डा. एस. सी. शर्मा अपर प्रोफेसर रेडियोथिरेपी पी. जी. आई. एम. ई. आर. चंडीगढ़	सदस्य
(4) संयुक्त सचिव (एफ. ए.) (श्रीमती ए. पी. आहलूवालिया), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
(5) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अथवा उनके नामिती (डा. एस. पी. कोहली)	सदस्य
(6) श्री मंगत सिंह वित्तीय सलाहकार, अ. भा. आ. सं.	सदस्य
(7) श्री एस. के. अग्रवाल भंडार अधिकारी अ. भा. आ. सं.	सदस्य
(8) डा. जी. के रथ प्रो. एवं अध्यक्ष, रेडियोथिरेपी विभाग अ. भा. आ. सं.	सदस्य

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के स्थानांतरण

3042. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों के अपने मूल राज्यों में स्थानांतरण के अनुरोध/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिन्हें अन्य राज्यों में तैनात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने अनुरोध स्वीकृत किए गए;

(ग) ऐसे स्थानांतरण संबंधी अनुरोधों को स्वीकृत करने के क्या मानदंड

(घ) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण के विषय में किन्ही परिवर्तनों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ङ). अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से अपने गृह राज्यों में स्थानान्तरण के अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं । गृह राज्य में अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण अनुमत्य नहीं है, परन्तु इनका अनुमोदन अत्यन्त अपवादात्मक स्थितिओं में ही किया जाता है । वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केवल दो अधिकारियों के मामले में गृह राज्य में अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण की अनुमति

दी गई । अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित नीति तथा सेवा शर्तों की लगातार समीक्षा होती रहती है तथा जब-तब जरूरत महसूस होती है, आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाएं

3043. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश हेतु मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता

	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (शहरी क्षेत्रों सहित)	1992-93	1993-94	(लाख रुपये में) 1994-95
1.	मलेरिया उन्मूलन	606.13	969.46	804.89
2.	कुष्ठ उन्मूलन	364.88	267.13	354.78
3.	क्षयरोग नियंत्रण	374.00	450.00	560.00
4.	दृष्टिहीनता नियंत्रण	165.55	182.16	303.11
5.	एड्स नियंत्रण	139.35	156.34	121.00
	परिवार कल्याण कार्यक्रम			
6.	सहायक निर्स मिडवाइफों/महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	115.10	115.00	109.93
7.	दाइयों का प्रशिक्षण	-	-	33.60
8.	बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (पुरुष) का प्रशिक्षण	5.00	3.00	3.00
9.	सहायक नर्स मिडवाइफों/महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का आई. यू. डी. निवेशन में प्रशिक्षण		8.85	8.85
10.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2055.64	2619.44	2190.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (शहरी क्षेत्रों सहित)		1992-93	1993-94	(लाख रुपये में) 1994-95
11.	उप केन्द्र	4835.00	4840.00	4824.00
12.	ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना	540.67	540.67	432.97
13.	प्रसवोत्तर कार्यक्रम उपमंडल	540.67	433.00	432.97
14.	क्षेत्रीय परियोजना	300.00	1405.00	2573.97
15.	सामाजिक सुरक्षा नेट	1600.00	1000.00	1600.00
16.	उत्तर प्रदेश यू. एस. एड सहायता प्राप्त परियोजना	100.00	500.00	1295.00

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956

3044. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत इसके स्वायतशासी दर्जे में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान निकाय में किसी व्यक्ति के सदस्यता प्रदान करने के उद्देश्य से इसके दर्जे में कमी की गई है और उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संस्थान की स्वायत्तता बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट

3045. श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री वी. पी. सुन्दरसेन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का, मिनी मिशनों और उप-मिशनों के विशेष संदर्भ में, मूल्यांकन करने के लिए श्री वी. सुरेन्देशन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था । इसी समिति को ग्रामीण जल सप्लाई की स्थिति के सर्वेक्षण में पता लगाई गई कवर न की गई बस्तियों की पुष्टि करने का काम सौंपा गया था । 1.4.1994 के अनुसार पुष्टिकृत सर्वेक्षण परिणामों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

कवर न की गई बस्तियों की संख्या	1,40,975
आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों की संख्या	4,30,377
पूर्ण रूप से कवर की गई बस्तियों की संख्या	7,47,347
बस्तियों की कुल संख्या	13,18,699

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखना

3046. डा. साक्षीजी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखने वाले माता-पिता को विभिन्न रियायतें और आरक्षण प्रदान करने संबंधी कोई योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). योजना आयोग ने सूचित किया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र की वार्षिक योजना 1994-95 पर हुए विचार-विमर्श के दौरान परिवार नियोजन उपायों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की एक योजना पर चर्चा की गई । इस योजना के लिए ब्यौरेवार प्रस्ताव की अनुपलब्धता के कारण सहमति नहीं दी गई ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अत्यधिक गरीबी

3047. श्री शिवाजी पटनायक : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने उड़ीसा के अत्यधिक गरीबी वाले जिलों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में भूमि सुधार, सिंचाई, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, रोजगार, स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा संबंधी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है और इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष धनराशि का आवंटन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय दल ने पाया कि क्षेत्र में विकट, निम्न स्तर की ओर अमानवीय गरीबी की समस्या का एक लघु आवधिक समाधान था ।

(ग) जिलों अर्थात कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, मलकानगिरि, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बोलनगीर तथा सोनपुर की एक दीर्घ आवधिक कार्य योजना वहां रहने वाले लोगों को रोजगार एवं अन्य कल्याण उपाय मुहैया कराने के लिए बनायी गयी है । दीर्घ आवधिक कार्य योजना में सभी क्षेत्र तथा सभी संभव आय सृजन गतिविधियां और स्वास्थ्य, साक्षरता एवं शिक्षा जैसे समाज सेवा के वर्ग शामिल हैं ।

(घ) और (ङ). जी हां । 1995-96 से सात वर्षों की अवधि के लिए 4557.03 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक दीर्घ आवधिक कार्य योजना तैयार की गयी है जो निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगी-एकीकृत वाटरशैड विकास में मृदा, जल एवं वन संरक्षण, परंपरागत लघु सिंचाई प्रणालियों को पुन: बहाल करके उनको मजबूत बनाना एवं कमजोर वर्गों के लिए नयी समुदाय/सिंचाई क्षमता का सृजन करना, संचार (सड़कें), ग्रामीण आवास, प्राथमिक स्कूल भवन, ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र भवन, आंगनवाड़ी, आदिवासी छात्रों के लिए किफायती छात्रावास, आदिवासी बच्चों के लिए कन्याश्रम, सेवाश्रम आदि, दुबारा उपयोग लायक ग्रामीण ऊर्जा, भोजन एवं पोषण, स्वस्थ पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन एवं हथकरघा, कल्याण, दुग्धशाला एवं पशुपालन, मत्स्यपालन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि एवं मृदा संरक्षण ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

3048. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मस्तगुला क्रासेज इन टू पाकिस्तान", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कश्मीर में चरार-ए-शरीफ को नष्ट करने वाले मुख्य अभियुक्त आतंकवादी मस्तगुल एवं उसके 100 सहयोगियों के नियन्त्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान चले जाने संबंधी घटना की सत्यता का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मस्तगुल एवं सहयोगियों को नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मस्तगुल अपने कुछ साथियों के साथ, जुलाई, 1995 के दूसरे सप्ताह में किसी समय, नियंत्रण रेखा को चुपचाप पार करके पाकिस्तान जाने में कामयाब हो गया । समय-समय पर एकत्र की गयी सूचना के आधार पर ली गई तलाशियों/मारे गए छापों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसे पकड़ने के प्रयास किए गए लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका ।

[अनुवाद]

कम्पेन्सेटर सेटों की खरीद

3049. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास फ्रेंच फर्म से स्टैटिक कम्पेन्सेटर के चार सेटों और मैसर्स बी. एच. ई. एल. से दो सेटों की खरीद के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या विद्युत विभाग ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को भारत-फ्रांस प्रोटोकॉल के अन्तर्गत फ्रांस से आयातित उपकरणों संबंधी प्रस्ताव को शामिल करने और साथ ही बी. एच. ई. एल. की सप्लाई के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा के बारे में पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में अपेक्षित स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने एक फ्रैंच फर्म से चार सैट स्टेटिक वार कम्पैंसेटर की खरीद के लिए प्रस्ताव किया था जिसके लिए 22 दिसम्बर, 1992 को भारत-फ्रांस के बीच हस्ताक्षर किए गए । प्रोटोकॉल के अन्तर्गत एस. एफ. 96 मिलियन की राशि मंजूर की गई थी । जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा फ्रैंच फर्म को आदेश दिया गया था, तो फ्रैंच फर्म ने यह कहते हुए आदेश को लेने से इन्कार कर दिया कि उसने अपनी विनिर्माण सुविधाओं को पुनर्गठित कर लिया है और उपकरण के उस हिस्से का विनिर्माण ब्रिटेन में किया जा रहा है जिसके लिए फ्रांस की सहायता से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा ।

भेल के लिए शेष दो स्टेटिक वार कम्पैंसेटर हेतु नि:शुल्क विदेशी विनिमय की निर्मुक्ति को आरम्भ किया गया है, परन्तु इसी बीच भेल ने अपने दिनांक 31.5.93 के पत्र में कहा है कि उनके लिए विदेशी विनिमय जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मीट फूड प्रोडक्ट्स

3050. **श्री शरत पटनायक** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े औद्योगिक घरानों को अपना गुणवत्ता नियंत्रण कोष्ठ खोलने में सक्षम बनाने हेतु मीड फूट प्रोडक्टस के उदारीकरन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मरुस्थल विकास प्राधिकरण

3051. **श्री शरत पटनायक** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मरुस्थलीकरण की समस्या का निदान करने हेतु मरुस्थल विकास प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय देश में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम नामक एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है । अब कार्यक्रम 1977-78 से चल रहा है । समस्या की गंभीरता को देखते हुए अब और अधिक क्षेत्रों को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम की कवरेज का विस्तार किया गया है । परियोजना क्षेत्रों में लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रम को वाटरशेड/इंडैक्स बैचमेंट/गांवों के समूह के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम के तत्वों में संशोधन किया गया है । कार्यक्रम के वार्षिक आबंटन में भी काफी वृद्धि की गई है । मरुभूमि विकास कार्यक्रम और दूसरे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मरुभूमि विकास कार्यक्रम जिलों में जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के रूप में प्राप्त संस्थागत प्रबंध पहले ही काफी प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे हैं । इन प्रबंधों से यह समझा गया है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्यों के राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर के मरुस्थल विकास प्राधिकरण की बजाए लोगों के सहयोग से स्थानीय संस्थाओं द्वारा और अच्छी तरह से देखभाल की जा सकेगी ।

प्रौद्योगिकी पार्क

3052. श्री के. मुरलीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को प्रथम इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी पार्क का विशेष लाभ मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एण्ड एलायड टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा ऊर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी पार्क अपनी तरह का एक ही पार्क है तथा इसकी स्थापना केरल सरकार द्वारा की गई है ।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भारत सरकार ने भी सॉफ्टवेयर निर्यातकर्ताओं को मूल सरंचनात्मक सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए तिरुवन्तपुरम में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की ।

(ख) और (ग). भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। इस प्रस्तावित संस्थान के स्थापना-स्थल के विषय में निर्णय नहीं किया गया है ।

सुंदरगढ़ में केन्द्रीय अस्पताल

3053. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों सहित उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के विभिन्न भागों में 88 स्वास्थ्य संस्थाएं (81 राज्य सरकारों, 5 कर्मचारी राज्य बीमा और 2 सार्वजनिक क्षेत्रों की) स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कर रही हैं । ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	51
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	10
3.	अस्पताल	11
4.	उप जिला अस्पताल	2

5.	औषधालय	4
6.	चिकित्सीय सहायता केन्द्र	2
7.	चल स्वास्थ्य एकक	1
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	5
9.	सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल	2

दिल्लीवासियों की शिकायतें

3054. श्री उदय सिंहराव गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ सार्वजनिक नोटिस जारी किये हैं जिनमें दिल्ली के लोगों से कहा गया है कि यदि उन्हें डी. डी. ए., डेसू, एम. टी. एन. एल., परिवहन निदेशालय, पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद आदि कतिपय कार्यालयों से अपनी शिकायतों के अभ्यावेदनों के उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होते हैं तो वे उनके निरुद्ध अपनी शिकायतें सीधे मंत्रालय को भेज दें;

(ख) यदि हां, तो इस नोटिस का ब्यौरा क्या है और दिल्लीवासियों को क्या औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने दिल्लीवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ). कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के संबंध में नीति विषयक विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने तथा लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित मसलों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है । इन अनुदेशों के अनुसरण में, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन ने एक अधिकारी को शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया है जिस पर उनसे संबंधित विशिष्ट शिकायतों के निवारण संबंधी कार्य को देखने की जिम्मेदारी है । यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भी जारी करता है । लेकिन, उनके कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का निवारण उनके द्वारा ही किया जाना होता है । पेंशन संबंधी मामलों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है । तथापि, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय द्वारा समाचार-पत्रों में जन-सूचनाएं प्रकाशित करवाई जाती हैं और जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित विभागों से संबंधित अपनी शिकायतों के बारे में उन्हें लिखें अथवा किसी भी कार्यदिवस को 10.00 बजे से 1.00 बजे की बीच व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलें :-

- सरकारी क्षेत्र के बैंक
- जीवन बीमा निगम
- सामान्य बीमा निगम
  - ओरियन्टल बीमा कम्पनी
  - नैशनल बीमा कम्पनी
  - यूनाइटेड बीमा कम्पनी
  - न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, सहित
- डाक घर
- दूरभाष तथा तार कार्यालय
- रेलवे
- नागर विमानन विभाग

- एयर इंडिया

- इंडियन एयर लाइन्स/वायुदूत, सहित

- शहरी विकास मंत्रालय

- दिल्ली विकास प्राधिकरण

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

- सम्पदा निदेशालय

- भूमि तथा विकास कार्यालय, सहित

- भूतल परिवहन मंत्रालय

- दिल्ली परिवहन निगम

- महानिदेशक, नौवहन

- पोर्ट ट्रस्ट, सहित

ये सूचनाएं जन हित के लिये देश के सभी भागों से जारी की जाती हैं जिनमें निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य मामलों से संबंधित लोक शिकायतें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. नीति संबंधी मामले

2. सेवा संबंधी मामले (ग्रेच्यूटी, सामान्य भविष्य निधि आदि जैसे टर्मिनल लाभों को छोड़कर)

3. वाणिज्यिक संविदाएं

4. ऐसे मामले जो न्यायालयों, उपभोक्ता फोरा, एम. आर. टी. पी. सी. आदि में न्यायिक निर्णय के लिये विचाराधीन हैं ।

5. रेलवे दावे संबंधी मामले ।

2. उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतों की देख-रेख प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की जाती है ।

3. शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिये इस मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । किसी भी शिकायत याचिका के प्राप्त होने पर, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर याचिका-दाता को जवाब भेजा जाना होता है । यदि शिकायत के पर्याप्त निवारण में अधिक समय लगता हो तो याचिका-दाता को एक उपयुक्त सूचना भेजनी पड़ती है जिसमें, यथासंभव, इसमें लगने वाले संभावित समय का संकेत देना पड़ता है । यदि याचिका-दाता को इन कार्यालयों से उचित अवधि के भीतर बोर्ड जवाब नहीं मिलता तो वह इस मंत्रालय को लिखने के लिये स्वतंत्र है ।

"परमाणु संयंत्र"

3055. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का विचार अपने भावी परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य सरकारों और गैर सरकारी क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में परमाणु विद्युत कार्यक्रम के तीव्र गति से विस्तार के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन. पी. सी. आई. एल.) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत सितम्बर, 1987 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य से की गई थी कि परमाणु विद्युत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निधि के अलावा अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सके । न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तभी से बॉड जारी करके पूंजीगत बाजार से धन एकत्रित कर रहा है । तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तावित कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना में इक्विटी भागीदारी के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है । इस तरह की भागीदारी का अन्य राज्य सरकारों से भी स्वागत है ।

(ग) विभाग द्वारा परमाणु विद्युत के बारे में तैयार की गई रूपरेखा के अन्तर्गत स्थापित परमाणु बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए 220 मेगावाट और 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई परमाणु बिजलीघर लगाने की परिकल्पना की गई है । तथापि, इन परियोजनाओं का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन धन की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है । रूस की सहायता के कुडानकुलम में 2X1000 मेगावाट का बिजलीघर स्थापित किए जाने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है ।

पोलियो नियंत्रण

3056. श्री के. प्रधानी :
श्री दिलीपभाई संघाणी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कतिपय राज्यों के पोलियों मुक्त राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) पोलियों के संबंध में अन्य राज्यों में विद्यमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पोलियो उन्मूलन हेतु "यूनीसेफ" से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) संपूर्ण देश को सन् 2000 ई. तक पोलियों से मुक्त करने का प्रस्ताव है ।

(ख) पल्सपोलियों प्रतिरक्षण अभियान इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है । 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुखाय पोलियो वैक्सीन की दो खुराकें 9 दिसम्बर, 1995 तथा 20 जनवरी, 1996 को दी जायेंगी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जिसमें पोलियो मेरुरज्जुशोथ शामिल है, के लिए 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान यूनिसेफ से प्राप्त हुई सहायता क्रमश : 26.44 करोड़ रुपये, 35.34 करोड़ रुपये तथा 65.67 करोड़ रुपये हैं ।

विवरण

1981, 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान पोलियो मेरूरज्जुशोथ के सूचित किये गये रोगी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किये गये पोलियो रोगियों की संख्या			
1.	आंध्र प्रदेश	1873	726	1083	1435
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	9	1	0
3.	असम	25	41	2	18
4.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गोआ	17	5	22	2
6.	गुजरात	176	354	254	443
7.	हरियाणा	334	66	373	61
8.	हिमाचल प्रदेश	187	6	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	14	1397	94
10.	कर्नाटक	1275	163	265	167
11.	केरल	1729	22	63	71

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			सूचित किये गये पोलियो रोगियों की संख्या	
12.	मध्य प्रदेश	2286	2611	304	452
13.	महाराष्ट्र	2035	96	725	112
14.	मणिपुर	4375	0	0	0
15.	मेघालय	0	9	4	7
16.	मिजोरम	24	0	0	0
17.	नागालैंड	340	36	254	10
18.	उड़ीसा	1501	341	376	197
19.	पंजाब	2294	61	112	44
20.	राजस्थान	3967	973	1006	1120
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	6357	776	539	231
23.	त्रिपुरा	30	1	14	8
24.	उत्तर प्रदेश	3106	347	419	926
25.	पश्चिम बंगाल	2488	1045	312	1092
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	9	0	0	1
27.	चंडीगढ़	64	8	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	दादरा व नगर हवेली	4	1	2	0
29.	दमण व दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	3087	959	1912	1085
31.	लक्षद्वीप	14	0	0	0
32.	पांडिचेरी	491	0	1	0
	कुल	38090	3670	9440	7576

स्रोत : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचा ब्यूरो ।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की गोपनीयता

3057. श्री आनन्द अहिरवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में "ए. सी. आर., नीड नाट बी सिक्रेट, से एस. सी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्तशासी निकायों में भी अब तक परिचालित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक परिचालित/लागू कर दिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हाँ । "ए. सी. आर. नीड नाट बी. सिक्रेट, एस. सी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार ओ. ए. संख्या 656/93 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर द्वारा दिए गये आदेश के संदर्भ में हैं । तथापि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर न्यायपीठ ने ए. सी. आर. की गोपनीयता रखने या न रखने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

बंजर भूमि विकास

3058. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के संबंध में किन्ही दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है अथवा जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना सहित सभी क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए वाटरशेड विकास हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं । बंजरभूमि विकास विभाग ने निम्नलिखित के संबंध में योजनाओं को अंतिम रूप दिया है और मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं :

(1) निवेश संवर्धन योजना,

(2) प्रौद्योगिकी विस्तार योजना,

(3) बंजर भूमि विकास कार्य दल ।

(ग) इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं ।

विवरण

1. वाटरशेड विकास कार्यक्रम के उद्देश्य :

(1) ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास का संवर्धन करना जो निम्नलिखित की मार्फत वाटरशेड पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है :-

(क) भूमि, जल, वनस्पति, आदि जैसे वाटरशेड के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना जिससे सूखे का प्रतिकूल प्रभाव कम होगा और पारिस्थितिक निम्नीकरण को और आगे रोकने में मदद मिलेगी ।

(ख) बचतों और अन्य आय सृजन करने वाली गतिविधियों का विकास करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन और गांव के मानव संसाधन और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना ।

(2) निम्नलिखित की मार्फत गांव में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने हेतु प्रोत्साहन देना :-

(क) सृजित परिसम्पत्तियों के संचलन और रख-रखाव के लिए स्थायी सामुदायिक कार्रवाई करना और वाटरशेड में प्राकृतिक संसाधनों की संभाव्यता का और अधिक विकास करना ।

(ख) साधारण, आसान एवं किफायती/तकनीकी समाधानों और संस्थागत व्यवस्थाओं की मार्फत जो स्थानीय तकनीकी जानकारी एवं उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हैं ।

(3) परिसम्पत्तिहीन और महिलाओं जैसे वाटरशेड समुदाय के संसाधनविहीन और उपेक्षित वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने पर निम्नलिखित की मार्फत विशेष बल :-

(क) भूमि और जल संसाधनों के विकास तथा इसके परिणामस्वरूप हुए बायोमास उत्पादन के लाभों का और भी अधिक समान वितरण करके ।

(ख) आय सृजन के अवसरों तक और भी अधिक पहुँच द्वारा तथा उनके मानव संसाधन विकास पर बल देकर ।

2. निवेश संवर्धन योजना के उद्देश्य :

(1) योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वनेतर बंजरभूमि के विकास का संवर्धन करना/सुलभ बनाना है । योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों से अलग-अलग किसानों, समुदाय, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों आदि से संबंधित वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए संसाधन सुलभ कराना/आकृष्ट करना/जुटाना/वितरण करना है ।

(2) बंजर भूमि को स्थायी रूप से उपयोग में लाना तथा इस भूमि से उत्पादकता तथा पौधरोपण में सुनिश्चित वृद्धि करना ताकि पारिस्थितिक संरक्षण कायम रह सके ।

(3) वाणिज्यिक/आर्थिक वृक्षारोपण बागवानी, वृक्षों और पशुचारे के लिए उन्नत जैविक सामग्री की मार्फत ग्रामीण गरीबों को रोजगार सृजन के रूप में पर्याप्त लाभ पहुँचाना ।

3. तकनीकी विस्तार योजना के उद्देश्य :

(क) बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों, विशेषकर मृदा-अपरदन, भूमि निम्नीकरण, खारापन, क्षारीयता, जल जमाव आदि के कारण प्रभावित समस्याग्रस्त भूमि के विकास के लिए उपयुक्त, किफायती और उचित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना ।

(ख) बंजरभूमि के विकास के लिए स्थायी आधार पर प्रदर्शन के नमूनों के तौर पर स्थान विशिष्ट प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करना ।

(ग) मत्स्यपालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित भूमि आधारित गतिविधियों की मार्फत बंजरभूमि के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनायें आरंभ करना ।

(घ) नयी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और बंजरभूमि विकास संवर्धन के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता के बारे में अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करना ।

4. बंजरभूमि विकास कार्यदल के उद्देश्य :

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दुर्गम और काफी निम्नीकृत बेहड़ के विकास के लिए मार्च, 1995 में एक बंजरभूमि विकास कार्यदल का सृजन किया गया था जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) वनरोपण की मार्फत बंजरभूमि के पुन: संवर्धन एवं विकास के लिए एक अनुशासित दल की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- मृदा एवं नमी संरक्षण

- वृक्षारोपण

- वृक्षारोपण का रख-रखाव

- संरक्षण

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराना ।

तटवर्ती सीमान्त राज्य

3059. श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने तमिलनाडु में श्रीलंका के सीमावर्ती कोरोमंडल कोस्ट को तटवर्ती सीमान्त राज्य घोषित करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है जैसा कि 22 मई, 1995 के ''द हिन्दू'' में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा प्रयोजनों को पूरा करने के लिए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सेतु समुद्रन परियोजना को तटवर्ती सीमान्त राज्य के महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करने का विचार किया जा रहा है जिसके द्वारा मद्रास और तूतीकोरिन पत्तनों के बीच दूरी चार सौ से भी अधिक समुद्री मील घट जाएगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

3060. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 (2) को हटाने और धारा 28 में संशोधन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस अधिनियम के कारण राज्य सरकार को होने वाली असुविधाओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस धारा को कब तक हटा दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 जिसमें अन्य बातों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 (2) का लोप करने और धारा 28 का संशोधन करने के लिए उपबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार से मई, 1994 में प्राप्त हुआ था और उक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 16 सितंबर, 1994 को पहले ही दी जा चुकी है ।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड

3061. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा जापान की सुजुकी द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) मारुति उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किये जाने के बाद सरकार तथा जापान की सुजुकी ने अपने-अपने निवेशों पर कितना प्रति लाभ सुनिश्चित किया;

(ग) क्या कंपनी की इक्विटी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की योजनाएं अपनी इक्विटी सम्पत्ति सुजुकी को बेचने की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा 65.80 करोड़ रुपये का तथा सुजुकी मोटर कारपोरेशन द्वारा 66.14 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया गया है ।

(ख) सरकार को कुल 30.6 करोड़ रुपये तथा सुजुकी को 22.9 करोड़ रुपये (कर पश्चात् निवल) के लाभांश का भुगतान किया गया है ।

(ग) और (घ). कंपनी की इक्विटी बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) और (च). मारुति उद्योग लिमिटेड में धारित अपनी इक्विटी सुजुकी को बेच देने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राहत कार्य में अनियमितताएं

3062. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री अजितराव देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों को राहत के रूप में दिए गए धन के अन्यत्र उपयोग और कतिपय अन्य अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संघ लोक सेवा आयोग

3063. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 316 में लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के लगभग आधे सदस्य उन व्यक्तियों में से होंगे जो कम से कम दस वर्षों तक भारत सरकार में पदासीन रहे हैं;

(ख) क्या यह सीमा न्यूनतम है अथवा अधिकतम;

(ग) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग में गत 10 वर्षों के दौरान पूर्व सरकारी कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस अवधि के दौरान पूर्व आई. ए. एस./आई. पी. एस. अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व-नौकरशाह अनुचित रूप से अधिक संख्या में आयोग के सदस्य बनाये जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह कोई ऐसी कठोर सीमा नहीं है जिसे लागू किया ही जाना है अपितु जहां तक व्यवहार्य हो इसका मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में पालन किया जाना है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) इस समय 9 में से 6 सदस्य पूर्व सरकारी पदाधिकारी हैं ।

(ङ) जी, हां ।

(च) सरकार, आयोग में जब-जब रिक्तियां होती हैं, उपलब्ध विख्यात व्यक्तियों में से सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करती है ।

(छ) सरकार ने सरकारी अधिकारियों और अन्यों में 50 : 50 का संतुलन बनाये रखने का निर्णय किया है ।

विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान कार्यरत सदस्यों की कुल संख्या	उन सदस्यों की संख्या जो आयोग में नियुक्ति से पहले सरकारी सेवा में थे	उन सदस्यों की सं. जो सरकारी सेवा में नहीं थे	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी जो वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यरत थे
1	2	3	4	5
1986	10	6	4	3 (2/1)
1987	9	5	4	3 (2/1)
1988	8	5	3	3 (2/1)
1989	9	6	3	4 (3/1)
1990	11	8	3	5 (4/1)
1991	13	10	3	7 (5/2)
1992	10	8	2	5 (4/1)

वर्ष	वर्ष के दौरान कार्यरत सदस्यों की कुल संख्या	उन सदस्यों की संख्या जो आयोग में नियुक्ति से पहले सरकारी सेवा में थे	उन सदस्यों की सं. जो सरकारी सेवा में नहीं थे	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी जो वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यरत थे
1	2	3	4	5
1993	10	8	2	5 (4/1)
1994	9	7	2	4 (3/1)
1995 (अब तक)	10	7	3	4 (3/1)

प्रबंध सूचना प्रणाली

3064. श्री एस. एम. लालजान वाशा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल क्षेत्र में प्रबंध सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) से संबंधित कार्यक्रम पहले ही लागू किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). इस समय एक निगरानी प्रणाली लागू है जिसके अन्तर्गत कार्य योजना, भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में सूचना और कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के बारे में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जाती है और उसे संकलित किया जाता है । देश में कवर न की गई बस्तियों और आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों की सूची संकलित करके रिलीज की गई है । देश में प्रबन्ध सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कम्प्यूटरीकरण की सीमा और तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी । समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

होटल के बिलों का भुगतान न किया जाना

3065. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) की कुछ राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह राशि कब से बकाया है;

(घ) बकाया राशि के भुगतान न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ). विभाग द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) से यह सूचित करने के लिए कहा गया है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किसी बिल का भुगतान किया जाना रहता है ।

नौसेना अकादमी के संबंध में 2 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री सत्यनारायण जटिया) : मैंने, रक्षा राज्यमंत्री की हैसियत से, नौसेना अकादमी के बारे में लोक सभा सांसद श्री रमेश चेन्नित्तला द्वारा लोक सभा में 2 अगस्त 1995 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर में एक लिखित उत्तर दिया था ।

2. बाद में यह पता लगा कि उक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दी गई सूचना में मामूली सी त्रुटि रह गई है । यह त्रुटि जानबूझकर नहीं की गई है । सूचना में प्रस्तुत की गई त्रुटि के लिए मैं हार्दिक खेद व्यक्त करता हूं ।

3 अत: मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर की संशोधित प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ (अनुबंध) ।

अनुबंध

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
नौसेना अकादमी श्री रमेश चेन्नितला क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :		
(क) केरल के एजिमाला में प्रस्तावित नौसेना अकादमी की वर्तमान स्थिति क्या है,	(क) केरल में एजिमाला में 166.94 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से एक स्थायी नौसेना अकादमी स्थापित करने के लिए मार्च 1995 में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है ।	कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
(ख) मूल योजना के अनुसार इसे [illegible] किया जाना था;	2002 के मध्य तक ।	मार्च 1995 में मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिए जाने तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था । अनुमोदित योजना के अनुसार अब इस परियोजना को सन् 2002 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है ।
(ग) अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है;	पानी, बिजली और सड़कों के निर्माण-चरण की आवश्यकता जैसी आधारभूत सुविधाएं केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अक्तूबर 1993 में और राज्य प्रदूषण बोर्ड से मार्च 1995 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ।	कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
(घ) क्या कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;	जी, नहीं ।	जी, नहीं ।
(ङ). यदि, हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

11.09 म. पू.

तत्पश्चात् लोक सभा 1.00 म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

[अनुवाद]

1.00 म. प.

लोक सभा एक म. प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,.... * । लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे सदन के सदस्य इस प्रिवलेज क्लास में आते हैं ।*....प्रिवलेज के नियमों को देख लिया जाए, इसके संचालन नियमों में कहीं ऐसा नहीं है । यदि कहीं कोई आरोप हो, कोई अपराध हो, तो उसे प्रिवलेज कमेटी को अवश्य भेजा जाए । हम लोग प्रिवलेज कमेटी को फेस करने के लिए तैयार हैं । इस मामले को प्रिवलेज कमेटी को भेजा जाए ।*....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक साथ मिल कर बैठें और इस समस्या का हल निकालें । अब, कृपया....

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, हम पीठासीन अधिकारी का सम्मान करते हैं । अध्यक्ष पीठ द्वारा जो भी व्यवस्था दी जाती हैं हम उसका सम्मान करते हैं । हमने कभी भी अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है । हम अध्यक्ष पीठ का सम्मान करते हैं । परंतु कल जो दुर्घटना घटित हुई हमें बाध्य होना पड़ा और हमारे नेता को बाध्य होकर सदन से बहिर्गमन करना पड़ा । माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुबह भी उस मामले को उठाया था और वह उस सारे मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्देशित करना चाहते थे। हमने कहा "इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिये ।" यदि हमने कोई गलत बात कही है तो इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए । इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसे विशेषाधिकार समिति को निर्देशित कीजिए । यदि हमने कुछ गलत किया है तो हम दंड पाने के लिये तैयार हैं । हम विशेषाधिकार समिति के सामने जाने को तैयार हैं ।....(व्यवधान) जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता और हम अपराध और राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों के मामले पर चर्चा चाहते हैं । हम इस बारे में बहुत उत्सुक हैं और वास्तव में हमने स्वयं यह मसला उठाया है । (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने आज सुबह भी अनुराध किया था कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य की भावनाओं को चोट पहुंची है और यदि कोई गलतफहमी पैदा हुई है-मैं नहीं जानता कि है अथवा नहीं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर अथवा शरद जी की कार्यवाही पर कोई फैसला भी नहीं देना चाहता-परंतु मतभेद समाप्त करने के लिये कुछ न कुछ कोशिश तो की ही जानी चाहिये । परंतु ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है । मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं । मैं केवल अनुरोध कर रहा हूँ कि "हमें काम करने के लिये उचित तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिये" । अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर विचार होना है परंतु कुछ सदस्य आन्दोलित हैं । उनको अपने विचार रखने का हक है । परंतु हम क्या कर सकते हैं । पीठासीन अधिकारी को कुछ कार्यवाही तो करनी होती है । संसदीय कार्यमंत्री चर्चा के लिये आने वाले विषय को लेकर आज कुछ हतोत्साहित लग रहे हैं ।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): जी नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा ऐसा नहीं है । तो कुछ कीजिए ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें । श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक सुझाव दिया है ।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार से यह सारा मसला गलतफहमी के कारण पैदा हुआ है । अध्यक्ष महोदय किसी भी सदस्य के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते और सभा के माननीय सदस्य भी किसी तरह से अध्यक्षपीठ का अपमान नहीं करेंगे । इस बारे में कोई गलतफहमी है जिसे

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अवश्य दूर किया जाना चाहिये । (व्यवधान) महोदय वे अनावश्यक रूप से ऐसा कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सरकार के विचार सुनने चाहियें ।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिये । हम श्री शरद यादव के साथ बातचीत कर रहे हैं । बातचीत के बाद हम इस मसले को आपस में निपटाना चाहेंगे । जो स्थिति पैदा की गई है उसका कोई मतलब नहीं है । यह सब गलतफहमी की वजह से है और वह गलतफहमी बातचीत से दूर की जा सकती है । हम उसकी कोशिश करेंगे और इसे निपटायेंगे। इस बीच, उनको सदन को सामान्य ढंग से चलने देना चाहिये । हम चाहते हैं कि सदन सामान्य ढंग से चले । माननीय सदस्य और अध्यक्ष महोदय के बीच बातचीत के बाद गलतफहमी दूर हो जायेगी । परन्तु यदि वे सदन को उसी तरह रोके रखेंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा । हम कार्यवाही करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि यहां पर काम हो (व्यवधान)

01.08 म. प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपने अपने स्थान पर वापस चले जायें। श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक सुझाव रखा है । मंत्री महोदय ने भी एक सुझाव रखा है । हमें समस्या को निपटाने की कोशिश करनी चाहिये । क्या आप अपने अपने स्थान पर वापस जायेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म. प. पर पुन:समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

01.8½ म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 म. प. तक के लिये स्थगित हुई ।

2.30 म. प.

लोक सभा 2.30 म. प. पर पुन: समवेत हुई ।

[हिन्दी]

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है । बार-बार सदन का स्थगित होना न सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए यहां निर्वाचित करके भेजा गया है, न हम उस दायित्व का ठीक तरह से पालन कर पाते हैं । मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात से विवाद इतना बढ़ गया, इसे टाला जा सकता था ।

मेरे मित्र श्री शरद यादव सदन में नहीं हैं । वे एक दल के नेता है, हमारे पुराने सहयोगी हैं, महत्वपूर्ण मामले उठाते रहे हैं । लेकिन कल कुछ गलतफहमी की वजह से उनको यह भ्रम हुआ कि उन्हें सार्वजनिक महत्व के विषयों को उठाने से रोका जा रहा है । घटना इतनी अचानक हुई, अप्रत्याशित हुई कि उसमें किसी के लिए हस्तक्षेप करना भी सम्भव नहीं रहा । आज वे सदन में होते तो बहुत कुछ होता । लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कल की समस्या का हल निकालते हुए सदन चले, यह बहुत जरूरी है । सदन के सामने सार्वजनिक महत्व के कुछ विषय हैं, उन विषयों पर चर्चा आवश्यक है । लोग आशा करते हैं कि जब सत्र समाप्त हो रहा है तो सदन पूरी मुस्तैदी से काम करेगा और सार्वजनिक विषयों पर पूरा ध्यान देगा ।

अध्यक्ष महोदय, आप जिस कठिन परिस्थिति में इस सदन को संभालते हैं, उससे भी हम परिचित हैं । आपके ऊपर एक विशेष दायित्व है । आपकी प्रतिष्ठा में सदन की प्रतिष्ठा है । कभी-कभी सदन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि जब शोर-शराबा होता है, आपसे अलग-अलग पक्ष में बैठने वाले सदस्य अपनी बात कहने के लिए समय मांगते हैं तो आपके मन में भी शायद यह भावना पैदा होती होगी कि आपकी अवज्ञा की जा रही है या आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप जिस तरह का आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण नहीं हो रहा है । लेकिन आप यह मानेंगे कि सदन के सभी सदस्यों के मन में आपके प्रति गहरा आदर है, बड़ा आदर है और हम जानते हैं किन कठिन परिस्थितियों में आप काम चला रहे हैं । कल की घटना को लेकर ऐसा लगता है कि जो गलतफहमी हुई है, वह नहीं होनी चाहिए थी । उसका निराकरण किया जा सकता है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालेगा और हम आपकी ओर रास्ता निकालने के लिए देखते हैं ।

आप सदन के अध्यक्ष हैं, आप सदन के संचालक हैं और जहां तक सदस्यों का सवाल है, हम सब आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं । हम चाहते हैं कि इस गतिरोध को हल करने में आप थोड़ी सी पहल करें, जिससे कि मामला हल हो जाय और सदन आवश्यक कार्यवाही, प्रतिदिन की कार्यवाही को चला सके ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय दो ऐसे पहलू हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता । मुझे विश्वास है कि मैं सबकी ओर से बोल रहा हूं । हम आपका पूरा सम्मान करते हैं और हम यह नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई स्थिति पैदा करें जिसमें पीठासीन अधिकारी के लिये समुचित ढंग से कार्य करना मुश्किल हो । इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि आपने अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार हमें

समय दिया है और अनेक दिक्कतों तथा समय की बाधा के बावजूद हमें अवसर मिले हैं । हम सब अनेक तरह के मसले यहां पर उठाने के प्रयास करते हैं और इस ढंग से विनियमित करना बहुत कठिन हो जाता है जिससे हर कोई सन्तुष्ट हो सके । हमें इस बात को समझना है कि कई बार आखरी मौके पर कोई ऐसी बात हो सकती है अथवा कोई ऐसी बात कह दी गई है अथवा जानबूझकर कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं किया जाना चाहिये अथवा ऐसी कोई अन्य बात हो जाये । अत: हम चाहते हैं कि सभा सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करे । अनेक राष्ट्रीय महत्व के और महत्वपूर्ण मसलों पर विचार होना है और आज विशिष्ट रूप से कार्य सूची के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर हमें चर्चा करनी है । मुझे विश्वास है कि आपने बहुत योग्यता के साथ इस पद को स्वीकार किया है और मुझे विश्वास है कि हमें इस बारे में कोई शक नहीं कि इसे बनाये रखा जायेगा । और अपनी ओर से, मुझे विश्वास है, मैं जनता दल के अपने सहयोगियों की ओर से भी बोल रहा हूं, कि यदि कोई गलतफहमी है और वास्तव में यह और कुछ नहीं केवल गलतफहमी है । ऐसा जानबूझकर नहीं है । अत: इस मसले को आसानी से हल किया जा सकता है । मुझे विश्वास है कि आप जो चाहें वह विचार व्यक्त कर सकते हैं । परंतु सभा को उचित वातावरण में चलने दें । और यह समस्या हर रोज हमारे सामने आती है । परंतु यह कोई नहीं कह सकता कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया है । मेरा ऐसा कोई विश्वास अथवा शिकायत या ऐसा किसी तरह का विचार नहीं है । अत: मैं इस तरह की स्थिति से बचना चाहता हूं । हमें किसी के व्यवहार के बारे में अपना फैसला सुनने की जरूरत नहीं है । यह उचित नहीं है । यह जरूरी भी नहीं है । हम केवल यह चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो । आपके प्रति हमारे सम्मान के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता । हमारे बारे में आपके विचारों की जहां तक बात है भूतकाल उसका साक्षी है । अत: मुझे विश्वास है कि हम स्थिति से निपट सकते हैं और आप वह फैसला करेंगे जो आपके अनुसार उचित होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं और आप भी यह जानते है कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपस में सहयोग किया है । 545 सदस्यों वाले इस सदन में कई बार कुछ सदस्यों को समय मिल जाता है और कई बार कुछ सदस्यों को समय नहीं मिल पाता । यदि सदस्य इस बात पर नाखुश हों कि उनको समय नहीं मिला तो उनका यह सोचना उचित है कि उनको समय नहीं दिया जा सका । इस सदन के पीठासीन अधिकारी के नाते मैं इस सदन का सेवक हूं । मेरा यह कर्त्तव्य है कि यहां पैदा होने वाली समस्याओं का हल निकालूं और कई बार मैं ऊंची आवाज में बोलता हूं और मैं यह स्वीकार करता हूं जैसा मैंने अपने चैम्बर में भी कहा था कि कई बार शून्यकाल में अपने पर काबू रखना मेरे लिये मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस समय जो कुछ होता है किसी भी नियम और प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है । परंतु मेरा उद्देश्य किसी सदस्य के प्रति असम्मान की भावना रखना नहीं होता है ।

यदि किसी गलतफहमी के कारण किसी ने कुछ गलत समझा है तो हम उन भावनाओं को शांत कर सकते हैं और यदि मेरे मित्र श्री शरद यादव ने ऐसा अनुभव किया है तो मैं उनसे बात करूंगा और यदि वे समझते हैं कि अफसोस

जाहिर करना अथवा माफी मांगना जरूरी है तो ऐसा निश्चित रूप से किया जा सकता है । ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है । परंतु इसके साथ ही मैं यह हिन्दी के एक कवि के शब्दों का प्रयोग करते हुए यह कहना चाहता हूं :

[हिन्दी]

''हम रहें न रहें, आप रहें, आपकी शान रहें''

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अध्यक्षपीठ के प्रति और आपके प्रति समुचित सम्मान रखते हैं और इस सभा के सुचारू कार्यकरण में हमने हमेशा सहयोग एवं सहायता दी है ।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे नेता श्री शरद यादव स्वाभाविक रूप से दुखी हैं और आपने इस सभा को सूचित किया है कि आप उनसे बात करेंगे और उनके साथ इस मामले को निपटायेंगे । मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । मैं आपको पुन: यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी पार्टी सभा के सुचारू कार्यकरण में सहयोग करती रही है और हमारे मन में अध्यक्ष पीठ के प्रति पूरा सम्मान है । हम इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं कि महत्वपूर्ण चर्चाओं को तत्काल लिया जाये और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी गलतफहमी है वह आपके द्वारा श्री शरद यादव के साथ बातचीत करने के बाद पूरी तरह से दूर हो जायेगी ।

2.42 म. प.

[अनुवाद]

राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के लिये समय नियत है । हम संसदीय कार्य मंत्री को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति अंत में देंगे ।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर बिना कोई विलम्ब किये कार्यवाही करे ।"

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे नेता, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगी श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा मैंने नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसके शब्द इस प्रस्ताव से भिन्न थे जिसे इस समय लिया जा रहा है । मैं अनुगृहीत होऊंगा यदि आप मुझे बतायेंगे कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा । हमें अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्तावों को एक साथ एक समय लेना संभव नहीं है । जो प्रस्ताव सबसे पहले प्राप्त हुआ उसे गृहीत कर लिया जाता है और हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । आप अपने प्रस्ताव के अनुसार जो कुछ कहना चाहे वह आप यह उल्लेख करते हुए कह सकते हैं कि आपका प्रस्ताव भी इस तरह का था ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में एक कोहराम सा मचा हुआ है । वोहरा कमेटी के नाम से यह संकल्प आया है, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य मुद्दा है वह है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अपराधीकरण की प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें इस चर्चा को आज पूरा करना है क्योंकि अन्य कई काम भी हैं । यदि जरूरी हुआ हम देर तक बैठ सकते हैं परंतु इस चर्चा को हमें पूरा करना होगा । मेरे पास बुलाने के लिये बहुत से नामों की सूची है ।

अत: कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी सदस्य बोले वह संक्षेप में बोलें ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उसके तहत सबसे पहले तो मैं इस रिपोर्ट को जो हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पढ़ना चाहूंगा । यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर बिना कोई विलम्ब किये कार्रवाई करें । अध्यक्ष जी, जैसा कि सदन को मालूम है और जैसा मैंने कहा कि अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो गई है और यह एक कैंसर के रूप में है । यदि इसका अविलम्ब समाधान नहीं निकाला गया तो मैं समझता हूं कि जो जनतंत्र हैं, भारत जो कि सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और जिसके ऊपर हमको गर्व है, कुछ दिनों के बाद वह डेमोक्रेसी रह भी जाये । कभी-कभी देश प्रजातांत्रिक होता है। कभी-कभी देश आज़ाद होता है लेकिन लोग गुलाम बन जाते हैं । अत: कहने के लिए हमारा देश डेमोक्रेटिक रहेगा लेकिन यदि इस कैंसर से निदान नहीं पाया गया तो फिर इस प्रजातंत्र का एक ढांचा रह जायेगा, आज जब हम वोहरा समिति पर बहस करने के लिए तैयार हैं और वोहरा कमेटी का जो गठन हुआ था तो वह गठन किसी विशेष परिस्थिति में हुआ था । मैं समझता हूं कि वोहरा कमेटी के बाहर भी काफी बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन के दरमियान आ सकता हैं । चूंकि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को मैंने लाईन व लाईन पढ़ने का काम किया है और बहुत खुशी की बात है कि वोहरा कमेटी ने सारे आस्पेक्ट्स को लिया है और मोस्टली जो सम्बन्ध का संदर्भ था और खासकर महाराष्ट्र का सम्बन्ध था उस पर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कन्सन्ट्रेट करने का काम किया है । अपनी रिपोर्ट में जनरल व्यू भी लिया है और विभिन्न राज्यों का भी हवाला देने का काम किया है अत: सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से जानना चाहूंगा कि किसी भी चीज के करने के पहले जो नीयत है, वह नीयत ही सबसे बड़ी चीज होती है और यह वोहरा कमेटी ने भी कहा है कि मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूं, सरकार उसके प्रति कितनी सिन्सेयर है, मैं नहीं कह सकता हूं और इसलिए उन्होंने पहले पृष्ठ के 2.2 में कहा है कि :

[अनुवाद]

> "....इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई दिये कि सरकार ऐसे मामलों में कार्यवाही करना चाहती है । तदनुसार, मैंने समिति के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग पत्र भेज कर उनके सुझाव तथा सिफारिशें पूछीं । उनसे प्राप्त उत्तर संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं ।"

[हिन्दी]

तो रिपोर्ट में स्वयं उन्होंने कहा कि हमारे मेम्बर्स जब हम से बातचीत कर रहे थे तो मेम्बर्स ने कहा कि मैं अपना सुझाव दूंगा और मैं दे सकता हूं लेकिन हमको इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि हमको इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार इसके विषय में कितनी गम्भीर होगी । इसलिए मैं देने से लाचार हूं । फिर उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं आप लिखकर दे दें और उसके बाद वोहरा समिति ने चिट्ठी के उत्तर में लिखा और जो यहीं पर है । वह बार-बार शुरु से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं । उस रिपोर्ट के तहत जो रिपोर्ट में छपा है, उसमें कहीं अनेक्सचर लगा हुआ नहीं है । जिन-जिन सदस्यों को उन्होंने चिट्ठी लिखी और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज आप देते हैं, वह चिट्ठी का जवाब इतना गोपनीय नहीं है और उससे देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा उत्पन्न होने वाला नहीं है और उस चिट्ठी के जवाब में आप संक्षेप में दे सकते हैं कि रॉ ने क्या कहा, सी. बी. आई. के

डायरेक्टर ने क्या कहा, आई. बी. के डायरेक्टर ने क्या कहा । उसका आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं । तो मैं नहीं समझता हूं कि उस चिट्ठी को पूरा का पूरा अनेक्सचर के रूप में देने में सरकार को क्या कठिनाई हुई ?

इसलिए शुरू में हम लोगों की सबसे बड़ी आपत्ति थी और वह आपत्ति थी कि सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह रिपोर्ट अपने आप में अधूरी है । इसलिए मेरा अभी भी चार्ज है कि जो इसमें कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं, वे पॉईंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैं समझता हूं कि सदन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जो हम लोगों की चर्चा है, उस चर्चा के दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ।

दूसरा सरकार के ऊपर हमारा चार्ज यह है कि आपने कमेटी का गठन 9 जुलाई, 1993 को किया था और उस कमेटी को आपने तीन महीने का समय दिया था । हम कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने तीन महीने का समय दिया था, उसके अनुरूप उस कमेटी ने 5.10.1993 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । इस रिपोर्ट को पेश किये हुए दो साल हो गए हैं । मैं समझता हूं कि यदि सरकार इस बारे में गंभीर रहती, तो जिस तरीके से इस बार सदन में भी हुआ, बाहर भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी । सदस्य भी यदि उत्तेजित नहीं रहते और सदन में आक्रोश व्यक्त नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट शायद रद्दी की टोकरी में पड़ी रह जाती । आपने और सदन ने इसे इस योग्य समझा कि इस पर चर्चा हो और सरकार ने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखने का काम भी किया ।

हम यह जानना चाहते हैं कि दो साल व्यतीत हुए 1993 में यह रिपोर्ट सबमिट हुई और आज 1995 है, तो दो साल के अंदर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? यदि रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उसमें नोडल ऐजेन्सी की बात कही गई है । मैं अपने आप में बहुत कनफ्यूज्ड था कि मैं सरकार को क्या सुझाव दूं । नोडल ऐजेन्सी की बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि नोडल ऐजेन्सी में कुछ नहीं है । मैं समझता हूं कि शायद हर मंत्रालय की नोडल ऐजेन्सी होगी । नहीं है तो मान लेते हैं कि आप बना लेंगे और नोडल एजेन्सी में आपने किन लोगों को रखा है ? नोडल ऐजेन्सी में आपने गृह सचिव को रखा है, सेक्रेटरी (आर) को रखा है, डी. आई. बी. को रखा है, डायरेक्टर (सी. बी. आई.) को रखा है, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को रखा है । जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, तो इस रिपोर्ट में इतनी चीजों का उद्घाटन किया गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है । डायरेक्टर सी. बी. आई. ने मनी पॉवर के ऊपर हमला किया है । उन्होंने कहा है कि जो मनी पॉवर है, वह मसल पॉवर को खरीदती है । उन्होंने जो यह चार्ज लगाया है, वह चार्ज सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं लगाया है । उन्होंने चार्ज लगाया है राजनेताओं पर, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर चार्ज लगाया है, उन्होंने ज्यूडीशरी पर चार्ज लगाया है, उन्होंने मीडिया पर चार्ज लगाया है । जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर इस कमेटी ने चार्ज न लगाया हो । अंत में उसने कहा है कि यह सारा का सारा अपराधीकरण नैक्सस, मिलीभगत के कारण हो रहा है । उसने सबसे बड़ा हमला मनी पॉवर के ऊपर और ब्लैक मार्केटियर्स पर किया है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने पैरा 3.1 में कहा है और मैं उद्धृत कर रहा हूँ :-

"इस तरह हासिल किये गये धनबल को अफसरशाही और राजनीतिज्ञों के साथ सम्बन्ध बनाने में और उद्दंडता के साथ गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये इस्तेमाल में लाया जाता है ।"

उन्होंने आगे कहा है और मैं उद्धरण देता हूं :

"धन बल का इस्तेमाल गुण्डागर्दी का जाल फैलाने के लिये किया जाता है जिसका राजनीतिज्ञ लोग चुनाव के समय इस्तेमाल करते हैं।"

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है और इसे मैं उदधृत करता हूं :-

"अपराधी गुटों, पुलिस, अफसरशाही और राजनीतिज्ञों के बीच देश के विभिन्न भागों में स्पष्ट रूप से गठजोड़ दिखाई दिया है ।"

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सारा का सारा इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, इतना बड़ा नैक्सस चल रहा है और नोडल ऐजेन्सी की बात हो रही है ।

क्या यह उसके लिए सक्षम है ? क्या वह नोडल एजेंसी किसी राजनेता के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर या किसी मंत्री, प्रधानमंत्री का या राजनेता का संबंध किसी क्रिमिनल्स के साथ हो या किसी गुरु लोगों के साथ हो, क्या उनके उनके ऊपर हाथ डालने का काम कर सकती है । मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि आज बात चली कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी जज के माध्यम से एक कमीशन बैठाया जाए और उसके पास चिट्ठी जाए । इसलिए मैंने कहा कि इस मामले में हमारा दिमाग साफ नहीं है । यह पूरा का पूरा नेक्सस, पूरा का पूरा जाल बना हुआ है । जिस जाल के तहत आज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है उससे निपटने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए और इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए ? इसलिए जब सदन में इसके ऊपर बहस होगी तो मैं समझता हूं कि हमारे एक से एक विद्वान साथी का जब सुझाव आएगा तो उसके तहत निश्चित रूप से सदन एक राय पर उसमें पहुंचने का काम करेगा ।

महोदय, जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें उन्होंने दाउद इब्राहिम का जो बम्बई का मामला है उसका एग्जाम्पल दिया है लेकिन जनरल तौर से जो ऑबजरवेशन किया गया है वह बहुत ही खतरनाक चीज है । मैं समझता हूं कि इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए । आज ब्लैकमनी का मामला है, कौन नहीं जानता

है कि इस देश में ब्लैकमनी का कितना जाल फैला हुआ है । आज हम पार्लियामेंट के मेम्बर यहां बैठे हुए हैं, 542 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हुए हैं । आज एमपी और एमएलए को खरीदने की कोशिश होती है । आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास नैतिकता नाम की चीज खत्म हो गई है । यदि एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का कीमत लगना शुरू हो जाए तो जो बड़े-बड़े मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं उनके लिए हजार, दस हजार करोड़ रुपए कुछ नहीं हैं । मुझे इस बात का डर है कि इस देश में जो परम्परा एमएलए, एमपी की खरीद-बिक्री की चली हैं, अपने मन के मुताबिक चली है । आज पांच सौ करोड़ रुपए देकर एमएलए, एमपी खरीदा जा सकता है तो जो मल्टीनेशनल्स आ रही हैं वह पांच हजार करोड़ रुपए खर्चा करके सरकार रहेगी । कांग्रेस का लेबल रहेगा, जनता दल, बीजेपी का लेबल रहेगा और राज करने का काम मल्टीनेशनल्स करेंगे । इसलिए मैंने कहा कि सरकार उसके मन के मुताबिक वह नहीं रहेगी, कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा लेकिन प्रधानमंत्री वही रहेगा जो उसके नोट के ऊपर साइन करने का काम करेगा । इसलिए मैंने कहा कि आज देश में जो डेमोक्रेसी है वह बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रही है और इसके लिए जो ब्लैकमनी का मामला है इसके ऊपर यदि रोक लगाने का काम नहीं हुआ और यदि इलैक्शन प्यूरिटी नहीं आई तो जहां से गंगोत्री निकलती है यदि वह गंदी हो जाए तो गंगा का पानी कभी साफ नहीं रहता है । गंगा का पानी साफ था लेकिन अब पता नहीं वह भी दूषित होने लगा है । इसलिए कि जहां से गंगा निकलती थी उसकी जड़ में जड़ी-बूटी थी तो गंगा का पानी साफ रहता था, जिस दिन जड़ी-बूटी खत्म हो जाएगी, यदि गंगोत्री मेली हो जाए तो गंगा का पानी भी साफ नहीं रहता है ।

महोदय, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं । आज तक हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझ पाए हैं इसका मतलब होता है कि जनता एक पार्टी को बहुमत में दे देती है या कुछ पार्टी को मिला करके बहुमत में आ जाती है । जब बहुमत वाली जो पार्टी होती है उसके जो एमएलए, एमपी होते हैं वह अपना नेता चुनते हैं वह नेता मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है जब प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनता है तो वह प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के हाथ में सारी ताकत चली जाती है । वह प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री अपने मुताबिक केबिनेट फार्म करता है उसमें किसी का कुछ नहीं चलता है । जो मंत्री होता है वह प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है । जिस दिन वे नहीं चाहेंगे उस दिन वह मंत्री नहीं रहेगा । प्रधानमंत्री ईमानदार हुआ तो केबिनेट ईमानदार रहेगा, प्रधानमंत्री बेईमान हुआ तो केबिनेट बेईमान हुआ और अगर केबिनेट बेईमान हुआ तो सरकार बेईमान हुई । सरकार बेईमान हुई तो ब्यूरोक्रेसी खत्म हुई । इसलिए अंततोगत्वा जाकर के एक व्यक्ति के हाथ में पूरा का पूरा देश का भाग्य चला जाता है ।

3.00 म. प.

इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि यदि गंगोत्री गंदी हो जाए तो गंगा का पानी साफ नहीं रह सकता । जिस देश में प्रधान मंत्री कटघरे में खड़ा हो जाए, किसी स्वामी जी से सांठ-गांठ का आरोप लग जाए, बैंक घोटाले में प्रधान मंत्री का हाथ होने की बात कही जाए, सिक्युरिटी घोटाले में हाथ होने की बात कही जाए, सूटकेस और ब्रीफकेस की बातें की जा रही हों तो मैं समझता हूं कि इस देश में किसी अफसर या कर्मचारी को नहीं पकड़ा जा सकता, किसी को पकड़ने में हम केपेबल नहीं हो सकते ।

आज देश के सामने सबसे बड़ा क्राइसेस विश्वास का है । अध्यक्ष महोदय, राजनीति में तीन तरह के लोग आते हैं । एक होते हैं जो प्रिंसीपल वाले होते हैं । दूसरे फैशन के तौर पर फैशन करने के लिए राजनीति में आते हैं और तीसरे वे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनके लिए राजनीति एक व्यापार होती है । आज देश में सबसे बड़ा क्राइसेस यह हो रहा है कि प्रिंसीपल्स पर दृढ़ रहने वाले लोगों की और इस तरह की राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों की दिनोंदिन कमी होती जा रही है । आज क्यों क्रिमिनल्स का सहारा लिया जाता है, जब अपने ऊपर विश्वास घटने लगता है कि हम अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए पैसा खर्च करते हैं, यही कारण है कि आज वैल्यू बेस्ड पोलीटिक्स खत्म होती जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की 92 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व हम 545 संसद-सदस्य करते हैं और हमको आज इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि हम कौनसा रास्ता निकालें, जिसके तहत हम इस रोग का निदान कर सकें ।

आज क्रिमिनल्स की बात कही जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रत्येक राजनीतिक दल के लोगों को कम से कम इस बात पर एकमत होना चाहिए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे । जब हम इस बीमारी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो क्यों नहीं सभी दल इस बात पर कम से कम सहमति प्रकट करते कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधान-सभा या लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नामीनेशन का मामला हो, आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को टिकट देने का काम नहीं किया जायेगा । इस तरह से राजनीति में आपराधिक मनोवृत्ति को रोकने का काम किया जा सकेगा । इसके लिए हमको इलेक्टोरल रेफार्म्स की आवश्यकता पड़ेगी । जब हम चुनावों के समय बिजनेसमैन से पैसा लेंगे तो गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज नहीं हो सकता । यह नहीं हो सकता कि गुड़ तो हम खाएं और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं से परहेज करें । इसके लिए ब्लैकमनी के स्रोत का भी पता लगाना होगा । सेक्रेटरी रेवेन्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, सेंट्रल इकनामिक ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि काले धन के स्रोत का पता लगाना होगा कि यह काला धन कहां से आता है, उस स्रोत को पकड़ना होगा । आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आज एमएलए, एमपी या अन्य जन-प्रतिनिधियों की प्रवृत्ति बदल गई है ।

यदि कोई ईमानदार रहेगा तो उसे सबसे ज्यादा मूर्ख समझा जाता है । कोई कमाने वाला होता है तो कहा जाता है कि बहुत होशियार आदमी है । जो ईमानदार है उसे मूर्ख करार दिया जाता है और जो बहुत ही तेज-तर्रार है उसे माना जाता है कि यह आदमी बहुत ही तेज है, ईमानदार है । तेज इसलिए होता है कि जिसके पास में पैसा है उसका काम कभी नहीं रुकता है । गरीब का काम,

एक चपरासी के यहां से लेकर सैक्रेटरी के यहां तक, मिनिस्टर के यहां तक फोन कीजिए तो नहीं हो पाता है । लेकिन यदि पैसे वाले का काम होता है तो एक रिकमेंडेशन में हो जाता है । एक तो बड़ी बात है कि हमें मनी पावर को रोकना चाहिए । दूसरा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कैसे चैक करना चाहिए । यह पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जवाबदेही है । तीसरी बात यह है कि एक व्यक्ति होता है जिसका अपराधिक चरित्र होता है । हम पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी जवाबदेही है कि हम ऐसा काम न करें जो संविधान के कानून के खिलाफ हो और जो अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछले चार-पांच वर्षों से जो काम हो रहा है वह देश में अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो रहा है । आज तक पॉलिटिकल पार्टी खुले-आम संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, खुले-आम कानून को तोड़ने का काम कर रही है । हमने अभी संसद में एक कानून बनाया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धर्म-स्थल जिस जगह पर है वह बरकरार रहेगा, किसी तरह से उसको छुआ नहीं जाएगा । छूने की बात हुई थी तो कह दिया कि बाबरी-मस्जिद का मामला कोर्ट के जिम्मे है कोर्ट का फैसला जो होगा उसको मानेंगे । उसके अलावा चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, 15 अगस्त 1947 को जिस जगह पर थे वे वहीं रहेंगे । अब उसकी आड़ में लोगों को भड़काने का काम हो रहा है । जब कोई पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा इथोस है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा लाल-किला है, जो ताजमहल है, कोई धर्म-स्थल को हम चैलेंज करने का काम करेंगे तो क्या यह अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम नहीं होता है ? उसी तरह से जो कुछ वहां यह बम्बई में हो रहा है, क्या हम उसे उसी श्रेणी में रखने का काम नहीं करते हैं ।

एक होता है व्यक्ति का अपराधीकरण । उसके लिए कानून है उसके लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसके लिए अगर आप कानून बनाना चाहें तो मैं आपको जनता दल की तरफ से कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं और हमारा आपके ऊपर चार्ज है कि आप ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने इसे बढ़ावा ही दिया है । इस देश में आजादी के कुछ दिनों तक सारी चीजों की मर्यादाएं थीं । 1947 से 1979 तक इस देश में सारी चीजों की मर्यादाएं थीं । ये 1979 के बाद से मर्यादाएं टूटनी शुरु हुई हैं । सत्ता में आने के लिए राजनेताओं ने हर किस्म की तिकड़म का सहारा लेना शुरू किया । हम इस चीज को संसद में भी देख रहे हैं कि कैसे माइनोरिटी से मैजोरिटी के लिए क्या से क्या कुकर्म किये जाते हैं । हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम पावर में आएं । लेकिन पावर में भी आने का एक रास्ता होता है और वह मर्यादा-विहीन नहीं होता है ।

महात्मा गांधी का आम नाम लेते हैं । महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य और साधन दोनों में पवित्रता होनी चाहिए । लक्ष्य भी हमारा सही होना चाहिए और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमारे रास्ते भी सही होने चाहिएं । आप लक्ष्य पर तो पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते आपके सही नहीं हैं । आपका रास्ता है कि किसी भी तरह से चाहे पैसे के बल पर, चाहे मसल-पॉवर के बल पर हो हम सत्ता को हथियाएं, हासिल करें ।

मैं समझता हूं कि 1979 के बाद वह जो संस्कृति शासक दल में आई है और खासतौर से कांग्रेस-पार्टी में तो इस प्रवृत्ति से आपको निदान पाना होगा और जो चीज दिल्ली में हुई है, कुछ दिन पहले बिहार में हुई थी । मैं उन घटनाओं के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता । अध्यक्ष जी बार-बार कहते हैं कि यहां कोई थाना नहीं है या कचहरी नहीं है कि आप आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे और उससे कोई जजमेंट यहां मिलने वाला है ।

लेकिन यह सिगनल है जिस के तहत इस सदन में अपराधीकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं । इससे ज्यादा गम्भीर नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा नंगा नाच नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा राजनीतिज्ञों पर ब्लेम नहीं हो सकता है । मैं मानता हूं कि हमारे यहां पालिटिकल पार्टी के लोग ईमानदार हैं । अगर कांग्रेस, बी. जे. पी. के ऊपर अटैक करना होता है तो हम सीधे अटैक करते हैं । एक पालिटिकल पार्टी के लोग दूसरी पालिटिकल पार्टी के लोगों की खराबियों को निकालने का काम करते हैं । अभी यह चीज ब्यूरोक्रेसी में नहीं आई हैं । वे इसको बचाने के लिये एकजुट हो जाते हैं । जहां भी इकॉनमिक ऑफेंडर्स का मामला आता है, वहां वे जुट जाने का काम करते हैं । आप जिस नोडल ऐजेंसी की बात करते हैं, वह इनकॉम्पीटेन्ट है । उस् पर पहले इस सदन में विचार होगा । जो होम मिनिस्टर चाहता है, होम सैक्रेटरी वही करता है । वैसे भी नोडल ऐजेंसी होम सैक्रेटरी के पास रहेगी । आज आप मिनिस्टर हैं, कल दूसरा होम मिनिस्टर बन जायेगा । आज आपकी पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की सरकार हो जायेगी । चव्हाण साहब, आप पार्टी की नजर को ध्यान में रख कर ऐजेंसी बनाने का काम न करें । इस मामले में आप दुबारा सोचें ।

3.10 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है । इसलिये इसे गम्भीरता से लेना चाहिये । ब्यूरोक्रेसी के 3-4 फीडर्स हैं । लैजिस्लेशन में हर तबके के लोग हैं । संसद और विधान सभा में कानून की कमी नहीं है । हिन्दुस्तान में जितने कानून बने हुए हैं, उतने संसार के किसी कोने में करप्शन को रोकने के लिये नहीं बने हैं । एग्जीक्यूटिव जो कि हाथ है, वह मजबूत होना चाहिये । अगर हाथ को ही लकवा मार जाये तो हथियार चल नहीं पाता है । इसमें चौतरफा सुधार करने की आवश्यकता है चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो या लैजिस्लेशन हो । जुडिशियरी के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन ब्लैकशीप हर जगह होते हैं । सब जगह ऐसे लोग हैं जो कि तालाब को गंदा करने का काम करते हैं । सरकार को काला धन रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । सरकार को बताना चाहिये कि कौन-कौन से स्वामी हैं जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ? आज जो काम प्राइम मिनिस्टर से नहीं होता है चन्द्रास्वामी के यहां पहुंच जाने से वह हो जाता है । ये सब आज सुपर पावर बने हुए हैं । यह एक ही दरबार में नहीं घूमते हैं । ये हर तरह के दरबारी हैं । हर पीरियड में ऐसे स्वामी लोग पैदा हो जाते हैं । फ्रौड भी नैशनल नहीं इंटरनैशनल होता है । इस टाइप के लोग

यहां हैं और यह मीडिएटर हैं । जो नैक्सस है, जो धूरी है, वहां राजनेता बैठते हैं, ब्यूरोक्रैट्स और इकॉनमिक ऑफेंडर्स एक साथ बैठते हैं । होम सैक्रेटरी को हिम्मत नहीं होती कि वह स्वामी जी के ऊपर रस्सी डालने का काम कर सके । अगर मालूम हो जायें कि किसी की बगल में चव्हाण साहब बैठे हैं तो वह भी रोज उसकी बगल में बैठने लगते हैं । स्वामी जी की नम्बर एक का स्थान होता है और चव्हाण साहब का नम्बर दो का स्थान होता है । स्वामी जी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और होम मिनिस्टर नीचे बैठे रहेंगे । मैं होम मिनिस्टर साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि वह धर्म को अपने घर में ही रहने दें । धर्म एक दिआ है और इससे घर में ज्योति जलनी चाहिये । आप इससे घर में आग लगाने का काम न करें । पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में देश की जनता भगवान है । संसद से ऊपर कोई सर्वोच्च संस्था नहीं है । प्रधान मंत्री जब सदन में आते हैं तो सदन के नेता की हैसियत से आते हैं । प्रधान मंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है लेकिन हम जब देखते हैं कि देश का प्रधान मंत्री, देश का राष्ट्रपति जो कि कॉन्स्टीट्यूशनल हैड है,

जो भी सांवैधानिक प्रधान हैं वह किसी न किसी बाबा के सामने जाकर पंगु बना हुआ है, कोई बाबा उसे आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत खतरनाक चीज है यदि आपको तिरुपति जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप जाईये, चुपचाप चले जाईये लेकिन सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये तिरुपति या किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के लिये सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । इसके साथ साथ किसी बाबा के मन को बढ़ाने का काम भी आप मत करिये जिससे मालूम पड़े कि वह कोई सुपरमैन बन गया है । मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, मैं किसी बाबा को नहीं मानता हूं, क्या मैं मर गया हूं । बाबा लोगों के कारण ही देश की दुर्गति हो गयी । याद रखिये, सीता का अपहरण भी रावण ने बाबा के रूप में किया गया था । इसलिये सीता का हरण बहुत हो चुका है । मैं होम मिनिस्टर साहब आपसे कहना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि बाबा लोगों से देश को त्राण दिलाईये ।

मुझे बहुत आश्चर्य होता है....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : मुश्किल तो यह है कि हमारे राम विलास पासवान जी दाढ़ी रखकर खुद एक बाबा जैसे दिखाई देते हैं ।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : असल में बाबा लोगों की दाढ़ी कुछ दूसरे ही किस्म की होती है। आजकल के बाबा ऐसे नजर नहीं आते हैं ।

इसलिये जो एक नैक्सस बना हुआ है गठबंधन या गिरोह बना हुआ है उसे तोड़ने का काम होना चाहिये । आप संविधान को सर्वोपरि रखिये । चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे संविधान की मर्यादा में रहना चाहिये । कोई आदमी संविधान की मर्यादा को तोड़ न पाये । किसी आदमी को सुपर मैन बनने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । सिन्दूर-तन्दूर बहुत कुछ हो गया ।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सदन और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें मुख्य रूप से दो-तीन मुद्दे हैं जिनके कारण कोई एक राजनेता बदनाम होता है लेकिन सारे के सारे पौलिटीशियन्स पर धब्बा लगाने का काम किया जाता है । लोग सभी पौलिटीशियन्स को बदनाम समझने लगते हैं हालांकि में देखता हूं कि जीवन के हर क्षेत्रमें चाहे कोई आर्टिस्ट हो, सिनेमा एक्टर हो, साइंटिस्ट हो, हर आदमी पौलिटीशियन बनना चाहता है, हर आदमी पौलिटिक्स में आना चाहता है । लेकिन आज कुछ एक आदमियों की वजह से सभी पौलिटीशियन्स बदनाम हो रहे हैं । राजेश खन्ना जी देख रहे हैं और हां कह रहे हैं । कुछ लोगों के कारण जिस तरह से पूरे के पूरे राजनेताओं को बदनाम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि राजनीति कोई गलत चीज नहीं है । आज भी इस देश में कई राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, जिनका सारोकार सीधे सीधे जनता से होता हैं और लोग सीधे उनके पास पहुंच जाते हैं । आज यदि कोई आदमी ब्यूरोक्रेट बन जाता है तो उसका जनता से कोई मतलब नहीं रहता, उसका टाइम से मतलब रहता है ।

इसलिए राजनीति में जो अपराधीकरण आया है, राजनीति से उस काई को निकालने का काम कीजिये । जब तक काई नहीं निकलेगी, जैसे किसी तालाब में कोई एक सड़ी हुई मछली होती है तो वह पूरे तालाब को सड़ाने का काम करती है, मैं समझता हूं कि आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, गृह मंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले पांच सालों में जिस तरीके से आपके शासन में राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है, जिस तरीके से शासन में पैसे का व्यापार शुरू हुआ है, कोई पार्टी उससे सुरक्षित नहीं है । आप इसे रोकने का काम कीजिये । आप सत्ता में हैं । सत्ता में कौन आदमी कितने दिनों तक जिन्दा रहता है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व की बात यह है कि कौन आदमी क्या करता है । इतिहास पहले भी लिखा गया और आगे भी लिखा जायेगा-

समय की शिला पर मधुर चित्र कितने,

किसी ने बनाये, किसी ने मिटाये ।

कोई यहां रहने वाला नहीं है । हम सब लोग अपने अपने पार्ट अदा करने के लिये यहां आये हैं । जिसके भाग में जो पार्ट लिखा हुआ है, वह उसे अदा करेगा लेकिन यह रंगमंच है, इस पर जो पार्ट आप अदा करें, आज आपके माथे पर बहुत बड़ा दायित्व आया है, उस दायित्व को आप निभाने का काम कीजिये। आप इस बात को देखिये । जैसा हमने कहा, जनता जल, लैफ्ट फ्रंट और नेशनल फ्रंट की तरफ से, हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ, सरकार जो भी कदम उठाना चाहेगी, राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, क्रिमिनलाईजेशन को रोकने के लिये, ब्लैक मनी को रोकने के लिये, अपराधीकरण को रोकने के लिये, हम आपसे दो कदम आगे हैं और इसीलिये सदन में नियम 184 के अंतर्गत जो मोशन लाया गया है, उसके पीछे यही कारण है कि सदन इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे और देखे कि समय बहुत हो गया है, जो एक्सीडेंट होने वाला है, क्या इस अंतिम समय में भी

आप चेन-पुलल कर सकते हैं या नहीं और यह सदन सक्षम है या नहीं ? जो अरबी घोड़ा है, जो पागल हाथी है, जो भ्रष्टाचार सुरसा की तरह बढ़ रहा है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए और जो पार्टी, जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन इसके लिए दोषी हो,उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे । लेकिन साथ ही साथ जो सरकार पावर में बैठी हुई है, वह आत्मचिंतन करे और पिछले 5 साल में आपने जो कुकर्म किया है, उसके लिये आपको पश्चाताप करना चाहिये । पश्चाताप करने के साथ-साथ भविष्य में आप देखें कि आपके पास जो दो-तीन महीने का समय बचा है, उसके बाद जो होने का है, वह तो सब जानते हैं । आप अभी भी इसमें कोई ठोस निर्णय ले सकें तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको बोलने का समय दिया और मुझे यह प्रस्ताव संकल्प पेश करने का मौका मिला ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करें ।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री पासवान जी ने अपने भाषण के अंत में जो कुछ कहा है इसका उचित उत्तर दिये जाने की जरूरत है और मैं उसका उत्तर उस भाषा में दूंगा जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं और कहूंगा ।

[हिन्दी]

> तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे
> मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है ।

[अनुवाद]

यह भारत के लोगों की आवाज है, केवल सरकार की आवाज नहीं है, इस सभा में बैठे हर व्यक्ति की आवाज है । यह ऐसा मौका नहीं है कि हम उंगली उठाकर कहें कि जो कुछ हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है । यह मौका ऐसा है कि हम अपने खुद के दिल में झांकें, अपने दिलों की गहराइयों में देखें और अपने आप से यह प्रश्न पूछें "क्या मैंने राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध कभी आवाज उठाई है ?" क्या मैंने कभी खड़े होकर उस बात पर कोई विरोध प्रकट किया है जिसे पासवान जी ने समाज में केन्सर कहा है ।

महोदय आज यह अवसर है और मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाने के लिये श्री पासवान की इस कोशिश का स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस सदन के माध्यम से सारे देश के लोगों के सामने इसे लागने के लिये, जो इस बारे में चिंतित हैं कि हमारे समाज की क्या हालत हो रही है, हमारी राजनीति की क्या हालत हो रही है, हमने बहुत कम अवसरों पर यह देखा है कि उन्होंने खड़े होकर यह कहा हो कि जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे । मैं यह जानता हूं कि कोई भी यह नहीं कहेगा "कि मैंने आपराधिक कार्य किया है ।" क्या मैं इसका यह अर्थ समझूं कि यह सभा साधु-सन्तों से भरी हुई है ? क्या में यह समझूं कि यह गलती न करने वाले प्रतिनिधियों की पवित्र असेम्बली है । हम में से कोई भी खड़ा होकर यह कहने का साहस नहीं कर सकता "कि मैंने जीवन में किसी दूसरे के प्रति अन्याय किया है ।" इसका यह अर्थ नहीं है कि हममें अन्तरात्मा नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि हम में हिम्मत नहीं है । इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यदि हम खड़े होकर सरकार के विरुद्ध अथवा विरोधी पक्ष के विरुद्ध अथवा किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध नहीं अपितु खुद अपनी ओर उंगली उठायेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा और हमारी भर्त्सना होगी । परंतु इसका कारण यह है कि इस देश में यह कहने की आदत नहीं है कि हम कहें "मैंने गलती की है" या मैंने गलती की है और मैं अपने देशवासियों को बता रहा हूं, मैं फैसले के लिये अपने बराबर के लोगों के सामने खड़ा हूं ।

श्री पासवान ने पांच सालों की बात की है । मुझे विश्वास है कि उनका मतलब चार साल से है । हमारी यह वर्तमान सरकार पिछले चार साल से पदासीन है । उससे पहले दूसरी सरकारें थीं और इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जिनमें श्री पासवान जी की पार्टी की तथा अन्य पार्टियों की सरकारें थी जो आज मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में जोर शोर से हिस्सा लेंगी ।

मैं अपने आप से पूछता हूं "क्या हमने, जब हमारे पास मौका था, भ्रष्टाचार तथा राजनीति के अपराधीकरण के कोढ़ को खत्म करने के लिये कोई कदम उठाये ?" हमारे पास हमेशा मौका था । उदाहरण के रूप में कुछ राजनैतिक दलों को कांग्रेस को सत्ता से हटाने और इस देश में राजनीति को साफ करने, भ्रष्टाचार के मौकों को खत्म करने का मौका मिला था । हमारे महानतम नेताओं पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाये गये । सत्ता ग्रहण करने के कुछ दिनों में ही वक्तव्य दिये गये कि कुछ ही दिनों में सिद्ध कर दिया जायेगा कि कैसे और किस तरह पैसा लिया गया । परंतु एक बार सत्तारूढ़ होने के बाद इस बात को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की गई कि कहां पर और किस तरह पैसा लिया गया ।

अब यह मसला नहीं है कि क्या आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह सिद्ध कर सकते हैं कि उसने पैसा लिया है अथवा उसने कोई आपराधिक गतिविधि की है । मसला यह है "कि किस ढांचे के जरिए हमारी राजनीति से इस बात को दूर किया जा सकता है ।"

3.25 म. प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

इस सभा में हजार दिनों तक इस पर चर्चा करने के बाद भी यह रोग दूर नहीं होगा । देश के उच्चतम पद पर आसीन व्यक्ति के इस बारे में कुछ कहने से भी दूर नहीं होगी । यह हमारे सबके मिलकर बैठने और यह कहने से भी खत्म नहीं होगी कि हम राजनीति से आपराधिक तत्वों को दूर करना चाहते हैं । यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं, यदि हम अपने समाज के प्रति ईमानदार हैं, हम सब जानते हैं कि इन दिनों चुनावों में सबसे अधिक सफलता पाने वाले वह लोग हैं जिनके पीछे गुण्डागर्दी का बल है वे उन लोगों से ज्यादा बलवान हैं जिनके पास मात्र पैसा है । पैसे वाले लोग संसद में नहीं आ सकते जबकि अपराधी लोग संसद में आ सकते हैं । अपराधी तत्व विधान समभाओं में आ सकते हैं और वे पैसा बनाने के लिये विधानसभाओं में, संसद में और सरकार में आते हैं । उनके लिये राजनीति धन का स्त्रोत है । उनका कोई ख्वाब नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई चेप्टा नहीं । यहां पर ऐसे अनेक लोग है जिन्होंने अनेक वर्षों तक देश की सेवा की है, वर्षों उस देश के बारे में ख्वाब देखे हैं जिसमें वह रहना चाहते हैं । मुझे विश्वास है कि इस पहल के कारण सभा आज इस पर चर्चा करेगी और इस सदन के दोनों पक्षों के वह लोग इसमें हिस्सा लेंगे जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है । यदि इस राष्ट्र के निर्माण में केवल एक पक्ष का ही योगदान होता तो यह अब तक खड़ा न रहा होता । दो खम्बों के हिलते रहने और गिरने की धमकी देते रहने के कारण यह राष्ट्र न बना होता । यह राष्ट्र तो चार खम्बों पर खड़ा है। यह पूरी तरह से मजबूत हैं क्योंकि इसमें सभी का योगदान है यदि आज हम अपनी आत्मा में खोज कर इस बात पर विचार करें कि हमारे समाज का रोग क्या है, हमारे शासन की प्रणाली का दोष क्या है तो हमें इस पर भी विचार करना है कि अपराध क्या है । इस सभा में ऐसे सदस्य हैं जो यह समझते हैं कि किसी पूजा स्थल को गिराना अपराध है । इस सभा में ऐसे सदस्य है जो इस बात में विश्वास नहीं करते कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, जिस जाति के वे नहीं है, हिंसात्मक प्रचार करना अपराध है । इस सभा में ऐसे सदस्य भी हैं जिनका यह विश्वास है कि किसी उद्योग के विरुद्ध अथवा सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन चलाने की अनुमति है । इस सदन में ऐसे सदस्य हैं जिनका विश्वास है कि किसी दूसरे धर्म के प्रति अपना विरोध हिंसा के जरिए व्यक्त करना गैर-कानूनी नहीं है । हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिये और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पासवान जी ने भी उठाया है कि हम सब इस बात पर सहमत क्यों नहीं हो जाते कि हम ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे जिनका पहले अपराधिक रिकार्ड रहा है । आप आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति की परिभाषा कैसे करेंगे ? क्या आप आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में करेंगे जिस पर उस समय की सरकार ने अपराध आरोपित किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे हितों के विरुद्ध है । यदि हम आप सब लोगों के विरुद्ध आरोप लगायें तो क्या इसका मतलब यह होगा कि आप चुनाव न लड़ें और यदि आप हमारे विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाऐं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिये ? इस देश में वास्तव में कितने मामलों में दोषसिद्धि होती है ? क्या हम यह नहीं जानते कि इस देश में एक प्रतिशत से कम मामले ऐसे चरणों पर पहुंचते हैं जिसमें जाँच न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध किया जाता है । टाडा कानून के अधीन हम कितने लोगों को दोषी सिद्ध करवा सके ? कितने मामलों में उपयुक्त समय के भीतर लोगों को दोषी सिद्ध कराया जा सकता है । मैंने उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस की है । दूसरे पक्ष के अनेक लोगों ने भी की है । किसी अपराध के होने के 15,20,30 और 40 सालों के बाद हम उच्चतम न्यायालय तक मामले को ले जा पाते हैं और न्यायाधीश निराशा के साथ देखता है । वकील को भी निराशा का सामना करना पड़ता है । जिसके विरुद्ध दोष सिद्ध होता है वह भी समझता है कि उसे न्याय नहीं मिला और न ही समाज यह सोचता है कि सजा के तौर पर उसे कुछ मिला है । इस स्थिति में हम क्या बात कर रहे हैं ? हमें पहले यह तय करना चाहिये कि अपराध क्या है ? हमें पहले यह तय करना चाहिये कि अपराध को कैसे रोका जा सकता है । हमें उस चरण पर विचार करना है जिस पर अपराधी व्यक्ति को प्रणाली से मदद मिलती है और जो सभ्य समाज की जरूरतों के प्रति जागरूक नहीं है । क्या न्यायालय सभ्य समाज की जरूरतों के प्रति जागरूक हैं ? हमने अनेक नए संस्थान बनाये हैं । परंतु क्या लोक पाल लोकतांत्रिक समाज की जरूरतों के अनुरूप है ? क्या सतर्कता आयोग सभ्य समाज की मांगों को पूरा करने में समर्थ है ? क्या गलतियों का पता लगाने के लिये बनाये गये सभी जांच आयोग फैसला कर पातें हैं और किसी को सजा दिलवा पाते हैं ? विश्व की ओर देखें । हम देखें कि वहां पर उस माफिया से किस तरह निपटा गया जिसे कोई चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता था । वहां पर आज सरकार उससे इस ढंग से निपट रही है जिस तरह किसी भी सभ्य समाज को अपराध से निपटना चाहिये ।

जरा देखिये कि संयुक्त राज्य अमरीका में क्या हुआ है । उन्होंने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया और सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रपति दोषी है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने को बाध्य कर दिया । परंतु यहां पर हम केवल खड़े होकर प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति पर आरोप लगाने लगते हैं और आरोप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते । हमने संयुक्त संसदीय समितियां गठित कीं । क्या यहां पर कोई भी जागरूक व्यक्ति यह कह सकता है कि समिति ने निश्चित रूप से यह कहा हो कि अमुक व्यक्ति अपराध का दोषी है, भ्रष्टाचार अथवा उसने दुराचरण किया है और इस कारण उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये । हमने देखा है कि यहां मंत्री परिषद के सदस्यों को इस कारण हटना पड़ा कि उन पर आरोप था कि उन्होंने एक साधारण फाईल को अपनी मेज से आगे भेजने में 20 दिन का समय लगा दिया । हमने मंत्रियों के विरुद्ध तकनीकी दोष निकाले हैं । आपने उन मंत्रियों को मंत्री परिषद के बाहर जाने को केवल इस कारण बाध्य किया कि आप की भावनाओं को सन्तुष्टि मिल सके कि आपने युद्ध करके किसी दूसरे बड़े को परास्त किया । परंतु क्या हमने ऐसे किसी तन्त्र को ढूंढा है और सरकार को उसका सुझाव दिया है जिसके साथ हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें और देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोक सकें ?

इस देश में किस तरह के अपराध होते हैं ? यहां पर आतंकवाद जैसा अपराध है । यहां पर महिलाओं के प्रति हिंसा का अपराध होता है । यहां पर धन उजाड़ने का अपराध होता है । यहां पर आर्थिक अपराध होते हैं । यहां पर

अल्पसंख्यकों के दमन के अपराध होते हैं । यहां पर ऐसे लोगों पर अत्याचार के अपराध होते हैं जो अपने आप को बचा नहीं सकते । इस तरह के अपराधों में से सरकार कौन से अपराध चाहती है । और ऐसे कौन से अपराध है जो इस कारण हो रहे हैं कि हम यहां पर जिस पर यह आवाज नहीं उठा सकते कि यह हो सकता है कि मैं इस सदन में फिर से चुनकर न आ सकूं परंतु मैं कम से कम इस बात की कोशिश जरूर करूंगा कि मेरे भारत के एक छोटे से हिस्से, मेरे भारत के छोटे से वर्गमील इलाके को उस मनोवृति से मुक्त कराने का प्रयास करूंगा जिसने इस देश के शासन तंत्र को विध्वंस किया है ।

यह कहना ही काफी नहीं है कि यह प्रकृति 1969 में अथवा 1975 में आरंभ हुई । हम यह कह सकते हैं कि यह प्रवृति 1977 में पैदा हुई । आप यह कह सकते हैं कि यह प्रवृति 1991 में आरंभ हुई । इस सदन में किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने अथवा दलीलें देने से इस देश से वह मूल समस्या हल नहीं हो जायेगी जो आज हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है । मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य से विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जब उसने खड़े होकर यहां पर शपथ ग्रहण की थी अथवा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे क्या उस समय उसने यह कहा था कि मैं निर्वाचित हो गया हूं और मैंने उतने पैसे के साथ चुनाव लड़ा था जितना व्यय करने की अनुमति है । यहां पर ऐसे विख्यात वकील हैं जो अपने तर्कों के साथ यह सिद्ध कर देंगे कि खर्च किया गया पैसा किसी सदस्य के द्वारा नहीं परंतु उसके समर्थकों के द्वारा खर्च किया गया था । वह ऐसे लोगों के द्वारा खर्च किया गया था जो उसके समर्थक थे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अपका कानून ही ऐसा है ।

श्री सलमान खुर्शीद : कोई भी कानून सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता । संसद कानून बनाती है । यदि इस मूल सिद्धांत को ही नहीं समझा जाता तो हम इस देश से भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को कभी भी खत्म नहीं कर सकेंगे । कानून संसद द्वारा बनाये जाते हैं । सरकार जनता की है किसी राजनैतिक दल की सरकार नहीं है । परंतु जब हम यहां पर खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाते हुए अथवा किसी राजनैतिक दल पर आरोप लगाकर अपनी ईमानदारी की बात करते हैं तो हम आगे बढ़कर यह क्यों नहीं कहते कि एक ईमानदार पार्टी, एक ईमानदार सांसद, एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में हम खड़े होकर स्वयं अपनी पार्टी के गलत काम का विरोध करेंगे । कांग्रेस में बहुत बुराईयां है । परंतु दूसरी सभी पार्टियों में भी तो बुराईयां हैं....(**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : आप शुरुआत कर सकते हैं ।

श्री राम नाईक : आपने अभी-अभी सरकार की आलोचना की है । अब कुछ ईमानदारी भी दिखायें । हम देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं ।

श्री सलमान खुर्शीद : अभी बहुत से भाषण होने हैं । चिंता मत करें । हम आपके एक ईमानदारी वाले काम के जवाब में इस ओर के 10 काम गिना देंगे। मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं । परंतु कृपया इस ओर पत्थर फैंकने से पहले इस बारे में निश्चित हो लें कि आपका घर शीशे का न हो ।

मैं कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूं । इस देश में मीडिया की क्या स्थिति है ? इस देश में पुलिस की क्या स्थिति है ? इस देश में प्रशासन की प्रक्रिया की क्या स्थिति है जिसके द्वारा एक सप्ताह में हम जानते हैं कि किस सरकार की बात की जा रही है-तीन जिला मजिस्ट्रेटों को एक जिले में बदल दिया गया, जहां एक जिले में तीन पुलीस के एक एस. पी. बदल दिये गये, जहां पूजा के एक बड़े स्थान पर एक बड़ी घटना की धमकी से दो दिन पहले पुलिस के प्रमुख को बदल दिया गया । क्या इस तरह की गतिविधियां अपराधियों को संकेत देने के लिये है या इस तरह की गतिविधियां ईमानदार व्यक्तियों को संकेत देने के लिये हैं ? क्या इनसे ईमानदार को यह संकेत देने के लिये हैं ? क्या इनसे ईमानदार को यह संकेत मिलता है कि "तुम सुरक्षित रहोगे ।"

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उन लोगों को सन्देश भेजे जो उस सरकार को गिराने के लिये षडयन्त्र बना रहे हैं जो सरकार कानूनी अथवा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है ।

श्री सलमान खुर्शीद : मुझे इस बात से खुशी हुई है कि मेरे विद्वान मित्र ने जिस सरकार की बात की है उसकी शक्ति उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं अपितु पुलिस के डी. आई. जी. पर निर्भर करती है ।

हमें अपने आप से यह मूल प्रश्न पूछना है वह यह है कि "हम वर्तमान राजनीति की वास्तविकताओं और मजबूरियों से किस हद तक समझौता करने को तैयार हैं" हम धर्मात्मा नहीं हैं । हम में से अनेक को जानते बूझते समझौता करना पड़ता है और अनेक को अनजाने में करना पड़ता है । हमारे पास फोटो हैं । मेरा एक ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो खींचा गया जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है । मुझे यह कहने में कोई मजबूरी नहीं है कि जिसके साथ मेरा वह फोटो है वह मेरा ऐसा मित्र नहीं है जिसका मैं किसी भी काम में समर्थन करूंगा । परंतु में अपना बचाव किस तरह से करूं ? जनता का नुमाईंदा होने के नाते क्या मुझे इस बात को देखना होगा कि मेरे साथ कौन फोटो खिंचवा रहा है अथवा कौन नहीं खिंचवा रहा है ? क्या विपक्ष के नेताओं के साथ मेरे जो फोटो है उनमें जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो लोग हैं उनके बारे में मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ?

हम स्वयं कैसे ईमानदार बनेंगे ? क्या हम केवल संसद में खड़े होकर मंत्रियों के विरुद्ध अवांछित व्यक्तियों के साथ संबंध रखने के आरोप ही लगाते रहेंगे या खड़े होकर कहेंगे "कि मेरा इस व्यक्ति के साथ संबंध है जो अवांछनीय व्यक्ति है ।" मुझे अब पता चला है "कि उक्त व्यक्ति अवांछनीय व्यक्ति है ।" मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि अपनी आंखें खोलें और कहें "यह व्यक्ति अवांछनीय है ।" यही मूल सच्चाई है जिसके जरिए हम इस मसले से निपट सकते हैं । हमारे अपने राष्ट्र से सामूहिक आडम्बर को खत्म करना है । सामूहिक कपट उसी समय शुरू हो जाता है जब हम अपने आपको जनता के सेवक कहते हैं और अपने आपको सेवक मानने लगते हैं । हम अपने आपको सेवक बताये बिना जनता कैसे बन सकते हैं । कौन सा ईमानदार सांसद यहां खड़ा होकर कह सकता है कि वह अपने स्वयं के वेतन के साथ उस सारे खर्चे को वहन कर सकता है जो उसे 10 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के वहन करना पड़ता है । मैं साम्यवादी दलों के लोगों के बारे में गवाही दे सकता

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उसके कारण पर वह प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यही मैं कहना चाहता हूं ।

महोदय, सारा प्रस्ताव शक्ति के बिना है । इसे बहुत ही अनपकारी शब्दों में लिखा गया है "सरकार वोहरा समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगी? उसके बाद इसमें कुछ नहीं है । मेरे सामने एक दिक्कत है क्योंकि मेरी दिक्कत प्रस्ताव के शब्दों के बारे में है । अत: मैं शासक दल द्वारा अब यह कहे जाने पर बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ हूं कि वह दल श्री रामविलास पासवान के प्रस्ताव का समर्थन करता है । यह एक तरह से खाली संकेत हैं....(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत कर सकता है और उस संशोधन पर मतदान होगा ।....(व्यवधान)

श्री जसवन्तसिंह : मुझे अपने सीमित ढंग से अपनी बात कह लेने दें । प्रस्ताव के बारे में हमारी कोई भी परेशानियां हों अब हम निश्चत रूप से वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं । इस वोहरा समिति के प्रतिवेदन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा । सबसे पहले, वोहरा समिति की यह रिपोर्ट क्या है? इसका मूल क्या है? इसका विषय क्षेत्र क्या था? इसके निर्देश पद क्या थे? श्री रामविलास पासवान ने उनका उल्लेख किया है, मेरे विचार से मेरे लिये यह जरूरी है कि मैं यह स्पष्ट करूं कि महोदय वोहरा समिति की रिपोर्ट स्वयं सरकार की अपनी रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय की सिविल सेवा के प्रमुख ने पेश की है । इस रिपोर्ट की मांग सरकार ने स्वयं की थी । इसी सरकार ने इस अफसर को इस काम के लिये नियुक्त किया था । यह रिपोर्ट कार्यपालिका द्वारा इस सरकार के कार्यकरण के बारे में तैयार की गई है । साधारण रहन-सहन और ऊंचा सोचना अथवा इस तरह की सामान्य बातें करना कोई अच्छी बात नहीं है । इस प्रकार की बातों से हम प्रभावित नहीं है । हम केवल....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अथवा बिल्कुल न सोचना....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : इसी कारण मैंने रिक्तता की बाते की हैं ।

वोहरा समिति की रिपोर्ट के निर्देश पद क्या थे? यह केवल तीन वाक्यों में थे और मैं उद्धत करता हूं :

"उन अपराधी सिंडीकेटों । माफिया संगठनों की गतिविधियों के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी पर विचार करना जिन्होंने सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ संबंध बना लिये थे और उनसे संरक्षण प्राप्त कर रहे थे ।" हम सरकारी अधिकारी नहीं हैं परंतु राजनैतिक व्यक्ति हैं ।

वोहरा समिति ने यदि दूसरों को अपराधी ठहराया हो तो हमें भी निश्चित रूप से अपराधी ठहरा सकती है । आरंभ में जब मैंने श्री वोहरा का उल्लेख किया, जो अब सेवा में नहीं हैं, यह केवल इस कारण किया क्योंकि यह उनके नाम से है । इसके लेखक वह हैं । यह बहुत ही जोरदार बात है जिसका मैं बार-बार उल्लेख करूंगा । उनका कहना है "मैंने अनुभव किया कि कुछ सदस्य" और जिन सदस्यों का उल्लेख है वह हैं विख्यात सिविल अधिकारी, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी । मैं सदन में उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु उसमें कहा गया है कि :

> "बातचीत के दौरान मैंने अनुभव किया कि ऐसा लगता था कि कुछ सदस्यों को खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में झिझक हो रही थी और उनको इस बारे में सन्देह दिखाई देता था कि सरकार वास्तव में ऐसे मामलों का अनुसरण करना चाहती थी ।"

यह रिपोर्ट के पहले पृष्ठ पर है जो भारत सरकार के गृह सचिव ने लिखी है ।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसका उल्लेख किया है यह भी कहा जायेगा कि यह रिपोर्ट किसी जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं है, यह संसद की किसी समिति की रिपोर्ट भी नहीं है । यह सिविल सेवा की अपनी सरकार को दी गई रिपोर्ट है ।

इस रिपोर्ट का मूल क्या है? सरकार ने कहा कि हम सरकार में बहुत अधिक आपराधिक गतिविधियां, माफिया गतिविधियां देखते हैं । कई रिपोर्टें प्राप्त हुई है । क्या गृह सचिव को यहां बुलाया जायेगा कि आकर हमें बतायें कि उनको क्य मिला? सरकार ने स्वयं इस बात के लिये समिति गठित की थी कि पता लगायें कि सरकार के भीतर क्या हो रहा है? (व्यवधान)

वास्तव में स्पष्ट स्थिति यह है । मैं संक्षेप में इस रिपोर्ट का विश्लेषण करूंगा क्योंकि मेरे विचार से इस रिपोर्ट के सात मुख्य पहलू हैं जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है ।"यह बहुत ही उत्तम और वास्तव में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ।" यह सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं है । यह सीमाओं में रहते हुए हल्के ढंग से कही गई बातें हैं ।

दूसरी बात यह है कि इसकी विषय वस्तु बहुत चिंताजनक है ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इस कारण चिंताजनक है । मैं उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करूंगा कि इसमें जो कुछ कहा गया है वह उसी सरकार के लिये, जिसने समिति को इस रिपोर्ट का काम सौंपा, निंदाकारक है । यह रिपोर्ट के राजनीति में अपराध तक ही सीमित नहीं है । यह बहुत ही व्यापक रिपोर्ट है । मेरे विचार से इसने एक बहुत ही गहरे रोग का पता लगाया है । इस रिपोर्ट को एक बार यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह समस्या बहुत ही व्यापक है । इसमें, यद्यपि सीमित भाषा में ही सरकार के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, व्यापार, मीडिया, न्यायपालिका तथा कानूनी प्रणाली को कवर किया है । इसके बावजूद शासक दल इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि, आगे आकर भी इसका उल्लेख तक न करें खैर बहुत हो गया ।

इस रिपोर्ट का दूसरा अभिभूत करने वाला पहलू क्या है ? इस रिपोर्ट ने, जो अधिकारियों की रिपोर्ट है, उन आरोपों की अधिकृत रूप से पुष्टि की है जो बात हम, प्रत्येक विपक्षी दल, सरकार पर काफी समय से आरोप लगाते रहे हैं । यह बातें हैं राजनीति में अपराध, न्यायपालिका की स्थिति तथा कार्यपालिका की स्थिति । हर बार जब हमने इस बार की तरह जब भी इस बढ़ रहे रोग का उल्लेख किया तो उस मामले को या तो छोड़ दिया गया अथवा इसे पूरी तरह से टाला गया ।

इसे 1992 में पेश किया गया था और इसमें इस पर कार्यवाही करने की बात कही गई थी । 1993 से लेकर अगस्त 1995 के अंत तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । महोदय, किसी का नाम लिये बिना भी यह रिपोर्ट पूरी तरह से विशिष्ट है और इस सरकार की पूरी तरह से निन्दाकारण है । किसी का भी नाम लिये बिना इस रिपोर्ट ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है या किन्ही विशेष प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है । मैं इसके बड़े पहलुओं की ओर बढने से पहले इनका उल्लेख करूंगा ।

4.00 म. प.

इस रिपोर्ट में केवल 2 व्यक्तियों का नाम दिया गया है । इसमें विशेष रूप से 2 विशेष प्रकार के अपराधों को उजागर किया गया है । इसमें राज्यों के दो ग्रुपों की पहचान की गई है । इसके अतिरिक्त, इसने न्यायपालिका पर टिप्पणियां की गई है और अपराध के अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को उजागर किया है जो देश में फैल रहा है । इस रिपोर्ट में पहला नाम जो लिया गया है वह नाम है इक्बाल मिर्ची का ।

मैं पृष्ठ 2 पर पैरा 3-4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं :-

''इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने बम्बई के इक्बाल मिर्ची का नाम लिया जो 80 के दशक के अंत तक लाभ उठाने के लिये मालवाही एवं यात्री जहाजों पर जाकर वहां से शराब तथा सिगरेट हासिल करता था'' मैं शेष अंश नहीं पढूंगा । परंतु निष्कर्ष यह है कि जिस बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

''मिर्ची की प्रगति का राज यह है कि प्रवर्तन एजेन्सियों ने उसके विरुद्ध समय पर कोई कार्यवाही नहीं की और बाद में यह काम शायद इस कारण मुश्किल हो गया कि उसने बहुत संरक्षण हासिल कर लिया था । यदि मिर्ची के मामले की जांच की जाये तो उसके द्वारा हासिल किया गया संरक्षण तथा उसके संबंधों का पता चल जायेगा । निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने टिप्पणी की कि मिर्ची के तरह के ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें आरंभिक असफलता के कारण विशाल माफिया का आकार सामने आ गया जिनसे निपटना मुश्किल हो गया है।''

इससे अनेक प्रश्न पैदा होते हैं । 80 के दशक का अन्तिम भाग, संरक्षण, सुरक्षा के साथ लाभ, अब इतना बड़ा आकार धारण कर लेगा कि निपटना मुश्किल बन गया और इस तरह के अनेक मामले । दूसरे जिस व्यक्ति का इसमें नाम है वह है दाऊद इब्राहीम जिसके बारे में काफी कुछ जानकारी है ।

उसके बाद उन्होंने अपराधियों के गुटों का उल्लेख किया है । मैं पृष्ठ 4 पर पैरा 6.2 की ओर इशारा कर रहा हूं :

''निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तरह डी. आई. जी. ने भी कहा है कि आपराधिक गुटों, सशस्त्र सेनाओं, ड्रग माफिया, तस्करी करने वाले गुटों, मादक औषधियों को बेचने वालों तथा देश में आर्थिक लाबीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि एवं उनका फैलाव हुआ है जिन्होंने इन वर्षों में अफसरशाही, स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों, मीडिया के लोगों तथा गैर-राज्य क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर काम करने वाले लोगों के साथ सम्पर्कों का बड़े पैमाने पर नेटवर्क स्थापित कर लिया है । इनमें से कुछेक सिंडीकेटों के तो विदेशी गुप्तचर एजेन्सियों सहित अन्तराष्ट्रीय संबंध हैं ।''

मैं नहीं जानता कि किसी भी सिविल सेवा अधिकारी से आप इससे अधिक स्पष्ट बात की क्या अपेक्षा कर सकते हैं और इसके बावजूद यदि सरकार अथवा उसके प्रवक्ता अथवा उसकी ओर से हस्तक्षेप करने वाले यह कहें कि कुछ भी गल्त नहीं है तो हम यही कह सकते हैं ''आओ हम खड़े हो और बोलें ''मेरा-दोष है'' ।'' मुझे इसकी अप्रासंगिकता पर स्वयं बहुत हैरानी हो रही है । रिपोर्ट में इस श्रेणी के अन्तर्गत तीन राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है । इसने बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नाम लिया है । वास्तव में हम देखें कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है । इसमें कहा गया है कि समस्या की यह पूरी बीमारी है ।

अगला मुद्दा तस्करी का है । तस्करी के बड़े सिंडिकेटों, तस्करी के गुटों, माफिया और स्वापक औषधियां-आतंकवाद के संबंध में यह दूसरा पहलू है ।

इसमें कहा गया है कि माफिया के कुछ स्वापक औषधियों तथा स्वापक-औषधियां-आंतकवाद नेटवर्क की ओर चले गये हैं और इस संबंध में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों का नाम लिया गया है । मैं यह किसलिये बता रहा हूं ? केवल इसलिये कि सरकार के पास यह जानकारी है सरकार के पास पिछले 2 साल से यह जानकारी है । यह स्वयं सरकार की अपनी रिपोर्ट है जिसने अपराध की मुख्य श्रेणियों का उल्लेख किया है और लोगों के मुख्य वर्गों का उल्लेख किया है और उन राज्यों का नाम बताया है जहां यह सब हो रहा है ।

महोदय, मैं एक विशेष वाक्य यहां पर जरूर पढना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार से वह बहुत ही चिंताजनक है । यह पृष्ठ 4 पर पैरा 6.2.2 में है । मैं उद्धत करता हूं :-

'' यहां तक कि न्यायपालिका के सदस्य भी माफिया की गिरफ्त से अछूते

नहीं बचे हैं ।'' मैं नहीं जानता कि इसके बाद भी हम उन बातों को कहते रहेंगे जो कुछ नहीं कहा गया है । महोदय इसमें अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं का भी उल्लेख है। सबसे बड़ी निन्दाजनक बात आसूचना ब्यूरो के निदेशक ने कही है और मैं उद्धत करता हूं :

''माफिया नेटवर्क एक प्रकार से समानान्तर सरकार चला रहा है और उसके कारण राज्य का ढांचा अप्रसांगिक बन रहा है''

यह मेरा वाक्य नहीं है । यह सरकारी रिपोर्ट का ही वाक्य है । मैंने तो कुछ ऐसे विशेष पहलुओं का उल्लेख करना जरूरी समझा है जो समिति के अधिकारी द्वारा दो साल पहले सरकार को बताये जा चुके हैं ।

अत: मेरे विचार से आगे बताये गये कुछ प्रमुख विषय ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं । हमारे सामने राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण की समस्या है । यह केवल उस पर चर्चा मात्र नहीं है । मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इसकी व्याख्या करूं । एक दूसरे पर आरोप लगाकर यह इतना बहुत आसान है कि अपराध क्या है, अपराधीकरण क्या है और अपराध का स्वरूप क्या है, आदि आदि...(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : कौन इससे बचा हुआ है ?....(व्यवधान)।

[हिन्दी]

जसवंत जी, एक मिनट ।

एक दफे कुछ लोग जीसस क्राइस्ट के पास एक औरत को लेकर गये और उनसे कहा कि यह बदचलन है इसको स्टोन टू डैथ कीजिए । हमारे सलमान खुर्शीद का भाषण हो रहा था, मैं सोच रहा था कि कहां की बात कहां ले गये । उस औरत से क्राइस्ट ने कुछ नहीं पूछा और कहा कि ठीक है आप लोग कहते हो तो आपकी बात मैं मान जाता हूं, लेकिन वही स्टोन टू डैथ करे जिसने कोई खराब काम नहीं किया ।

श्री सलमान खुर्शीद : आप इनके और हमारे बीच जज बन जाइये ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मेरा सबसे पहला मुद्दा राजनीति के अपराधीकरण का है । यह पहला बड़ा मसला है और दूसरा मसला है अपराध का राजनीतिकरण । मेरा विचार है कि हमें इस पर विचार करना चाहिये । परंतु वास्तव में मेरे पास विस्तार में जाने के लिये समय नहीं है । शायद यह जरूरी भी नहीं है ।

मेरा दूसरा मुद्दा जो इस रिपोर्ट से उठने वाला बहुत महत्वपूर्ण मसला है वह वास्तव में भारत देश की स्थिति है । परंतु मैं समझता हूं कि दाऊद इब्राहीम अथवा इक्बाल मिर्ची ने जो कुछ वह नहीं परंतु हमारे सामने जो समस्या है उसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों वाले पहलू को स्पष्ट करने के लिये उसका उल्लेख करना जरूरी है । बम्बई बम काण्ड तथा सूरत और अहमदाबाद में हुये साम्प्रदायिक दंगों ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय अन्डरवर्ल्ड का पाकिस्तान को आई. एस. आई. और उसके संयुक्त अरब अमीरात में फैले नेटवर्क को हमारे देश में विभिन्न भागों में तोड़फोड़, विध्वंस एवं साम्प्रदायिक तनाव फैलाने में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है ।

महोदय यह रिपोर्ट केन्द्रीय गृह सचिव ने रा, आसूचना ब्यूरो के निदेशक तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सलाह मशिवरे एवं सहयोग से तैयार की थी । यह सब उसकी अपनी कल्पना की खोज नहीं है और उन्होंने यदि स्पष्टरूप से लिखित में आई. एस. आई. तथा यू. ए. ई. में आई. एस. आई. के नेटवर्क का हाथ होने तथा उसके परिणाम भारत में बम्बई से सूरत तथा अहमदाबाद में दिखाई देने की बात की है तो हम इसे हल्के ढंग से नहीं ले सकते । इसी के कारण आसूचना ब्यूरो के निदेशक ने कहा था और मैं उद्धत करता हूं :

''कि माफिया का नेटवर्क वस्तुत: समानान्तर सरकार चला रहा है ।'' मेरा अगला मुद्दा गम्भीर चिन्ता का विषय है । यह भारत देश की स्थिति के बारे में है । जब हमारा राज्य कमजोर बना दिया जाता है तो तब उसकी सत्ता का कोई आधिपत्य नहीं रहता और उस स्थिति में न्यायिक एवं कानून प्रणाली वस्तुत: नष्ट हो जाती है । इन बातों का नागरिकों पर असर पड़ता है । उस स्थिति में राज्य नागरिकों का संरक्षक नहीं रहता । राज्य अपराध एवं नागरिक के बीच बाधा के रूप में नहीं अथवा बफर के रूप में नहीं रहता ताकि नागरिकों को अपराध के प्रहार न सहन करने पड़े । स्वयं राज्य जैसा कि इस रिपोर्ट से सिद्ध होता है अथवा दिखा दिया है, उस अपराध का विस्तार बन जाता है । इस रिपोर्ट ने यह जो बात उठाई है वह साधारण बात नहीं है । इस पर इस सरकार ने केवल इतना भर कह दिया है ''हां, हम कार्यवाही करेंगे'' औरयदि हम इस सभा में केवल संकल्प पारित भर कर दिया अथवा हम संसद के किसी न किसी नियम के अन्तर्गत संकल्प पारित करने में असमर्थ रहे तो मेरे विचार से वह मुद्दे का जवाब नहीं होगा ।

महोदय, अगला पहलू अपराध एवं उसके स्वरूप का है । मैं उस पर पहले ही अपने विचार बता चुका हूं । इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों एवं सिविल अधिकारियों के अपराध का प्रश्न है । इसके साथ ही न्यायपालिका का भी पहलू है । हालांकि मैं इस बारे में अपने विचार कह चुका हूं किन्तु फिर भी एक और बात है जिसके कारण इसे दोहराने की जरूरत है । यदि आप पृष्ठ 8 पर पैरा 7.5 (एक) को देखेंगे तो उसमें कहा गया है ।

''आपराधिक न्याय प्रणाली की चरम असफलता; मुकदमों की समय पर सुनवाई नहीं होती; सरकारी वकीलों का कार्यकरण पूरी तरह से अपर्याप्त है; इस स्थिति के कारण दोष सिद्धि बहुत कम मामलों में हो पाती है और बहुत हल्की सजा मिल पाती है....

यह बहुत ही गंभीर आरोप है । समिति का यह आरोप न्याय पालिका पर और सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली पर है ।

महोदय अब मैं संक्षेप में उस प्रश्न का उल्लेख करूंगा जिसके बारे में इस रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है वह प्रश्न है अपराध और मीडिया का। यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की हाल की घटनाओं से जिस बात का इशारा मिलता है उससे पता चलता है कि अपक्षय कितना अधिक अथवा किस हद तक हो गया है । अपराध अब केवल राजनीतिज्ञों के क्षेत्र में ही नहीं रह गया है । मीडिया के द्वारा अकारण पुरस्कार स्वीकार करना और मीडिया द्वारा समझौता करने की घटनाएं इस देश में मैंने पहले कभी नहीं देखीं थी । मुझे वास्तव में इस बात का शक है कि उत्तर प्रदेश में मीडिया के द्वारा जिस तरह से समझौते का रास्ता अपनाया गया वह तरीका इस सरकार ने भी पिछले तीन-चार सालों में अपनाया है । आप इस बारे में सारे सदस्यों को दरकिनार कर सकते हैं । परंतु मेरा निश्चित मत है कि न एक दिन वह साक्ष्य अवश्य प्रकट होगा । अत: यह जरूरी है कि हम इस बात को पहचानें कि किस हद तक हमारे गणतंत्र के विभिन्न उन अंगों को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है, जिन अंगों को संविधान के अनुसार इस देश के मूल स्तंभ माना जाता है । उत्तर प्रदेश राज्य में मीडिया के द्वारा समझौता किया जाना हम सब के लिये चिंता का विषय है । इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जवाबदेही अथवा ईमानदारी के बारे में कोई चिंता नहीं है । मैं संगत पैरा पढ़ कर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता । परंतु बोफर्स का नाम लिये बिना जैसेकि बोफर्स कोई गंदा शब्द है । बोफोर्स के बारे में कुछ छिपे तथा अस्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया । बोफोर्स कोई गन्दा शब्द नहीं है । बोफोर्स तो सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और ईमानदारी की खोज तथा उत्कण्ठा को स्पष्ट करता है । यही सब कुछ बोफर्स में है । जनता दल की सरकार स्विटजरलैण्ड या अन्य जिस जगह से जानकारी हासिल करनी थी, वहाँ उसे हासिल करने में असफल रही । परंतु उस आरोप की मुख्य बातें इस समय सबको पता है । अब इस सरकार के द्वारा टालमटोल की जा रही है और पर्याप्त जोर-शोर के साथ स्विटजरलैण्ड के साथ मामले के बारे में आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस सरकार के प्रधान मंत्री ने इस सभा में खड़े होकर यह कहा था कि "मैं बोफोर्स मामले को दैनिक आधार पर देखूँगा करूंगा ।" क्या मुझे कुख्यात सोलंकी घटना की आपको याद दिलाने की जरूरत है ? क्या मुझे चीनी के मामले में जो कुछ है उसके बारे में याद करने की जरूरत है ? क्या मुझे आपको संयुक्त संसदीय समिति के 18 महीनों की रिपोर्ट की आपको याद करने की जरूरत है। क्या मुझे आपकी घरेलू सेवाओं, घरेलू सेविकाओं तथा ड्राईवरों को उदारता से पेट्रोल पम्प दिये जाने के बारे में दूसरी सभा में आज क्या हो रहा है, उसको याद कराने की जरूरत है ? क्या इन सभी बातों की आपको याद कराने की जरूरत है ? वास्तव में इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप इन सब की उपेक्षा कर सकते हैं । आप यह कह सकते हैं कि "इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है । हम पेट्रोल पम्पों का आबंटन भी कर रहे हैं । मैं इस बात से बहुत हैरान हो रहा हूं कि किस लापरवाही से पूरे मसले की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।"

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि भाजपा सांसदों की भी सिफारिश है ।

श्री जसवंत सिंह : मुझे विश्वास है कि सिफारिशें हैं । लोग आगे आकर कहेंगे कि "हमें पता चला है कि पेट्रोल पम्प और गैस एजेन्सियां उदारता से दी गई हैं यदि आप पेट्रौलियम मंत्री को पत्र लिखें तो शायद आपको भी मिल जायेगी ।" मैंने यह इसलिये कहा है कि आपने यह मुद्दा उठाया है । अन्यथा मैं इन बातों का उल्लेख न करता । मुझे बताया गया है कि गैस एजेन्सी 10 लाख रु. में बिक रही है । आप 10 लाख रु. अदा करें और आपको गैस एजेन्सी मिल जायेगी । (व्यवधान) परंतु यदि आपने दखल न दिया होता तो मैंने इसका उल्लेख न किया होता । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मूल विषय की बात करें ।

श्री जसवंत सिंह : मुद्दा यह है । वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित हैं । पिछले चार साल लगातार जब भी मुझे बजट के बारे में बोलने का अवसर मिला मैंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने बहुत ही ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है । मैं व्यक्तिगतरूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं और क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं इस कारण मैंने बहुत पहले उनको चेतावनी दी थी कि वह स्वयं अपने राजनैतिक दल की राजनैतिक मिथ्यावादिता के शिकार हो जायेंगे । (व्यवधान) मुझे बताने दें कि गंभीर चिंता का विषय क्या है । (व्यवधान) जी नहीं । वह अलग चर्चा का विषय होगा । मैं पूरी ईमानदारी सम्मान और भाईचारे की भावना के साथ यह कह रहा हूं कि डा. मनमोहन सिंह मैं डा. मनमोहन सिंह का मान करता हूं । मैं पूरी विनम्रता से यह सब कह रहा हूं कि आप अपने सभी बहादुरी के प्रयासों और अपने पीछे बैठे माननीय श्री पी. चिदम्बरम के प्रयासों के बावजूद आप यदि भ्रष्टाचार के साथ आगे पीछे चलते हुए उस पर काबू पाना चाहते हैं तो आप सफल नहीं होंगे । यह उसी तरह से स्पष्ट है जिस तरह दिन रात से अलग है । यह मेरी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है । आप ऐसा आर्थिक सुधार कार्यक्रम कैसे चला सकते हैं जो सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करने को नजरंदाज करता हो ? मुझे इस मुद्दे पर अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है । दूसरी बात वोहरा समिति के द्वारा कही गयी एक बात के बारे में जो उसने बार-बार बात कही है । किन्तु इसने इसके अलावा क्या किया है इसमें एक बात है जो मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । वह है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है ।

आसूचना ब्यूरो के निदेशक ने पृष्ठ 10 पर कहा है :

"डी. बी. आई. ने कहा है कि किसी नोडल तंत्र की स्थापना पर विचार करते समय इस बात को समझना चाहिये कि इस समस्या का राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव है और यह अत्यधिक राजनीतिकीय की है ।"

इस समस्या का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यदि आप इतने व्यापक भ्रष्टाचार के जरिए राष्ट्र की आत्मा को नष्ट करेंगे, यदि आप राष्ट्र के नैतिक ढांचे को नष्ट करेंगे, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। हर राष्ट्र का एक अनिवार्य गुण होता है, उसकी नैतिक नींव हो और नैतिकता तथा भ्रष्टाचार साथ-साथ नहीं चल सकती । मैं पूरी गंभीरता के साथ यह कह रहा हूं कि यदि आप भ्रष्टाचार के इस कैंसर को इसी तरह पनपते रहने देंगे तो आप राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते ।

मैंने कुछ सिफारिशों का निजी तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय से उल्लेख किया है । उनका अब उल्लेख न करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं सामान्य बातों जवाबदेही, विधायिका, सरकारों और राजनैतिक दलों के सुधार की बात नहीं करूंगा । मेरा यह मत है कि सभी राजनैतिक दलों को लेखाओं की लेखा परीक्षा खुले रूप से करानी चाहिये । इन लेखाओं को वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिये । मैंने यह अनुरोध अपने राजनैतिक दल से भी किया था । मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि राजनैतिक पार्टी के रूप में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हर साल हमारी पार्टी के लेखापरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष एक बार दिये जाते हैं । मैं यह सब इस कारण नहीं कह रहा हूं कि ऐसा अन्यों को भी करना चाहिये ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : क्या आप यह कह सकते हैं कि यह विस्तृत लेखे होते हैं ?

श्री जसवंत सिंह : हमें जो लेखे पेश किये जाते हैं वह विस्तृत ही होते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या आप यह कह सकते हैं कि लेखे वास्तविक होते हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : संभवतया । मैं यह नहीं कह रहा कि वे बिल्कुल ठीक होते हैं....(व्यवधान) मैं विश्वास करता हूं कि यह उचित दिशा की ओर कदम है । मैं यह भी सुझाव नहीं दे रहा कि अन्यों को क्या करना चाहिये ।

दूसरे, मैं कार्यपालिका को सुधारने अथवा न्यायपालिका को सुधारने की बात नहीं कर रहा । हमें अपने आप को सुधारने की बात ही करनी चाहिये । मेरे विचार से हमें अपने राजनैतिक दलों तथा उनके कार्यकरण के सुधार के बारे में अच्छी तरह विचार करने की जरूरत है । राजनैतिक दलों के सुधार में सबसे ऊपर में इस सभा में राजनैतिक दलों में लेखाओं के वार्षिक लेखा परीक्षा की सिफारिश करता हूं । मैं समझता हूं कि हमें, यदि हम उसे संहिताबद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम हितों में टकराव के बारे में एक परम्परा बनानी चाहिये । पहले इस तरह की परम्परा थी कि यदि किसी संसद सदस्य का किसी विषय के बारे में कोई टकवाव होता था जिस पर सदन में चर्चा हो रही हो तो उस संसद सदस्य को उस मामले के बारे में कुछ नहीं करना होगा । मेरे विचार से किसी चरण पर यह समाप्त कर दी गई । मैं समझता हूं कि विश्व में जो कुछ किया जा रहा है उससे आगे बढ़ कर हमें हितों के टकराव की इस संकल्पना को फिर से जिंदा करना चाहिये । हमें इस तरह की बात को एक स्थायी रजिस्टर में उल्लेख करना चाहिये ताकि कोई भी उसे देख सके और उंगली उठाकर कह सके कि "नहीं, यहां पर हितों के टकराव का मामला है । आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं ।" मैंने दो सुझाव दिये हैं । मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि संसद विशेषाधिकार समिति से अलग एक आचार समिति की स्थापना करने पर विचार करे । विशेषाधिकार समिति एक अलग मामला है । यदि संसद ने यह पहल कर दी तो राजचर्चा के 2-3 काम होंगे । यदि हमने इस आचार समिति की स्थापना करने का कदम उठाया तो हम सबको बैठ कर यह तय करना होगा कि वह आचार समिति किस तरह की होनी चाहिये । यदि हमने यह छोटा सा कदम भी उठा लिया तो शायद यह उचित दिशा में उठाया गया कदम होगा ।

मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं खुलेपन की बात करता हूं । खुलेपन और स्पष्टता का कोई विकल्प नहीं है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही घिनौनी बात है कि हम तन्दूर अथवा महिलाओं को मगरमच्छों के आगे डालने जैसी घटनाएं देख रहे हैं । यह घृणित कार्य शब्दातीत हैं । परंतु मुझे यह भी बताया गया है कि इस प्रकार के अपराधों के बारे में सरकार को पेश की गई रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से बताया जाता है । इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जाल इतना अधिक फैल चुका है । जब आप कोई गलत काम करते हैं तो अल्प संक्रामकता को फैलाते हैं । पहले ही देरी हो चुकी है । हमारी बीमारी तेजी से फैल रही है । वास्तव में हमारे पास समय नहीं रह गया है । हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं । हमें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । अन्यथा मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि आने वाली पीढी हमें अर्थात वर्तमान व आगामी लोक सभा को माफ नहीं करेगी ।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : आज इस सभा के सामने एक ऐसा मसला है जिसे इस सभा के अन्य सदस्यों के साथ मैं न केवल व्यक्तियों के लिए अपितु, मुझे अनुमति हो तो मैं कहना चाहता हूं कि सारी भारतीय राजनीति के लिये, हमारी लोकतान्त्रिक सस्थाओं की परिधि के लिये, और सबसे ऊपर लोकतान्त्रिक,धर्म निरपेक्ष एवं समाजवादी आदर्शों से बंधे गणराज्य के रूप में भारत की निरन्तर उपादेयता के लिये बहुत ही गंभीर महत्व का है ।

मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मेरे इधर व उधर के साथी कह चुके हैं । मैं आज की इस चर्चा की पृष्ठभूमि के रूप में हमारे स्वाधीनता दिवस की पूर्व सन्धया को इस साल 14 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण से कुछ उद्धरण पेश करने की अनुमति चाहता हूं । राष्ट्रपति ने कहा और मैं उद्धृत करता हूं :

"हमें इस बात को देखना चाहिये कि नागरिकता स्वयं एक पद है । नागरिकता हमारे संविधान के अन्तर्गत कुछ विशेष अधिकार एवं संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ कुछ कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी प्रदान करती है । जनता की शक्ति जो मौलिक एवं सबसे बड़ी शक्ति है, नागरिक के रूप में हमारे पास है । उस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है । लोगों की शक्ति का उपयोग सतर्कता, मर्यादा एवं औचित्य के साथ किया जाना चाहिये । परंतु इसका उपयोग हर जरूरी मौके पर और समुचित ढंग से किया जाना चाहिये ।"

उसी संभाषण में एक अन्य मौके पर राष्ट्रपतिजी ने कहा और मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"मित्रों, लोगों के प्रति जवाबदेही हमारी राजनीति का मुख्य सिद्धांत है । हमारी स्वयं की जागरूकता तथा प्रयास ही सार्वजनिक प्रशासन एवं इसके कार्यकर्त्ताओं को अत्यधिक रूप से समवेदनशील तथा उत्तरदायी बना सकती है।

हमें अपने आप को यह सुनिश्चित करने के लिये संगठित करना है कि शासन का तंत्र औचित्य के सीधे रास्ते से विमुख न हो जाये । काम निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ, औचित्य की भावना के साथ और व्यावसायिक कुशलता के साथ किया जाना चाहिये ।

हमें लोगों की सेवाओं में निर्धारित कर्तव्यों के इस प्रकार के निवारण को सुनिचित करना है ।''

आगे राष्ट्रपति महोदय कहते हैं :-

''सुधार एवं पुनर्निर्माण का लाभ तभी मिलता है जब उस का लाभ आम व्यक्ति को मिले जब उसके जीवन स्तर में सुधार हो और उसके भार एवं चिंताओं में कमी हो । हमें विकास के अपने प्रयासों में केन्द्रीय उद्देश्य के रूप में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को घटाने की कोशिश करनी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये जनता की आन्तरिक ताकत का आह्वान करना है और एक निरन्तर निगरानी रखनी है । हमारे लोकतन्त्र का यह निचोड़ है ।''

महोदय मैं हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष द्वारा स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व सन्धया पर दिये गये इस प्रभावपूर्ण जोशीले तथा सरल भाषण पर विचार व्यक्त कर रहा था। उस भाषण की पृष्ठभूमि में हम आज यहां पर इस सभा में एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट पर विचार से किसी भी देश में किसी भी संसद के सामने विचार के लिये नहीं आई है । यह रिपोर्ट स्वयं सरकार के द्वारा तैयार की गई है । इसका एक वाक्य ही पर्याप्त है । उसे पहले भी उद्धृत किया जा चुका है परंतु मैं समस्या की गंभीरता को बताने के लिये उसे फिर से उद्धृत करना चाहता हूं ।

''आसूचना ब्यूरो के निदेशक ने बताया है कि माफिया का नेटवर्क राज्य के ढांचे को अप्रसांगिक बनाते हुए वस्तुत: समानान्तर सरकार चला रहा है ।''

मैं पूरी विनम्रता तथा गुस्से के साथ यह कह रहा हूं कि इस संसद को भी अप्रसांगिक बना दिया गया है क्योंकि हम इसके भाग हैं । यह संसद अलग नहीं है जिसे इस देश के शासन से कुछ लेना-देना नहीं है । संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा राष्ट्राध्यक्ष सभी मिलकर गणतन्त्र बनाते हैं और अगर यही स्थिति है, जिसका कि उल्लेख किया गया है तो इस बात का कोई अर्थ नहीं रहता कि हम ऐसी चर्चा को जो हमारी अंतरात्मा को सन्तुष्ट करें, जैसा मेरे एक मित्र ने कहा है, अथवा हमारी आत्मा सन्तुष्ट न हो ।

हम यर्थात स्थिति पर विचार करें । हम देखते हैं कि इन बातों के क्या उत्तर हैं । क्या इस देश की इस सर्वप्रधान संस्था के संदस्य के रूप में बैठकर हम उनके उत्तर देने के सक्षम हैं ? यदि हम सक्षम हैं तो इतिहास में हमारे नाम का उल्लेख उनके साथ लिया जायेगा जिन्होंने देश को उन बुराइयों तथा खतरों से बचाने की कोशिश की जिनका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में दिया है । यदि हम ऐसा करने में समर्थ नहीं तो तब हमारा नाम इतिहास के हवाले पर दिया जायेगा ॥ संसद के रूप में, हम मौके पर खड़े नहीं हुए, हमने उस ढंग से काम नहीं किया जिस ढंग की इस देश की जनता ने हमसे अपेक्षा की । हमारी प्रतिष्ठा दाव पर है । जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया है महोदय इस देश के नागरिकों का ही घिराव किया गया है । क्या हम उस घिराव को समाप्त करने की स्थिति में हैं ? क्या हम नागरिक को इस गणतन्त्र में हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं अथवा क्या यह शक्ति का दिखावा मात्र है जिसका हमने बार-बार उपयोग किया है ? आज सबसे अधिक प्रासंगिकता इस बात की है कि नागरिकता का दमन किया जा रहा है । हर एक ढंग से उस पर असर पड़ रहा है-चाहे वह देश के कानून हों अथवा कोई अपराधी है अथवा वह सुरक्षा बल हों, वह अपने आप को बचाव करने वाले के रूप में ही पाता है । यह उस गठजोड़ का निश्चित ढांचा है जिसका उस रिपोर्ट में वर्णन किया गया है । यह कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है ।

मैं किसी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । परंतु भूतकाल में जो कुछ हुआ है हम उस ओर देखे बिना नहीं रह सकते । हमने, इस संसद ने एक संयुक्तसंसदीय समितिका गठन किया, उसे विचारार्थ विषय सौंपे और संसद ने सर्वसम्मति से संयुक्त संसदीय समिति द्वारा एकमत होकर किए गए प्रतिवेदन को स्वीकार किया । वह रिपोर्ट कहां पर है ? उसका क्या हुआ ? उसका जो कुछ भी हुआ उससे संतुष्ट हैं ? आजतक संसद उससे सन्तुष्ट नहीं है । संसद को पंगु बना दिया गया । संसद की इच्छी की अवहेलना की गई और हमें इस मजाक को सहन करना पड़ा कि हमने जो कुछ करना था कर लिया है और हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है । मैं अन्य पहलुओं को नहीं उठा रहा हूं-चाहे वह पी. स. यू. के अनिवेष के हों अथवा चीनी घोटाला हो जो अभी अधर में लटके हैं ।

हालांकि उसके बारे में न्यायिक जांच की मांग की गई थी परंतु उस मांग की स्वीकार नहीं किया गया । इससे क्या प्रभाव पैदा होता है ? क्या इससे वह उन मानकों पर पूरे उतरते हैं जिनका राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में उल्लेख किया है ? क्या यही गहन प्रतिक्रिया है अथवा औचित्य का मार्ग है जिस पर अधिकारियों को लोगों के विश्वास को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिए चलना है मैं पूर्ण विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ।

हमारे सामने ऐसे बहुत से अवसर आये हैं जहां इस देश के इतिहास पर इस संसद की इच्छा की मोहर लगाई जा सकती थी । हमने वह अवसर गवां दिये । यह रिपोर्ट स्वयं एक प्रभावी प्रमाण है । यह एक महज आकसमिक बात है कि यह सभा मात्र इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है । और मैं इसके लिये श्री राजेश पायलट को श्रेय देना चाहता हूं हालांकि इस समय वह सदन में उपस्थित नहीं हैं । यदि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह नहीं कहा हालांकि वह इसे सभा पटल पर रखेंगे तो यह रिपोर्ट जो सरकार को 5 अक्तूबर 1993 को पेश की गई की आज भी वहीं पड़ी होती और शायद आज से 20 वर्ष बाद समाचार पत्रों में प्रचारित की जाती और हम सब यह सोच कर हैरान होते कि यह संसद क्या कर रही थी, हम क्या कर रहे थे, यह सरकार क्या कर रही थी । एक दुर्घटना के कारण यह रिपोर्ट इस सदन में पहुंच सकी है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ।

इस रिपोर्ट के अन्तिम दो पैराग्राफ पर उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास था कि श्री सलमान खुर्शीद उनके जवाब में कुछ कहेंगे । परंतु मुझे अभी भी विश्वास है कि जब माननीय गृह मंत्री बोलने के लिये खड़े होंगे तो वह उत्तर में कुछ कहेंगे । ये दो पैरा हैं :-

"मैंने इस रिपोर्ट की केवल तीन प्रतियां तैयार की है । एक-एक प्रति माननीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) को दी जा रही है और तीसरी प्रति मेरे पास है । मेरा अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री इसको देखने के बाद आगे कार्यवाही हेतु वित्त मंत्री के साथ, राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) तथा मेरे साथ अगली कार्यवाही के बारे में विचार-विमर्श करें । उसके बाद कार्यान्वयन से पहले प्रधान मंत्री की अनुमति प्राप्त की जायेगी कि किस तरह की कार्यवाही की जाये । उस अवस्था पर अन्य सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लिया जायेगा ।"

राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) तथा गृह मंत्री के स्तर पर आरंभिक विचार विमर्श के द्वारा मैं वित्त मंत्री के साथ बातचीत से पहले रिपोर्ट की एक प्रति उनको भेज दूंगा ।"

माननीय वित्त मंत्री यहां पर उपस्थित हैं । यदि वह मेरे इस अनुरोध के लिये मुझे क्षमा करेंगे तो सभा यह जानना चाहती है कि क्या इस रिपोर्ट की प्रति उनको कभी प्राप्त हुई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस आरंभिक विचार विमर्श का इन पैराओं में उल्लेख है वह वास्तव में कभी हुआ था । यदि वह विचार विमर्श हुआ था तो क्या निष्कर्ष निकले थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ? यदि कुछ भी नहीं किया गया तो उससे सारे वास्तविक रवैये का पता चलता है, उन लोगों के वास्तविक दृष्टिकोण का पता चलता है, जिनके ऊपर कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व था और जो इस सभा तथा इस देश के लोगों को संतुष्ट करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में असफल रहे ।

महोदय, माननीय सदस्यों, श्री जसवंत सिंह तथा श्री पासवान ने इस रिपोर्ट के काफी उद्धरण पेश किये हैं । मैं उन बातों को फिर से उद्धृत करके सभा का समय बरबाद नहीं करना चाहता ।

मैं समझता हूं कि एक-दो ऐसी बातें है जिनका उल्लेख करना जरूरी है । श्री वोहरा ने पृष्ठ 9 में ऊपर कहा है :

"मेरा अनुरोध करने पर सचिव (राजस्व) ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी दी जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, जो संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं ।" मुझे विश्वास है कि अपने विचार भेजते समय उन्होंने वित्त मंत्री की पूर्वानुमति नहीं ली होगी । परंतु वित्त मंत्री तथा राजस्व सचिव को अच्छी तरह से जानने के आधार पर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपने सचिव के विचारों से, जो उन्होंने श्री वोहरा को भेजे थे, सहमत थे । यह चार पैराओं में हैं। मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा । परंतु इससे वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी एजेन्सियों की दिक्कतों का इशारा मिलता है कि किस तरह उन पर दबाव डाला जाता है, किस तरह उनके काम में बाधाएं आती हैं, किस तरह उनको गुमराह किया जाता है, जब आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की जांच का काम हाथ में लेते हैं, वह अपराध ऐसे लोगों के द्वारा किये गये होते हैं जिन्होंने फेरा का उल्लंघन किया है, जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं और जिस समय कार्यवाही की जानी होती है उस समय कार्यवाही किये जाने से रोक दिया जाता है । इन सब बातों का यहां पर उल्लेख है ।

इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिये । क्या हम केवल अपने कन्धे हिला कर शाम को घर चले जायें और यह कहें कि हमने चर्चा की औपचारिकता पूरी कर ली है और इतिहास इस सभा को देश की सबसे बड़ी, सबसे उत्तम और सर्वाधिक ऊंची चर्चा करने वाली समिति के रूप में जान जायेगा । इस संसद को वास्तव में अपना मुंह खोलना चाहिये और साफ-साफ बताना चाहिये कि यह क्या चाहती है । हमने काफी लम्बे समय तक इस पर विचार किया है और मेरा विचार है कि अब समय आ गया है जब संसद को स्पष्ट निदेश देने चाहियें और सरकार, जो इस संसद के प्रति जिम्मेदार है, का यह दायित्व बनता है कि उन निदेशों का पालन करें । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र की हत्या का विगुल बज गया है ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यक्तियों की जरूर महत्वपूर्ण भूमिका है । परंतु लोकतान्त्रिक प्रणाली में, सस्थागत विचारों तथा निकायों को किन्ही दायित्वों का पालन करना होता है । कोई व्यक्ति पथ से विलंग हो सकता है या जानबूझ कर, जालबाजी करके या अन्जाने में कोई गल्ती कर सकता है । परंतु यदि कोई संस्था है तब किस को दोष दिया जाये ? मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट पर चर्चा के अंत पर कुछ निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाले जाने चाहियें ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री जसवंत सिंह द्वारा दिये गये सुझाव की प्रशंसा करता हूं । मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को कुछ सुझाव दिये हैं कि इस संसद को एक आचार समिति बनानी चाहिये । इसलिये ही नहीं कि यह जरूरी है अपितु इसलिये भी कि यह बहुत ही जरूरी है कि इस संसद में बैठे हुए हम इस संसद के ही बच्चे हैं जो एक राजनैतिक मार्ग से यहां पर पहुंचे हैं और इस देश की जनता द्वारा चुने गये हैं । हमें इस सदन की भ्रष्टाचार, अपराध, दुराचरण के इस आम आरोप से रक्षा करनी है और इस सभा का स्वयं अपने प्रति और भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है कि इस बात के तरीके निकाले कि यदि इस सदन का कोई भी सदस्य यदि अपने पथ से विचलित हो जाये तो हम स्वयं उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकें और इस मामले कि किसी और का कोई दखल न हो । यह कार्यवाही इस सदन के अध्यक्ष महोदय के द्वारा नियुक्त की गई सदन की समिति के द्वारा ही की जाये । सभी पार्टियों के साथ बातचीत करके सर्वसम्मति से स्पष्ट दिशा निर्देश तय किये जाये और उक्त आचार समिति इस सदन के सदस्यों की संरक्षक, निगरानी तन्त्र हो जो इस देश के किसी भी नागरिक का यदि इस सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा दमन किया जा रहा हो, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा हो अथवा उसे धोखा दिया जा रहा हो तो उस पर रोक लगा सके और उस

समिति के द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही अवरोधक हो ताकि इस सदन का कोई भी अन्य सदस्य उसी तरह का कोई काम करने का साहस न कर सके । मेरा विचार है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप एक यह सुझाव माना जाना चाहिये ।

दूसरी बात नोडल एजेन्सी की है । मैं समझता हूं कि इस सदन को श्री वोहरा की प्रशंसा करनी चाहिये कि उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की है । हम सभी ने सदन में या उससे बाहर रहकर काम किया है मैं जानता हूं कि हमारे सिविल अधिकारियों का चरित्रबल कैसा है । हमारी सिविल सेवा में बहुत अच्छे अधिकारी हैं । परंतु जिस अवरोध का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है वह भी बहुत ही दुर्लभ प्रकार है, क्योंकि शासन की प्रक्रिया में हमने कुछ तर्कहीन सिद्धांतों का विकास किया हुआ है । यह अब सच नहीं रह गया है कि सिविल अधिकारी को इस बात की पूरी आजादी है कि वह किसी मामले के बारे में कुछ भी चाहे फाईल पर लिख सके । यदि वह ऐसा करता है तो उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अवार्ड भी दिया जा रहा है । हम में से कई उच्च पदों पर रहे हैं । मेरा विचार है कि इस सदन में जो भी पार्टियां हैं किसी न किसी समय सत्ता पक्ष में रही हैं चाहे राज्य में अथवा केंद्र में । कोई भी मंत्री किसी सिविल अधिकारी को किसी विशेष लेटशीट पर किसी विशेष ढंग से टिप्पणी लिखने की सलाह क्यों दे । उसे जो भी वह लिखना चाहता है उसकी छूट होनी चाहिये और यदि उनमें हिम्मत है, उनमें चरित्रबल और क्षमता है तो उस लिखे पर जो आप लिखना चाहें लिखें वह अधिकार आपके पास है । सिविल अधिकारी को उसके बारे में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है । परंतु यदि आप उसके पीछे पहुंच कर धीमे से उसके कानों में यह कहें कि देखो में चाहता हूं कि तुम इस तरह की टिप्पणी लिखो तो वह सिविल अधिकारी उस मौके पर अपने लिये भविष्य के मौके देखता है और मैं समझता हूं कि यह अक्षम्य काम है । यह जनता के साथ धोखा है और नियम विरुद्ध है । एजेंसियां अथवा तंत्र कुछ कार्यों के लिए ही क्यों बने हो ?

माननीय उद्योग मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है । मैंने उनके विचारों के बारे में पूछा होता । हम सब इस बात से सहमत हुए हैं कि इस देश में उदारता लागू करने की जरूरत है । हम सब इसके समर्थक हैं । माननीय वित्त मंत्री इसके मुख्य प्रणेता है । परंतु उन्होंने किसी भी अवसर पर किसी बातचीत में अथवा सरकारी चर्चा अथवा किसी सरकारी बातचीत में इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया है कि हमें स्पष्टता को और प्रतिस्पर्धा की बात को छोड़ देना चाहिये । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका अपने आप में आपत्तिजनक नहीं है । परंतु आपत्ति इस बात पर है कि किसी ऐसी विशेष बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अथवा किसी विशेष कम्पनी को बुलाया जाये जिसके साथ कोई पहले से बात तय कर ली गई हो और तब उसे कुछ रियायतें दिलवाने की कोशिश की जाये । मै इसका उल्लेख स्वयं वित्त मंत्री द्वारा इस बारे में कहे गये शब्दों से बेहतर ढंग से नहीं कर सकता । पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके द्वारा दिये गये भाषण से मैं यह समझ सका हूं कि देश में पुराने मित्र पूंजीवाद के प्रवेश का खतरा है । हमें विदेशी निवेश से डर नहीं लगता । परंतु हम 'क्रोनी' निवेश के निश्चित रूप से विरुद्ध हैं जिसके इस देश के सार्वजनिक हित से सर्वथा विपरीत संबंध हैं । फिर भी हमने विदेशी निवेश बोर्ड बना रखा है जिसके प्रमुख सिविल अधिकारी हैं, जो एक साथ कई पदों पर आसीन हैं । उनकी प्रधानमंत्री को भी सलाह देने का अधिकार है । उनको विदेशी निवेश को मंजूरी देने, बोर्ड की अध्यक्षता करने का भी अधिकार है । इन्हीं बातों के कारण यह आशंकाए पैदा होती हैं कि हम आर्थिक उदारता लागू करने के बारे में स्पष्ट, खुले और पारदर्शी नहीं हैं ।

निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट ने एक प्रकार से हमारे सामने शीशा रख दिया है । जैसा श्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हममें से हर कोई अपना चेहरा इसमें से देख सकता है । जिसमें धब्बे व हर बात साफ दिखाई देती है । परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह शीशा समय का शीशा है, यह वास्तविकता का शीशा है । इसमें यह बात नहीं है कि हम अपने चेहरे को इसमें किस रूप में देखते हैं परंतु हमें जो दिखाई देता है उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है वह देखते हैं ।

अत: महोदय मैंने श्री पासवान के प्रस्ताव पर एक संशोधन की सूचना दी है । इसके दो उद्देश्य हैं । पहला तो संसद की सार्वभौमिकता है और दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि इस रिपोर्ट और इस चर्चा के परिणामस्वरूप जो कार्यवाही करने की जरूरत है वह वास्तव में की जाये और उसे कुछ लोगों की यादाश्त पर ही न छोड़ दिया जाये जिन्होंने अनुभव के आधार पर यह दिखा दिया है कि वह अपने से ऊपर उठकर देश के कल्याण के लिये कुछ करने, राष्ट्र के कल्याण के लिये कुछ करने और इस देश में कल्याण की नीति के बारे में कुछ करने में असमर्थ हैं । मैं अपना यह संशोधन सभा के सामने रखता हूं । इन शब्दों के साथ मैं मुझे यहअवसर प्रदान करने के लिये आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं श्री रामविलास पासवान के साथ मिल कर सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजनीति में अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही की जाये ।

हमारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर इस सदन के विभिन्न वर्गों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है । हमारे सामने जो मसला है उस तरह के मसलों में हम सब प्राय: यह उम्मीद करते हैं कि राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता को लगे भारी धक्के हैं के मद्देनजर हम सब इस अवसर का लाभ उठाकर दलगत बातों को छोड़कर ऐसे सुझाव पेश करें जिनसे हमारे लोकतन्त्र के प्रति लोगों में अन्ततः विश्वास जगेगा ।

महोदय आजादी की लड़ाई के दिनों में इस देश में राजनीति महत्वपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा मात्र थी । मेधावी युवा, युवतियां स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े । उन्होंने जीवन के सभी एशोआराम का त्याग कर दिया।

उसके बाद आये ह्रास का उल्लेख किया गया है । मैं इस सब का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु वोहरा समिति के विभिन्न सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों से सहमत हूं जिनका इस रिपोर्ट में समिति के चेयरमैन ने उल्लेख किया है ।

मैं समझता हूं कि श्री सलमान खुर्शीद इस मसले पर भावनाओं में बह गये थे। परंतु इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करने की जरूरत है । उसका उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं था और सार्वजनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों के बारे में निष्पक्ष एवं निर्भीक विचारों की अभिव्यक्ति थी । मैं श्री जसवंत सिंह के स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं । उन्होंने श्री सलमान खुर्शीद की बातों में खोखलापन पाया है । उन्होंने रिपोर्ट को हल्का कहा है और साथ ही इसमें कही गई बातों को चिंतनीय बताया है । महोदय मेरे विचार से यह वाक्पटुता की कोशिश है ।

महोदय इसके साथ ही कुछ सुझाव दिये गये हैं जहां तक इस सदन की आचार समिति की स्थापना की बात है उससे पूरी तरह सहमत हूँ । महोदय, यदि हम आज इस समस्या के बारे में गंभीर हैं तो एक दूसरे की ओर उंगली उठाने, दूसरों पर दोष लगाने की कोशिशों को छोड़ना होगा । हमें ईमानदारी के साथ अन्तर्दृष्टि से बोलना होगा और फिर आचार समिति के गठन का फैसला अध्यक्ष महोदय पर छोड़ना होगा ।

महोदय, इंगलैण्ड में हाल ही में ऐसी समिति का गठन किया गया है । वहां के राजनैतिक तन्त्र को भी खतरा पैदा हो गया था कि विभिन्न वाणिज्यिक हितों के द्वारा कई बार जो लाबी बाजी की जाती है उससे संसद के कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है । अत: वहां पर इस तरह की एक समिति गठित की गई है । मेरा विचार है कि यदि इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाना है तो वह आचार समिति की स्थापना के बारे में ही हो सकता है और हम सब उससे सहमत हैं । परंतु ऐसा नहीं किया गया है । मुझे विश्वास है । परंतु ऐसा नहीं किया गया है । मुझे विश्वास है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता पहल करेंगे और उसके गठन का कार्य माननीय अध्यक्ष पर छोड़ देंगे ।

जब मैं श्री जसवंत सिंह का भाषण सुन रहा था तो हमेशा की तरह मैंने उनको अभियोजक की तरह बात करते देखा । वह सरकार पर आरोप लगा रहे थे और रिपोर्ट के उद्धरण देते समय सरकार से उनका तात्पर्य केन्द्रीय सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार से था । उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वे गल्ती पर थे । जो कुछ भी वोहरा समिति ने कहा है मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परंतु आपकी अनुमति के साथ महोदय मैं पृष्ठ 4, पैरा 6.2 का उल्लेख करना चाहता हूं जहां पर निदेशक आसूचना ब्यूरो ने कहा है :

"देश में अपराधी समूहों, सशस्त्र सेनाओं, नशीली दवाओं के माफिया गिरोहों, तस्कर गिरोहों, नशीली दवाओं के लाने-ले जाने वाले गिरोहों और आर्थिक लाबी करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । इन्होंने पिछले सालों में स्थानीय स्तरों पर अफसरों और सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, मीडिया के लोगों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संवेदनशील पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ व्यापक सम्पर्क कर नेटवर्क बना लिया है ।"

5.00 म. प.

यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र के संवेदनशील पदों पर अधीन यह व्यक्ति कौन हैं ? वह व्यक्ति कौन हैं जो राजनैतिक दल के साथ अपने संबंधों से तो इन्कार करते हैं किन्तु उसी परिवार के सदस्य हैं और जो देश में हर मौके पर आतंक फैलाने का मौका ढूंढते रहते हैं ?

डा. मुमताज अंसारी (मोडरमा) : संघ परिवार ।

श्री पवन कुमार बंसल : आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री वोहरा ने आगे कहा है :

"बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह गिरोह स्थानीय स्तर में राजनीतिज्ञों का संरक्षण पाते हैं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण पाते हैं । कुछ राजनैतिक लोग इन गिरोहों अथवा सशस्त्र सेवाओं के नेता बन जाते हैं ।"

निश्चित रूप से श्री वोहरा ने केन्द्रीय सरकार की ओर आक्षेप की उंगली नहीं उठाई है ।

महोदय, हमारे सामने ऐसी समस्या है जो हमारी राजनीति पर पूरी तरह से छा गई है । यदि हमें ईमानदार बनना है तो-यहां पर मैं श्री सलमान खुर्शीद की साफगोई की प्रशंसा करता हूं, यदि हम इस बारे में वास्तव में गंभीर हैं तो हमें इस अवसर का लाभ उठाकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे दल में तथा प्रत्येक गलत लोग कौन हैं ? मैं उदाहरणों का उल्लेख नहीं करना चाहता । कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस बारे में कोशिश की थी । समाचारपत्र ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जिनके कारण हम सब की शर्म आनी चाहिये ।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है और श्री जसवंत सिंह ने भी उसका उल्लेख किया है :

"माफिया के कुछ तत्वों ने नशीली दवाओं, औषधियों तथा हथियारों की तस्करी का काम पकड़ लिया है और नशीली औषधियों, आतंकवाद का नेटवर्क बना लिया है, विशेषरूप से यह जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में है ।"

महोदय, पंजाब और गुजरात में हमेशा कांग्रेस की सरकारें नहीं रही हैं । यदि हम दूसरे पर ही दोष थोपने में लगे रहे तो हम ईमानदारी के रास्ते पर नहीं हैं । देश में आज जो स्थिति है और देश में राजनेताओं का जो पहले सम्मान था उसमें आई गिरावट में देखते हुए आज हमारे सामने, हरेक के सामने एक चुनौती है कि वास्तविक रूप से इस बारे में क्या करने की जरूरत है ।

महोदय, वोहरा समिति की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब आसूचना ब्यूरो, सी. बी. आई., रॉ तथा राजस्व आसूचना निदेशालय जैसी अलग-अलग एजेन्सियां अपने अलग-अलग क्षेत्र में

काम करती हैं तो उनमें से प्रत्येक को बाधाओं का सामना करना पड़ता है । उनको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है परंतु वह इस बात को नहीं जानते कि उनको इसका उपयोग किस तरह से करना है, यह भी हो सकता है कि किसी हत्या के मामले की जांच के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य मिले जिससे किसी उच्च राजनीतिज्ञ और उस अपराध के करने वाले के बीच सम्बंध की जानकारी मिली । इस तरह के मामलों की छानबीन करने वाले क्या करते हैं ? हो सकता है कि इसी तरह राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी तस्करी व स्वापक औषधियों के किसी मामले की जांच कर रहे हों उनकी कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे कुछ राजनीतिज्ञों, कुछ अफसरों और अपराध करने वाले लोगों के बीच आपसी संबंधों का पता चले । उस मामले में उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के अतिरिक्त वह कोई अन्य कदम उठाते हैं ? अत: वोहरा समिति ने इसका उल्लेख करके सुझाव दिया है कि एक नोडल एजेन्सी बनाई जाये जो विभिन्न स्रोतों के जरिए प्राप्त होने वाली जानकारी को एकत्र करके मामले की गहराई में जाने का विचार करे, उस मामले की गहराई से छानबीन करे और देखें कि आगे और क्या कार्यवाही की जा सकती है । मुझे इस बात से खुशी है कि इस मामले पर यहां सभा में चर्चा आरंभ होने से पहले सरकार ने इस मामले में पहले ही कार्यवाही कर दी है और एक नोडल एजेन्सी बना दी गई है ।

महोदय, मैं श्री पासवान की इस बात को नहीं मानता कि यह एक ऐसी समिति है जो प्रारम्भ से ही निष्क्रिय रही है । आपको उच्च पदाधिकारियों का विश्वास करना होगा । इस रिपोर्ट में स्वंय श्री वोहरा ने सुझाव दिया है कि ऐसी समिति किसी तरह की जानकारी के-गुप्तरूप से प्रकरन को रोककर काम कर सकेगी । सरकार ने इस मामले में ईमानदारी दिखाई है । बार-बार यह कहा गया है कि यह सरकार की रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत की है और सरकार ने इस मामले में पहले भी कार्यवाही की है । सरकार सुझाव सुनने को भी तैयार है । परंतु मेरा यह निश्चित मत है कि इस तरह की समिति का अध्यक्ष कोई न्यायिक अधिकारी नहीं हो सकता । उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का काम जांच करने का नहीं है । उनका काम तो सबसे बाद का है । सरकार के काम को शक से देखना, यह कहना कि नोडल एजेन्सी तो तत्कालीन सरकार के अधीन काम करेगी और इस कारण इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा मेरे विनम्र विचार से गलत है । यदि सरकार का कोई अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट पेश कर सकता है जिस पर माननीय सदस्य इतना जोर दे रहे हैं तो उस रिपोर्ट में सुझाई गई नोडल एजेन्सी के समुचित कार्यकरण के बारे में शक करने की गुंजाइश कैसे पैदा होती है ?

महोदय, दुर्भाग्य से आज देश में भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में आक्षेप भरे उल्लेख किए गए हैं । उन आरोपों को लगाने वाले माननीय सदस्यों के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण नहीं दिया है । किसी आरोप को लगाने से पहले आपको उन दिक्कतों के बारे में विचार करना चाहिये जो आपके सामने हैं । उदाहरण के रूप में, प्रधान मंत्री ने बोफोर्स मामले पर दैनिक आधार पर समुचित कार्यवाही नहीं की । हर रोज इस पर कार्यवाही करने की बात क्या है ? आप किसी एक विशेष शब्द के बारे में हठधर्मी नहीं बन सकते । आपको यह देखना चाहिये कि क्या किया जा रहा है । इस मामले पर इस सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है । मुझे उसके ब्यौरे में नहीं जाना है । पुरजोर ढंग से केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने सच्चाई तक पहुंचने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी है और यहां पर उठाये गये विभिन्न अन्य मामलों की भी यही सच्चाई है ।

महोदय यह सुझाव देना कि उच्चतम पद पर आसीन व्यक्ति किसी मामले पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा बिल्कुल बेबुनियाद है । कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार की अपनी एक परम्परा है....(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, क्या मेरा संशोधन सभी सदस्यों को परिचलित कर दिया गया है क्योंकि वे उस पर बोल रहे हैं ?....(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : जो कुछ उन्होंने कहा है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा । जो कुछ मैंने कहा है उसे देख लें । मैंने उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है ।

महोदय, कांग्रेस पार्टी की परम्परा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बनाये रखने की है....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है ।

श्री पवन कुमार बंसल : कई साल पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपनी पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की और श्री सलमान खुर्शीद ने अभी का उदाहरण भी सामने रखा है । जहां पर मंत्रियों के विरुद्ध कोई भी दोष सिद्ध हुए बिना भी मंत्री महोदय ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया ।

क्योंकि इससे विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अहम् को सन्तुष्टि मिलती थी....(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ''सबूत'' और ''रंगे हाथों पकड़ा जाना'' शब्दों की व्याख्या क्या है ?....(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : ''सबूत'' शब्द की व्याख्या अलग-अलग व्यक्ति की समझ के अनुसार अलग-अलग है ।

जब हम इस तरह की रिपोर्ट पर संभावी अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हैं तो मेरा सभी माननीय सदस्यों के सामने एक विनम्र अनुरोध है जिस पर सभी राज्यों में कार्यवाही की जानी है । मैं किसी से भी द्वेष की भावना नहीं रखता । मेरा विचार है कि हमारे देश में, संघीय ढांचे के अन्तर्गत राज्य अपनी शक्तियां छोड़ना नहीं चाहते । इस बात को किन्हीं मामलों में समझा जा सकता है परंतु जब ऐसा कोई मामला हो जिस तरह का मामला आज हमारे सामने है तो मैं समझता हूं कि हमें आज यह फैसला करना है कि सी. बी. आई. को और अधिक शक्तियां देना जरूरी है । जैसा कि हम सब जानते हैं कानून और

व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है । कोई भी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को इस बारे में शक्तियां नहीं देना चाहेगी । जब सी. बी. आई. कार्यवाही करने लगती है तो इसे राज्य सरकार से अनुमति मांगनी पड़ती है । क्या राज्यों में सरकारें चलाने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के माननीय नेता यहां पर खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वे एक ऐसे विस्तृत कानून के पक्ष में हैं जिसके अन्तर्गत किन्ही विशेष परिस्थितियों में सी. बी. आई. को कार्यवाही करने की शक्ति होगी और राज्यों द्वारा वास्तव में अपने लिये और अधिक शक्तियों की मांग नहीं की जायेगी अथवा सी. बी. आई. द्वारा शक्तियां लिये जाने पर आपत्ति नहीं की जायेगी । हमने देखा कि कल ही एक घटना हुई जब श्री वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश की किसी घटना अथवा उनके विचार से जो घटना थी के बारे में कुछ शिकायत कर रहे थे । वह एक ऐसा उदाहरण था जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से वे उत्तर प्रदेश राज्य के लिये अधिक शक्तियों की मांग कर रहे थे हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य ने केन्द्रीय बलों की मांग के अधिकार को अपने पास रखा है । हम इस तरह की स्थिति में नहीं रह सकते । हमें इस बारे में स्पष्ट होना है कि हमारा उद्देश्य क्या है । हमारे सामने मसला क्या है और यह केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं है । हम आज यह विश्वास करते हैं कि हमारी प्रणाली में इस प्रकार की संक्रामकता आ गई है कि जिसने हम सब को बदनाम कर दिया है । उससे लड़ने के लिये हम अपनी सहमति कैसे दें ? वह केवल एक दूसरे की ओर उंगली उठाने मात्र से ही नहीं हो सकता जैसा कि इस तरह की चर्चा में किया जाता है । परंतु जैसा कि मैंने शुरू में कहा था हमें यह मामला अध्यक्ष महोदय की बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहिये जो सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके शुरूआत के रूप में एक आचार समिति का गठन करें । वह ठीक शुरूआत होगी । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह चर्चा स्पष्ट रूप से वोहरा समिति की रिपोर्ट पर है जो कि एक सरकारी दस्तावेज है, अत: हमें यह दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये कि यह ठीक है और यह सरकार का मामला है । रिपोर्ट की विषय-वस्तु को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । यह कहने का कोई कारण नहीं है कि सरकार इनको स्वीकार नहीं करती है । अत: मेरे विचार से यह स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा उस स्थिति को स्वीकार करने की बात है जो देश में आज प्रवृत है और मेरे विचार से यह सबसे बड़ा आत्म-लांछन है जो कहीं भी घटित हो सकता है।

5.14 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह केन्द्र में कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम इस रिपोर्ट के आधार पर अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि माफिया एक तरह से समानान्तर सरकार चला रहा है जिसके कारण राज्य का तंत्र अप्रासंगिक बन गया है । यह एक ऐसी स्थिति है जिसका पता केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 जुलाई 1993 को गठित की गई एक समिति ने लगाया है । समिति का गठन इन अपराधी गिरोहों तथा माफिया संगठनों की गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी जमा करने के लिये किया गया था जिन्होंने सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ सम्पर्क बना लिये थे और उनका संरक्षण प्राप्त कर रहे थे ।

अत: इस समिति का उद्देश्य उपलब्ध जानकारी पर विचार करना था । नि:सन्देह जानकारी के ब्यौरे नहीं बताये गये हैं । स्पष्ट है कि उनका उल्लेख अन्तिम रिपोर्ट में नहीं किया गया है । निश्चय ही इसको अन्तिम रूप दिये जाने तथा सरकार को पेश किये जाने के पहले इसको सम्पादित किया गया था । रिपोर्ट के पैराओं के नम्बरों से यह स्पष्ट है ।

परंतु मुद्दा तो यह है कि यह रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं । इसको दोहराने की जरूरत है कि 5 अक्तूबर 1993 से भारत की राजधानी दिल्ली में एक रेस्टोरेन्ट में होने वाली दुखांत घटना के होने तक क्या हुआ । मैं नहीं जानता कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर विचार किया था । यदि उसने विचार किया था तो मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना उनकी जिम्मेदारीथी मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इसके प्रति इतने लापरवाह थे कि उन्होंने इस पर विचार नहीं किया । यदि उन्होंने अक्तूबर 1993 में इस पर विचार किया है तो उन्होंने दिल्ली में होने वाली उस दुर्घटना के घटित होने पर क्या कार्यवाही की ? इस बारे में शोर शराब होना स्वाभाविक है । क्योंकि वह घटना केन्द्रीय सरकार के मुख्यालयों के बहुत नजदीक की घटित हुई थी । बहुत ही निकट घटी । इतना अधिक घृणित अपराध हुआ और वह भी शासक दल के एक जाने माने कार्यकर्त्ता द्वारा किया गया । यह मानी हुई बात है ।

श्री वोहरा की इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश के बाद भी इतना अधिक समय बीतने दिया गया है । मैं समझता हूं कि इसे सभा पटल पर रख दिया गया है परंतु आपकी अनुमति से पृष्ठ 6 का पैरा 15.2 पढ़ना चाहता हूं :

"मैंने इस रिपोर्ट की केवल तीन प्रतियां तैयार की हैं । एक एक प्रति माननीय गृह मंत्री तथा आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री को दी जा रही है । तीसरी प्रति मैं स्वयं रख रहा हूं । माननीय गृह मंत्री द्वारा इसका अध्ययन कर लिये जाने पर मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर आगे कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्री-क्योंकि आर्थिक अपराधों का इसमें विशेष उल्लेख है-आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री और मेरे साथ बातचीत की जाये । उसके पश्चात प्रधान मंत्री की अनुमति प्राप्त की जा सकती है कि आगे क्या दृष्टिकोण अपनाया जाये । उस समय अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को भी विश्वास में लिया जा सकता है ।"

क्या कोई कार्यवाही की गई है ? क्या इस मामले पर वित्त मंत्री, आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री, श्री वोहरा के बीच कोई बीतचीत हुई और यदि हां, तो कब ? क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई ? क्या माननीय गृह मंत्री ने उसके बाद इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने से पहले प्रधान मंत्री द्वारा क्या निर्देश दिये गये ? क्या उन्होंने कोई निदेश दिया था तब क्या अन्य सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लिया जायेगा ? यदि हां तो किस चरण पर ?

महोदय इन बातों के विस्तृत उत्तर दिये जाने जरूरी हैं । यदि यह सब नहीं

किया गया है, यदि माननीय गृह मंत्री को इसके लिये समय नहीं मिल सका है और यदि उन्होंने पैरा 15.2 को नहीं पढ़ा है और यह नहीं देखा है कि गृह मंत्रालय के उच्चतम अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है । तो यदि यह जानबूझ कर नहीं किया गया तो फिर भी यह बहुत पड़ी असफलता है । इसकी जानबूझ कर उपेक्षा की गई है ।

सरकार ने इस समिति का गठन किस कारण से किया था? क्या इसके पीछे कोई विश्वास था? क्या इसके पीछे कोई गंभीरता थी? अथवा क्या औपचारिकतावश इस समिति को नियुक्त किया गया था? और यदि इसके पीछे कोई उद्देश्य था तो अक्तूबर 1993 से उसे पूरी तरह से दबा कर रखा गया है । समिति ने बड़ी मेहनत से काम करके थोड़े समय में ही रिपोर्ट तैयार की है ।

आपने इन्तजार की और एक लड़की अथवा महिला के जीवन का अंत होने तक इन्तजार की और अब बड़े अनमने मन से इसे सदन के समक्ष रखा है । मैं इसके लिये आपका कृतज्ञ हूं । यह सारी सभा और देश आपके अनुदेशों के लिये आपका कृतज्ञ है । अब भी अनमने मन से इसे पेश करने के बाद क्या हुआ है? सरकार ने सरकारी अधिकारियों की एक नोडल एजेन्सी बना दी है । इस मामले पर संसद में चर्चा की जानी थी । परंतु संसद के विचार जानने की प्रतीक्षा किये बिना आपने इस एजेन्सी का गठन कर दिया है । यह अधिकारी क्या कर सकते हैं? यदि गृह मंत्री सो रहे हैं और प्रधान मंत्री बुद्ध अथवा मौनी बाबा बने हुए हैं तो इसका क्या होगा । उनको पता है कि कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ।

अत: मेरा आरोप है कि इस प्रश्न से निपटने के लिए सरकार की कोई इच्छा नहीं है । और महोदय, मैं इसे बहुत बड़ी दुर्घटना मानता हूं जब आजादी के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद, जिस आजादी के बारे में जनता ने इतने स्वप्न देखे थे, इतनी उम्मीदे जगाई थीं और आज 50 वर्षों के बाद हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? यह चर्चा इस बात पर नहीं हो रही कि गरीबी को कैसे दूर किया जाये, निरक्षरता से कैसे निपटा जाये, लोगों को अच्छा जीवन स्तर कैसे उपलब्ध कराया जाये । हम आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोग पैसा कैसे बना रहे हैं, राजनीतिज्ञ व अन्य लोग पैसा कैसे बना रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिये आपराधिक गतिविधियों में किस तरह से लिप्त हैं । क्योंकि पदासीन बने रहना एक बहुत पड़ा लाभपूर्ण उद्देश्य बन गया है । अत: किसी न किसी तरीके के जरिए पदासीन बने रहना....(व्यवधान) महोदय यह आज इस देश का भाग्य बन गया है....(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैस्ट बंगाल की बात कह कर क्या करोगे?

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता । यदि वहां की सरकार को वहां की जनता पसन्द नहीं करती है तो लोग अपना निर्णय देंगे....(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : हमारी सरकार को जनता चाहती है इसी कारण हम सत्ता में हैं....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहबहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इसका उल्लेख किया है । यह अल्पमत वाली सरकार बहुमत वाली कैसे बनी? आप इस बारे में बतायें । (व्यवधान)

यह सरकार लोगों को समर्पित नहीं है ।....(व्यवधान) हम इस बारे में सब जानते हैं....(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आब इस सरकार की बात कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? इस सरकार ने बहुमत कैसे हासिल किया?....(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री सोमनाथ जी राजनीति के अपराधीकरण के बारे में श्री वोहरा से बेहतर जानते हैं....(व्यवधान) आप राजनीति के अपराधीकरण के हिमायती हैं....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनको दुनिया की हर बात की जानकारी है । मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि वे इलाकों, शक्तियों तथा स्कवेयर आदि के पुनर्नामकरण में भी व्यस्त हैं । मैं कभी भी उनके साथ उलझता नहीं क्योंकि जनता हर व्यक्ति का मूल्यांकन अपने मानकों से करती है । मैं निश्चित रूप से उनका अनुकरण नहीं करना चाहता । मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं जिनका मैं पालन करता हूं ।....(व्यवधान) महोदय, आज देश की यह स्थिति है और हम जनता के समर्थन के साथ सत्ता पर आसीन हैं....(व्यवधान) मैंने यह नहीं किया है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अक्तूबर 1993 से इस समानान्तर सरकार को नियन्त्रित करने के लिये क्या प्रयास किये हैं । मुझे किसी बात का संशय नहीं है । मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि उसमें कोई ईमानदारी है और यदि इस सरकार की कोई विश्वसनीयता है तो इसे वह सारी जानकारी प्रकाशित करनी चाहिये जो श्री वोहरा को उपलब्ध कराई गई थी ।

महोदय इस रिपोर्ट का संख्याकन बहुत ही स्पष्ट है । कोई भी व्यक्ति "3.7" "6.1" नहीं बनायेगा । मैं इस बात से सहमत हूं कि गृह मंत्री ने कृपा करके हमें मूल रिपोर्ट दिखाई है । उसमें पृष्ठों की संख्या दी गई है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । उस रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या एक के बाद दूसरी है और कोई भी पृष्ठ निकाला गया नहीं है । परंतु यह भी स्पष्ट है कि जब पहली रिपोर्ट दी गई अथवा जब उसका प्रारूप तैयार किया गया तो पैरा 3.7 के बाद का पैरा

6.1 नहीं हो सकता । वह गायब पैरा वही है जिनमें उन सारे तथ्यों का उल्लेख था। मुझे इस बारे में पूरा विश्वास है । मैं इस बारे में चुनौती देता हूं । वह इसे पेश करें । वह जानकारी सरकार के पास होगी ।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैंने रिपोर्ट पेश कर दी है । इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है । जब आपने संख्याकंन का प्रश्न उठाया तो मैंने मूल रिपोर्ट दिखा दी । इस तरह के आरोप लगाना, कि कुछ सरकार द्वारा कुछ पैरा निकाल दिये गये हैं अथवा इसे संपादित दिया गया है सही नहीं हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह आरोप नहीं लगाया कि माननीय गृह मंत्री ने अन्तिम रिपोर्ट में से कुछ पैराग्राफ हटा दिये हैं । मैंने यह आरोप नहीं लगाया है । कृपया मेरी बात सुनें । मैंने यह कहा कि आपने हमें मूल रिपोर्ट दिखाई है और मैंने स्वयं: उसे देखा है । उसके पृष्ठों का संख्याकन क्रमानुसार है । अत: जो रिपोर्ट आपको दी गई थी वह कैसी थी जो आपने पेश कर दी है । मैंने इस बात को स्वीकार किया है । आप इसके दूसरे अर्थ क्यों निकाल रहे हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : यह रिपोर्ट सरकार ने पेश की या श्री वोहरा ने ? आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां पर सरकार ने इसे पेश किया है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : इसे श्री वोहरा ने अपने हस्ताक्षरों के साथ पेश किया था । यह रिपोर्ट उनके द्वारा पेश की गई थी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने इस बात को स्वीकार किया है । आपने श्री वोहरा के हस्ताक्षरों वाली मूल रिपोर्ट हमें दिखाई थी । परंतु मेरा यह कहना है कि कुछ ऐसी सामग्री अवश्य है जिसे इस अन्तिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है और वह सामग्री भारत सरकार के पास उपलब्ध है । वह सामग्री निश्चित रूप से है । (व्यवधान) । वह अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं । उनको आपकी अपर्याप्त सहायता नहीं चाहिये ।

अत: महोदय, इस बात का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि इसे पहले क्यों नहीं पेश किया गया । यदि वह उन्हें मजबूर किये बिना पेश करना नहीं चाहते थे तो हम यह जानना चाहते हैं कि इस पर क्या कार्यवाही की गई । माननीय गृह मंत्री सभा को तथा इस देश को यह बताने की कृपा करें कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज को पूर्णतया सुप्तावस्था में किस कारण से रखा गया और इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता परंतु इस देश का प्रत्येक नागरिक चिंतित है, चाहे वह किसी भी दल से हो वह इस रिपोर्ट के कारण परेशान है । जब इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी जाती है कि किन्हीं लोगों जिनके नाम यहां दिए गए हैं-मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता-की गतिविधियों के कारण एक ताकतवर नेटवर्क बना गया है और उन तत्वों को सम्बद्ध सरकारी विभागों से संरक्षण प्राप्त है तो क्या इस तरह की गतिविधियों को काबू करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ? हम इस सभा में केवल चर्चा करने मात्र से इसे किस तरह हल कर लेंगे । क्या यह कार्यपालिका का दायित्व नहीं है ? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था ? महोदय ऐसा लगता है कि किसी भी सरकारी विभाग ने इस बारे में मुस्तैदी नहीं दिखाई अथवा उसे इस पर कार्यवाही करने को नहीं कहा गया । रिपोर्ट में कहा गया है :

"अत: उन सम्पर्कों का पता लगाना जरूरी है ।"

इसे ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और इसी बात का उन्होंने पता लगाया । इससे यह भी पता चलता है कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया था । रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे कि सरकार ऐसे मामलों का अनुसरण करना चाहती है । मैं उनकी दोष नहीं दे सकता । वे ठीक है । इस तरह पूरी तरह कार्यवाही न करने तथा जानबूझ कर कार्यवाही न किये जाने से यह बात सिद्ध हो जाती है । अत: उन्होंने सोचा कि व्यर्थ ही पदासीन लोगों के गुस्से का सामना करना अनावश्यक है । वह अपने आपको क्योंकर अनावश्यक रूप से मुसीबत में डाले ? उनका विचार था कि सरकार सचेत नहीं हैं और उनका यह विचार ठीक लगता है और तथ्य भी इसे सिद्ध करते हैं । हम उनको दोष नहीं दे सकते । क्या आप समझते हैं कि यदि ईमानदार अफसरों को यह पता चल जाये कि राजनीतिज्ञों को जरा भी चिंता नहीं है तो वे किस प्रकार काम करेंगे ? वास्तव में यही हुआ है ।

सी. बी. आई. का यह निदेश है । श्री पवन कुमार बंसल सी. बी. आई. का मंत्र के रूप में उल्लेख कर रहे थे ।

समय के साथ-साथ इस तरह हासिल किये गये धन की ताकत का उपयोग उफसरों और राजनीतिज्ञों के साथ संबंध स्थापित करने और गतिविधियों का विस्तार करने के लिये किया जाता है । धन की इस ताकत का उपयोग शारीरिक ताकत का जाल बनाने के लिये किया जाता है जिसका उपयोग राजनीतिज्ञों के द्वारा भी चुनावों के दौरान किया जाता है ।"

श्री पवन कुमार बंसल आपने क्या किया है ? आप सरकार के बारे में तथा अन्यों के बारे में बहुत बातें जानते हैं जो हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं जानते । यह आपकी सी. बी. आई. का विचार है । क्या हुआ है ? यह सी. बी. आई. की कार्य करने की क्षमता है । उसका कहना है :

"सारे भारत में अपराध सिंडीकेट स्वयं अपने में ही कानून बन गये हैं ।"

हमारा देश ऐसा बन गया है जहां पैसा लेकर हत्याएं करने वाले इन संगठनों का हिस्सा बन गये हैं ।

"अपराधी गिरोहों, पुलिस, अफसरों और राजनीतिज्ञों के बीच देश के विभिन्न भागों में स्पष्ट रूप से सम्बन्ध स्थापित हो गया है ।"

माननीय गृह मंत्री जी क्या आपने इसका पता लगाने की कोशिश की है ? क्या आज तक किसी एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है । क्या वोहरा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ? हमें बताये कि क्या एक भी कदम उठाया गया है ?

'मिर्ची' आदि का उल्लेख किया गया है । मैं इस बारे में नहीं कह रहा । सुझाव भी दिये गये हैं ।

"सी. बी. आई. के निदेशक की तरह डी. आई. बी. ने भी बताया कि आपराधिक गिरोहों, सशस्त्र सेनाओं, ड्रग माफिया, तस्करी गिरोहों, औषधी बेचने वालों और आर्थिक लाबियों का देश में बहुत तेजी से फैलाव हुआ है जिसे उन्होंने वर्षों...."

दुर्भाग्य से इन वर्षों में कौन सत्ता में रहा है ? (व्यवधान) । यह आपका कीड़ा है । (व्यवधान) कम से कम चर्चा के दौरान कृपया कुछ समय तो उनको शान्त करें । यह काफी देर से उत्पाद हो रहा है । उनके अस्थायी सन्तोष के लिये मैं कह देता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी यह हो रहा है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : शैतान निर्णय कर रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया उन राज्यों की बात को जहां दुर्भाग्य से अभी भी आपका शासन है । निश्चित रूप से ऐसे राज्यों की संख्या में कमी आ रही है । क्या वे वास्तव में शासन कर रहे हैं ? आपने क्या दिया है ? इन 11 महीनों के सिवाय कौन सत्ता में रहा है ? अतः श्री मणि शंकर अय्यर आपका यह स्पष्ट योगदान है । श्री मणिशंकर अय्यर अच्छा होता आप वहीं रहते जहां थे । आपको कम से कम यह सन्तोष तो होता कि आपके प्रयासों को राजनैतिक साथियों के द्वारा बेकार तो नहीं बनाया जा रहा । अब चूंकि आप राजनेता बन गये हैं और आपकी शासन तंत्र में पहुंच हैं । आप नाम बदलवा सकते हैं व इस तरह की बातें कर सकते हैं । यह गठजोड़ कई वर्षों में स्थापित हुआ है । आपको इस बारे में कोई चिंता नहीं है । यही बात हम कह रहे हैं । क्या हम व्यर्थ यह कोशिश कर रहे हैं ? क्या श्री चन्द्रा स्वामीजी की कृपा के मार्गदर्शन से चलने वाली इस पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं ? इन कुछ नामों का उल्लेख किया गया है । अन्य लोग भी यहां पर हैं । मैं नहीं जानता । अतः उनके नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन के अधीन हमसे कहा जाता है कि इस बात पर विश्वास कर लें कि यह केन्द्रीय सरकार गंभीर कार्यवाही करेगी ।

जहां तक सरकार का संबंध है यह उस सब की पर्याय बन गई है जो इस रिपोर्ट में कहा गया है । अतः यह समस्या है । आप आज ताकत का दुरुपयोग करके सत्ता में हैं । इसी कारण लोकतन्त्र को चुनौती का, खतरे का सामना करना पड़ रहा है । इसी कारण हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं जिसकी उस सरकार द्वारा उपेक्षी की जा रही है । 1971 के बाद चुनाव सुधारों के बारे में अनेक सर्वसम्मति रिपोर्टें दी गई हैं । उससे पहले भी वह यहां थे। परंतु उनको कभी कार्यान्वित नहीं किया गया है । जैसा कि कहा गया है और आप जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि लोकतन्त्र और यह शारीरिक बल, माफिया की ताकत एक दूसरे के विरोधी हैं । जब माफिया की ताकत और शारीरिक ताकत आगे आती है तो जनता की ताकत पीछे हट जाती है ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : माफिया की ताकत, शारीरिक ताकत किस पार्टी की हैं ? उनका संबंध आपकी पार्टी से भी है....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक सनक है, आज आपका संबंध किस पार्टी से है । कल आपका संबंध किस पार्टी से होगा ? (व्यवधान)

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा । मैं सन 1962 से कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था । मैं 1983 और 1985 में कांग्रेस का विधायक था । किन्हीं बातों के कारण मैं तेलुगु देशम पार्टी से चुना गया था । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह क्या बातें हैं ।(व्यवधान)

श्री के. पी. रेड्डया यादव : ठीक है । जब एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया है । हमने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये । इस समय मैं भाजपा तथा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी से पूछता हूं.... * इन, पार्टियों ने बैंक घोटाले पर, संयुक्त संसदीय समिति पर मिल कर रिपोर्ट क्यों दी है । आपने सत्ताधारी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है । आप पिछले 47 सालों से पिछड़े वर्गों और देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलते रहे है और आप भाषण दे रहे हैं । आगे आएं, अपना खाता खोलें । हम अपना लेखा संसद के सामने रखेंगे । यदि माननीय अध्यक्ष महोदय समिति गठित करते हैं तो कांग्रेस के सभी सदस्य अपना लेखा जोखा देंगे । आपका लेखा जोखा भी सभा के सामने आना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे उम्मीद है कि आपने वह शब्द सुना है जो उन्होंने बोला है । उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : विजयवाड़ा में, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने सारे नगर की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अपने पास जमा कर ली है । वे मुझे विशेष रूप से मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी तथा उनके सहयोगी और उनके परिवार वाले मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं । आप अपने दलों को जातीय आधार पर चला रहे हैं । इस देश के उच्च लोगों ने राष्ट्र को लूटा

है और आप भाषण दे रहे हैं .

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : दल बदलने के लिये आपको कितना पैसा मिला ?....(**व्यवधान**)

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : सन 1971 के बाद के अपने लेखे मैं सभा में रख दूंगा । यह लोग भी अपने लेखे सभा के सामने रखें ।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको श्री शुक्ला से कितना पैसा मिला ?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : पिछले तीन-चार साल के अपने लेखे में अध्यक्ष महोदय के सामने रख दूंगा मैं कांग्रेसी हूं । भाषण देने से समस्याएं हल नहीं होंगी । ठीक से बतायें । आपने जे. पी. सी. के बारे में समझौतावादी रिपोर्ट क्यों दी ? यदि आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं था तो आपने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी ? (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : समझौतावादी रिपोर्ट क्या है ?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : लोकतन्त्र मैं आपको साफ-साफ बात करनी चाहिये । आपने शासक दल के साथ हाथ क्यों मिलाया ? उस समय आप का इसमें स्वार्थ था । (**व्यवधान**)* आपने किस कारण यह समझौतावादी रिपोर्ट दी ?

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं किया जा रहा ।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसे दशक के सबसे बड़े मजाक के रूप में माना जाना चाहिये ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : अध्यक्ष महोदय, सी. पी. एम. के अध्यक्ष मेरे चुनाव क्षेत्र में जायें । तेलुगुदेशम तथा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग जनता को परेशान कर रहे हैं जो आपको बतायेंगे कि वे लोग करोड़ों रुपयों का घपला कर रहे हैं....(**व्यवधान**) बेशर्म होकर आप बड़े सामन्ती लोगों का समर्थन कर रहे हैं ।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब तक माननीय सदस्यों की कोशिश ठीक प्रकार से चर्चा चलाने की थी । चर्चा को मुद्दे रास्ते से न हटायें और हम महत्वपूर्ण बातों पर ही बोलें और हमें ऐसे सुझाव रखने चाहियें जिनसे समस्या से निपटने में सहायता मिले ।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा अनुरोध है कि हमें इस टोका-टाकी का भी मजा लेने दिया जाये । इसकी अनुमति होनी चाहिये....(**व्यवधान**)

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : ** सावधान हो जायें । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम रिकार्ड देखेंगे और जो कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जाना चाहिये उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे समझ जाना चाहिये था कि बुद्धिवादी 'कुछ' इस आर्थिक गुंडावाद से बेहतर है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अंग्रेजी शब्दकोश को समृद्ध कर रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं भाषण देने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूं । मैं पता नहीं बदल सकता । मैं उनकी तरह अपनी पार्टी भी नहीं बदल सकता । महोदय, मैं समझता हूं कि उनको ठीक स्थान मिल गया है । वह कांग्रेस में मिल गये हैं । अब हम जानते हैं कि वह कांग्रेस में क्यों शामिल हुए हैं । (**व्यवधान**)

मेरा विचार था कि हर व्यक्ति इस रिपोर्ट के बारे में गंभीर होगा । मैं यह नहीं कह रहा कि श्री मणि शंकर सहित कांग्रेस के सदस्य इसके प्रति गंभीर नहीं हैं । परंतु प्रश्न यह है कि "आपने इस कार्यवाही की है और ऐसे आर्थिक अपराधों पर कौन कार्यवाही करेगा जो किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ठीक से नहीं आते । आपको कार्यवाही करनी है और इसका उसमें विशेषरूप से उल्लेख किया गया है । इससे कहा गया है :

"यह स्पष्ट है कि अपराधी गिरोहों की 'गुंडागर्दी का बल' उनकी विशाल आर्थिक वित्तीय शक्ति के द्वारा बनाए रखा जाता है और जो आगे माफिया तत्वों के द्वारा खुले रूप से आर्थिक अपराध करके हासिल की जाती है ।"

यह सब कौन करेगा, मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ यह जानना चाहता हूं और यदि आपको अपनी ईमानदारी में विश्वास है तो हमें बतायें कि आपने इस रिपोर्ट के पैरा 7.1 पर किस तरह कार्यवाही की है ।

हम जानते हैं कि दुर्भाग्य से यह ऐसा देश है जहां काले धन की अर्थव्यवस्था नियमित अर्थव्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक ताकतवर है । यह काला धन किस तरह पैदा हो रहा है और इस धन के साथ क्या हो रहा है ? यहां पर हर मामले में यदि आप अपने राजनैतिक लाभ के साथ या दलगत आधार पर या जिस तरह भी आप चाहें उसी तरह सत्ता में बने रहना चाहें तो आपको अनेकों अनेक वोहरा समिति प्रतिवेदनों की जरूरत पड़ेगी और रिपोर्टें होंगी परंतु कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । अत: उत्तर कौन देगा और मैं इस प्रश्न का उत्तर किस तरह दे सकता हूं ? आपको किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी क या ख या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

ग के प्रति दुर्भावना से हो सकती है और आप तोते की तरह अपनी बात दोहरा सकते हैं । अत: आप सांठगांठ के आरोप से तो बच सकते हैं किन्तु कार्यवाही न करने के इस आरोप से बच नहीं सकते । यदि आप यह जानते हुए कोई कार्यवाही नहीं करते कि इस तरह के गंभीर घृणित अपराध हो रहे हैं, सारे देश और सारी अर्थव्यवस्था पर काला धन छाया हुआ है । कौन नहीं जानता कि जमीन के सौदों में क्या हो रहा है । काले धन के बिना यह सब कैसे हो सकता है । और कई बार हम यह कहते हैं ''कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल होता है ।'' यह पैसा क्या है ? इस पैसे का स्त्रोत क्या है और कौन किस को मूर्ख बना रहा है ? क्या देश ताकतवर बन रहा है ? क्या हमारा समाज ताकतवर बन रहा है ? क्या हमारा लोकतन्त्र सुरक्षित हो रहा है ? अब मैं समझता हूं कि सरकार के ध्यान में ''कुछ'' था । हमें इन एजेन्सियों अथवा इन ताकतवर तत्वों के नियन्त्रण के बारे में वस्तु स्थिति का पता लगाना चाहिये । हमें इस बात का पता सबसे उच्च पद पर आसीन अफसर को नियुक्त करके लगाना चाहिये ।

मैं इस समिति के गठन की प्रशंसा करता हूं परंतु यदि यह ईमानदाराना और गंभीर प्रयास होता तो यह सब कुछ प्रधान मंत्री के स्तर पर और तत्काल किया गया होता । यदि बोफर्स का अनुसरण दैनिक आधार पर नहीं कर सकते थे तो कम से कम इस मामले में वैसा यहां किया जाना चाहिये था । लगभग दो साल व्यतीत चुके हैं और केवल इतनी कार्यवाही हुई है कि एक अन्य समिति गठित की गई है जो केवल जानकारी एकत्र करेगी ।

कैंसर रोग की तरह इसने हमारी राजनीति को पकड़ लिया है । जैसा कि बताया गया है, देखें कितना सटीक वर्णन किया गया है,

''यहां तक की न्यायिक प्रणाली के सदस्य की माफिया भी गिरफ्त से नहीं बचे हैं ।''

क्या हमें कोई चिंता नहीं हैं ? क्या हम ऐसी न्यायपालिका चाहते हैं जिस पर आरोप हो ? दुर्भाग्य से यही निष्कर्ष है । क्या हम केवल इस आधार पर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं कि एक विशेष राजनैतिक दल यहां पर शासनारूढ़ है या एक विशेष दल वहां पर शासनारूढ़ है । क्या हमें चिंता नहीं है ? यदि विधायिकाओं के गठन के बारे में भी आरोप हो तो लोकतन्त्र का क्या बचेगा ? (व्यवधान) कई तरह के आरोप हैं । कुछ कहते हैं कि सदस्यों की संख्या लगभग 140 है । मैं किसी विशेष विधान सभा का नाम नहीं लेना चाहता । इस तरह के समाचार हैं कि इतनी संख्या में ''हिस्टरी-शीटर्स'' विधान सभाओं या संसद के सदस्य हैं ।

आज यह प्रतिष्ठा की बात बन गई है । जैसा मैं कह रहा हूं राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया है और अपराध का राजनीतिकरण कर दिया गया है । आज यह स्थिति है । एक दूसरे पर निर्भर है और दुर्भाग्य से इस देश में प्रत्येक राजनीतिज्ञ की ओर शक से देखा जाता है । आप पैसा बना रहे हैं और हम पर शक किया जा रहा है । दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है । आप गालियां देते रहें.... * क्या इसमें आप के पाप धुल जायेंगे ? (व्यवधान) निश्चित है कि यह ठीक नहीं है....(व्यवधान) अत: आप गैर कानूनी तरीके से पैसा बना सकते हैं ? आप क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे सोचना चाहिये था कि यह ऐसा मामला है जिस पर बहुत अधिक गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिये । कई दिन से हम इस चर्चा के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे । आपने भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण चर्चा है....(व्यवधान) । स्वाभाविक है कि आपको पूरा अवसर मिलेगा । आपके गृह मंत्री बहुत योग्य हैं और उनके लैफ्टीनेंट भी हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्रालय के काम काज के बारे में और शायद मंत्री महोदय के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं । दुर्भाग्य से यह घृणीत अपराध, जिसे 'तन्दूर' नाम से जाना जाता है, हुआ है । इस तरह के अपराध से मेरा बचाव केवल इतना है, जैसाकि मैं इस श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि मैं उस में पूरा नहीं आ सकता । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कोई तन्दूर....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा आकार ही मेरी सुरक्षा है । परंतु इस लड़की की तरह मुझे काटा जा सकता है । क्या इस देश में यही तरीका है ? आपका बचाव केवल आपका भार है । अन्यथा आप नहीं बच सकते ।

यह ऐसी बाते हैं जो खुल कर प्रकट हो रही हैं । इसका खंडन नहीं किया गया । क्या हुआ है । आतंक और राजनीति की यह अजीबोगरीब दास्तान खुल कर सामने आ रही है । एक बार भी खंडन नहीं किया गया है । हमने देखा है कि ऐसे लोगों के नाम लिये गये हैं जो मंत्री है जिनके अपराधी लोगों के साथ सम्बन्ध हैं । उनके जिनके अपराधी लोगों के साथ सम्बन्ध हैं । उनके विरुद्ध आए आरोप हैं । उनको मंत्री बनाया जा रहा है और वे आरोपों का खंडन नहीं कर रहे हैं । उनको खुले तौर पर इस कांग्रेस पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी बनने को कहा जा रहा है । एक के बारे में तो पूर्व अपराधी होना कहा जा रहा है । उनके विरुद्ध आपराधिक आरोप हैं । एक ने एक लड़की का अपहरण किया, चूंकि वह लड़की उसका रास्ता रोक रही थी । एक को नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो ने पकड़ा है । उनके पास 6.5 करोड़ रुपये की हेरोइन होने के कारण उन सबको पदाधिकारी बना दिया जाता है । एक अन्य मामल मे एक 41 वर्षीय युवा कांग्रेस नेता पर अपहरण का आरोप लगाया गया है । एक संगठन के महामंत्री का हाथ बोट कल्ब में एक लड़की के अपहरण में है, आदि आदि ।

आजकल हमारी अंग्रेजी भाषा में एक नई अभिव्यक्ति का उपयोग हो रहा है-'पेटरोनिज राज' । भाषा के विकास के रूप में यह योगदान है । इन लोगों को ताकत हासिल है और इसी कारण यह इतनी महत्वपूर्ण बन गई है । आरोपित

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

व्यक्ति है, मैं नहीं जानता कि क्या वह वास्तव में दोषी है अथवा नहीं परंतु जिस पर सबसे अधिक शक है वह है । लोगों को इतनी चिंता किस कारण से है, दिल्ली में हर रोज इतनी हत्याएं हो रही हैं । यह बहुत ही असामान्य बात है । हर रोज जब हम अखबार खोलते हैं तो हम ऐसी खबरें देखते हैं कि एक वृद्ध महिला का गला घोट दिया गया, उसकी नृशस से हत्या कर दी गई । हर रोज इस तरह के समाचार छपते हैं । हालांकि हर अप्राकृतिक मौत हम सबके लिये चिंता का विषय होती हैं परंतु वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन सकी हैं । इसका कारण हैं कार्यकर्त्ताओं के वे संबंध वह संरक्षण है जो उनको मिलता है और वह कुछ भी कर सकते हैं ।

पर्यटन मंत्री को भी इस जांच के आदेश देने को बाध्य होना पड़ा कि उनको रेस्टोरेन्ट किस तरह दिया गया था । एक रोमांचकारी भेद सामने आया । उन्होंने हम लोगों को विश्वास में लिया उन्होंने नेताओं की एक बैठक बुलाई और जो कुछ फाईल में था उसके बारे में हमें बताया । एक गंभीर अनियमितता की गई थी । अब इस मामले की जांच की जा रही है, जिसका निष्कर्ष सामने आएगा और प्रथम दृष्टया मंत्री महोदय सन्तुष्ट थे परंतु हमें धक्का लगा । इस तरह की अनियमितता इस कारण हुई कि वह उस अमुक-अमुक व्यक्ति का नजदीकी का था उस संगठन व राजनैतिक दल से सम्बद्ध था । अत: लोग कहते हैं कि यदि आप कोई लाभ हासिल करना चाहते हैं, यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इस पार्टी या उस पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा । वे किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे ? स्वाभाविक है कि शासक दल के साथ । दुर्भाग्य से अब ऐसा हो रहा है । आर्थिक अपराधी खुले घूम रहे हैं और इसी तरह पैसा बनता है । अत: इसी कारण आर्थिक अपराधों की आज पूरी उपेक्षा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों को हमेशा यह याद नहीं करवाते रहना चाहता कि आप कैसे सोचेंगे कि लोगों को इसमें विश्वास होगा ? श्री बंसल ने कहा कि ''हर रोज'' का मतलब ''प्रतिदिन'' नहीं है । श्री बंसल की अंग्रेजी में ''हर रोज'' का मतलब ''वार्षिक'' है और वार्षिक आधार पर ही आप संसद को रिपोर्ट देते हैं । तब ''प्रतिभूति घोटाला'' क्या है ?....(व्यवधान) यह आपका भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान है ।

विश्व में सबसे बड़ा प्रतिभूति घोटाला हमारे देश में घटित हुआ और तब भी तीन लोगों को पदमुक्तकिया गया जिनको पहले पदमुक्त किया जाना चाहिये था । फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या वास्तविक कार्यान्वयन हुआ है । संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को प्रतिष्ठा की नजरों से न देखा जाकर तिरस्कार के साथ देखा जाता है ।

मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा । यदि मैं यह कहूं कि यह सब दुर्भाग्यवश सत्ताधारी पार्टी के प्रोत्साहन के साथ किया गया है क्योंकि उनसे काम मिल रहा है । आपको संसद सदस्य भी मिल जाते हैं क्योंकि यह आपको अपने पक्ष को और मजबूत करता है । दुर्भाग्य से आज राजनीतिज्ञों पर धब्बा लगता है । यह कहना बहुत आसान है कि मैं हृदय परिवर्तन के साथ, सिद्धांतों में तब्दीली और राजनैतिक विश्वास के बदलने के साथ आज मैं दूसरे दल में मिल गया हूं । जो कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है । अत: इन मामलों के बारे में उत्तर दिया जाना जरूरी है ।....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : क्या उनके लिये यह सब कहना उचित है जो कुछ उन्होंने कहा है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय यदि आप इसे अनुचित समझते हैं तो कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : जो कुछ उन्होंने कहा है वह गंभीर मामला है । उन्होंने आक्षेप....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीतिज्ञों पर धब्बा लग रहा है....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप ऐसा कह सकते हैं । परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि किन कारणों से सदस्य अपना दल बदलते हैं....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा का कमाल है । संदेश जा चुका है....(व्यवधान) । मैं सब आप पर छोड़ता हूं ।

इस देश में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है । राजनीतिज्ञ, अफसर, उद्योगपति, न्यायाधीश, मीडिया, हर किसी पर धब्बा लग रहा है और इसका कारण पैसे के अंजान स्रोतों में वृद्धि हो । उस पैसे को केवल 'क' 'ख' 'ग' या 'घ' कौन हो सकता है-यह मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे यहां बैठे कुछ सदस्यों को परेशानी हो जायेगी ।

हमारे देश के लिये दूसरा बड़ा खतरा रूढ़िवाद के बढ़ने का प्रश्न है । मेरे विचार से यह भी एक अपराध है । दुर्भाग्य से इस देश में यही हुआ है । बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक राष्ट्रीय घोटाला हैं और केवल अपराध मात्र है....(व्यवधान) इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है । अत: राजनीति के साथ धर्म को जोड़ना राजनीति के अपराधीकरण की एक और कोशिश है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : अयोध्या घटना से जुड़े संसद सदस्य के खिलाफ आपराधिक आरोप लम्बित हैं । अत: हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिये कि उसमें कोई सम्बन्ध है । श्री चटर्जी, आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका धन्यवाद । अब मुझे आप में यह विश्वास दिखाई दे रहा है क्योंकि आप खड़े हुए हैं । पहले आप बैठे-बैठे मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे थे ।

बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा की मस्जिद के लिये भी खतरा पैदा हो गया

था । संसद सावधान थी । जनता सचेत थी और सरकार भी इस बार सावधान थी । अत: इसे बचा लिया गया । परंतु वह खतरा अभी बना हुआ है । आज देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है । आप लोगों के बारे में फैसला इस बात को देख कर करते हैं कि वे किस देवता की पूजा करते हैं । जो लोग किसी देवता की पूजा नहीं करते उनके बारे में आप क्या सोचेंगे, मैं नहीं जानता । आज हम देखते हैं कि जनता-वे मुख्यधारा में होंगे अथवा नहीं जो धर्म पर निर्भर करते हैं ।

यहां मेरे इस ओर बैठे हुए मेरे मित्र इस धर्मान्धता के सहारे सत्ता हासिल करने के स्वप्न देख रहे हैं । अत: मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप इस बारे में ईमानदार हैं तो आपको वोहरा समिति की रिपोर्ट में बताए गए खतरे से निपटना होगा । आप को उन रूढिवादी ताकतों से ईमानदारी से लड़ना होगा । अन्यथा इस देश में स्वच्छ प्रशासन नहीं रह सकता । राजनीति आर्थिक अपराधियों, माफिया वालों, तन्दूर वालों और फिर मन्दिरवालों का खेल माल बन जायेगी जो हम नहीं चाहते । वह दिन बहुत ही दुखाते दिन होगा जिस दिन लोकतन्त्र का फैसला इन विघटनकारी विचारों अथवा विघटनकारी प्रवृत्तियों पर किया जायेगा ।

हमें इस देश में अनेकों महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करना है । हर कोई जानता है कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं वहां के लोग बहुत ही विनम्र है और उनकी मांगे भी बहुत तुच्छ होती हैं । उनको थोड़ा भोजन एवं थोड़ा पानी चाहिये । आजकल स्वाभाविक रूप से वह शिक्षा की भी रुचि रखते हैं । वे कृषि गतिविधियों के लिये भी कुछ सुविधाएं चाहते हैं । वे आपकी अद्यतन सुविधाएं नहीं चाहते । परंतु क्या हम उनको वह मुहैया करा सकते हैं ?

6.00 म. प.

अत: अध्यक्ष महोदय हालांकि यह प्रस्ताव बहुत ही व्यर्थ सा प्रस्ताव है फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं । संसदीय कार्य मंत्री भी बहुत प्रसन्न हैं । उनको अपने सदस्यों को यहां पर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं क्योंकि उनको पता है, इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है । उनका कहना है कि यह प्रस्ताव बिना विलम्ब इसका कार्यान्वयन है । परंतु यदि श्री पवन कुमार बंसल के सिद्धांत के अनुसार जो सरकार का भी सिद्धांत लगता है-यदि एक दिन एक साल के बराबर है तो हम इस पर आपत्ति उठायेंगे । उसमें अपराधीकरण के बारे में बोहरा समिति की रिपोर्ट पर सरकार से बिना विलम्ब किये कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है । इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ? अत:समय की सीमा तय की जानी चाहिये और इस पर नजर रखने के लिये संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये । यह सरकार कभी जागेगी नहीं । आप इस देश के साथ मजाक कर रहे हैं । यह एक अंधेरा कुआ है । गंभीरता का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं । अक्तूबर 1993 से अगस्त 1995 का मतलब है 2 साल से तीन महीने कम का समय । वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे "मैंने कोई कार्यवाही नहीं की है" "इसमें विलम्ब हुआ है ।" गृह मंत्री कहेंगे "विलम्ब क्या है, हमें विचार करना होता है, हमें इस समिति, उस समिति, उस उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार करना है और इसी कारण पहले कुछ नहीं किया जा सका । खेद है कि इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर इसे कार्यान्वित करने के लिए श्री चव्हाण नहीं रहेंगे ।

श्री शरद दिघे : सरकार इसे पहली ही कार्यान्वित कर चुकी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इसे कम से कम एक सुन्दर आवरण में प्रकाशित करके कार्यान्वित कर ही दिया है । अत: महोदय मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । किन्तु में यही कहूँगा कि देश कार्यवाही चाहता है । देश को कार्यवाही करवाने का हक है ।

श्री अब्दुल गफूर : आप इस ढंग से बात कर रहे हैं जैसे आप इसे कार्यान्वित करने वाले हैं ।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मुँह में घी-शक्कर ।

[अनुवाद]

महोदय काफी समय व्यतीत हो चुका है ।

आपको काफी मौका मिल चुका है । आपको और आगे मौका नहीं मिलेगा । अत: आपके पास बहुत कम समय बचा है । आप दुर्भाग्य से यहां हैं । कम से कम यहां पर दिखायें कि आप इस बारे में गंभीर हैं और यह दल बदल सिद्धांतों के आधार पर हुआ है और किसी अन्य बात के कारण नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सांयकाल 6.00 बजे का समय हो गया है । मेरे विचार से अभी और मुद्दे भी हैं । यदि हम आज सारा काम पूरा नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी । परंतु मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि हम 37 सदस्यों को कैसे समय दें । स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ही 16 वक्ताओं के नाम दि हैं।

कृपया आप बतायें कि आज वास्तव में किन-किन वक्ताओं के लिये समय चाहते हैं । भाजपा ने भी 9 नाम दिये हैं और कुछ अन्य नाम भी है । इन सभी को समय देना मुश्किल है । यदि हम चाहें तो देर रात तक बैठ सकते हैं । मैं समझता हूं कि हमें इसे पूरा कर लेना चाहिये और सदस्य भी आज ही इस कार्य को पूरा करना चाहते थे । कल बजट लिया जाना है । कुछ अध्यादेशों को प किया जाना है और कई अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित किये जाने हैं त हमारे पास समय बहुत कम है ।

मैं आपसे 2-3 अनुरोध कर रहा हूं । पहला, सचेतक सूची वापस लेकर हमें फिर से बतायें कि उनके दल के कितने सदस्य बोना चाहते हैं ।

दूसरा, जो सदस्य बोल रहे हैं वह मुद्दों को दोहरायें नहीं । यदि आप दोहरायें तो उनका उल्लेख मात्र करके नई बातें कहें ।

तीसरी बात रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराध,राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति सभी की स्थिति बहुत खराब है । इस तरह के सुझाव देना बहुत फायदेमंद होगा कि इस पर कैसा काबू पाया जा सकता है । स्थिति के बारे में तो रिपोर्ट में सब कुछ कहा गया है । हमें उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है ।

कृपया मुझे बता दें कि क्या करना चाहिये ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चूंकि हमें देरी तक बैठना है अत: श्री मुकुल वासनिक को हमारे लिये रात में खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने को कहा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । श्री वासनिक सदस्यों, कर्मचारियों तथा समाचार पत्रों को लोगों के लिये रात्रि भोज तथा स्नैक्स की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने इस संकल्प पर एक संशोधन की सूचना दी है और मेरे विचार से उचित होगा कि माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी दे दी जाये ताकि वे उस पर भी अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देख नहीं सका । मुझे बताया गया था कि "आपका एक संशोधन" प्राप्त हुआ है ।

श्री अर्जुन सिंह : उस समय माननीय सभापति पीठासीन थे । इसे माननीय सदस्यों को परिचालित किया जा सकता है । श्री सोमनाथ ने उसका उल्लेख किया है परंतु अन्य सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है परंतु अन्य सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि वह क्या है और किस तरह का संशोधन है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप बोल दीजिए....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रस्तुत करने के लिये मुझे इसकी अनुमति देनी पड़ेगी ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं मैं सूचित कर रहा हूं । यह मेरा संशोधन है जिसका मैंने सुझाव दिया है, बशर्ते कि आप अनुमति प्रदान करें।

"कि बिना कोई विलम्ब किये" शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये-

"और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये दिशा निर्देश तैयार करने और की गई कार्यवाही पर नजर रखने के लिये इस सदन के सदस्यों में से एक ग्यारह सदस्यीय समिति नियुक्त करें"

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी इस पर विचार करूंगा ।

मैं समझता हूं कि अब तक हुई चर्चा का स्तर काफी अच्छा रहा है । मैं इस बारे में किसी का नाम नहीं ले रहा और यह सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें गल्तियों को सुधारने के लिये कहां पर कदम उठाने की जरूरत है । इस स्तर को बनाये रखें और इसे नीचे न गिरने दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय इस चर्चा को पूरा किये जाने तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल शून्य काल के बाद, लंच से पहले....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है । हमने रेल दुर्घटना पर एक दिन में चर्चा की थी और वह खत्म हो गया है । अब हम देर तक बैठे रहे हैं ।

श्री सुधीर सांवत (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । मैं स्वतन्त्र भारत के इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण घटना समझता हूं कि इस मसले पर चर्चा हो रही है और वोहरा समिति की रिपोर्ट पेश करने पर सरकर की प्रशंसा करता हूं कि जिस रिपोर्ट में वर्तमान स्थिति का उल्लेख करने के साथ साथ दूरगामी प्रभाव वाली सिफारिशें भी की गई हैं । मेरा उद्देश्य यहां

पर वर्तमान स्थिति पर विचार करना नहीं है । परंतु हमें मूलरूप से इस बात का पता लगाना होगा कि जो कुछ उसमें कहा गया है उससे आगे हम क्या कार्यवाही करें । मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट और यहां की चर्चा का यही परिणाम होगा । दुर्भाग्य से मैंने पाया है कि हम राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं ।

महोदय, अपराधीकरण और संगठित अपराध से खतरा ऐसे रोग हैं जो विकासशील देशों की ही नहीं अपितु विकसित राष्ट्रों की राजनीति पर भी असर डाल रहा है । महोदय, मैं यहां पर उस बात का उद्धरण दूंगा जो अमरीकी समिति के मोल्विक लेविट्सकी ने कही थी । मैं इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूँ क्योंकि यह खतरा इस देश पर ही असर नहीं डाल रहा है अपितु इस विश्व के सभी देशों पर असर डाल रहा है । वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति को समझना होगा और उसी के अनुसार काम करना होगा ।

श्री लेविट्सकी ने इस प्रकार कहा है :

"संयुक्त राज्य के समाने शीत-युद्धेत्तर युग में उसकी सुरक्षा के लिये अनेक खतरे थे । इनमें खतरों में से सबसे अधिक खतरा अन्तर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के व्यापार से है जो शीतयुद्धेत्तर मसलों से सबसे बड़ा खतरा है । नशीली दवाओं के व्यापार में अनेक बाहरी देशों की राजनीतिज्ञ एवं आर्थिक स्थिरता को नष्ट करने के साथ-साथ संयुक्त राज्य को भी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता है । इस संबंध में आतंकवाद, पर्यावरणीय अपक्षरण आदि की तरह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है ।"

मैंने मि. लेविट्सकी की इस बार का उद्धरण मुख्य रूप से इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये किया है-क्या विपक्ष के सदस्य इस बात की ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे-नशीली दवाएं आज सबसे बड़ा अकेला खतरा बन गया है जो सभी देशों की ताकत को तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दे रहा है । महोदय, इसी कारण से, मैंने इस सदन में प्रवेश करते ही इस मसले को मुख्य मसले के रूप में और राष्ट्रीय सुरक्षा को असर डालने वाले महत्वपूर्ण मसले के रूप में उठाया था । मैंने अगस्त 1991 में रक्षा बजट पर दिये गये अपने पहले भाषण में इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था । बाद में अप्रैल 1992 में मैंने सरकार से नशीली दवाओं-आतंकवाद की समस्या पर विचार करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का अनुरोध किया था और तदनुसार एक समिति का गठन किया गया है । मैं भी उस समिति का सदस्य हूं और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही पेश की जायेगी । मैंने बम्बई के बम विस्फोटों के बाद मई 1993 में संसद के 19 अन्य सदस्यों के साथ सरकार से अपराधियों, राजनीतिज्ञों, अफसरों और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन करने का अनुरोध किया था । वोहरा समिति की रिपोर्ट में उद्योगपतियों की बात का उल्लेख नहीं है । संसद सदस्यों की इस मांग के जवाब में ही वोहरा समिति का गठन किया गया था और उसने यह रिपोर्ट दी है । अत: यदि कोई यह दावा करने की कोशिश करे कि इस पार्टी अथवा उस पार्टी की मांग पर यह समिति बनाई गई तो वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के संसद सदस्यों ने वोहरा समिति की स्थापना की पहले मांग की थी । हमने इस बात को पहचाना कि यह आपराधिक खतरा है और हमें इसका डट कर मुकाबला करना है । हम इस खतरे को नजरंदाज नहीं कर सकते और इसी कारण यह चर्चा हो रही है । यदि हम इस समस्या की जड़ का विश्लेषण करेंगे और उपचारात्मक कदम उठायेंगे तो हमें इसका श्रेय प्राप्त होगा ।

महोदय, संगठित अपराध क्या है? मेरा विश्वास है कि नशीली दवाएं आज संगठित अपराध की नींव से पैदा हुई हैं । सभी आपराधिक गतिविधियां-जेब कतरने से लेकर वेश्यावृत्ति तक नशीली दवाओं के पैसे से नियन्त्रित होती हैं । इनके कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रित ताकतवर माफिया पैदा हुआ । यदि आप राज्य के रूप में कोलम्बिया का उदाहरण देखेंगे तो हम देखें कि हम उसी ओर जा रहे हैं । आप जानते हैं कि कोलम्बिया में मंत्रियों की हत्या कर दी गई है । वास्तव में राज्य के सारे तन्त्र को औषधियों के व्यापारियों के द्वारा कब्जा लिया गया है । महोदय आज हमें इसी बात की ओर ध्यान देना है । महोदय, रक्षा बजट,पर दिये गये अपने भाषण में भी मैंने खतरों के बारे में तीन संभावनाओं का उल्लेख किया था । पहली संभावना विदेशी आक्रमण की है । दूसरी संभावना विदेशियों के द्वारा प्रेरित आन्तरिक अव्यवस्था है जिसको हमने बाबरी मस्जिद के मामले में देखा और तीसरी संभावना अपराध और अपराधी गतिविधियां अर्थात गैर-जिम्मेदार तत्वों से खतरों की है ।

महोदय, बम विस्फोट एक ऐसी घटना है जहां पर विदेशी गुप्तचर एजेन्सी ने संगठित अपराध की सहायता के साथ इस देश की वित्तीय राजधानी को अस्थिर करने की कोशिश की । महोदय यदि उस बम के स्थान पर परमाणु बम का उपयोग कर दिया गया होता तो हम कल्पना करें कि उसके क्या परिणाम निकलते । ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिनमें रूस से जर्मनी को परमाणु पदार्थों की तस्करी हुई है । इस तरह के 247 मामलों की खबरें हैं । महोदय, इसी कारण आतंकवाद से खतरा केवल परम्परागत हथियारों तक ही सीमित नहीं है परंतु जनसंहार के हथियारों के उपयोग की संभावनाएं भी हैं और भावी कार्यवाही करते समय हमें इस खतरे को ध्यान में रखना है ।

हमें इस बारे में प्राथमिकताओं पर विचार करना है कि क्या हमें केवल साधारण अपराध की ओर ध्यान देना है या समस्या के वास्तविक पहलुओं पर विचार करना है महोदय, जैसा मैं बता चुका हूं आज राज्य का सम्पूर्ण तन्त्र कुछ लोगों की दया पर निर्भर है । वास्तव में वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 6.4 में उनकी पहचान की है और उनका उल्लेख किया है । उसे पहले ही यहां पढ़कर सुनाया जा चुका है कि इस देश के कुछ हिस्से में समानान्तर सरकार चल रही है । हम सब जानते हैं कि यह किस तरह हुआ है । यह सब नशीली दवाओं के पैसे के जोर पर हुआ है । संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव मि. पेरेज डी. कोयार ने सन 1990 में औषध व्यापार का अनुमान 500 बिलियन डालर लगाया था । यह व्यापार विश्व में हथियारों के व्यापार के बाद दूसरे स्थान का व्यापार है । यदि इतनी अधिक राशि अपराधी तत्वों के हाथों में संगठित अपराध के हाथों में जा रही है तो इसका स्वाभाविक असर यह होगा कि उन लोगों के हाथ में ताकत आ जायेगी जिनके हाथों में पैसे की ताकत है और वास्तव में यही हुआ है । कुछ

समय में राज्य के सभी भागों में अर्थात चाहे वह राजनीतिज्ञ हों न्यायपालिका हो, अफसरशाही हो इसकी घुसपैठ सब में हो गई है और जब तक कोई तत्काल कदम नहीं उठाया जाता यह वहीं पर काबिज हो गई है ।

जैसा कि मैंने कहा है संगठित अपराध की नींव नशीली दवाएं है और यहां पर हम सबका मुख्य चिंता, सरकार की मुख्य चिंता नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद का मुकाबला करना है । दुर्भाग्य से आज हम देखते हैं कि नशीली दवाओं का विषय वित्त मंत्रालय के अधीन है और आतंकवाद का विषय गृह मंत्रालय के अधीन है । रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में किये जा रहे प्रयासों के बीच कोई समन्वय नहीं है । वास्तव में राजस्व सचिव ने उल्लेख किया है कि दोनों के बीच आपस में कोई मेल-मिलाप नहीं होता । यदि राजस्व विभाग को कोई जानकारी हासिल होती है तो यदि ठीक समझा जाये तो दूसरे को बता दी जाती है अन्यथा नहीं बताई जाती । यह मुख्य समस्या है जो हमारे सामने है । स्वाभाविक है कि दवाओं की तस्करी करने वालों के हाथों में पैसा पहुंचता है । यदि आप राजस्थान जायें तो देखेंगे कि बाड़मेर जैसे स्थानों पर बड़ी-बड़ी इमारतों की स्थापना हो रही है । मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो रहा है । यदि आप इस देश के तटवर्ती इलाकों में जायेंगे-मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे इलाके में है-आप देखेंगे कि लोग अचानक वित्तीय दृष्टि से ताकतवर बन रहे हैं । मैं नहीं जानता कि यह पैसा कहां से आता है और वहां के प्रवर्तन तंत्र को क्या हो रहा है ।

महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपनी जांच के साथ मैं इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तस्करी का सामान स्वयं कस्टम अधिकारियों कीसांठगांठ से ही आता है । जब आप वहां पर अपराधियों की गतिविधियों की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि पुलिस तथा कस्टम अधिकारी कभी मिल कर काम नहीं करते हैं । आप पुलिस के निम्नतम स्तर पुलिस स्टेशन को देखेंगे । कस्टम अधिकारी को पुलिस थाने में आने की अनुमति नहीं है । देश के अनेकों भागों में यह स्थिति है । महोदय सच्चाई यह है कि सरकार के दो हाथ कभी साथ मिल कर काम नहीं करते । जहां तक प्रवर्तन तंत्र का संबंध है यही मूल समस्या है । जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है । यदि वे दल कांग्रेस पार्टी की ओर आरोप की उंगली उठा रहे हैं तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में किस तरह माफिया वालों और नशीली दवाओं वालों के पैर किस तरह से जमे ? इसका क्या कारण है कि राजस्थान में नशीली दवाओं का माफिया किस तरह सारे अपराध तन्त्र को नियन्त्रित कर रहा है । भाजपा का वहां पर कई सालों से शासन है । कानून और व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में है । अत: एक दूसरे पर आरोप लगाने के स्थान पर समस्या की ओर ध्यान देने तथा उससे निपटने की जरूरत है ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री सुधीर सावंत : मैं वहां गया था और मैंने देखा है । आप मेरे साथ चल कर उसे देख सकते हैं ।

प्रो. रासा सिंह रावत : हम बार-बार केन्द्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगायी जाये और पाकिस्तान से आने वाले तस्करों को रोकने का प्रयास किया जाये लेकिन वह इसमें राजस्थान सरकार की कोई सहायता नहीं कर रही है ।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत : मैं व्यक्तिगत रूप से समिति के साथ राजस्थान गया हूं और श्री जसवन्तसिंह जी साथ थे । वहां पर स्थानीय लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों सहित सभी द्वारा पोस्त की खेती करने को उकसाया जा रहा है । वहां पर कोई भी आगे आकर किसी तरह का कदम नहीं उठा रहा और यह नहीं कह रहा कि पोस्त की खेती नहीं की जानी चाहिये । हम विस्तार में न जायें । यदि आप चाहें तो उद्धरण दे सकता हूं । मैं यहां पर नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु वास्तविकता यह है कि सभी राज्यों में, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, ताकतवर गठजोड़ों के बनने से रोकने में असफल रहे हैं । इसका एक कारण है । मैं वह बताना चाहता हूं । परंतु वास्तविकता यह है कि हम अपने उत्तरदायित्व से हट नहीं सकते या अपने उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आज जो स्थिति बन गई है वह मुख्यरूप से राजनैतिक दलों द्वारा उन लोगों की पहचान करने के दायित्व में असफल रहने के कारण है जो उनके पास आ रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण है । अत: राजनैतिक दलों को इस बारे में जानकारी देने के लिये कोई तन्त्र होना चाहिये । यह एक उपाय है जो हमें करना चाहिये ।

मेरा दूसरा प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय रूचि विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा रूचि लिये जाने के बारे में है । मैं कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूं । भारत स्वर्णिम त्रिकोण और स्वर्णिम चन्द्र के संगम में स्थित है और इसके कारण भारत नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त धन की सहायता के साथ अस्थिरता फैलाने का केन्द्र बिन्दु बन गया है और साथ ही भारत का 'ट्रांजिट' देश के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । पाकिस्तान ने लगातार 1986 से जानबूझकर नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है और इसे सभी जानते हैं ।

लगभग 700 टन अफीम पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बाहर भेजी जाती है । वह अफीम कराची के रास्ते भारत अथवा अन्य स्थानों को भेजी जाती है । उस क्षेत्र में अफीम का परिष्करण करने के काफी कारखाने हैं । संयुक्त राज्य के नशीली दवा नियन्त्रण ब्यूरों ने इस बात का पता लगाया है कि पश्चिमी देशों में पहुंचने वाली नशीली दवाओं का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान से अथवा म्यांमार से उन देशों में पहुंचता है । भारत उनका संगम है । इसी कारण इस देश में भारी मात्रा में नशीली दवाएं आ रही हैं और आतंकवादियों की मदद से यह औषधियां लाई जाती हैं ।

स्वयं पंजाब में आतंकवादियों के अधिकतर समूह नशीली औषधियों के लाने लेजाने का काम करते हैं और मुम्बई वित्तीय राजधानी होनी ही चाहिये ।

वोहरा समिति ने पैरा 2.1 में कहा है कि :

"बम्बई में मार्च 1993 में हुए बम धमाकों के परिणामस्वरूप दाऊद इब्राहीम समूह । इन विभिन्न रिपोर्टों से यह पता चलता है कि मेमन बन्धुओं तथा दाऊद इब्राहीम की गतिविधियों में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप ताकतवर नेटवर्क स्थापित हो गया था । यदि इन तत्वों का सम्बद्ध सरकारी विभागों विशेष रूप से कस्टम, आयकर पुलिस तथा अन्यों में काम करने वाले अधिकारियों का प्रश्रय प्राप्त न होता तो ये इतने ताकतवर नहीं बन सकते थे ।

यह एक अजीब विरोधाभास है । यदि हम मामले की तह में जायेंगे तो पता चलेगा कि दाऊद इब्राहीम, इकबाल मिरची और मेमन को सरकारी विभागों से करोड़ों रुपये पुरस्कार और मेमन को सरकारी विभागों से करोड़ों रुपये पुरस्कार के रूप में मिले हैं और उन पुरस्कारों की सहायता के साथ उन्होंने सम्पत्तियां खरीदी हैं और उनको कोई छू नहीं सकता । यह रिकार्ड की बात है । मैंने इसका उल्लेख मात्र किया है । मेरी समिति की रिपोर्ट में वह लिखा होगा । मैं इन बातों के ब्यौरों का उल्लेख नहीं कर रहा । परंतु सर्च्चा यह है कि बम्बई देशभर में आतंकवाद को पैसा मुहैया कराने के लिये वित्तीय राजधानी बन गई है । यही कारण है कि जहां तक अपराध की दुनिया का संबंध है बम्बई का उसमें महत्व है । हमें इस ओर ध्यान देना है क्योंकि जब मैं उपचारात्मक कदमों का उल्लेख करूंगा तो हमें ऐसे कार्यक्रम के बारे में सोचना होगा जिसे इस खतरे को काबू करने के लिये लागू किया जाना है ।

ऐसे अन्य अनेक मुद्दे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था किन्तु समय की कमी के कारण मैं केवल उन सिफारिशों का उल्लेख करूंगा जो की जा सकती हैं । इस समिति की रिपोर्ट की यह सिफारिश कि गृह मंत्रालय तक नोडल एजेन्सी की स्थापना करें हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है । क्योंकि ऐसी और बहुत सी बातें हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना है । धन के अन्तरण का सवाल है । वोहरा समिति ने पैसे के अन्तरण की कोई बात नहीं की है । इस सदन का आज मुख्य कर्तव्य यह है कि देश में पैसे के अन्तरण को रोकने के लिये कानून बनाया जाये । क्योंकि, जैसा मैंने कहा, जब तक हमने अपराध को मिलने वाले पैसे का रास्ता नहीं रोका तब तक हम इन अपराधियों को काबू नहीं कर पायेंगे । वह और आगे घुसपैठ कर लेंगे और यहां तक कि आयात एवं निर्यात के क्षेत्र में भी । अभी हाल ही में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है कि 2 रु. मूल्य के पैन का भाव 4 रु. रख दिया गया । वह पैन समुद्र में फैंकने योग्य थे । करोड़ों रुपया दुबई से भारत अन्तरित किया गया । इसका संबंध नशीली दवाओं के साथ था ।

मैं हर्षद मेहता के मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता । उस मामले में चर्चित श्री निरंजन शाह एक हवाला आपरेटर का और उसका उपयोग नशीली दवाओं के पैसे को बदलने के लिये किया गया । श्री हर्षद मेहता, श्री निरंजन शाह और नशीली दवा उद्योग के बीच संबंध प्रकट हो रहे हैं और इसकी कोई जांच नहीं की गई है । अत: मेरी शिकायत यह है कि आज हमें केवल मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ही नहीं स्थापित करनी है अपितु अपराध मुक्त अर्थव्यवस्था बनानी है । उस प्रयोजन के लिये अब सीमा शुल्क, आयकर और एन. डी. पी. एम. अधिनियम जैसे अनेक कानून हैं । परंतु आज जिस बात की जरूरत है वह है "मनी लाण्डरिंग एक्ट" बनाने की । यहां तक कि अमरीका में भी डिपाजिटों के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर किये जाने के बारे में बैंकों पर दबाव पड़ा था । इस देश में वित्तीय सौदों अथवा वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करने की कोई प्रणाली है । आज बड़ी मात्रा में विदेशी पैसा आ रहा है । अनिवासी भारतीय निवेश कर रहे हैं । वह आने वाली भारतीय कौन हैं ? उनकी पृष्ठभूमि क्या है ? वह पैसा कहां से आ रहा है ? इस बात की कोई जांच नहीं की जा रही है । अत: मैंने मांग की है कि जब विदेशी पैसा का भारत में निवेश हो तो उस पृष्ठभूमि की भी जांच की जाये जिसके आधार पर यह पैसा आ रहा है क्योंकि यह सारा पैसा नशीली दवाओं का पैसा है ।

हम वास्तविक सम्पत्ति के मामले को ही देखें । मुम्बई में वास्तविक सम्पत्ति संबंधी अधिकतर व्यापार नशीली दवाओं के इस पैसे से नियन्त्रित हो रहा है । सिनेमा उद्योग भी नशीली वस्तुओं के पैसे से ही नियन्त्रित होता है । आयकर विभाग कुछ कार्यवाही करने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास भूमि संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं । नगर निगम जमीन के सौदों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है । अत: आज बहुत बड़ी जरूरत है । अब मैं सोने का उल्लेख करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : अब पांच किलोग्राम सोना लाया जा सकता है ।

श्री सुधीर सावंत : जी हां । सोने के आयात को उदार बनाये जाने के बाद से सोने की तस्करी में भारी कमी हुई है । इस वास्तविकता की भी जांच की जानी चाहिये । अत: आज 'मनी लाण्डरिंग अधिनियम' एक प्रमुख जरूरत है । तब उस ढांचे का क्या होगा ?

अब एक और समस्या हमारे सामने आ रही है और वह यह है कि कानून और व्यवस्था का मसला राज्य सरकार का विषय है और उस संदर्भ में हम केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों के द्वारा उन मामलों की जांच करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दोषियों पर मुकदमे चलाये जायें । मैं यह नहीं कह रहा कि हम कानून और व्यवस्था के मामलो को समवर्ती सूची में रख दें । परंतु कुछ ऐसे अपराध है जिनको संघीय अपराध के रूप में देखा जाना चाहिये । इस विश्व के हर देश में ऐसा होता है । उदाहरण के रूप में बम्बई बम कांड में सी. बी. आई. ने वहां जाकर उसकी जांच तब तक करने से इन्कार किया जब तक राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से इसके लिये अनुरोध न प्राप्त हो जाये । इसमें महीनों का समय लग गया । सात महीने का समय बीत जाने के बाद अक्तूबर में सी. बी. आई. ने मामले में हाथ डाला । हम जानते हैं कि नशीली दवाओं-आतंकवाद का संबंध स्थानीय अभिव्यक्ति नहीं है । परंतु यह एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्पत्ति है । जैसा कि मैंने कहा है विश्व भर में माफिया का पूर्ण नेटवर्क स्थापित है-इटालवी, कोलम्बियाई, अमरीकी, रूसी और पाकिस्तानी । पाकिस्तानी माफिया की तुलना में भारतीय माफिया की अन्तर्राष्ट्रीय माफिया समुदाय में कोई प्रासंगिकता नहीं है । सभी आपरेटर पाकिस्तानी, आई. एस. आई. के आदेशों के अधीन काम कर रहे हैं और इस देश को अस्थिर करने का

यह एक मुख्य हथियार है । इसी कारण से निचले स्तर पर जब कोई पुलिस अधिकारी किसी शक्तिशाली व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो आदमी शाम तक जमानत पर बाहर आ जाता है । टाडा कानून की बात करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसे कानून होने चाहियें जिनमें आवश्यक निवारक निरोध का उपलब्ध हो । वोहरा समिति ने भी यह कहा है । क्योंकि हम आम नागरिकों को अपराधियों की दया के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं । और इसी कारण विश्व भर में लोकतान्त्रिक ढांचे के लिये निवारक निरोध को जरूरी समझा जा रहा है ।

हमारी स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है । संविधान ने सरकार के सामान्य कार्यकरण की व्यवस्था की है । परंतु जब असामान्य स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो विशेष कानूनों की जरूरत होती है और इसीलिये निवारक निरोध संबंधी कानून की आज अत्यन्त आवश्यकता है । वास्तव में राजस्व सचिव ने स्वयं कहा है कि जब किसी को गिरफ्तार भी करते हैं तो कुछ नहीं होता और इस तरह के अनेक मामले हैं । अत: हमें निवारक निरोध कानून बनाना चाहिये जो बहुत प्रभावी होगा और आपराधिक न्याय प्रणाली होनी चाहिये । दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिये जिसके अनुसार कोई भी अपराधी कानून की कमियों का सहारा न ले सके और बच सके । आज यही हो रहा है । वोहरा समिति ने भी यही कहा है ।

मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं । हम किस तरह का तन्त्र बनाना चाहते हैं ? जहां तक नोडल एजेन्सी की बात है पहले से अनेक एजेन्सियां हैं । दुर्भाग्य से यह वोहरा समिति ने सेना आसूचना अथवा सीमा सुरक्षा बल को अपने समक्ष टिप्पणियां देने हेतु आमन्त्रित नहीं किया क्योंकि उनके निष्कर्ष कुछ अलग तरह के होते । हम पूर्वोत्तर की समस्या से निपट रहे हैं, हम जम्मू-कश्मीर की समस्या से निपट रहे हैं, हम पश्चिमी सीमाओं की समस्या से निपट रहे हैं । वहां सैना तैनात है । हमने वोहरा समिति की रिपोर्ट में सेना की भूमिका को कोई मान्यता नहीं दी है ।

अत: हम किस तरह का तंत्र स्थापित करना चाहते हैं ? इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि इस में समन्वय की कमी है । मेरा सुझाव यह है कि इस सभा को विश्वास में लेकर बताया जाये कि क्या कार्यवाही की गई है, जैसा कि अमरीका व ब्रिटेन में होता है, जहां पर लोकतन्त्र प्रणाली है । उस जैसे देश में भी सीनेट आसूचना समितियां हैं । हम भी उस तरह की समितियां बना सकते हैं । यह सदन उस तरह की समितियां बना सकते हैं । यह सदन उस तरह की समिति क्यों नहीं बना सकता ? पिछले चार साल से मैं यह मांग कर रहा हूं । एक संसदीय स्थायी समिति बना कर हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि हमें किस तरह का ढांचा बनाना है ? इस बारे में विश्वभर में अपनाई गई प्रणाली का हमें अध्ययन करना चाहिये । लोगों ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने का अनुभव हासिल किया है । हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे ? मैंने अपनी जांच में पाया है कि पर्याप्त जानकारी की बहुत कमी है । वोहरा समिति की रिपोर्ट में भी जगह-जगह इस बात को दोहराया गया है । हम एक नया संगठन नहीं बना सकते । पहले से ही अनेक संगठन हैं । वास्तविक जरूरत आसूचना एजेन्सियों तथा प्रवर्तन एजेन्सियों के एकीकरण की है । हम इसे कैसे हासिल करेंगे ? हम इसे केवल एक ही तन्त्र के जरिए हासिल कर सकते हैं, वह है मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रधान मंत्री के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किये जाने तक एक समिति की तरह का तंत्र होना चाहिये । काफी समय से इसकी मांग की जा रही है और प्रधान मंत्री ने भी उसे स्वीकार किया है । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थिति का जायजा लेगी और उसके अधीन अलग से एक एजेन्सी नहीं परंतु एक समिति हो सकती है जिस समिति में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय और चाहिये ?

श्री सुधीर सांवत : मुझे पांच मिनट का समय चाहिये ।

इस तरह की समिति में, जो सीधे प्रधान मंत्री के अधीन कार्य करेंगी, सभी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों की उसमें भूमिका है । जहां तक राजस्व पहलू का संबंध है उसमें वित्त मंत्रालय की भूमिका है, गृह मंत्रालय का इससे संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय का इससे संबंध है और जहां तक बैंकिंग विनियमों का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक की भी इसमें भूमिका है । अत: इस प्रकार की समिति के इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये जरूरत है और संसदीय समिति की इस समिति तक पहुंच होनी चाहिये ।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा संगठन होना चाहिये जिसका कार्य आसूचना हासिल करना होना चाहिये । उदाहरण के रूप में नशीली दवाएं नियन्त्रण ब्यूरो की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर की गई थी परंतु अब यह प्रवर्तन की भूमिका भी अदा कर रहा है जिसमें अपराधों की जांच करना तथा मुकदमे चलाना भी सम्मिलित है । स्वापक औषध नियन्त्रण ब्यूरो इन सभी पहलुओं की जांच के लिये पर्याप्त नहीं है । अत: एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जिसे बाकी सारी एजेन्सियां अपनी गतिविधियों की सूचना दें । गृह मंत्रालय ने रिकार्ड ब्यूरो के काम काज का कम्प्यूटरीकरण करके बहुत अच्छा कार्य किया है । इस बारे में काफी काम हुआ है परंतु अभी और काफी कुछ किया जाना है । दुर्भाग्य से स्वापक औषध नियन्त्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय जैसी एजेन्सियों तथा सेना एजेन्सियों की राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तक पहुंच नहीं है । यहां तक कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी वह जानकारी नहीं है । अत: प्रत्येक एजेन्सी के पास एक कम्प्यूटर टर्मिनल होना चाहिये ताकि उक्त एजेन्सी की पहुंच उक्त रिकार्ड तक हो सके ।

दूसरी बात राज्यों के स्तर की है । चूंकि एक नोडल एजेन्सी की स्थापना का सुझाव दिया गया है आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों के स्तर पर हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत होगी जो राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय बलों की गतिविधियों में समन्वय लाये । उनके बीच उन स्थानों के अतिरिक्त जहां बम्बई

के बम कांडों के बाद केवल कुछ स्थानों पर बैठकें आयोजित करके कुछ कदम उठाये गये हैं । फिर हमें जिला स्तर पर भी विचार करना है । जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के अधीन सभी केन्द्रीय बलों की कम से कम गतिविधियों में समन्वय लाने के लिये महीने में कम से कम एक बैठक जरूर होनी चाहिये । अत: हमारे यहां तीन चरणों अर्थात् जिला स्तर, राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए जहां राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियां अपने कार्यकलापों में समन्वय स्थापित कर सकें । अपराधों को समाप्त करने के लिए तंत्र बनाने की दिशा में यह पहला कदम होना चाहिये ।

मैं अंत में तटीय क्षेत्र की बात करना चाहता हूं । तटीय क्षेत्रों से तस्करी का सामान, हथियार लाना और नशीली औषधियों का निर्यात बड़ा आसान है । इसको रोकने के लिये कोई समुचित तंत्र नहीं है । सीमा शुल्क विभाग ने इन तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से उपेक्षित कर रखा है । अनेक तटीय जिलों में यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि सीमा शुल्क विभाग के सीमा गार्ड भी निगरानी के लिये नियुक्त नहीं है । मुम्बई बम कांड के बाद से पुलिस एवं कस्टम की मिली जुली गश्त की कुछ तदर्थ व्यवस्था की गई है । परंतु इस काम के लिये जो ट्रालर लिये गये थे वह तेज रफ्तार से चलने वाले नहीं है और कुछ मामलों में वह ट्रालर उन लोगों से लिये गये हैं जो नशीली दवाओं की तस्करी के धन्धे में लिप्त हैं ।

महोदय, मैं विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख नहीं करना चाहता । परंतु तटीय गश्त के लिये कोई न कोई स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये । तटरक्षक दल को समुचित उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये और और तट की सुरक्षा तथा तटीय क्षेत्र में अपराधी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका सीमा शुल्क विभाग के साथ विषय किया जाना चाहिये ।

जहां तक संगठन का विकास करने के बारे में मेरी समझ है, मैंने कुछ सुझाव दिये हैं । परंतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पास उपलब्ध सभी संसाधनों को मिलाये जाने के सिवाय राजनीतिज्ञों, अफसरों, अपराधियों, न्यायपालिका और उद्योगपतियों के बीच इस विशिष्ट गंठजोड़ का मुकाबला करने का और कोई तरीका नहीं है जो गठजोड़ आज विश्व के हर देश में स्थापित हो रहा है ।

इस खतरे से निपटने का एक मात्र तरीका यह है कि सभी राजनीतिक दल जुटकर इससे निपटने का संकल्प लें । आखिर हमें ही वह फैसला करना है कि क्या करना है । राजनैतिक दलों को उनके संगठन में ऐसे लोगों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिये जो इससे ग्रस्त हैं । दुर्भाग्य से मैंने देखा है कि बहुत से राजनीतिज्ञ अनजाने में अपराधियों की किन्हीं चालों में फंस जाते हैं । बहुत से अपराधियों ने विधान सभाओं के सदस्यों और संसद सदस्यों के रूप में राजनैतिक दलों में घुसपैठ कर ली है । मैं यह नहीं कह रहा कि राजनैतिक दल ऐसा कर रहे हैं । परंतु सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हम हमेशा राजनीतिज्ञों की ओर उंगली उठा रहे हैं । हमें स्थिति के दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिये हमें अफसरशाही को भी देखना चाहिये जो इन सबसे परे हैं । हम सफलतापूर्वक राजनीतिज्ञों और कार्यपालिका की ताकत को नियन्त्रित करने के प्रयास कर रहे हैं । आखिर हम यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । हम यहां पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हैं । हमें बदला भी जा सकता है । परंतु यहां पर स्थायी अंग वह हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं, जिन्होंने इन वर्षों में निहित स्वार्थ बना लिये हैं और राजनीतिज्ञ इस मुद्दे पर एक जुट नहीं होते तो हमें इसे राष्ट्रीय मतैक्य का मामला मानना चाहिये । हमें इस खतरे से एकजुट होकर लड़ने का संकल्प करना चाहिये क्योंकि यदि भारत को कोलम्बिया नहीं बनना है तो तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है क्योंकि समय अभी हमारे प्रतिकूल नहीं गया है । परंतु समय हाथ से निकल रहा है । अपनी भावी पीढ़ियों के लिये हमें एक जुट होकर अपराध और आपराधिकता और हर तरह के भ्रष्टाचार से निपटने का संकल्प करना चाहिये और उसके लिये हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका कहीं भी किसी भी समय बलिदान करने को तैयार रहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अभी मेरे पास बोलने वाले 11 और सदस्यों के नाम हैं।

[हिन्दी]

इसके बाद मेरे पास 11 मैम्बर्स के नाम हैं । उनकी तरफ से पांच या छ: हैं व आपकी तरफ से तीन मैम्बर्स हैं तथा बाकी दूसरी पार्टियों के मैम्बर्स हैं । अगर सभी 30-35 मिनट के हिसाब से बोलेंगे तो टाइम ज्यादा हो जायेगा ।

[अनुवाद]

कृपया मेरा साथ दें । यह कहना जरूरी नहीं है कि क्या वास्तव में हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में यह कहा गया है । हम उसके आगे चलकर अपनी बात कह सकते हैं । अन्यथा हम सबको रात देर तक बैठना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, केवल मंत्री जी का जवाब करा दीजिये ।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है और जो विचार मेरे मन में सिक्योरिटी घोटाले संबंधी रिपोर्ट को पढ़ने पर पैदा हुए थे वही विचार मेरे मन में इस रिपोर्ट को पढ़ कर भी पैदा हुए थे । परंतु कुछ भागों में यह रिपोर्ट उससे अलग है । इस समिति को एक विशेष उद्देश्य के साथ नियुक्त किया गया था । मुझे उन उद्देश्यों का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है किन्तु मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं :

"समिति को उन सभी अपराध सिंडिकेटों । माफिया संगठनों की गतिविधियों के बारे में उपलब्ध सारी जानकारी पर विचार करना है जिन्होंने सरकारी अधिकारियों

तथा राजनैतिक नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर लिये हैं और उनका संरक्षण पा रहे हैं । समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस बात का फैसला करेगी कि नियमित रूप से जानकारी एकत्र करने के लिये किसी विशेष संगठन एजेन्सी का गठन करने की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं ।''

6.44 म. प.

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

अंत में नोडल एजेन्सी के लिये एक विशिष्ट सिफारिश है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या नोडल एजेन्सी का गठन कर दिया गया है और इसकी नियुक्ति कब की गई थी, रिपोर्ट दिये जाने की तारीख तथा नोडल मशीनरी बनाये जाने की तारीख अवश्य ही महत्वपूर्ण है । तब उम्मीद यह की गई कि यह नियमित रूप से जानकारी एकत्र करेगी और ऐसे तत्वों के विरुद्ध मुकदमें चलायेगी । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे विस्तार से हमें बतायें कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कितने मुकदमे दायर किये गये हैं । सदन के लिये यह जानकारी फायदेमंद होगी।

जैसे ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसकी बहुत कम बैठकें हुई होंगी । 15 जुलाई 1993 को हुई पहली बैठक का इसमें हवाला है । तब बातचीत के दौरान गृह सचिव को प्रतीत हुआ कि कुछ सदस्य खुल कर अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाहट अनुभव कर रहे थे । उनका यह भी विचार लगता था कि क्या सरकार वास्तव में इन मामलों पर कार्यवाही करेगी । तब श्री वोहरा ने अनुरोध किया कि अपने विचार लिखकर दिये जा सकते हैं । लिखित रूप से जो भी विचार व्यक्त किए गए वह विस्तारपूर्वक व्यक्त किये गये थे । अत: यह एक सामान्य रिपोर्ट नहीं है । परन्तु वास्तव में अलग-अलग एजेन्सियां गृह सचिव को स्वयं अपनी जानकारी उपलब्ध करा रहीं थीं । इस कारण बैठकें कम हुई थी । यह रिपोर्ट भी एक ही व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर उसी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है । वे उन्हीं मामलों पर कार्यवाही करते हैं जो उनको सौंपे जाते हैं । जहां तक संभव होता है वे जानकारी दूसरी एजेन्सियों को,दूसरे विभागों को उपलब्ध नहीं कराते । हर विभाग को इस बात का डर है कि यदि उसके द्वारा जानकारी मुहैया कराई गई तो वह जानकारी ''लीक'' की जा सकती है । संक्षेप में यही इस सारी रिपोर्ट की पहेली है । रिपोर्ट के सभा पटल पर रखे जाने के बाद हम सब यह समझते हैं कि सभी विभागों को मिलजुल कर काम करना चाहिये । इसके साथ ही गुप्त जानकारी 'लीक' भी नहीं होनी चाहिये । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आपने अब तक क्या किया है ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है ।

जहां तक राजनैतिक संबंधों की बात है इसका सत्ताधारी दल द्वारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिये । जो भी जानकारी मुहैया कराई जाती है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये । यह रिपोर्ट का एक अन्य पहलू है । अत: जहां तक इस बात का संबंध है पूरी सावधानी बरती गई है । मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं; उसका कारण यह है कि संक्षेप में यही रिपोर्ट है । जब हम रिपोर्ट को देखते हैं तो पहले तो हमें रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह से गंभीर होना चाहिये । हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा । समाज के रूप में हम बहुत निर्धन हैं । व्यक्तिरूप से अथवा परिवार के रूप में कुछ लोग धनवान हो सकते हैं हमारा विचार है कि कुछ ऐसे लोग हैं । जो किसी भी तरह का अपराध करके साफ बचकर निकल सकते हैं । धन की ताकत, गुण्डागर्दी की ताकत और कुछ ऐसे व्यक्तियों की मीडिया पर नियन्त्रण तथा सरकारी मशीनरी इन चारों स्थितियों ने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है अथवा कर रहे हैं हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है । अत: समस्या केवल एक राजनीतिज्ञ अथवा किसी अन्य के कुछ संबंधों, अपराधियों के बीच गठजोड़ की नहीं है । यह वास्तविक समस्या नहीं है । समाज के रूप में हमारे में गिरवाट आई है ।

ऐसे बहुत ही कम राजनीतिज्ञ है जिनके बारे में हम कह सकें कि सेवानिवृत होने के बाद निर्धन होने के बावजूद उनकी इज्जत की जाती है । यदि उनको कोई प्रतिष्ठा प्राप्त है तो वह उनकी ताकत के कारण है और कई बार वह ताकत धन की ताकत के कारण है और कई बार वह ताकत गुण्डागर्दी की ताकत के कारण है । अत: वास्तविक खतरा आई. एस. आई. से है । परंतु इसके साथ ही जो व्यक्ति भारत में आई. एस. आई. के इशारों पर काम करते हैं वह नशीली दवाओं, काले धन, अवैध निर्माण से जुड़े हैं । कई तरह के गैर-कानूनी काम हो रहे हैं । यहां पर यह कहा गया है कि यह सब कुछ अवैध निर्माण के साथ शुरू होता है जो गैर-कानूनी धन के साथ की जाती है । हमने अपने महानगरों में यह अनुभव किया है और अब तहसीलों में भी यह चल रहा है ।

जब मैंने आपके मुख्य मंत्रित्व काल में महाराष्ट्र विधान सभा में यह प्रश्न उठाया था तो आपके एक भी मंत्री ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था । तब उस हर पुलिस अधिकारी जिसमें भी मैं मिला था मैंने पूछा था कि क्या जहां तक इस खतरे का संबंध है अवैध निर्माण और गैर-कानूनी शराब के बीच कोई आपसी संबंध है, उसने बताया ''हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है ।'' परंतु दस अथवा पन्द्रह साल में वह दिखाई देने लगा जो अब हमारे सामने हैं । यह सब बातें स्थानीय स्तर पर शुरू हुईं और अब यह गुट बढ़कर बहुत बड़े आकार धारण कर चुके हैं । महाराष्ट्र विधान सभा में कम से कम ऐसे दो विधायक हैं जिनको आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में नहीं दिखाना चाहते थे । उनको 1990 में कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुना गया और वह फिर से चुन लिये गये । परंतु वही राजनैतिक ताकतें आप के साथ काम कर रही हैं और आप इकट्ठे होने की कोशिशें कर रहे हैं । उनको किसने चुना और महाराष्ट्र विधान सभा में उनको कौन लेकर आया? अब यह खतरा है । अत: जो इस लघु अवैध निर्माण गतिविधि के रूप में शुरू हुआ उसने यह आकार धारण कर लिया है ।

सी. बी. आई. की 1986 की रिपोर्ट का इसमें उल्लेख है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ, क्योंकि इस बारे में फिर से उल्लेख हुआ है कि बाद की घटनाओं के संदर्भ में उस रिपोर्ट को फिर से तैयार किया जाये । अत: 1986 की रिपोर्ट पुरानी हो गई है और अब उस मामले पर फिर से कार्यवाही करने की जरूरत है । अत: एक रिपोर्ट तैयार की गई । मैं आपको एक

ओर रिपोर्ट की याद दिलाता हूं जो इस विषय के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी । वह रिपोर्ट लेन्टिन रिपोर्ट थी । श्री लेन्टिन एक न्यायाधीश थे और उन्होंने जे. जे. अस्पताल में हुई मौतों के बारे में तैयार की थी, उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से राजनीतिज्ञ, मंत्री अफसरों ने मिलकर काम किया और अन्ततः जे. जे. अस्पताल में मौते हुईं क्योंकि किसी ने भी समय पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया । अतः वह रिपोर्ट भी उपयोगी सिद्ध हो सकती थी । यह अब तीसरी रिपोर्ट है । केवल मात्र रिपोर्टों से ही काम नहीं चलेगा । केवल नोडल एजेन्सी से भी काम नहीं चलेगा जब तक इन मामलों पर उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जाती । वास्तविक समस्या यह है कि कई स्थानों पर अफसर और राजनीतिज्ञ एक-दूसरे के एजेन्ट बन गये हैं । देखने की बात यह है कि अफसरशाही राजनीतिज्ञों की सहायता लेती है अथवा राजनीतिज्ञ अफसरशारी की सहायता लेते हैं ।

वास्तव में मुख्य डीलर तो कार्यपालिका वास्तविक अफसरशाही और उसके साथ राजनीतिज्ञ सब मिल कर काम कर रहे हैं-और इसी कारण समस्या पैदा हो रही है जब हमने अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया था उस समय यह विश्वास था कि ''मैं अपने जीवन में इसलिये सफलता हासिल करूंगा क्योंकि मैं अच्छा हूं'' । परंतु क्या आज वास्तव में यह सच्चाई है ? यही वास्तविक समस्या है ।

अतः मैं इन बातों से बाहर निकलने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव सम्पत्ति के बारे में घोषणा करने का है । चुनाव के समय अर्थात जब भी चुनाव हो उस समय हर राजनीतिज्ञ को अपनी सम्पत्ति घोषित करनी चाहिये और उस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह फिर से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करे ।

दूसरा सुझाव ''शक नहीं'' के बारे में है । किसी भी शक वाले चरित्र वाले को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिये । जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है उनके लिये यह दूसरा नियम होना चाहिये । जहां तकचुनाव सुधारों का संबंध हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, परंतु चुनाव सुधार नहीं हो रहे हैं । अतः निष्पक्ष चुनावों के लिये हमें इस बारे में फिर से प्रयास करना चाहिये ।

सरकारी अधिकारियों को कम से कम स्वविवेक के प्रयोग की शक्तियां दी जानी चाहिये । उन सरकारी अधिकारियों में मंत्री भी आते हैं और अफसर भी स्व-विवेक की कम शक्तियां होनी चाहिए । सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और कई स्थानों पर अफसरशाही और अपराधियों के बीच सांठगांठ है । अतः इसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

वास्तविक समस्या यह है कि सरकार ने तत्काल कार्यवाही नहीं की । कुछ अपराधियों के बारे में रिपोर्ट यह है कि उचित समय पर कार्यवाही नहीं की गई और उसके कारण सारी समस्या पैदा हो गई । इस लिए सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये । किसी भी हाल में राजनीतिज्ञों के अपराधियों के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहियें । यदि हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम भारत को बेहतर बना सकते हैं । हमें इसके लिये प्रयास करने चाहियें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से कम समय लेने को कहा है । परंतु वास्तव में यह चर्चा यहां पर भी प्रेस गैलरी में भी अपने आप ही खत्म होने को है । मेरे विचार से वोहरा समिति की रिपोर्ट से लम्बे-लम्बे उद्धरण देने का कोई फायदा नहीं है । इसी तरीके से ही संक्षेप में बोला जा सकता है । हमारी यह धारणा है कि सभा के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है । आखिर यह बहुत बड़ा दस्तावेज नहीं है । परंतु यदि सदस्यों ने इसे पढ़ा नहीं है तो भी मैं इस बात की जरूरत नहीं समझता कि इस रिपोर्ट के हिस्से पढ़कर उनको इसके बारे में शिक्षित करने की किसी को जरूरत नहीं है । वे इसे स्वयं पढ़ सकते हैं ।

मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई होती यदि उस कान्सटेबल मोहम्मद अन्सारी कुन्जु ने हिम्मत न दिखाई होती । हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । उस व्यक्ति ने अभागी नैना साहनी के शरीर को जलाने के लिये बगिया रेस्टोरेन्ट के तन्दूर में जलाई गई आग को मध्य रात्रि के समय देखा। उसकी इस कोशिश के बिना हमें वोहरा समिति की इस रिपोर्ट का पता नहीं लगता। अतः अब जब सरकार हमें यह कह रही है या शायद श्री चव्हाण सरकार में विश्वास करने को कहेंगे तों हमें उस सरकार में कोई विश्वास नहीं हो सकता जिसमें इस रिपोर्ट को 2 साल तक सार्वजनिक नहीं होने दिया । वह इसे दबाए रहे और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें केवल एक सिफारिश की गई थी कि कुछ सिविल अधिकारियों की एक नोडल एजेन्सी की स्थापना की जाये। इतनी कार्यवाही भी सरकार ने नहीं की है और जब जनता का दबाव पड़ा है और इस सभा का दबाव पड़ा है तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। मुझे इस बारे में कोई अधिक उत्साह नहीं है कि इन बातों की क्या स्थिति होगी।

श्री सुधीर सांवत ने कुछ मूल्यवान टिप्पणियां एवं सुझाव इस समस्या के बारे में दिये हैं। उन्होंने मुख्य रूप से अपराध विचार किया है परंतु हमें तो यहां पर इस रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। इस रिपोर्ट का संबंध अपराध के एक पहलू विशेष से है और वह है राजनीतिज्ञों, अफसरों आदि के बीच गठजोड़।

7.00 म.प.

इसमें अपराध के अन्य पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। अनेक सदस्य इस पर पहले बोल चुके हैं और मैं श्री वोहरा को बधाई देता हूं हालांकि वे बहुत बड़े अफसर हैं परंतु फिर भी उन्होंने पर बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण बातों का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है हालांकि वे बातें रोग के चिन्ह स्वरूप ही हैं। वह बातें स्वयं रोग के बारे में नहीं है। रोग के यह चिन्ह भी स्वयं में बड़े भयानक हैं जैसा कि उन्होंने अपने प्रतिवेदन में ही कहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है और सरकार ने भी यह स्पष्ट किया है कि वे उन बातों को प्रकट नहीं

कर रहे हैं, उन आधारों को नहीं बता रहे जिनके आधार पर श्री वोहरा ने यह निष्कर्ष निकाले हैं। श्री वोहरा निरपेक्ष रूप से ही इन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने यह निष्कर्ष रॉ, सी बी आई, आसूचना ब्यूरो, राजस्व आसूचना विभाग आदि विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर निकाले हैं। श्री वोहरा के अनुसार यह सभी एजेन्सियां दुर्भाग्य से सीमित दायरों में काम कर रही है। वह एजेन्सियां आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशविरा नहीं करती। उनके बीच कोई समन्वय नहीं है और वे अपनी जानकारी को मिलकर भी इस्तेमाल नही करतीं।

श्री सांवत इसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं उनके इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि एक केन्द्रीकृत समन्वय एजेन्सी होनी चाहिये। अन्यथा, हम कभी भी कार्यवाही करने में सफल नहीं हो सकेंगे। निश्चित रूप से कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उपलब्ध हैं। वह तथ्य श्री वोहरा की रिपोर्ट में नहीं है परंतु अन्य स्रोतों से उपलब्ध होते हैं कि ये अपराधी तत्व किस हद तक सक्रिय राजनीति में पहुंच चुके हैं। हर कोई इस बात को जानता है कि कितने विधायक, कितने संसद सदस्य भी अलग अलग विधान सभाओं में अलग अलग स्तरों पर कितने विधायक अथवा ऐसे लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे दल है जो 'पार्टी काडरो' पर निर्भर नहीं हैं, दिन काडरों को किसी विशिष्ट विचार-पद्धति अथवा राजनीति का प्रशिक्षण दिया गया हो। ऐसे अनेक दल हैं जो ऐसे काडरों के जरिए काम नहीं करते। उन दलों ने ऐसे गुण्डा तत्वों के सहारे चलना शुरू कर दिया है जिनके ऐसे पैसे से अदायगियां की जाती है, जैसा कि उन्होंने कहा है, जो तस्करी से, नारकोटिक व्यापार से, हवाला सौदों से, विदेशी स्रोतों से और इस तरह के तरीकों से हासिल किया जाता है और इन तत्वों को चुनाव के समय मतदान में गड़बड़ी करने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने आदि जैसे कामों के लिये बड़े पैमाने पर किराये पर लिया रहा है। स्वाभाविक है कि इन प्रयोजनों के लिये इन लोगों की सेवाओं का उपयोग करने वाले एक बार जब निर्वाचित हो जाते हैं तो इन लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। उनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसको रोका नहीं जा सकता। एक बार यदि किसी गुण्डे ने आपकी मदद की है और आप निर्वाचित हो गये हैं तब आप हमेशा के लिये उस गुण्डे के अहसान के नीचे हैं और और उसकी तरफदारी करते हैं। यह एक दुष्चक्र है।

मैं प्रचार माध्यमों विशेषकर फिल्मों के बारे में बात नहीं कर रहा, परंतु अनेक फिल्मों में कानून का उलंघन करने वाले को उसकी महिमा का उल्लेख करके नायक व बड़ा आदमी दिखाया जाता है। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि इसका हमारे देश के युवा वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। लोग कह रहे है कि बम्बई शहर 1930 के अमेरीका के शिकागो शहर सा बनता जा रहा है। यह मूल बात है। बम्बई में बढ़ चढ़ कर अपराधी गुर्डों के बीच झगड़े ही रहे हैं और अनेक लोगों की इस के कारण मौतें हुई हैं। मुझे बताया गया है कि बम्बई में 17 ऐसे नगरपालिका सदस्य हैं जो हत्या, जबरदस्ती पैसा वसूलने, अपहरण आदि के लिये आपराधिक मामलों में अरोपी हैं। इस तरह की आज की स्थिति है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सिविल सेवा अधिकारी, या किसी अफसर की अध्यक्षता वाली अथवा उसके द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी मोडल एजेन्सी में लोगों को विश्वास नहीं होगा, चाहे वह कितनी भी अच्छा अधिकारी हो। अत: मैं श्री अर्जुन सिंह द्वारा इस सदन की समिति की स्थापना के लिये प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं। सभी देशों में इस तरह का प्रबंध है। अमरीका में कांग्रेस समितियां हैं, ब्रिटेन में हाउस आफ कामन्स की समितियां हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

इस सदन के अध्यक्ष महोदय धन्यवाद के पात्र हैं कि इस देश में भी अब अनेक स्थायी समितियां गठित की गई हैं। तब एक और का गठन क्यों नही किया जा सकता? आपराधिक अन्डरवर्ल्ड तथा राजनैतिक दलों के बीच करने गठजोड़ के इस प्रश्न विशेष पर विचार करने के लिये इस सदन की एक स्थायी समिति का गठन क्यों न किया जाये।

मैं इस बात को मानता हूं कि केवल राजनीति पर ही इसका असर पड़ा है। अन्यों को इस जाल से नहीं बचना चाहिये। अफसरशाही भी है। न्यायपालिका भी है। मीडिया के भी कुछ लोग हैं। व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि इन अपराधियों ने इनको भ्रष्ट नहीं बनाया है वे उनके दबाव से झुके नहीं हैं। परंतु एक समिति का गठन किया जाना चाहिये । मैं इसका समर्थन करता हूं अन्यथा मेरे सहयोगी श्री पासवान का प्रस्ताव तो हमें कहीं आगे नहीं ले जाता। इसमें कोई जोर नहीं है। इसमें कुछ कदम उठाने की बात तो सरकार पर छोड़ रखी है। परंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि यह सरकार कोई कदम उठायेगी। यह सरकार कोई कदम नहीं उठायेगी।

श्री राम विलास पासवान: मैं इस बात पर आपत्ति उठाता हूं....(व्यवधान)

[हिन्दी]

हमने रेजोल्यूशन दिया है और मैं कहता हूं कि जो रेजोल्यूसन देना है, अमेडमेंट देना है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं।

....(व्यवधान) जब वोहरा कमेटी के ऊपर डिसकशन होगा, जब गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि हमको वोहरा कमेटी के ऊपर रेजोल्यूशन देना है, हमारा पहला भी रेजोल्यूशन था जिसमें हमने निन्दा की है यह सरकार अपराधीकरण को रोकने में असमर्थ रही है, हम उसकी निन्दा करते हैं सरकार उसके ऊपर कदम उठाए। जब यह मामला नहीं लिया है, वोहरा कमेटी में इससे ज्यादा क्या हो सकता है, जिनको जो अमेडमेंट देना है वह दीजिए।...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैंने कभी नहीं कहा।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: राम विलास जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें....(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। लोग यहां पर बातें कर रहे हैं। बीच बीच में बातें हो रही हैं। यह रिकार्ड में नहीं लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय: जी हां, इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब कोई वरिष्ठ सदस्य बोल रहा हो तो कृपया इस तरह से व्यवधान न डालें ।

सभापति महोदय : मैं समझा कि शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त सहमत हो गये हैं ।

....(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: श्री पासवान मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा है। मैंने तो केवल इतना कहा है कि जो संकल्प या प्रस्ताव आपने यहां पर पेश किया है उसमें कोई जोर नहीं है, क्योंकि इसमें अंत मे कहा गया है कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे। यदि कोई उस पर आपत्ति उठाता है और उसका कोई दूसरा अर्थ निकालता है तो आपको उस पर आपत्ति उठाने का पूरा अधिकार है।

श्री राम विलास पासवान: जी हां।

सभापति महोदय: श्री इन्द्रजीत गुप्त कृपया इस बात को समझ लें कि हम श्री राम विलास पासवान द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जी हां, मैं जानता हूं।

सभापति महोदय: हम श्री अर्जुन सिंह द्वारा पेश किये गये संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने श्री अर्जुन सिंह द्वारा पेश किये गये संशोधन पर अभी निर्णय लेना है। इसलिये हमारे सामने चर्चा का विषय श्री राम विलास पासवान का प्रस्ताव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: इसी कारण मैंने कहा है कि उनके प्रस्ताव में जोर नहीं है।

सभापति महोदय: हां, यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: परंतु यह मुझे यह बात कहने से नहीं रोकता कि मैं श्री अर्जुन सिंह के संशोधन के विचार से सहमत हूं, चाहे उस संशोधन के लिये अनुमति दी जाये अथवा नहीं दी जाये। उसका निर्णय तो अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा । अत: मैं यह कह रहा हूँ कि हमें इस बात में कोई विश्वास नहीं है कि यह सरकार कोई कार्यवाही करेगी, क्योंकि उनकी कार्यवाही करने की इच्छा नहीं है । यह बात दो महीने तक उनके इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने से पता चलती है । सरकार तो जनता को यह भी नहीं बताना चाहती थी कि वोहरा समिति की कोई रिपोर्ट है । इसके लिये भी उसे बाध्य किया गया है।

बैंक घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मेरे विचार से एक ऐतिहासिक उदाहरण है । इस रिपोर्ट में अपराधियों, राजनीतिज्ञों और उच्च पदों पर आसीन लोगों के बीच संबंधों के बारे में एक ऐतिहासिक उदाहरण है । एक के बाद दूसरे पृष्ठ पर एक के बाद दूसरे पैरा में सीधे अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से इस बात का उल्लेख है कि किस तरीके से कुछ घोटाला करने वाले लोगों ने, जो शेयर बाजार में काम कर रहे थे, गलत ढंग से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके विभिन्न स्तरों पर राजनीतिज्ञों को प्रभावित कर रहे थे ।

मैं सूटकेस और उस जैसी किसी बात का कोई उल्लेख नहीं कर रहा हूं । हालांकि सूटकेस की बात काफी बड़ी बात थी । हर्षद मेहता का दावा था कि उसने एक सूटकेस भेजा था । परंतु कहां, यह आप जानते हैं । मैं नहीं जानता कि यह बात सच है अथवा झूठ, क्योंकि अब तक कुछ सिद्ध नहीं किया गया है कि उसने सूटकेस भेजा था या सूटकेस नहीं भेजा गया था ।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्र सरकार का क्या रवैया था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया ऐसा न करें । मैंने आपके बोलते समय बीच में विघ्न नहीं डाला था । मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें । मुझे जल्दी है । मुझे कहीं अन्यत्र जाना है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम वरिष्ठ सदस्य से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परंतु वरिष्ठ सदस्य को हर समय खड़े होकर इस रिपोर्ट से उद्धरण नहीं देना चाहिये हर कोई इस रिपोर्ट को पढ़ सकता है ।

महोदय अनेक सदस्यों ने एक बात कही है और वही बात मुझे भी एक प्रश्न पूछने को कह रही है । यह एक विश्वव्यापी लक्षण है और इसलिये हमें इसके बारे में क्या अधिक चिंता नहीं करनी चाहिये । यह इटली में हो रहा है । यही कुछ कोलम्बिया में हो रहा है । मैं इन बातों से इन्कार नहीं कर रहा हूं । अमरीका में यही कुछ हो रहा है । विकसित देशों में भी यही हो रहा है । क्या यहां पर भी यही हो ऐसा जरूरी है ? एक समय था जब हमें बताया जाता था कि गरीबी विश्वव्यापी लक्षण है, बेरोजगारी विश्वव्यापी लक्षण है, मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी लक्षण है । आप देखें कि हमारे देश में क्या हो रहा है । यह सच है कि कुछ वर्ष पहले इस प्रकार की समस्या इतने बड़े रूप में हमारे सामने नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़ी है और अब इसने शैतान का आकार धारण कर लिया है । इस बहुमुखी सर्प जैसे शैतान ने हमें पकड़ लिया है, हमें भ्रष्ट बना

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया है और कैंसर के कीड़े की तरह का व्यवहार कर रहा है । अत: हमें इसके बारे में गंभीर होना है ।

महोदय ज्यादा समय लेने के स्थान पर मैं चार-पांच सुझाव दूंगा । यह सुझाव बहुत क्रांतिकारी अथवा सुधारवादी सुझाव नहीं है । परंतु मुझे विश्वास है कि यदि आप इस समस्या से निपटने के लिये केवल सरकारी तन्त्र पर, प्रशासकीय तन्त्र पर या केवल कानून पर ही निर्भर रहेंगे तो-हमें यह भी करना है-किंतु उससे हम तेज नहीं चल पायेंगे । अन्तत: लोगों को जुटाया जाना है । लोगों में आन्दोलन जैसी एक जागृति पैदा की जानी है । लोग आज हर जगह यह बात जानते हैं कि उनके इलाके में माफिया कहां है, वह व्यक्ति कौन है जो पैसे को नियन्त्रित करता है, बंदूक की ताकत को और माफिया ग्रुपों को नियन्त्रित करता है । परंतु वे अपना मुंह खोलने से डरते हैं । स्थिति बहुत ही खराब हो गई है । जनता जानती है कि माफिया कौन हैं परंतु इस बारे में अपना मुंह खोलने से डरती है क्योंकि माफिया के पास लोगों को डराने धमकाने, उनकों खरीदने और उनकी हत्या कराने की ताकत है । सभी राजनैतिक दल-मैं अपने दल को इससे बाहर नहीं रख रहा-एक तरह की नागरिक समितियों अथवा किसी भी नाम की समितियों के जरिए विभिन्न स्थानीय स्तरों पर जनता को जुटाने की स्थिति में होना चाहिये । इन समितियों में इन माफिया लोगों के खिलाफ संयुक्त अभियान में स्वयंसेवी, गैर-स्वयंसेवी, सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों को रखा जा सकता है ।

महोदय, आज यदि एक अकेला व्यक्ति भी कुछ जोखिम उठाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो वह लोकप्रिय बन जाता है । क्योंकि लोग समझते हैं कि वह व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है जो वह भी कहना चाहते हैं परंतु उसे कहने में डरते हैं । आप जानते हैं कि बम्बई में श्री खैरनार के साथ क्या हुआ । वह कोई बहुत बड़े व शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे । मैं नहीं जानता कि उनके पास कोई वास्तविक साक्ष्य था अथवा नहीं, वह ठीक थे या नहीं परंतु उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ लोगों का नाम लेकर उच्च पदों पर आसीन कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप आरंभ कर दिये और लोग उनके चारों ओर जमा होने लगे । उनका बड़े स्तर पर स्वागत किया गया, वह कई जगह मीटिंग आयोजित करने लगे । मैं नहीं जानता कि अब उनको क्या हुआ है ।

मेरा यह कहना है कि लोगों को जागरुक किया जाना चाहिए है । यदि जनता में लोगों को नेतृत्व प्रदान करने की हिम्मत है और आवश्वस्त कर सकती है कि राजनैतिक दल उनके साथ अयेंगे तब कुछ भी करना संभव है । परंतु यदि आप इसे गंभीर समस्या नहीं मानते तो कुछ भी नहीं किया जा सकता । हम सरकार पर अथवा कानूनों पर निर्भर करते रहेंगे । हमारे पास कानूनों की कमी नहीं है । हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कानूनों को कठोर बनाने की जरूरत है । वर्तमान कानूनों में बहुत कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है और सरकार को कानून विभाग की सहायता से इस बारे में कोशिश करनी चाहिये ।

परंतु सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक दलों और नेताओं को अपनी आस्तियों और प्रमुख खर्चों को सार्वजनिक करना चाहिये । इस बारे में कोई भी दल अपवाद नहीं होना चाहिये । यह किस तरह किया जाना है, इसका तरीका क्या होना चाहिये इन बातों को तय किया जा सकता है । परंतु हमें सिद्धांत रूप से इसे स्वीकार करना चाहिये ।

दूसरे, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अधिकतर पार्टियों में, मुझे यह कहने के लिये क्षमा दिया जाये-अन्त: दलीय लोकतन्त्र नहीं है । इसका मतलब यह है कि पार्टी के निचले स्तरों पर जिलास्तर पर, तालुका स्तरों पर, राज्य स्तर पर भी नेताओं के चुनने में उनकी कोई आवाज नहीं है । यह सब कुछ तिकड़मबाजी के साथ उच्च स्तरों पर किया जाता है । उम्मीदवारों के चयन में भी उनसे नहीं पूछा जाता । मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा है । उनके परिवार में इसके कारण दिक्कतें आ रही हैं । मुझे नहीं मालूम कि कितने समय से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भी नहीं बुलाई गई है । कोई केन्द्रीय चुनाव बोर्ड नहीं है । आप जानते हैं कि क्या हो रहा है । परंतु इस तरह की बातें बहुत से दलों में हो रही हैं ।

तीसरी बात यह है, जैसा मैंने कहा है दलों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ और माफिया के इस प्रभुत्व के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के लिये उन्हें मदद दी जानी चाहिये । इसके लिये सभी कानूनी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी, गैर-स्वयंसेवी संगठनों को जगाया जाना चाहिये ।

चौथी बात यह है कि हरेक ने कहा है कि अपराधियों अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के चुनाव में उम्मीदवार बनने पर रोक लगायी जानी चाहिये। इस समय कानून में दी गई व्याख्या इसे रोकती है क्योंकि इसमें कहा गया है कि अपराधी व्यक्ति वह है जिसे वास्तव में अपराध के लिये दोष सिद्ध किया गया है, जो कि इतना आसान नहीं होता है, जैसाकि यहां पर कहा गया है । यह कितनी लंबी प्रक्रिया है । परंतु अपराधी के रूप में मशहूर अपराधी रिकार्ड वाले लोग हैं । अत: राजनैतिक दलों का सबसे पहला और प्रमुख दायित्व यह है कि उनके द्वारा ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना कर उनको प्रोत्साहन न दिया जाये । यदि उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आप इस प्रक्रिया को जारी रहने से नहीं रोक सकते ।

पांचवा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, रिपोर्ट में नोडल एजेन्सी की जिस सिफारिश का उल्लेख है, सरकार भी शायद उसका समर्थन करती है परंतु वह शायद बेकार है । शासक दल में बहुत से सदस्यों ने भी यह कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा । अत: उसके स्थान पर संसद की समिति बनाई जानी चाहिये या किसी तरह का आयोग बनाया जाना चाहिये । हम भी किसी न्यायाधीश, किसी न्यायिक व्यक्ति की अध्यक्षता में अथवा इसी तरह की किसी व्यवस्था के साथ आयोग की स्थापना पर सोच रहे थे । परंतु किसी अफसर के अधीन काम करने वाली नोडल एजेन्सी को जनता का विश्वास नहीं मिल सकता ।

यह मेरे कुछ सुझाव हैं । मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता । परंतु हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उसका क्या कार्यवाही करने का विचार

है ? व्यक्तिगत रूप से मैं यह जानता हूं कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि इसकी इस बारे में कोई कार्यवाही करने की इच्छा नहीं है जो इस बात से पता चलता है कि उसने इस रिपोर्ट के साथ अब तक किस तरह का व्यवहार किया है और किस ढंग से इसने संयुक्त संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट के साथ क्या व्यवहार किया, जिसमें अनेक आपराधिक तत्वों का पूरी तरह से उल्लेख था । उसमें उनके काम के तरीके का साफ-साफ उल्लेख किया गया था और पदों पर बैठे लोगों के साथ उनके संबंधों का उल्लेख था । मुझे यही सब कुछ कहना है ।

मुझे इस बात की उम्मीद है कि वही दबाव-जनता का दबाव और संसद का दबाव-जिसके कारण इस वोहरा समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, अन्ततः सरकार को बाध्य कर देगा कि कुछ ऐसे कदम उठाये जायें जिनके बिना निश्चत रूप से हम वहीं होंगे जहां पर हैं। कुछ समय के बाद भी हम देखेंगे कि इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, ऐसा भी समय था जब मैं अपने कुछ विपक्षी नेताओं की अभूतपूर्व भाषण कला से आतंकित हो जाता था । परंतु समय और अनुभव ने मुझे इतना साहसी बना दिया है कि मैं इन आवाजों और रोष को व्यर्थ की बातें समझ लूं ।

आज मैं एक युवा सदस्य के रूप में पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने तरीके से माफिया और आतंकवाद से मुकाबला करता रहा है । मैं आतंकवाद से, माफिया और अपराधियों-राजनीतिज्ञों के बीच बने संबंधों से व्यक्तिगत रूप से लड़ने में किसी तरह से डरता नहीं हूं ।

मुझे कुछ बातें कहने का अधिकार है । मैं यह बातें जानकारी के रूप में और विचारों के रूप में कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि यह अपराधीकरण और वोहरा समिति की रिपोर्ट का आज बहुत अधिक महत्व है । परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यह सब स्थिति उस बहुत ही गंभीर सामाजिक गिरावट का प्राकृतिक प्रतिबिम्ब मात्र है जो पिछले वर्षों से हमारे लोकतन्त्र की प्रणाली में छा गई है कि आज हम ऐसी अवस्था में आ गये हैं कि बहुत से वरिष्ठ नेताओं के दिलोदिमाग में निराशा व्याप्त हो गई है । मैंने अपराधीकरण जैसे इस गंभीर एवं महत्वपूर्ण मामले के बारे में वरिष्ठ नेताओं के मन में निराशा देखी है ।

वोहरा समिति की रिपोर्ट में इस बात के पर्याप्त संकेत हैं और हमारी सामान्य सूझबूझ भी हमें इस बात के निष्कर्ष निकालने के संकेत देती हैं कि अपराधीकरण और राजनीति, ऊंचे और नीचे स्थानों पर भ्रष्टाचार इस प्रणाली को ही नष्ट कर रहा है, हमारी संसदीय लोकतंत्र के ढांचे को नष्ट कर रहा है । यह हमारी संसद को प्रदूषित कर रहा है । इस रिपोर्ट के अनुसार यह हमारी न्यायपालिका को प्रदूषित कर रहा है; यह राजनीतिक प्राधिकारियों को प्रदूषित कर रहा है, सिविल सेवाओं को प्रदूषित कर रहा है ।

जैसा कि रामविलास जी ने कहा है अपराधीकरण ने कैंसर की तरह हमें खा लिया है । मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम अभी भी दर्द मिटाने वाली दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और वह भी बहुत निराशा के साथ । मुझे इस बात से भी बहुत दुःख हुआ जब मैंने श्री सोमनाथ जी की तन्दूर की बात को लेकर मजाक भरी बातों का उल्लेख करते सुना । मैं उनके इस मसले पर बुद्धिमत्ता भरे विचारों को सुनने के लिये बहुत आतुर था । मैं उनसे कुछ गंभीर बातें सुनना चाहता था । क्या इसका कारण कलकत्ता नगरपालिका में एक भ्रष्ट नगरपालिका का सदस्य है जिसके कारण वह नगरपालिका में आ सके ? मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता । मैं समझता हूं कि आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह राजनैतिक प्रणाली के भविष्य का फैसला करेगा क्योंकि चुनौती हमारे सामने आ रही है । हमने देखा है कि किस तरह अपराधियों द्वारा राजनीतिज्ञों को खत्म किया जाता है, हमने देखा है कि भ्रष्टाचार किस तरह सिद्धांतों को खत्म करता है । हमने देखा है कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरे पैदा करते हैं ।

महोदय जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता हूं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं । मैं अपने सामने अनेक दृष्टान्त देखता हूं । संसदीय शिष्टाचार, नियमों और परम्पराओं के कारण मैं बहुत सी बातें कह नहीं सकता किन्तु यह तय है कि आतंकवाद, ड्रग माफिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति सभी एक हो गये हैं और हम मूकदर्शक की तरह अपने देश को नष्ट होता हुआ और खत्म होता देख रहे हैं । इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसले पर महोदय देखें कि कितने सदस्य यहां पर उपस्थित हैं । इत्मीनानता की हद है । (**व्यवधान**) मैं शासक दल और विपक्ष के नजरिए से बात नहीं कर रहा हूं । महोदय इस जैसे मामलों में दलगत राजनीति से उठकर बात करें । आप अपने दिल को खोजें । यही बात श्री सलमान कह रहे थे कि अपने दिलों को खोजें । यह अपने आपको न्यायोचित सिद्ध करने का प्रश्न नहीं है कि जब सारा देश खतरे में है, जब हमारा राजनैतिक ढांचा खतरे में है हम मेमन जैसे अपराधियों और गद्दार लोगों से निपटने की प्रणाली बनाने में असफल रहे हैं और यह लिखित में हमें बताया जा रहा है ।

यह श्री चव्हाण या मेरे अथवा श्री सलमान खुर्शीद की कुछ करने में असमर्थता का सवाल नहीं है । अपने दिलों को खोजें । हम सभी ने किसी न किसी समय....(**व्यवधान**) । मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि वे देखें कि प्रणाली में किस हद तक गिरावट आ गई है ।....(**व्यवधान**) मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी पहली पार्टी है जिसने चुनावों में रिगिंग करके व्यवस्थित ढंग से अपराधीकरण शुरू किया । उन्होंने व्यवस्थित ढंग से चुनावों में रिगिंग की....(**व्यवधान**) ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप समझदारी की बात कर रहे थे परंतु अब आप बेसमझी की बातें कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें ।

श्री किरिप चलीहा : मैं उत्तेजित नहीं होना चाहता । मुझे उकसाया जा रहा है ।

महोदय मैं, बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं कि वोहरा समिति रिपोर्ट में सीमावर्ती राज्यों के बारे में केवल एक ही उल्लेख है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये तो एक भी उल्लेख नहीं है ।

मैं श्री वोहरा से बहुत से गंभीर आरोप लेकर कई बार व्यक्तिगत रूप से मिला हूं । तस्करी हेतु हथियार खरीदने के लिये आतंकवादियों और राजनीतिज्ञों के बीच मिलीभगत के आरोप थे । उत्तर पूर्व में आतंकवादियों और ड्रग माफिया में मिलीभगत के आरोप थे । जैसा मेरे मित्र श्री सुधीर सावंत ने अभी-अभी कहा है इसके कारण हमें सम्बद्ध लोगों से बात करनी थी । मैं आतंकवादियों और राजनीतिज्ञों के बीच मिली भगत, ड्रग के धन, हथियारों की तस्करी और राजनीतिज्ञ नेताओं के विरुद्ध सभी लोगों को काफी जानकारी देता रहा हूं । मैं किसी एक दल व दूसरे दल की बात नहीं कर रहा हूं । जिस समय हमारी सुरक्षा खतरे में हो उस समय क्या एक दूसरे पर कीचड़ उछालना उचित है ? अपने दिलों को खोजना और हल ढूंढना ऐसे समय में ज्यादा महत्वपूर्ण है । श्री सैफुद्दीन जी ऐसे समय पर तन्दूरों की बातें करना महत्वपूर्ण नहीं है । ऐसा नहीं है कि तन्दूक की एक घटना ने ही सभी कांग्रेसियों को अपराधी और पत्नियों को जलाने वाले बना दिया है । यह एक तरह से बेवकूफी भरा सा.....तिकरण है और वह भी इस स्तर पर । हमने कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया । जब कलकत्ता बमकांड में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य पाया गया तब भी हम इस स्तर तक नीचे नहीं आये । हमने यह कभी नहीं कहा है कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सभी सदस्य अपराधी हैं । मैं मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों का उनकी राष्ट्र के प्रति आबद्धता को देख कर बहुत अधिक सम्मान करता हूं । परंतु यह सच है कि आपके सदस्यों के सफेद चेहरे के पीछे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप स्वयं भी जानते हैं । अत: इस तरह ऐसे लोग हर पार्टी में हैं ।

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं इसका उल्लेख केवल यह बताने के लिये करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के लोगों को इस मंच पर भी अपने मसले उठाने का मौका नहीं मिल पाता है । इसका कारण यह है कि हम नए सदस्य हैं, युवा सदस्य हैं, कनिष्ठ सदस्य हैं, आदि आदि । जो कुछ यहां कहा जा रहा है यह उसके संगत है । एक महिला तथा उसकी 9 वर्षीय पुत्री की गुवाहाटी में हत्या कर दी गई । उनकी हत्या चार वर्ष के एक बच्चे के सामने की गई । उस बालक पर भी गोली चलाई गई किन्तु गोलियां उसे लगी नहीं । समाचार पत्रों में तथा राजनीतिज्ञों ने भी खुले रूप में यह आरोप लगाये कि उक्त हत्याएं एक ऐसे व्यक्ति ने की थीं जिसके संबंध आतंकवादियों से थे और जो एक समय आतंकवादियों का संरक्षक था । वह संरक्षक भगौड़ा हो गया था और उसके विरुद्ध बलात्कार का एक मुकदमा पिछले 10 साल से लम्बित है और न्यायालय ने उसकी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया हुआ था । जब यह पता चला कि वह व्यक्ति अपने मकान के पहले तल पर रहता है जहां पर डी. आई. जी. और भूतपूर्व डी. आई. जी. भी रहते हैं तो इस बात से कितना दुख पहुंचा । डी. आई. जी. दूसरे तल पर रहते हैं जहां पर उनका कार्यालय था और भूतपूर्व डी. आई. जी. तीसरे तल पर रहते हैं । अत: सभी समाचार पत्रों में यह खुले आरोप लगाये गये थे कि उन पुलिस अधिकारियों ने हत्यारे की गिरफ्तारी में जोर शोर के साथ बाधा डाली थी हालांकि वह घृणीत अपराध असम जैसे संवेदनशील स्थान पर एक सुरक्षा अधिकारी की सब-मशीनगन के साथ किया गया था ।

मैं एक और छोटी-सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । असम में एक एल. ओ. सी. घोटाला घटित हुआ परंतु नई दिल्ली के समाचार पत्रों में उसे कोई स्थान नहीं मिला । हम इसे राष्ट्रीय मीडिया कहें या यह केवल दिल्ली मीडिया है । मैं इस राष्ट्रीय मुख्यधारा को प्रदूषित मुख्य धारा कहता हूं । क्योंकि हम भारतीय अधिक हैं । हम इस देश में इस हालात में अपने देश को बचाने के लिये लड़ रहे हैं । हम जानते हैं कि स्थिति क्या है । इसी कारण से मैंने इसे प्रदूषित मुख्यधारा कहा है । वे कभी भी इस तरह के समाचार प्रकाशित नहीं करते । अपराधी जानते हैं कि मीडिया में समाचार किस तरह प्रकाशित कराने हैं । वह शराब की बोतल और पैसे के जरिए ऐसा करा लेते हैं । इस मीडिये ने तन्दूर के मामले को छाया था । इस मामले में केवल एक व्यक्ति ही शामिल था । केवल एक चूक उन्हें हमें नीचा दिखाने की खुशी देती है । वास्तविकता यह है कि हर तरफ गिरावट आ रही है । हर जगह भ्रष्टाचार है ।

श्री तरित बरन टोपदार (बैरकपुर) : मगरमच्छ का मामला है ।

श्री किरिप चलिहा : जी हां, मगरमच्छ का मामला भी है ।

यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषी प्रदेश में पत्नी को जलाना एक फैशन बन गया है । पूर्वोत्तर भागों में ऐसी कोई बात नहीं सुनते । वहाँ हमें दहेज-हत्यायें सुनाई नहीं देती है । हमें दोष न दें । दुर्भाग्य से आपकी पार्टी कलकत्ता और केरल के सिवाय और कहीं भी विद्यमान नहीं है । परंतु कांग्रेस पार्टी एक ऐसी बड़ी नदी के समान है जो हर जगह विद्यमान है । दुर्भाग्य से आप कांग्रेस पार्टी को केवल तन्दूर के दृष्टिकोण से ही देखते हैं और आप उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने झण्डे को ऊंचा उठाये हुए अपना बलिदान दे दिया । आपको इस बात से बहुत दुख होगा कि मेरे एक महामंत्री की मौत कांग्रेस पार्टी के झण्डे को उठाये हुए हो गयी । क्या आपने उसके बारे में सुना है ?....(**व्यवधान**) । इस एल. ओ. सी. घोटाले में 200 करोड़ रु. मूल्य के सरकारी बिलों की अदायगी ले ली गई और यह पता लगा कि यह पैसा आतंकवादियों को दिया गया । सी. बी. आई. ने इसकी जांच की है । यह आरोप लगाया गया है कि सी. बी. आई. राजनैतिक लोगों को और मंत्रियों को बचा रही है जिनको बम्बई में फ्लैट दिये गये हैं । आप क्या करेंगे ? यह बात नहीं है कि तथ्यों की जानकारी नहीं है । कम से कम मैं माननीय गृह मंत्री की ईमानदारी के लिये उनका सम्मान करता हूं । मैं जानता हूं कि वह पूर्वोत्तर प्रदेश की घटनाओं पर किस तरह नजर रखते हैं । दुर्भाग्य से मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही की जाती है । मैंने पहले भी कहा था-उस दिन श्री जसवन्त सिंह भी उपस्थित थे-कि तथ्यों को हर कोई जानता है किन्तु कार्यवाही नहीं की जाती । इसका कारण यह नहीं है कि लोग कुशल नहीं हैं । मैं यही बात बार-बार कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका कारण हमारे देश की सारी राजनैतिक प्रणाली में गिरावट आ जाना है ।....(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसका कारण है मिलीभगत....(**व्यवधान**)

श्री किरिप चलिहा : इसका कारण केवल मिलीभगत नहीं है । परंतु इसका कारण अपराधी हैं । यह भ्रष्ट तत्वों के कारण है जिन्होंने हमारी प्रणाली की कमजोरियों का लाभ उठाने के तरीके ढूंढ लिया हैं । उन्होंने हमारी कानून प्रणाली का लाभ उठाना सीख लिया है । यह सच है कि हमारी कानूनी प्रणाली वास्तविक अपराधियों को दंड नहीं देती । श्री सलमान जी ने इसका उल्लेख किया हैं । यह सच है कि हमारे आर्थिक अपराधी जानते हैं कि वर्तमान आर्थिक कमजोरियों का लाभ किस तरह उठाना है । इसी तरह माफिया भी जानता है कि लोगों की राजनैतिक कमजोरियों का किस तरह लाभ उठाया जाना है । जब यह कानून बनाये गये थे । जब संविधान बनाया गया था, जब हमारे पूर्वजों ने इस संसदीय लोकतंत्र के ढांचे की स्थापना की थी उन्होंने सोचा था कि इस आजाद भारत में रहने वाले लोग जो सैकड़ों सालों की गुलामी से आजाद हुए थे मनुष्य बनेंगे न कि पुतलियां । दुर्भाग्य से आजादी के बाद हम सभी-येन केन प्रकारेण आदमी से पुतली बन गए । छोटे लोग उन सिद्धांतों को बनाए नहीं रख सके जिन के आधार पर यह प्रणाली प्रगति कर सकती है ।

आपमें से बहुत से लोगा ने जो कुछ कहा है मेरा सुझाव उस सबसे थोड़ा आगे चल कर है । इसका कारण यह है कि मैं नहीं समझता कि नोडल एजेन्सी के अधिकारी अपराधियों और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत को तो सकेंगे । सोमनाथ जी जैसे बड़े राजनीतिज्ञ यदि राजनीतिज्ञों को बचायेंगे तो क्या कोई अधिकारी कुछ कर सकेंगे ?....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सबको छोड़कर हमको क्यों पकड़ते हो, उनको पकड़िय ना ।

[अनुवाद]

श्री किरिप चलिहा : हम यथा संभव भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ते रहे हैं....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें । कृपया टिप्पणियों का जवाब न दें ।

श्री किरिप चलिहा : मेरा सुझाव कुछ हट कर है । क्या इस समय या पांच साल के बाद यह संभव होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि समिति का गठन होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि समिति का गठन करने से भी जैसा कि अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है या कोई न्यायिक जांच आयोग या इसी तरह का कोई तन्त्र इस समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सकेगा ? क्या यह संभव है-सोमनाथ जी मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ सांसद है-कि शासन प्रणाली को हम इस ढंग से बदल दें ताकि; बहुत सी बातें कम हो जायें ? मुझे एक विचार सूझा है । मान लिया जाये कि हम प्रत्यक्ष चुनावों के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की पद्धति को अपना लें तब क्या यह संभव होगा कि जो दल अपने नुमाइंदों को चुने और जिसे भी चुना जायेगा वह अपने दल पर पूरी तरह निर्भर होगा और पार्टियां उसके लिये जिम्मेदार होंगी । यह मेरा पहला सुझाव है । क्या यह संभव है कि इस तरह की प्रणाली भ्रष्टाचार को और चुनाव में धन की ताकत के इस्तेमाल को रोक सके ? क्या यह संभव नहीं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत पार्टियां मंत्री परिषद का चुनाव करें, वे किसी पर निर्भर न हों अपितु वह उच्च कोटि के ईमानदार लोग हों । वे पूरी तरहसे जवाबदेह हों । क्या यह संभव है कि वे अफसरशाही के दबाव में नहीं आयेंगे और अफसरशाही को उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऊंचे व्यक्ति होंगे ? क्या यह संभव है कि व्यावसायी राजनीतिज्ञों और ताकत के दलालों के दिन लद जायें ? मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि हम इस तरह की प्रणाली को उत्कृष्ठ बनाने की सोचें । हम न्यायपालिका को उत्कृष्ट बनाने की सोचें । हमें सिविल सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के बारे में सोचना है क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं कर सकता कि केवल राजनीतिज्ञ ही भ्रष्ट हैं । मैं जानता हूं कि सिविल सेवाओं में कितना भ्रष्टाचार है । मैं जानता हूं कि पुलिस अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं । मैं जानता हूं कि व्यापारी कितने भ्रष्ट हैं। यह अधिकारी जिनको सी. बी. आई. अधिकारियों के रूप में भेजा गया था- मैंने गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक में भी कहा था-मैं जानता हूं कि इनमें से कितने सी. बी. आई. अधिकारी मामलों को दबाने के लिये कितना पैसा रिश्वत के रूप में लेते हैं । हम सभी जानते हैं । किसी न किसी रूप में मानवीय तत्व हमें धोखा देता रहा है । हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि हम इसको पहचानें । जैसा कि सलमान जी ने कहा है हम अपने दिलों को खोजें । हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिये । आप साधारण उपदेश जानते हैं । हालांकि सोमनाथ जी बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं, जसवंतसिंहजी कहेंगे कि यदि हमने इन बातों को कार्यान्वित नहीं किया तो लोग उनको खाली उपदेश मानेंगे । क्या यह संभव हैं कि जो बड़ा परिवर्तन हममें अचानक हुआ है, कांग्रेस के लोगों में हुआ है उस पर निर्भर न रहकर सभी कांग्रेसी गांधीजी बन जायेंगे और सोमनाथ जी कार्लमार्क्स और एंजल बन जायें । क्या यह संभव है कि हम आदमियों को बदलने के स्थान पर प्रणाली को बदल दें । यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं और हम सबको इन छोटी किंतु संगत बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

इसके अतिरिक्त मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि कांग्रेस एक मात्र पार्टी है जो बदलते समय में स्थिति को संभाल सकती है और कांग्रेस ही संकट के समय स्थिति को सुधारने में सफल होगी । मेरे प्रधान मंत्री, मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे यह दिशा दिखाई है कि "अपराधीकरण के बारे में समझौता न किया जाये, आगे बढ़ो और लड़ाई करो ।" यह उनका अनुदेश है । मैं अपने खून की अन्तिम बूंद तक लड़ूंगा । इसमें इस बात से कोई अन्तर नहीं आयेगा कि मैं संसद सदस्य बन सकूं या न बन सकूं ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में इस समय राजनीति में अपराधीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो

रही है, वोहरा समिति की रिपोर्ट, दल-बदल और ब्लैकमनी जैसे बिन्दुओं पर चर्चा हो रही है लेकिन इस समय संसदीय कार्य मंत्री, शुक्ला जी, हाउस में नहीं है । उनके न रहने से इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है । शुक्ला जी को इस समय हाउस में रहना चाहिये ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । कृपया ऐसे बेवकूफी के मामले मत उठायें ।

[हिन्दी]

डा. एस. पी. यादव (सम्भल) : सभापति जी, माननीय श्री राम विलास पासवान ने जो प्रस्ताव राजनीति में अपराधीकरण के बारे में,वोहरा कमेटी के प्रतिवेदन पर बिना कोई विलम्ब किये कार्यवाही करने के संदर्भ में, इस सदन में प्रस्तुत किया है,मैं उनके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस प्रस्ताव का समर्थन यद्यपि सभी दलों के नेताओं ने किया है जितने वक्ताओं ने अब तक अपने विचार यहां प्रस्तुत किये हैं, उन सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये हैं । मैं आपसे और सदन से कहना चाहता हूं कि ऐसा विषय है, जब सभी लोग इस प्रस्ताव पर एग्री करते है तो आरोप-प्रत्योरोप से काम नहीं चलेगा बल्कि कोई प्रभावी सौल्यूशन इस विषय में हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा ताकि इस समस्या का समाधान हो सके ।

वोहरा कमेटी 9 जुलाई, 1993 को गठित की गई थी । उस समय के भारत सरकार के गृह सचिव तथा 4 अन्य व्यक्तियोंको शामिल करके यह समिति बनाई गयी थी लेकिन उस समिति ने दो साल के अंदर केवल 12 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मैं नहीं समझता कि वोहरा समिति ने दो साल में 12 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत करके, कोई ऐसा बड़ा सौल्यूशन हमें ढूढ़ कर दिया हो या ऐसी चीजें पता की हों जिससे राजनीति में अपराधीकरण के विषय में कोई विशेष में कोई विशेष जानकारी यह रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करती हो ।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के पेज नंबर 8, पैरा नंबर 6.0 के उपखंड 1 में केवल तीन राज्यों का जिक्र किया गया है, बिहार, हरियाणा व उत्तर प्रदेश । इनके बारे में कहा गया है कि माफिया गिरोहों को राजनीतिज्ञों तथा सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त है या उनका सम्बन्ध है । केवल तीन प्रदेशों के बारे में बात कही गई है । जबकि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो माफियाओं या अन्य अपराधियों के नाम दिए हैं, उनमें केवल तीन नाम दिए हैं जिनमें इकबाल मिरची, मैमन बंधु और दाउद इब्राहीम, जो महाराष्ट्र से सम्बन्धित हैं और महाराष्ट्र में क्या राजनीति में अपराधीकरण है उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया । तीन अन्य प्रदेशों के तीन अन्य अपराधियों के नाम दिए हैं ।

हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि अपराधीकरण तो राजनीति के अंदर बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है और उससे कोई भी दल मना नहीं कर सकता है । स्थिति यह है कि जो दल सत्ता में है, उस दल ने अपराधीकरण को बढ़ाने का प्रयास किया है । जो जितना ज्यादा सत्ता में रहा है उसने उतना ज्यादा अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ाने का प्रयास किया है ।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं । आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1993 में उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हुए थे । चुनाव आयुक्त श्री टी. एन. शेषन ने अपने एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया कि 425 विधायकों में से 100 अपराधी विधान सभा में जीतकर आए हैं । इस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन जब पुलिस विभाग ने कम्प्यूटर के द्वारा इसकी एनैलेसिस की, तो पता चला कि 425 में से 143 अपराधी प्रवृत्ति के लोग विधान सभा में जीत कर आए हैं और यह भी पता चला कि उनके ऊपर मामूली अपराध नहीं हैं, बल्कि संगीन अपराध हैं उनके ऊपर डाकेजनी के, कत्ल के, राहजनी के और चोरी के विभिन्न प्रकार के गम्भीर आरोप हैं, गम्भीर केस हैं, गम्भीर मुकदमें उनके ऊपर लगे हुए हैं ।

सभापति महोदय, कोई दल यदि यह कहता हो कि मेरे अंदर राजनीतिक अपराधी नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां बहुत कम रह गए हैं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 177 लोग जीतकर आए थे जिनमें से 45 लोग क्रिमिनल हैं । मैं नाम नहीं लूंगा । एक विधायक पर 17 केस रजिस्टर्ड हैं । इसी तरीके से समाजवादी पार्टी, जो उस समय सत्ता में थी, उसके 107 विधायक जीतकर आए और उनमें से 44 अपराधी प्रवृत्ति के विधायक थे जिनमें से एक विधायक के खिलाफ 36 केस रजिस्टर्ड हैं । उसके अलावा उसकी जो सहयोगी पार्टी ब. स. पा. थी उसके 69 विधायक जीत कर आए जिनमें से 18 के खिलाफ आपराधिक केस हैं और उनमें से एक ही विधायक के खिलाफ 44 केस हैं और मैं जनता दल से हूं । मेरी पार्टी से 27 विधायक जीतकर आए, जिनमें से 11 क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और कांग्रेस के 28 विधायक जीतकर आए, जिनमें से 8 विधायक क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और उनमें से एक ही विधायक के खिलाफ 41 केस हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तीन विधायक जीत कर आए जिनमें से एक विधायक के खिलाफ आपराधिक केस हैं । इस प्रकार कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, यहां पर यह कहे कि आपराधिक केसेस वाला उसकी पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरी पार्टियों में है, तो हमको एनैलेसिस करना होगा । एक दोहा है-

''दोष पराए देखकर चला हंसत हंसत,

अपने चित्त न आवही जिनको आदि न अंत''

हमको यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीति में अपराधीकरण प्रवेश कर रहा है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1988 से 1989 तक, जब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले थे, उस समय जो गम्भीर

स्थिति थी, जिसके बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया, मैं इस हाउस में आपके माध्यम से पूरे सदन के लोगों को बताना चाहता हूं कि 88 से लेकर 89 तक इस देश के अंदर हवाला इंटरनेशनल एजेंसी के माध्यम से राजनीतिज्ञों के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 65 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया ।

जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके नाम आलरेडी छप चुके हैं । सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर मुकदमें चलाये गये जिसकी सी. बी. आई. जांच कर चुकी है, उसकी रिपोर्ट दे चुकी है । कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं । इस बारे में मैंने कई पत्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को लिखे हैं । जब हमारे देश के राजनेता, इस सदन को चलाने वाले लोग, इस देश की सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेटेस हैं, वही लोग बिक जायेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा ? उनको इस बारे में, इस सदन में बहुत बड़ी चिन्ता होनी चाहिए । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं हुआ बल्कि उन लोगों के लिए जो पैसा बांटा गया है, एक व्यक्ति सुरेन्द्र जैन जिसको अभी गिरफ्तार किया गया था, उसके माध्यम से 65 करोड़ रुपया बड़े-बड़े लीडर्स को, उसमें भी कई दलों के लीडर्स हैं जिनको पैसा दिया गया है, उसकी जांच तथा उसका केस भी इस सदन के अंदर आज तक कभी नहीं उठा । हमने इसके लिए कई बार नोटिस भी दिया लेकिन हमको जीरो ऑवर में बोलने की इजाजत नहीं दी गयी । आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं यह खुलकर बताना चाहता हूं कि सुरेन्द्र जैन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा फिर मंत्रालय के माध्यम से उसकी जमानत भी कराई गयी । एक मंत्री पर आरोप भी लगा । मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता । हम ऐसे लोगों के लिए जो देश में पैसे को बांटकर पोलटिक्स को खरीदना चाहते हैं, हकीकत तो यह है कि आज इस देश पर राज किसी सरकार का नहीं है । उस पर माफिया राज करती है । माफिया के बारे में बहुत से कांग्रेस के साथी और अन्य साथी भी जानते हैं । हमने सब सांसदों को चिट्ठियां लिखी हैं कि इस देश पर माफिया राज करती है । जब वह चुनाव के दौरान पैसा देता है तो फिर वह अपनी नीतियां मनवाने का काम भी करता है ।

सभापति जी, इस राजनीति में अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार से सत्ता में न आये होते या विभिन्न पोलीटिक्ल पार्टी में जीतकर न आये होते तो 16 दिसम्बर 1993 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो विभत्स और घृणित झगड़ा हुआ था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में मारपीट हुई थी, उससे हमारे लोकतंत्र या जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उसके ऊपर इतना बड़ा आघात न पहुंचता । इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, जो कि विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उनको भी बहुत भयंकर चोट आयी थी । देश की हर पार्टी राजनीति के अपराधीकरण पर चिन्ता तो व्यक्त करती है लेकिन उसे रोकने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करती ! हर पार्टी को दूसरे दल में अपराधी दिखाई देते हैं परन्तु अपने यहां के अपराधियों की ओर वह आंख मूंद लेती है । इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । अभी हमारे उत्तर प्रदेश में सहसवान विधानसभा में उप चुनाव हुआ था उसमें सत्ता पक्ष को लोगों ने पुलिस के सहारे, वहां का जो एस. डी. एम. था, रिटर्निंग आफिसर था, उसके सहारे, पूरी तरह से खुलकर बूथ केपचरिंग की गयी । मुख्यमंत्री के भाई ने भी बूथ केपचरिंग की तथा मुख्यमंत्री के भाई की जो जीप थी, उस पर एक वायरलैस सैट लगा हुआ था । जब उस वायरलैस सैट से पुलिस को सूचना मिल जाती थी कि मुख्यमंत्री के भाई यहां से निकल चुके हैं तब पुलिस वहां पहुंचती थी । आज इस राजनीति में अपराधीकरण के लिए अगर राजनेता दोषी हैं तो इसके अलावा प्रशासनिक लोग भी पूरी तरह से दोषी हैं ।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे अपराधी हैं, जिनको सरकार ने शीडो दे रखे हैं । जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर बीसियों मुकदमें हैं, जो राजनीति में नहीं हैं, उन लोगों को शैडो मिले हुए हैं । यह कितना घृणित कार्य हो रहा है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना करते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा । हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कोई रूल्स बनाने होंगे । उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने 3/7 खत्म कर दिया था, गुण्डा एक्ट को भी खत्म कर दिया था । हम यहां कानून और नियम बनाने के लिए बैठे हैं न कि जो बने हुए नियम हैं, उनको समाप्त करने के लिए बैठे हैं ।

सभापति जी, मैं एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस अपराधीकरण का जो मेन कारण है, उसको हम कैसे मिटा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं ।

इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक्सपीरिऐंस है कि अभी पीछे विधान सभाओं के चुनावों में कई प्रदेशों में जो टिकट बांटे गए , उनें रुपये लिए गए । जब प्रत्याशिों से रुपये लिये जायेंगे तो निश्चित ही क्रिमिनल टाइप के लोग, पैसे वाले लोग टिकट पाने में सफल हो जायेंगे । मेरा सभी पोलिटिकल पार्टी के लोगों से अनुरोध है कि वे पैसे लेकर टिकट न दें । इस प्रकार के उदाहरण हमारे पास हैं, कोई जानना चाहता है तो हम नाम बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि कितने रुपये लिए हैं ।

दूसरा इम्पौर्टेंट पहलू यह है कि हर प्रत्याशी चुनाव में येन-केन प्रकारेण जीतना चाहता है । उसके लिए वह बूथ कैपचरिंग का सहारा लेना चाहता है । बूथ कैपचरिंग का कार्य कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कर सकता है । जब आप उनके सहारे अपना चुनाव जीत लेंगे तो उसके बाद वे नेताओं पर और जीते हुए विधायकों या सांसदों पर पूरी तरह से होल्ड करते हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं । यदि बूथ कैपचरिंग को रोकना है, यदि यह हाउस 545 सांसदों के माध्यम से इच्छाशक्ति रखता है, यदि केन्द्र सरकार (कांग्रेस) इच्छाशक्ति रखती है तो जिस क्षेत्र में जिस प्रत्याशी के पक्ष में बूथ कैपचरिंग सिद्ध हो जाए और इलैक्शन कमिशन यह तय कर लें कि इस व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में बूथ कैपचरिंग हुई है तो उस व्यक्ति का नौमीनेशन कैन्सल कर दें । यदि एक व्यक्ति का भी नौमीनेशन कैन्सल हो जाएगा तो कोई भी प्रत्याशी बूथ कैपचरिंग करवाने का प्रयास नहीं करेगा । वह अपने कार्यकर्त्ताओं से कहेगा कि आप बूथ कैपचरिंग न करें वर्ना मेरा नौमीनेशन कैन्सल हो जाएगा ।

जो नोडल कमेटी की बात वोहरा समिति की रिपोर्ट में रखी गई है, नोडल एजैंसी की बात के लिए मैं ज्यादा वेटेज नहीं देता क्योंकि वोहरा समिति ने तो कोई बात कही ही नहीं । यदि इस मामले में रिसर्च की जाए तो पता नहीं कितना बड़ा थीसिस बन जाएगा । इसमें कोई विशेष बात नहीं है । लेकिन समिति की एक बात, जो अर्जुन सिंह जी ने कही हैं, मेरा सुझाव है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जज रखे जाएं या चुनाव आयुक्त में से 1-2 व्यक्ति रखे जाएं और कुछ भूतपूर्व सांसदों को मिलाकर एक समिति बनाई जाए तो वह समिति कुछ सुझाव दे सकती है जिस पर यह हाउस फिर से विचार करके इस प्रस्ताव को और मजबूती के साथ पास कर सकता है राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, उसे रोका जा सकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रवि राय का नाम पुकारने से पहले मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने कहा है "हमारे पास पर्याप्त जानकारी और ब्यौरे हैं । अत: संक्षेप में अपने सुझाव दें ।" मुझे विश्वास है कि मुझे सदस्यों को रोकने के लिये सदन की अनुमति है क्योंकि अब दस और सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है ।

....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय कुछ और सदस्य हैं ।

सभापति महोदय : क्या किया जाये । नाम व्यक्तिगत रूप से भेजे जा रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : नाम नेताओं के हस्ताक्षरों के साथ ही भेजे जा रहे हैं ।

सभापति महोदय : जी हां । यह सत्य है । कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जो पार्टी के नेता हैं, वह भी नाम भेज रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : कृपया यह बतायें कि माननीय गृह मंत्री किस समय के लगभग चर्चा का जवाब देंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह उत्तर कल दिया जा सकता है ?

श्री राम विलास पासवान : आप सभी सदस्यों को आज बोलने की अनुमति दे दें और उत्तर कल दिया जा सकता है ।

सभापति महोदय : जी नहीं । कृपया समझने की कोशिश करें । हमने इस बारे में फैसला कर लिया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सभा में यह मतैक्य या और उसके आधार पर हम चल रहे हैं कि हम देर तक बैठेंगे और चर्चा करेंगे तथा उसे पूरा करेंगे और मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उसे आज ही समाप्त करेंगे ।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी, नहीं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । केवल इतनी बात है कि समय का समायोजन करके और अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करके हम इसे पूरा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम एक घंटे में उसे पूरा कर सकते हैं । कार्यसूची में कल के लिये काफी मदें हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : दूसरे सदन में भी इस मामले पर चर्चा पूरी नहीं हुई है और इसलिये उस सदन में भी मंत्री महोदय द्वारा कल उत्तर दिया जाना है ।

सभापति महोदय : हमें समायोजन करना है । गृह मंत्री को कल दूसरे सदन में उत्तर देना है । अत: हम आज इसे पूरा करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति जी, मैं हमारे लायक दोस्त रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

हमको लगता है और सारे सदस्य हमसे सहमत होंगे कि हमारे लोक सभा के जीवन में आज जिस चीज पर हम लोग बहस कर रहे हैं, यह बहस देश के भविष्य के साथ ताल्लुक रखती है । अभी मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि छह महीने पहले मैंने हमारे घर मंत्री, मैं घर मंत्री कहता हूं, गृह मंत्री चौहान जी की चिट्ठी लिखी थी कि सांसदों को, मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट्स को वोहरा कमेटी की रिपोर्ट मिल जाय । छह महीने पहले मैंने लिखा था, उनसे निवेदन किया था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट हमको मिल जाय, उसकी प्राप्ति स्वीकार तो हुई लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला-पहला सवाल । हमको लगता है कि उधर जो मैम्बर हैं, वह सहमत होंगे कि तन्दूर काण्ड न होता तो देश को, संसद् को वोहरा कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलती, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकतीं । मैं देख रहा था, यहां बैठे हैं, अब शायद घर मंत्री बाहर गये हैं, आयेंगे, 24 मई को राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था :

[अनुवाद]

"क्या सरकार ने राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण की ओर ध्यान दिया है; और यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ।"

[हिन्दी]

उसका जवाब स्वयं, हमारे दोस्त बैठे हैं, सईद साहब ने दिया है क्या दिया है ? आप इसको याद रखिये कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास दो साल पहले थी और सईद साहब जवाब देते हैं कि :

[अनुवाद]

"राजनीति के अपराधीकरण के मामले ने निश्चित रूप से मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है और पिछले कुछ समय में विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है । सीमित रूप में अनेक कानून दोष सिद्ध व्यक्तियों को चुनावों में हिस्सा लेने से निहर घोषित करने के प्रयास करते हैं । तथापि, ऐसा समझा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण ,को व्यापक रूप से, स्वयं राजनैतिक दलों के द्वारा और जनमत के द्वारा ही नियन्त्रित किया जा सकता है ।"

[हिन्दी]

आप कभी अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनके पास यह रिपोर्ट थी ।

[अनुवाद]

आप देख सकते हैं कि किस तरह से रुखे और उदासीन ढंग से इस रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं दिया गया । जैसा कि कोई बाहर का आदमी संसद् में जवाब दे रहा है । मैं सईद साहब को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं देता । मेरा कहना है, आज मैं बहुत दुखी मन से बोल रहा हूं, हम सांसद हैं और यह लोक सभा है, हमको लगता है कि दुनिया में हमारा वृहत्तम प्रजातंत्र है, लोक सभा है । हमको जो कमी बेसी इतिहास का ज्ञान है, 1500 साल के बाद हमको एक राष्ट्र मिला, 15 अगस्त, 1947 को हम स्टेटहुड, आधुनिक भाषा में, राजनैतिक, वैज्ञानिक भाषा में हमको एक स्टेट मिला और मैं कह रहा हूं....(व्यवधान) चौहान जी आ गये, चौहान जी का मैं आदर करता हूं, क्योंकि अभी जितने लोग मौजूद हैं, वह उम्र में सबसे बड़े हैं और फ्रीडम फाइटर हैं, वह आ गये, मैं इसलिए कह रहा था कि डेढ़ हजार साल के बाद हमको राष्ट्र मिला,

8.00 म. प.

आधुनिक भाषा में जिसे स्टेटहुड कहते हैं, वैह मिला । वोहराजी को मैं जानता हूं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी रहे हैं । उन्होंने कागजातों को देखकर सारा काम किया । उनकी रिपोर्ट में दो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हैं । हिन्दुस्तान में पहली बार किसी इतने बड़े अधिकारी ने जोकि गृह मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, यह माना है कि देश में अर्थनीति के समानांतर सरकार चल रही है । हम लोग जो विपक्ष में हैं, इस बात को कहते थे, लेकिन सरकारी तंत्र के मुख्य आदमी के हाथों हमारा अनुमोदन अब हुआ है । आप देखेंगे, पिछले दो महीने से प्रिंट मीडिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं, गैर राजनैतिक विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट प्रोजाइक है । रिपोर्ट में कौन जिम्मेदार हैं, कुछ अखबारों के नामी कालिमस्ट जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने मौखिक रूप से कहा कि गृह मंत्री सबसे बढ़िया मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के गृह सचिव जो वोहरा साहब हैं उन्होंने तीन केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी लिया है और कुछ मुख्य मंत्रियों का नाम भी बोला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन नाम के बिना यह डिबेट निष्फल है । हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं । मैं नेक्सस के बारे में बताना चाहता हूं । संसद के रिसर्च विभाग में यू. एन. आई. की एक रिपोर्ट है जिसको नेक्सस के बारे में पता चला है । मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो नाम लिया गया उसमें से सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं । क्योंकि वहीं से इसकी शुरूआत हुई है, मैं उसको पढ़कर बताना चाहता हूं कि किस तरीके से वोहरा कमेटी के बारे में नेक्सस में उन्होंने खोज कर पता लगाकर इस चीज को लिखा है । जो नाम हैं, उनको नहीं पढ़ूंगा, वे कहते हैं :

[अनुवाद]

"दक्षिण-मध्य बम्बई में भाव 1500 रु. और 3500 रु. वर्ग फुट के बीच होने के कारण जमीन प्राय: वह कड़ी बन जाती है जो राजनीतिज्ञों और अपराधियों को जोड़ती है ।"

[हिन्दी]

बम्बई शहर जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है । उसके बाद के टियर्स के नाम दिये हैं । मैं नाम नहीं लूंगा, लोग एतराज करेंगे ।

[अनुवाद]

"ठाणे के घोटालेबाजों को फरवरी 1990 के चुनावों के लिये कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार बना दिया गया और हालांकि दोनों गिरफ्तार थे और पार्टी से निष्काषित कर दिये गये थे परंतु दोनों पुन: निर्वाचित हो गये हैं । पीछे न रह कर शिव सेना ने गुण्डों की पत्नीयों को नगरपालिका के चुनावों में टिकट दिये । उद्योगपति सुनील खटाऊ की हत्या ने सिद्ध कर दिया कि बम्बई के माफिया ने टैक्सटाईल क्षेत्र में भी ताकत के साथ अपनी जगह बना ली है ।"

[हिन्दी]

क्योंकि दोनों मर चुके हैं इसलिये मैं उनका नाम ले रहा हूं ।

[अनुवाद]

"भाजपा के बम्बई यूनिट के प्रेसीडेन्ट रामदास नायक की पिछले अगस्त में और शिव सेना के कुख्यात नगरपालिका का सदस्य खीम बहादुर थापा की अप्रैल 1992 में की गई हत्याएं राजनैतिक कारणों से हैं ।"

[हिन्दी]

वे बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, यह तो मैंने एक जुमला पढ़ा है। 48 साल हमें आजाद हुए हो गये, केन्द्र सरकार के पास सारी जानकारी है, क्योंकि उसी के पास खुफिया विभाग है, सी. बी. आई. है, रेवेन्यू है, राज्य सरकार के पास यह ताकत नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं जिसमें किसी का मतभेद नहीं होगा कि इतने साल की आजादी में से कम से कम 45 साल इस कांग्रेस पार्टी का राज रहा ।

कांग्रेस पार्टी का करीब 45 साल राज रहा है । साढ़े तीन साल विरोधी दलों का राज रहा है । मैं आज बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शेयरिंग ऑफ ब्लेम जो होता है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का आप परसेंटेज निकाल लेना । 48 साल से कांग्रेस का राज रहा है जिसमें 3 साल विरोधियों ने राज किया हैं । हम विरोधी दल सहमत होंगे कि उनकी भी जिम्मेदारी है 3 साल की प्रतिशतवाइज और 45 साल की कांग्रेस की जिम्मेवारी है । यह जिम्मेवादी जब हम लोग महसूस करेंगे तभी डिबट आगे बढ़ेगी । सभापति जी, जब हम लोग जिम्मेदारी महसूस करेंगे । सिर्फ पोलिटिशियन माफिया नहीं है, व्यापारी भी माफिया हो गये हैं । मसलमैन आ रहे हैं, माफिया राज चल रहा है और मैं नहीं जानता कि सभापति जी आप को लम्बिया की राजधानी बोगाटा गये हैं या नहीं । मैं जब स्पीकर था, वहां गया था । कांग्रेस के माननीय सांवत जी ने इस बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से सारा पैरेलल गवर्नमेंट है, वह मान चुके हैं और यहां जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बैठे हैं सब महसूस करते होंगे कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के दौरान जिन चीजों का भंडाफोड़ हुआ है, क्या उसमें कोई ज्यादा प्रमाण की जरूरत है? सभापति जी, हम बोगोटा और कोलम्बिया की तरफ जा रहे हैं जहां डेढ़ हजार साल के बाद उन लोगों ने स्टेटहुड पाया है, उसको खो देंगे । मैं आज पूछना चाहता हूं क्योंकि सड़ान आ चुकी है । हमारे राष्ट्र का सारा तंत्र सड़ चुका है । आप इतिहास जानते हैं । हम भी इतिहास के छात्र रहे हैं और आप भी इतिहास के छात्र रहे होंगे । हिन्दुस्तान में जब अन्दरुनी सड़ान होती है तो फिर आगे चलकर विदेशी हमलावरों का शिकार होने की नौबत आ जाती है जो हम लोग देख चुके हैं । सभापति जी, मैं आज सोच रहा था । दो रिपोर्ट जो हम लोग सांसद के नाते अभी भी देखते हैं । रिफोर्मस करने के लिए सान्तानम कमेटी की रिपोर्ट जो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए बनाई गई थी और उस रिपोर्ट में जब सान्तानम के 10 लेजिस्लेटर प्रमाण के साथ लिखकर देंगे कि अमुक ने भ्रष्टाचार किया है तो फिर लाजमी तौर पर उसकी पूरी छानबीन होती है । इंक्वायरी होनी चाहिये । उसकी कोई इंक्वायरी करता है क्या? आज भी रिफोर्मस कमीशन के जब मोरार जी भाई सभापति थे, उसके बाद हनुमनतय्या सभापति बने । दोनों नामी प्रशासक थे लेकिन जब आज इन दोनों रिपोर्टस के बारे में आज पूछा जाये, कैबिनेट मंत्री यहां बैठे हैं, हम सारे सांसद यहां बैटे हैं हम लोगों को मालूम है कि सारी सिफारिश राष्ट्र हित में थी, प्रशासन को चुस्त करने के लिए थी । आज 40 साल बीत गये हैं । हम कोई भी जीच को अन्तर्मुखी बनकर देश के भविष्य की खातिर हम लोग इस बारे में सोचते

8.09 म. प.

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

हैं? सभापति जी, मैं निराशावादी नहीं हूं । मैं सिनीसिज्म का जबर्दस्त दुश्मन हूं लेकिन मेरे दिमाग में यह बात अन्धकार रात्रि में दो स्टार की तरह काम कर रही है । आप तन्दूरी कांड के बारे में जानते हैं कि इस कांड के बाद दिल्ली का साधारण आदमी, साधारण नागरिक होटल में खाने के लिए जाता है तो वह तंदूरी रोटी नहीं खाता है । तंदूरी रोटी खाने वालों की तादाद में 70 प्रतिशत घटोतरी हो गई है । संसद के बाहर करोड़ों नागरिक जो हमारे मास्टर हैं, जो प्रभु उनको मैं नमस्कार करता है कि उनमें गुस्सा है । उनमें मतभेद हैं । होटल वाले ने पूछा कि तंदूरी क्यों नहीं खा रहे हैं तो वे कहते है कि इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हमें उस महिला का चेहरा याद आ जाता है । हम लोग पाप नहीं करेंगे । इसलिए यही कारण है कि हम लोग जैसे आदमी और यहां जो सारे सांसद बैठे हैं, हम लोगों को आशा है....

हम आशावादी बन रहे हैं कि शायद साधारण लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे । जो जनशक्ति का द्योतक है, वह उठेगा और हो सकता है कि सारा चीज ठीक कर सकता है ।

महोदय, हम जितने यहां बैठे हैं, उनमें कोई भी आदमी नहीं है, जो डिक्टेटरशिप का समर्थक होगा । कोई भी आदमी नहीं है, जो राजतन्त्र का समर्थक होगा ।

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस तो है।

श्री रवि राय : कांग्रेस वाले इमरजेंसी के भले ही समर्थक हों, उनको तो मैं मानता हूं, वे तो हैं ही । यहां संतोष जी बैठे हैं । मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों ने नरोरा टाइप कोई डाक्युमेंट दिया था, जिसमें इमरजेंसी को मानते हैं कि वह एक एबरेशन था । मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं । सभापति जी, मैं इस डिबेट को पार्टीबाजी से ऊपर उठाने के लिए कहता हूं । मैं आज बंगाल सरकार के बारे में कहता हूं । मेरी निजी राय हैं । मैं बंगाल के ज्योति बाबू की कैबिनेट के व्यक्तियों को व्यक्तिगत के रूप में जानता हूं । मैं सारे हिन्दुस्तान में घूमने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, व्यक्तिगत सादगी में, ऑस्टियर जिन्दगी के बारे में, देश में अगर कोई मंत्रिमंडल है, तो वह यही है जो आदर्शवाद को प्रेरित करता है । हम भले ही मंत्री बन गए, लेकिन व्यक्तिगत जिन्दगी को हमें निर्मल और पृच्छन्द रखना चाहिये । उसमें कोई सड़ान्ध नहीं आने देनी चाहिए । हमको लगता हूं कि सादा सरल जिन्दगी, सिम्पल-लिविंग-हाई-थिंकिंग, ज्यादातर कैबिनेट के मंत्रियों में अभी-भी प्रभावित होती है । भले ही वे लगातार 18 साल सरकार में रहे हैं । उसी तरह से मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहता हूं । श्री दिग्विजय जी यहां सदन के सदस्य थे और अब वहां मुख्य मंत्री हैं । लेकिन उनकी सरकार के जो कारनामें हैं, जो खराब काम किए हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन 15 दिन पहले उन्होंने एक न्यायिक जांच

करवाई है । न्यायिक जांच इसलिए कि वहां पोलिटिशियन्स और माफिया, डान्स, मध्य प्रदेश से गुजरात में घूम कर पूरा वहां आर. डी. एक्स. पहुंचाने का कार्य कर दिया । इसलिए वहां तुरन्त न्यायिक जांच कर दिया । अब मैं आ रहा हूं, जसवन्त सिंह जी के बी. जे. पी. के साझे से एक सरकार बम्बई में चल रही है । यहां मालिनी जी और मैंने, दोनों ने, उस सरकार का तारीफ किया था । एनरॉन दुनिया में घूम-घूम कर हिन्दुस्तान को बदनाम कर रहा है कि उसनें 60 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए दिया । आप जानते हैं शिक्षा का मतलब क्या है, इस शिक्षा का मतलब सरासर घूस है । जिस तरीके से राष्ट्र के हित को मदेनजर रखकर उस सरकार ने कार्रवाई किया और एनरान समझौते को खत्म किया, वह एक सराहनीय कदम है । मैंने इन तीनों राज्य सरकारों के एक-एक अच्छे काम की ताईद करता हूं, ताकि यह डिबेट पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हो । इस देश की खातिर, जो राष्ट्र का दर्जा हमें डेढ़ हजार साल पहले मिला था, उसको बरकरार रखना चाहिए । हमारे संविधान के प्रिएम्बल में क्या लिखाहै, उसको भूलना नहीं चाहिये । हम यहां सदन में कसम खाते हैं कि हम हिन्दुस्तान की व्यवस्था में लैजिसलेचर हैं और हम सपथ लेते हैं कि सार्वभौम गणतान्त्रिक धर्म-निरपेक्ष समाजवादी रहना चाहिये । दिगे जी तो समाजवादी हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले थे ।

श्री रवि राय : अभी-भी हैं, वे कहते हैं । मैं कह रहा हूं, ये हैं । यहां हम सारे लोग स्पीकर से सामने शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, प्रिएम्बल के लिए कसम खाते हैं, तो देखना चाहिये कि प्रिएम्बल कहां है । वोहरा कमेटी की रपट में जो दिखाया गया है, उसको सरकार मानती है कि वह सही है, हकीकत है, तो यहां से यहां जायें । इसलिए इस चीज में खींचातानी होती हैं, उसकी तारीफ करता है, उसको गाली देता हैं, तो लगता है कि देश कहां जा रहा है ।

हम यहां किस चीज पर झगड़ा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं । मैं इस बात को फिर दोहराता हूं उस समय यहां बहुत लोग नहीं थे । मैं आपको 1956 में ले जाता हूं । 1956 में टूटीकोरीन का एक ट्रेन डिजास्टर था और उस समय सिर्फ 144 लोग इस डिजास्टर में मारे गए थे । उससे पहले महबूबनगर का डिजास्टर था । उस समय लालबहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे । लालबहादुर शास्त्री जी ने जवाहरलाल जी से कहा कि हमको आप इजाजत दे दीजिए मैं केबिनेट से इस्तीफा दे दूंगा । तब जवाहर लाल जी ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते हो । जब दोबारा टूटीकोरीन का डिजास्टर हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जवाहर लाल जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप हमको इस बार मना मत कीजिए । यह हमारे जवाहर लाल जी लोकसभा में बोलते हैं कि वो हमारे "कामरेड-इन-आर्म्स" है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं "कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी" यह शब्द जवाहर लाल जी ने इस्तेमाल किए हैं । कांस्टीट्यूशन प्रोप्राइटी का तकाजा है, हमारे लायक दोस्त केबिनेट मंत्री ने दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं ।

महोदय, परसों सरकार ने माना हैं कि फिरोजाबाद रेल दुर्घटना में तीन सौ के करीब लोग मर चुके हैं । जब 144 मरे थे तो फिर अकाउंटेबिल्टी की स्थापना करने के लिए सदन में और देश के समक्ष प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी का तकाजा था यह बोल करके उनके इस्तीफे को मान लिया था । आज कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी कहां गई ? हाउस के प्रति एग्जीक्यूटिव का उत्तरदायित्व है जहां अकाउंटेबिल्टी नहीं है । अकाउंटेबिल्टी प्रजातंत्र की आत्मा है । अगर अकाउंटेबिल्टी नहीं है तो कुछ नहीं है, उत्तरदायित्व का इतना अभाव हो गया है । केन्द्र को देख करके, राज्य सरकार आपको अनुकरण करती है, राज्य सरकार का जिला परिषद के नेता लोग अनुकरण करते हैं और जिला परिषद का पंचायत अनुकरण करती है ।

"महाजनो येन गत: स: पन्था"

हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को बरकरार रखने के लिए यहां हम जो सारे देश के नेता बैठे हैं, सारे दल के जितने यहां बैठे हैं सब देश के नेता हैं । हमारी तरफ जब लोग देखते हैं हम महाजनों येन गत: स: पन्था को ठुकराते हैं । उनको मिथ्या साबित करते हैं तो लोग रौंग सिगनल लेते हैं ।

महोदय, देश बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, देश बर्बादी का रास्ता पकड़ लिया है । इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इंगलिस्तान एकाउंटेबिलिटी के सिलसिले में सबसे माडल कंट्री है, भले ही वे हम पर राज करते थे लेकिन उनका सादगी का जीवन था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन प्रोफिमो कांड के बारे में नहीं जानता । वह डिफेंस मिनिस्टर थे । उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने हाउस ऑफ कामंस में सिर्फ एक गलत बयान किया था कि क्रिश्चियन किलर के साथ उनका जो संबंध है उसके बारे में ठीक बयान नहीं किया था । अभी भी हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में और हाउस ऑफ कामंस पार्लियामेंट में असत्य बोलना महापाप है । आप जानते हैं कि वे कंजरवेटिव पार्टी के नेता थे । कंजरवेटिव पार्टी का प्रस्ताव करके उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दो, मंत्रिमंडल से कहा गया लेकिन वह ऐसे आदमी थे कि उन्होंने मेम्बरशिप से भी इस्तीफा दे दिया ।

महोदय, मैं अपने लायक दोस्त चव्हाण जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके इस्तीफे से सिर्फ राष्ट्र संतुष्ट नहीं हुआ । तब क्या हुआ, लार्ड डेनिंग, जो दुनिया में सबसे नामी जज हैं और जो इंगलिस्तान का नामी जज है उनको सरकार ने बैठा करके एक न्यायिक जांच बैठाई । इसका सिक्योरिटी ऐंगल क्या है, क्योंकि जो क्रिश्चियन किलर प्रफ्यूमों की प्रेमिका थी उनका रशियन डिप्लोमेंट्स के साथ भी संबंध था । लार्ड डेनिंग रिपोर्ट यहां सब लोगों ने पढ़ी होगी, क्या सिक्योरिटी का गड़बड़ हुआ होगा इसमें लार्ड डेनिंग रिपोर्ट दे करके वहां क्लीन पब्लिक लाइफ के बारे में बात की ।

महोदय, अब मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, अभी हाल ही में हमको एक रिपोर्ट "स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ" मिली । महोदय, आपने इंगलिस्तान में देखा होगा कि पिछले 1 साल में 4-5 केबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है ।

किसी ने सेक्स स्केंडल में इस्तीफा दिया, किसी ने पैसा खाने के सिलसिले में इस्तीफा दिया । इस तरह से राष्ट्र में एक डिबेट चली कि यदि हाउस ऑफ कामंस के सदस्य ऐसा कर सकते हैं तो इसका असर साधारण आदमी पर क्या पड़ेगा । तब जज मि. नोलन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट हमारे सामने हैं ।

श्री सैफुदीन चौधरी : कौन सी रिपोर्ट है ?

श्री रवि राय : यह नोलन कमेटी की रिपोर्ट है, जो इंगलिस्तान में गठित की गई ।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था-

[अनुवाद]

वह राष्ट्र अवसर के अनुरूप कार्य कर सकता है और हम राष्ट्र के रूप में ऐसा करने में पूरी तरहसे असफल रहे हैं ।

[हिन्दी]

नेशन का हिस्सा सरकार है ।

[अनुवाद]

हमने राष्ट्र के रूप में स्थिति पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।

[हिन्दी]

वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में इतनी भयंकर सिचुएशन है, बाकी क्या रह जाता है और उसके बाद सरकार का जो रेस्पांस है, उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसकी हम निन्दा करते हैं । निन्दा करने से हमें कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि इतना कहने से समस्या का समाधान नहीं होता । जब तक हम लोगों में विल-पावर नहीं होगी, संसद की विल-पावर नहीं होगी, संसद से मेरा तात्पर्य दोनों सदनों से है, जब तक हमारे अंदर राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । पोलीटिकल विल-पावर से ही देश को बचाया जा सकता है । आज देश संसद की तरफ देख रहा है । रोम जल रहा है तो क्या हम लोग नीरो बन जाएंगे । सरकार तो नीरो बन चुकी है, लेकिन इस काम में हम सरकार का साथ नहीं देंगे । यह राष्ट्र के भविष्य का सवाल है । सड़ांध आ चुकी है, अब इस सड़ांध को कैसे खत्म किया जाए, यह सवाल है । इंगलिस्तान में साधारण जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस तरह से इस कमेटी का गठन किया गया, यह मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूं । ''स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ'' यह इस रिपोर्ट का नाम है ।

सभापति महोदय (श्री तारा सिंह) : थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए ।

श्री रवि राय : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । कई माननीय सदस्यों ने रिपीटीशन करके अधिक समय लिया है, मैं रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं । इस कमेटी का क्या काम था और इसको किसलिए गठित किया गया । मैं नोलन साहब द्वारा लिखा सिर्फ एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यह गलतफहमी है कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए इसका गठन किया गया था, बल्कि सारी पब्लिक लाइफ को देखने के लिए इसका गठन किया गया था ।

[अनुवाद]

''जब आपने इस समिति का गठन किया तो आपने हमें 6 महीने में रिपोर्ट तैयार करने को कहा । हम इस समय में सार्वजनिक जीवन के सारे क्षेत्र को कवर नहीं कर सके। अत: हमने तीन ऐसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने का सोचा जिनके कारण जनता सबसे अधिक चिंतित लगती थी अर्थात संसद सदस्यों, मंत्रियों तथा सिविल अधिकारियों तथा एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज तथा एच. एच. एस. संस्थाओं से संबंधित मामले''

[हिन्दी]

कहां गए मेरे दोस्त अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने एक कमेटी गठित करना का सुझाव दिया है । चव्हाण साहब भी इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स की नोडल कमेटी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और व्याभिचार तथा माफियाइजम से नहीं लड़ सकती । वह अपनी एकेडेमिक रिपोर्ट दे सकती है । इसलिए मेरा कहना है कि इंगलिस्तान की तरह यहां पर भी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए ।

[अनुवाद]

सभा मानकों संबंधी एक संसदीय समिति का गठन करें, जिसमें एक स्वतन्त्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति होगा जिस पर सदस्यों के हितों का रजिस्टर रखने का दायित्व होगा, जो आचरण के मामलों पर संसद सदस्यों को सलाह देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा जो आचार संहिता पर सलाह देगा और दुराचार के आरोपों की जांच करेगा ।''

[हिन्दी]

मेरे विचार से जिस कमेटी का जिक्र किया गया है, राम विलास पासवान जी ने जब प्रस्ताव ड्राफ्ट किया होगा, जिस प्रस्ताव की हम ताईद कर रहे हैं, उस समय उनके दिमाग में यह बात रही होगी कि इसके दांत होने चाहिए । दांत तभी होंगे जब या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी गठित की जाए या सदन की एक स्थायी समिति बने । स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में हमारा अच्छा सुझाव

है, ये देश के हित में हैं । तो क्या सांसदों को लेकर सदन की समिति का इस काम के लिए गठन नहीं किया जा सकता । इंगलिस्तान में कमेटी बनाई गई है, उस तरह की एक कमेटी यहां भी बनाई जा सकती है, जिसमें स्पीकर की अनुमति से नेक्सेस को समाप्त करने के लिए नेक्सस केसेस की जांच की जा सकती है ।

हमको लगता है कि इसलिए मैं न्यायिक जांच के बारे में न कह करके मैं यह जिद करूंगा कि संसदीय समिति बनाई जाये । इस सारी डिबेट का नतीजा तब होगा जब उसका दांत रहेगा, रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव में दांत रहेगा । तब हम लोग मान लेंगें तो इस तरह की चीज काम करेगी । मैं पांच मिनट लेकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । मैं चव्हाण साहब से कहता हूं क्योंकि वह फ्रीडम-फाइटर हैं, जितने लोग यहां है वे सबसे बुजुर्ग हैं और वे होम-मिनिस्टर भी हैं । मेरा कहना यह है कि क्या दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट जहां सारे सांसदों की सर्वानुमति है क्लीन-इलेक्शन के लिए तो उसको करने में क्या दिक्कत है ? उसमें हाउस की सर्वानुमति है । मेरा कहना यह है कि क्लीन पब्लिक लाइफ के लिए यह जरूरी है कि आप इसको करिये । मैं नहीं जानता कि हमारे सारे सांसद इससे सहमत होंगे या नहीं । पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पिछले 20-30 सालों से यह हुआ है कि सबसे बड़ा व्यापार राजनेता बनना है। जो राजनीतिज्ञ बनता है और सरकारी दल में होता है तो करोड़पति हो जाता है, वी. आई. पी. हो जाता है । हमको बहुत नफरत होती है जब कोई कहता है कि आप वी. आई. पी. हैं । फिर होता है वी. वी. आई. वी. । देश में समानता और संवैधानिक चरित्र का जो सोच है उसका खात्मा भी एक प्रमाण है इस तरह के माफीयाज्म को बढ़ाने में । तो मेरा कहना यह है कि राजनैतिक पार्टियों का धन का जो स्रोत है उसको भी कोई एक बॉडी देखे जिस तरह से संविधान के तहत कंट्रोलर-जनरल हमारे देश के फाइनेंस को देखता है । यह क्यों नहीं हो सकता है ? यह हो सकता है । जब इस तरह के बुनियादी परिवर्तन करने के लिए चव्हाण साहब और शुक्ला साहब बैठे हैं, कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं, शासक दल के लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं और सारे संसद की तरफ से सर्वानुमति है इस तरह के माफीयाज्म को खत्म करने के लिए और जब हम संकल्पबद्ध होंगे तो सभापति जी जैसे मैंने बोला था आशा की किरण वह है कि 70 प्रतिशत लोगों ने तंदूरी रोटी खाना बंद कर दिया है । लोग हमारे कार्यक्रम को पसंद करेंगे, हमारे पग को पसंद करेंगे तो एक अच्छे रास्ते पर, पब्लिक लाइफ को पूरा निर्मल करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं । इतना ही हमारा कहना है ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में एक नोटिस देना चाहता हूं कि इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और सारे साथी बैठे हुए हैं । अभी साढ़े सात बजे जो दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण हुआ है उसमें इसके संबंध में एक लाइन भी नहीं दी गई है । सिर्फ इतना ही है कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा जारी है । जीरो-आवर में संसद सदस्य थोड़ी सी भी चीज उठाते हैं तो उसको बड़ी पब्लिसिटी मिलती है लेकिन जो इतने बड़े महत्व के मुद्दे होते हैं जिस पर बहस चलती है और दूरदर्शन तो सरकारी मीडिया है और इस पर यह एक बार नहीं है बल्कि पहले भी पापूलेशन पॉलिसी पर एक बार डिबेट हुई तो वह भी बिल्कुल ब्लैक-आउट कर दी गई । जितने भी सीरियस मुद्दे होते हैं उनको बिल्कुल ब्लैक-आउट करने की....(**व्यवधान**) जो प्रवृत्ति है उसकी मैं निंदा करता हूं । छः घंटे की यह डिबेट है और ढाई बजे से यह चल रही है और साढ़े सात बजे नेशनल बुलेटिन होता है, उसमें भी इसको प्रसारित न किया जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है ।

इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि दूरदर्शन के खिलाफ सीरियस ऐक्शन लिया जाये ।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह वास्तव में गलत बात है । जब चर्चा जारी है तो उसके बारे में उल्लेख कैसे किया जा सकता है ?....(**व्यवधान**) चर्चा के पूरा हो जाने के बाद ऐसा किया जायेगा....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : सिर्फ मिनिस्टर रिप्लाई आना पार्लियामेन्ट की डिबेट का मतलब नहीं होता है ।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस तरह उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : पार्लियामेन्ट में होने वाली डिबेट का मतलब यह होता है कि मैम्बर्स के न्यूज को भी रखा जाये । मैम्बर्स के न्यूज को कर्टेल करके केवल गवर्नमेन्ट के न्यूज नहीं रखे जा सकते हैं । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब श्री के. पी. रेड्डय्या यादव बोलेंगे ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, सत्ता के कई माननीय सदस्य तथा विपक्ष के भी कई माननीय नेता वोहरा समिति की रिपोर्ट पर बोल चुके हैं ।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : मैम्बर्स को यह मालूम हो जाना चाहिये कि

कितने बजे होम मिनिस्टर का रिप्लाई संभव है ?

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : मुझे राज्य सभा में हुई चर्चा पर वहां पर उत्तर देना है और मुझे वहां पर दो प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देना है । मैं उत्तर दूंगा.... (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर आप अनलिमिटेड बोलेंगे तो कैसे डिसाइड कर पायेंगे ।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब सभा में व्यवधान पैदा न करें । श्री रेड्डय्या यादव ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : मैं वह बातें नहीं दोहराऊंगा जो माननीय नेता पहले कह चुके हैं । मैं अभी वोहरा समिति की रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं । इस तरह के महत्वपूर्ण मामले पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने का कोई फायदा नहीं है । विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल पर दोष लगाना और सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाना इसके हमें ऐसे कोई परिणाम नहीं प्राप्त होंगे जो राष्ट्र के लिये लाभप्रद हों । इस सभा की यह प्रथा रही है कि राष्ट्र के लिये उपयोगी आवश्यक परिणाम हासिल करने के लिये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं ।

मैं इस संबंध में आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के सहयोग और सहायता के बिना कोई भी सत्तारूढ़ दल इस देश में इतने बड़े पैमाने पर विकास नहीं कर सकता । लोकतन्त्र में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों देश के बेहतर विकास या उसको बर्बाद करने में मुख्य साझीदार होते हैं । अत: श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी के युग तक जो भी हासिल किया गया है वह विपक्ष के सहयोग और सक्रिय साझीदारी से हुआ है । राजनीति का अपराधीकरण और धन की बर्बादी हो रही है और काला धन पैदा हो रहा है । यह सब कुछ भी विपक्षी दलों के उसी सहयोग से ही हुआ है ।...(व्यवधान) विपक्षी दल इस बात को भूल रहे हैं । अत: पिछले दस साल में विपक्षी दलों की असावधानी के कारण या फिर मौन मंजूरी या विपक्षी दलों तथा सत्तारूढ़ दल की मिली भगत नीति के कारण यह अपराधीकरण और इतने बड़े पैमाने पर काले धन का सृजन हुआ है । इस बारे में कोई संशय नहीं है ।

अत: इन हालात के लिये जो आज हम देख रहे हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं । माननीय सदस्यों ने कहा है कि नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अपराधियों का कस्टम अधिकारियों, पुलिस, अफसरों तथा अन्य लोगों के साथ सांठगांठ है । ऐसी अनेक बातें हैं । सन 1978 में या उसके आसपास इस देश के शीर्षस्थ बुद्धि जीवियों ने, जिनका स्वतन्त्र चरित्र है, और सत्यनिष्ठा है, संसद से कहा था कि काले धन के सृजन का मुख्य स्रोत पुलों, बड़ी परियोजनाओं और उद्योगों का निर्माण होना है । अत: उन्होंने सुझाव दिया था कि इनकी निगरानी के लिये, परियोजनाओं और उद्योगों में निविदाओं को अन्तिम रूप देने, आदि के काम की निगरानी के लिए चार या पांच सदस्यों के साथ एक समिति गठित की जाये । इस देश में काले धन की मुख्य जड़ यही हैं, जो राजनीतिज्ञों और अफसरों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के हाथों में पहुंचता है । श्री राजीव गांधी के शासन काल में विपक्षी दलों सहित सभी दलों ने इस तरह की समिति बनाने में रुचि दिखाई थी । राजीव सरकार ने इस देश को स्वच्छ प्रशासन देने में बहुत रुचि दिखाई ।

अब काला धन अफसरशाही और राजनीतिज्ञों के हाथों में पहुंच रहा है । काले धन का मुख्य स्रोत नशीली दवाओं की तस्करी और, रिफाईनरिया एवं परियोजनाएं आदि हैं । सरकार का अधिकतर खर्चा निर्माण गतिविधियों पर होता है और यहीं से काले धन का सृजन शुरू होता है ।

इन्दिरा जी के शासन काल में प्रत्येक राजनैतिक दल अपने लिये पैसा इकट्ठा करता था । इन्दिराजी के बाद, श्री राजीव के समय में नेताओं ने अपने दलों के साथ-साथ अपने लिये भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया । इस तरह नेताओं और अफसरों ने आस्तियां जमा करना शुरू कर दिया । उस समय के बाद से असीमित पैसा जमा किया जाना और यह सब कुछ शुरू हुआ है ।

इस तरह हमें यह स्वीकार करना है कि सभी राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक गतिविधियों के लिये पैसा जमा कर रहे हैं । वर्ष 1978-79 तक यह सब ठीक था । परंतु उसके बाद से राजनीतिज्ञों ने स्वयं अपनी आस्तियों के लिये पैसा जमा करना आरंभ कर दिया । हर पार्टी यही कर रही है और हमें एक-दूसरे पर दोष देने की जरूरत नहीं है । अब किसी भी पार्टी का नेता असीमित धन जमा करता है । उसे अपने पैसे को बचाने के लिये, उसे छिपाने के लिये एक व्यक्ति, या कोई संगठन या कोई कम्पनी चाहिये होती है । इस प्रयोजन के लिये वह अपने पैसे को बचाने के लिए किसी समाज विरोधी तत्व को चुनता है । वह इतने से भी संतुष्ट नहीं होता और उसी समाज विरोध व्यक्ति को, जो अभिरक्षक के रूप में उसके पैसे की रक्षा कर रहा होता है, विधान सभा अथवा संसद में प्रवेश के लिये टिकट दे दिया जाता है । इस तरह से समाज विरोधी तत्व बहुत अधिक पैसे के साथ संसद और विधान सभाओं में आते हैं और सारी अफसरशाही प्रणाली को नियन्त्रित करते हैं ।

महोदय उसके बाद से अधोगति आनी शुरू हुई है । उसी समय से राज्य विधान सभाओं और संसद में समाज विरोधी तत्वों की बाढ़ सी आने लगी है । उसी समय से आदर्शों में गिरावट आई है और विधायिका का अफसरशाही पर

नियन्त्रण कम होने लगा है । उसके बाद से क्या हुआ है ? इतने मात्र से ही वे सन्तुष्ट नहीं हैं ।

महोदय जब मैं छात्र था तो मैं स्वतन्त्र पार्टी के नेता आचार्य रंगा, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, सी. राजेश्वर राव गारु और ऐसे अन्य लोगों के भाषण सुना करता था । जब मैं उनको सुनता तो मेरे मन में विचार आता था कि सब ठीक कह रहे हैं । अनेक नेताओं ने देशभक्ति तथा ईमानदारी के साथ बातें की थीं । परंतु यदि उनके रिकार्ड को देखा जाये तो पता चलता है कि वे लोग क्या थे । इसी कारण भारतीय जनता भ्रमित है । हर व्यक्ति उपदेश देता है, हर व्यक्ति देशभक्ति की बातें करता है, गांधीवादी सिद्धातों की बातें करता है और इसी तरह की बातें करता है । मैं जानता हूं कि यह उपदेश किस तरह के हैं । मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता ।

महोदय, अभी हाल ही में संसद के दोनों सदनों में एक घटना पर चर्चा हई थी । वह घटना थी मुख्यमंत्री के निवास के सामने 6.00 बजे किसी व्यक्ति को उसकी कार में बैठे बैठे कार पर पेट्रोल का ड्रम उडेल कर उसे आग लगा कर जला दिया गया था । यह सब क्या है ? इस मामले को दबा दिया गया । उस घटना पर चार-पांच साल तक बातें होती रही परंतु अभी तक किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया गया है ।

महोदय, मैं चार बार आम चुनाव लड़ चुका हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र में रिगिंग अथवा चुनाव कदाचारों की एक भी घटना अभी तक नहीं हुई है । दो हाथ मिलने पर ही ताली की आवाज निकलती है । अत: कांग्रेस पार्टी को या कम्यूनिस्ट पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को दोष न दें-हम सब एक जैसे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के लिये दोष मडा जा रहा है ।

महोदय, यह ठीक है कि कांग्रेस का कार्यकर्त्ता-कुछ साल पहले संसद सदस्य बनने तक मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्त्ता था-एक सार्वजनिक जलसा आयोजित करने के लिये शायद दस हजार रु. तक ले लेता है जिस पैसे में झंडे खरीदने पर होने वाला खर्चा, नेताओं के लिये जलपान की व्यवस्था करना, आदि का खर्चा सम्मिलित होता है ।

सभापति महोदय : आपको यह ब्यौरे देने की जरूरत नहीं है ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : केवल एक मिनट । वे हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं । यह सच है कि हमारा कांग्रेस कार्यकर्त्ता मीटिंग की व्यवस्था करने के लिये 10000/-रु. तक ले लेता है किन्तु जो व्यक्ति यह पैसा देता है वह जरूर आयेगा और हमारे सिर पर बैठेगा । तब उस कार्यकर्त्ता को मंत्री के पास जाकर उनको यह कहना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता की थी और अब आप उसकी सहायता करें । मंत्री महोदय तब आधिकारियों को बुलायेंगे और तब वह व्यक्ति कम से कम एक करोड़ रु. का फायदा उठायेगा । यह पैसा कौन अर्जित कर रहा है ? वह विपक्ष का व्यक्ति होता है । मैं इस बात की चुनौती देता हूँ ।

अभी हाल ही में हुए चुनावों में पंचायत तथा सहकारीताओं के चुनावों तक में तेलुगुदेशम पार्टी और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने 500 रु. में वोट खरीदे हैं। दूसरी ओर हमारे पास हमारी कारों के लिये पेट्रोल भी नहीं था ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय जिन लोगों को पीलिया रोग हो जाता है उनको दुनिया भी पीली ही दिखाई देती है ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : आपके पास पैसा नहीं है । उन्होंने आपको दिया है । मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पास पैसा नहीं है टी. डी. पी. ने उनके लिये वोट खरीदे । यह वास्तविक स्थिति है ।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, मैं श्री चिदम्बरम या अन्यों की तरह कान्वेन्ट में या आक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा हूं । मुझे अपने विचार कहने का अवसर दें ।

वास्तव में यह बातें देश में इस बात का विश्लेषण करने के लिये लाभदायक हैं कि धन कैसे बनाया जाता है । हम कांग्रेस वालों ने कभी नहीं कहा कि हम पैसा नहीं लेते । हम झंडे खरीदने, बैठकें आयोजित करने और इस तरह की बातों के लिये पैसा लेते हैं । आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी ने मेरे जिले में अपने मोर्चे के लिये....(**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : नामों का उल्लेख न करें ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : वे 5000 वाहनों में वहां पर आये । इनके लिये पैसा कहां से आता है । मैं सत्तारूढ़ पार्टी का संसद सदस्य हूं और मुझे अपनी कार के लिये पैट्रोल अथवा तेल नहीं मिलता ।

श्री शोमनाद्रीश्वर राव बड्डे : माननीय सदस्य से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सभा पति महोदय : जी नहीं ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : वे लोग कहते रहे हैं कि केवल कांग्रेस ही पैसा जमा करने की दोषी है । मैं यह नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं.... (**व्यवधान**) । महोदय मैं शोषण की बात कर रहा हूं । शोषण के मामले में इस देश में धर्म जाति संप्रदाय अथवा दल संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं एक निश्चित तथ्य बता रहा हूं । यदि किसी हरिजन भाई को, किसी कम्यूनिस्ट भाई

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

को, किसी भाजपा भाई को, किसी मुसलमान भाई को मौका दिया जाये तो उनमें से हर कोई जितना कर सकता है उतना शोषण करेगा । शोषण के लिए कोई रोक नहीं है । महोदय आजादी के 47 सालों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। महोदय, यह सच्चाई है....(व्यवधान)

इसी कारण मेरा सभी दलों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि-मैं अब एक बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं,-सभी दल मिलकर इकट्ठा बैठें जैसा कि रूस और अमरीका ने शीतयुद्धोत्तर काल में किया था । वे इकट्ठे मिल कर बैठे, बातचीत की और इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि हाइड्रोजन बम सहित सभी खतरनाक हथियारों को किस तरह वापस किया जाये । उसी तरीके से भाजपा, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य दलों के प्रमुख मिल कर बैठें और इस बात का फैसला करें कि आने वाले चुनावों से पहले वे कितने समाज विरोधी तत्वों को चुनाव मुकाबलों से बाहर रखेंगे । आप बैठें, बात करें और इस बात का फैसला करें । हर पार्टी में यह जंजाल विद्यमान है । हमें यह कहना चाहिये कि कम से कम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 प्रतिशत को, भाजपा 60 प्रतिशत को, और मार्क्सवादी कम्यूनिस्टपार्टी 70 प्रतिशत को अपनी पार्टी से बाहर रखेगी....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री यादव, कृपया इस रिपोर्ट की सीमाओं में ही रहें। आपको किसी दूसरी बात के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : इस खतरे को कैसे खत्म किया जाये । जब तक हम संसद और विधान सभाओं को साफ नहीं कर लेंगे तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते । अत: सभी दलों को एकमत होकर यह संकल्प करना चाहिये कि अगले चुनावों में केवल ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जायेगा जो चरित्रवान और ईमानदार होंगे और केवल ऐसे लोग होंगे जिनका समाज-विरोधी गतिविधियों का रिकार्ड नहीं होगा। तभी हम इस संसद तथा विधान सभाओं में चरित्रवान लोग भेज सकेंगे । हर उस बात का विश्वास न किया जाये जो विपक्ष के द्वारा कही जाये । यह सब कुछ प्रचार के लिये कह रही है । उन दलों में कांग्रेस से भी बदत्तर किस्म के अपराधी हैं ।

अत: महोदय मुझे जो दूसरी बात दुख: पहुंचा रही है वह यह है । मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री सोमनाथ चटर्जी का बहुत अधिक सम्मान करता हूं । परंतु दुर्भाग्य से हर बार वे कहते हैं कि दल बदल हुआ है आदि आदि बातें कहते हैं। वे लोग और हम यह कह रहे हैं । महोदय, क्या यह दल बदल नहीं है कि पार्टी, जिसकी विचारधारा वाममार्गी हो, उग्र जागीरदारों का इस देश में एक बार नहीं किन्तु अनेक बार समर्थन कर चुकी हो ? मैं राष्ट्रीय संकट के दौरान इस पक्ष की ओर आया था । लगातार कई साल तक वे जागीरदारी का समर्थन करते रहे । मुझे नहीं पता कि यह साम्यवाद क्या है ? क्या यह दल बदल नहीं है ? क्या आप जानते हैं कि ये दल बदल किस कीमत पर हो रहे हैं ? ....(व्यवधान)*

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह निराधार आरोप है और इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : इसीलिए वे यह कह रहे हैं कि वह गांधीवादी हैं और साधारण व्यक्ति हैं जो उनके जिले को लोगों के सेवा कर रहा है । (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप राजनीति के अपराधीकरण की बात करें ।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : यह अपराधीकरण है । जागीरदारों के साथ हाथ मिलाना राजनीति का अपराधीकरण है ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

श्री ए. अशोकराज (पेरमबलूर) : सभापति महोदय, बोलने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

अपने दल, अन्नाद्रमुक, की ओर से, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मैं आरंभ में श्री रामविलास पासवान के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह संसद ही इस विषय पर चर्चा नहीं कर रही है बल्कि सारा राष्ट्र राजनीति के अपराधीकरण के मामले की चर्चा कर रहा है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हर रोज समाचारपत्रों में ऐसे राजनीतिज्ञों के बारे में समाचार छपते हैं जिन्होंने अपराधों में प्रत्यक्ष हिस्सा लिया है या गुंडों, अन्डरवर्ल्ड के लोगों के जरिए अपराधी गतिविधियों में शामिल होने के दोषी रहे हैं । अत: इसका यह मतलब नहीं होगा कि अपराध हमारे देश की राजनीति का पर्यायवाची बन गया है ।

अपराध सिंडिकेट अब अपने आप में ही कानून बन गये हैं । अपराधी समूहों, पुलिस, अफसरशाही और राजनीतिज्ञों के बीच मिलीभगत अब देश के विभिन्न भागों में खुल कर सामने आ रही है । यह ध्यान देने की बात है कि वर्तमान अपराध न्याय प्रणाली, जो निश्चित रूप से वैयक्तिक अवैधानिक आचरणों और अपराधों से निपटने के लिये तैयार की गई थी, माफिया की गतिविधियों से निपटने के लिये काफी नहीं है। आर्थिक अपराधों के बारे में कानूनी प्रावधान कमजोर हैं । माफिया गतिविधियों के जरिए हासिल की गई सम्पत्तियों को कुर्क करने व जब्त करने में अनेक कानूनी दिक्कतें हैं । अत: मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाये तथा इस बारे में उचित उपचारात्मक कदम उठाये जायें ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बड़े-बड़े तस्करी के सिंडीकेट, जिनके अन्तर्राष्ट्रीय संबंध है, विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों में फैल चुके हैं । इनमें काले धन का प्रसार और दूषित समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाना सम्मिलित है, जिसके कारण देश के आर्थिक ढांचे को गंभीर क्षति पहुंच रही है । इन सिंडीकेटों ने काफी ज्यादा वित्तीय और बाहुबल तथा सामाजिक हैसीयत हासिल कर ली है और सभी स्तरों पर सरकारी तन्त्र को भ्रष्ट करने में सफलता हासिल कर ली है । तथा जांच और न्याय करने वाली एजेन्सियों के काम को अत्यन्त मुश्किल बनाने में अपना प्रभाव इस्तेमाल किया है ।

माफिया के कुछ तत्वों ने स्वापक औषधों, औषधियों तथा हथियारों की तस्करी का रास्ता पकड़ लिया है और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में नारको-आतंकवाद नेटवर्क बना लिया है । इसके कीटाणु देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल गए है । तटीय तथा सीमावर्ती राज्य इससे विशेष रूप से प्रभावित हैं ।

बम्बई बम कांड तथा सूरत और अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की आई. एस. आई. ने किस तरह भारत के अन्डरवर्ल्ड और यू. ए. ई. में उसके नेटवर्क किस तरह देश के विभिन्न भागों में तोड़-फोड़, और साम्प्रदायिक अशांति फैलाने के लिये गलत इस्तेमाल किया है । बम्बई बम कांड की जांच से पता चला है कि अन्डरवर्ल्ड के विभिन्न सरकारी एजेन्सियों, राजनैतिक स्त्रोतों, व्यापार तथा फिल्म उद्योग के साथ भी बड़े पैमाने पर संबंध कायम हैं ।

चुनावों में होने वाले घपलों पर भी विचार किया जाना है । चुनाव प्रक्रिया का विनाश सन 1962 में शुरू हो गया था । आज ऐसी स्थिति हो गई है कि डराना-धमकाना, हिंसा, रिगिंग, मतदान-केन्द्रों पर कब्जा किया जाना, घातक हमले तथा अन्य कदाचार बड़े पैमाने पर होने के आरोप हैं । विशेषरूप से उत्तर भारत में इस तरह की बातें हो रही हैं । 1952 की इन वारदातों की संख्या 200 थी जो 1989 में बढ़ कर 1670 तक पहुंच गई है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र के लिये यह अच्छा नहीं है कि राजनैतिक दलों में ऐसे लोग हो जो अपने बाजूओं की ताकत का प्रदर्शन करें और कानूनी अदालतों, विधान सभाओं और संसद जैसे संविधानिक मंचों पर सभ्य ढंग से अपने मतभेद दिखाने के तरीके सीखने के स्थान पर सम्पर्क स्थापित करने की ओर ध्यान दें । यह भी सामान्य मत है कि राजनीतिज्ञ राजनीति को एक पेशे के रूप में अपनाता है । जिससे उसे पैसा और हैसीयत मिलती है ।

देश में सार्वजनिक जीवन के मूल्यों में निरन्तर गिरवाट की मांग है कि :

(1) एक ओर अपराधियों, माफिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच और दूसरी ओर अफसरशाही, राजनीतिज्ञों तथा संवेदनशील स्थानों पर तैनात अन्य व्यक्तियों के बीच मिलीभगत का पता लगाने;

(2) इन संबंधों के स्वरूप तथा विस्तार तथा उनके काम काज के तरीकों का पता लगाने;

(3) इन संबंधों के विभिन्न संस्थाओं अर्थात चुनावों, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था और प्रशासकीय ढांचे पर पड़ रहे असर का मूल्यांकन करने;

(4) विदेशी गुप्त चर्चा एजेन्सियों तथा घरेलू गुप्त चर्चा एजेन्सियों के बीच यदि कोई मिलीभगत है तो उसका पता लगाने;

(5) माफिया गतिविधियों का मुकाबला करने । उनको निष्प्रभावी बनाने के लिये प्रभावी आवश्यक प्रभावी कदम उठाने; और

(6) इन संबंधों के द्वारा/गैर-कानूनी कार्यकरण से निपटने के लिये राजनैतिक और कानूनी बाधाओं;
की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई प्रणाली/तन्त्र नहीं है जो विशेषस्थ से अपराध सिंडीकेटों माफिया के द्वारा सरकारी तंत्र के साथ बनाये गये संबंधों के बारे में आसूचना एकत्र करने और उससे जांचने के लिये बनाई गई हो । ये आसूचना, अन्वेषण तथा प्रवर्तन एजेन्सियां ऐसी उपलब्ध जानकारी का उपयोग अपने काम की सीमित सीमाओं के भीतर रह कर ही करती हैं और इस बारे में कोई अनुचित अनुवर्ती कार्यवाही नहीं करती हैं और इनकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देती है ।

यह बहुत ही चिंता की बात है कि माफिया का नेटवर्क एक तरह से एक समानान्तर सरकार चला रहा है जिसके साथ शासन तन्त्र अर्थ हीन बन गया है।

एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और हमारे जैसे अनेकतावादी समाज में अनेक धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय तथा भाषाई संघर्ष विद्यमान हैं ।

महोदय, ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा था :

"भारत में अपराध और राजनीति में मिलीभगत राजनीति से आगे तक चलती है । यह ताकत के लिये खींचतान नहीं है अपितु यह इसलिये है कि ताकत क्या कर सकती है ।"

वोहरा समिति का विचार था कि अपराध सिंडिकेटों के द्वारा बनाये गये संबंधों को तोड़ने का प्रभावी संभव तरीका यह है कि किसी किस्म के दबाव में आये बिना दोषियों पर किसी तरह का दयाभाव रखे बिना मुकदमा चलाया जाये। समिति का यह विचार है कि यदि दोषियों को एक बार कठोरता से सजा मिल जाये तो उनके प्रभाव व ताकत में कमी आने लगेगी और साथ ही जहां कहीं भी उनके समर्थक होंगे उनके प्रभाव व ताकत में भी कमी आने लगेगी ।

समय की कमी के कारण समिति के निष्कर्ष का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है । परंतु इसके साथ ही मैं विश्वास करता हूं कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि लोकतन्त्र के इन तीनों स्तम्भों-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका

पर संगठित अपराध का असर पड़ा है । यह असर लोकतन्त्र में बहुत गहरा चला गया है ।

9.00 म. प.

गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली नोडल एजेन्सी को पूरी तरह से गोपनीयता से काम करना चाहिये । कुछ सदस्यों ने संसदीय समिति के गठन की मांग की है । शायद इसी कारण से एक सदस्य ने मांग की है कि 11 सदस्यों की एक समिति बनाई जाये । परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी राजनैतिक दल को चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, छोड़ना नहीं चाहिये । इस संसदीय समिति में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिये ताकि यह उपयुक्त ढंग से काम कर सके ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि ऐसी प्रणाली स्थापित की जाये जिसके अन्तर्गत विभिन्न आसूचना एजेन्सियों और राजस्व एजेन्सियों के प्रमुख नियमित आधार पर बैठकें करें और महत्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान करें परंतु यह भी देखा जाये कि इस जानकारी का अनचाहा प्रकटन न हो । मैं नहीं जानता कि इसका क्या लाभ होगा । मेरा विचार है कि बहुचर्चित वोहरा समिति की रिपोर्ट केवल एक छल कपट है ।

एक उदार लोकतन्त्र अपने अस्तित्व के लिये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध निर्भीक होकर अथवा निष्पक्ष होकर कार्यवाही करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है । भ्रष्टाचार एक ऐसे पर्यावरण का प्राकृतिक उपोत्पाद है जिसमें राजनैतिक शक्ति संख्या बल से हासिल की जाती है । राजनैतिक भ्रष्टाचार लोकतन्त्र की मूल नीतियों में जनता के विश्वास को समाप्त करके लोकतन्त्र की नींव को नष्ट कर देती है । जहां दौलत की ताकत का शासन हो वहां लोगों की ताकत गुम हो जाती है । हमें इस बात को याद रखना होगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को जुटाने, खड़ा करने के लिये तीन कोणीय नीति अपनाने की जरूरत है अर्थात् समाज को राजनैतिक भ्रष्टाचार से बचाने के लिये सांविधानिक एवं कानूनी संरक्षण स्थापित करने और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिये एक प्रभावी जासूसी करने वाली तथा जांच करने वाली एजेन्सी की स्थापना करना ।

मीडिया को निष्पक्ष और व्यावसायिक भूमिका अदा करनी होगी और उसे लोगों की मुख्य मसलों के बारे में न कि व्यक्तियों के बारे में जानकारी देनी चाहिये ।

राजनीति के अपराधीकरण के मसले पर पिछले कुछ समय में अनेक मंचों पर चर्चा हुई है । उदाहरण के रूप में कानून में अपने सीमित ढंग से दोष सिद्ध व्यक्तियों को चुनावों में प्रतियोगी बनने से रोकने के लिये उनको अयोग्य करार करने का उपबन्ध है ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हमें आवश्यकता दोषियों को पकड़ने तथा उनके संबंधों को तोड़ने के लिये राजनीतिज्ञों और अपराधियों के संबंधों की गहरी जांच करने की है ।

कानूनी विशेषज्ञों का विचार है कि अपराध न्याय प्रणाली को अधिक वेदनापूर्ण होना चाहिये । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जिनको दोष सिद्ध किया जा चुका है । अंत में जैसा मैं पहले कह चुका हूं एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये जिसमें सभी राजनैतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

सभापति महोदय : श्री राव केवल 10 मिनट का समय लें ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देता हूँ । मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने बहुत उचित बातें की हैं । मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता ।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण काफी लम्बे समय से चल रहा है । दुर्भाग्य से यह सब ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है जहां लोगों ने भी यह समझना शुरू कर दिया है कि यह नुकसान देह है । लगभग सभी राजनैतिक दल या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस विकृत प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं । परंतु इस राजधानी में होने वाली एक ही घृणित घटना के कारण उस पर यहां चर्चा की जा रही है । परंतु मुझे हैरानी इस बात से है कि सरकार ने इस वोहरा समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा जबकि यह रिपोर्ट 22 महीने पहले सरकार को पेश कर दी गई थी ।

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि इस तरह की बात बहुत से सदस्य कर चुके हैं । कोई नई बात कहें ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरी बात सुनें । मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बाद ही चर्चा की अनुमति दी गई है । तब उसके बाद ही सरकार ने रिपोर्ट की और प्रतियां तैयार करवाने के लिये कदम उठाये हैं । अन्यथा मेरा विचार है कि इससे पहले केवल तीन प्रतियां ही थी जो सचिव ने तैयार कराई थीं।

यही बात मैं कहना चाहता हूं । सरकार ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की ओर इतना ही ध्यान दिया था । कम से कम पर्याप्त संख्या में रिपोर्ट की प्रतियां तैयार करवा कर विभिन्न विभागों को भेज दी गई होतीं । परंतु इतना भी नहीं किया गया । मैं यह कहना चाहता हूँ ।

निश्चय ही सत्ताधारी दल के लिये और विशेष रूप से वर्तमान सत्ताधारी

दल के लिए यह कोई नई बात नहीं है । इसका कारण यह है कि हमें मालूम है कि गोस्वामी रिपोर्ट में जिन चुनाव सुधारों का उल्लेख किया था वह सुधार नहीं किये गये हैं । अब तक यह कहा जाता रहा है कि यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वह भी उसमें दिये गये सुझावों के साथ सहमत हैं परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ।

इसी तरह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी बहुत समय पहले पेश की गई थी । परंतु कई बार सरकार स्वयं केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को नहीं मानती । मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहता हूं ।

दुर्भाग्य से 1983 की तुलना में आज अपराधों में 27 प्रतिशत वृद्धि हो गई है । कुछ राज्यों में अपराध की स्थिति बहुत ही चिंतनीय हो गई है अर्थात उत्तर प्रदेश हत्याओं के संबंध में, मध्य प्रदेश बलात्कार, चोरी डकैती, गैंगयुद्ध और इस तरह की तमाम बातों के लिये और महाराष्ट्र तस्करी और नकली चीजों के बारे में ।

दुर्भाग्य से हमें यह बताया जाता है कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लोगों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है । समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में और राजस्थान के कुछ जिलों में ज्यादा होती है । मैं इस बात से हैरान हूं कि सरकार क्यों समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के विरुद्ध अपराधों को रोकने में समर्थ नहीं है ।

अपराधीकरण का मुख्य कारण विभिन्न राजनैतिक दलों का संरक्षण है । मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है । लगभग सभी राजनैतिक दल यह होने दे रहे हैं । केवल उसकी माला में अन्तर है । दुर्भाग्य से पहले उनका उपयोग मुख्य रूप से मतदाता को डराने के लिये किया जाता था, उनको मतदान केन्द्रों पर जाने से रोकने के लिये किया जाता था या मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के लिये किया जाता था । बाद में राजनैतिक दलों द्वारा इनको पैसा दे दिया गया जाता है । अंत में आज अनेक राज्यों में ऐसी हालत हो गई है कि जिसमें अपराधी रिकार्ड वाले व्यक्ति विधायक, सांसद बन गये हैं और उनमें से कुछ तो मंत्री तक बन गये हैं । यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है क्योंकि जब अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति विधान सभाओं में जनता के हितों के संरक्षण के लिये हों, विशेषरूप से आम आदमी के लिये हों, जहां कानून बनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता और विशेषरूप से जब अपराधी चरित्र वाले ऐसे लोग मंत्री बन जायें तो स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती । आज वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है ।

पहले लोग रात के अन्धेरे में अथवा ऐसे स्थान पर हत्या करते थे जहां कोई देख न ले । परंतु आज मुख्य सड़क पर जहां सैंकड़ों-हजारों लोग देख रहे होते हैं लोगों की हत्या कर दी जाती है । इसी कारण उस अपराधी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और सार्वजनिक रूप से महिला की इज्जत उतारी जाती है । केवल इसी कमजोरी के कारण कोई आगे नहीं आता । क्योंकि उसको पता है कि यदि उसने पुलिस के सामने अथवा न्यायालय में गवाही दी तो उसकी हत्या की जा सकती है । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है और मैं यह भी समझता हूं कि दुर्भाग्य से धर्म का राजनैतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसके कारण साम्प्रदायिक हिंसा फैली है और इस देश में अति दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं ।

मैं अपने मित्र श्री सुधीर सावंत के सुझाव का समर्थन करता हूं जिन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किये जायें क्योंकि इस समय चुनाव प्रणाली इस तरह की है कि जो भी आगे चलेगा वही जीतेगा ।

जहां तक विधान सभा अथवा संसद अथवा अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव का संबंध है जो भी उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेता है वह किसी न किसी तरीके से चुने जाने की कोशिश में रहता है और बाद में मंत्री बनने की कामना करता है । परंतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में राजनैतिक पार्टी अपनी एक सूची पेश करती है और उस सूची में से कुछ लोग चुने जाते हैं। इससे गलत तरीके अपनाने अथवा हिंसा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति कम हो जायेगी । यद्यपि यह सभी बुराईयों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता फिर भी काफी हद तक कम जरूर हो जायेंगी ।

अत: सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये और यदि आने वाले कुछ महीनों में यह चुनाव प्रणाली में सुधार करना चाहती है तो उन प्रस्तावित सुधारों के भाग के रूप में इस तरह का सुधार प्रस्तुत करें ।

जहां तक राजनैतिक दलों के पैसे की लेखा परीक्षा का संबंध है, वोहरा समिति इसका उल्लेख कर चुकी है और उच्चतम न्यायालय भी अपना फैसला दे चुका है । मैं वोहरा समिति की सिफारिशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये संसद सदस्यों की समिति नियुक्त करने की बात का समर्थन करता हूं और इसके लिये अनुरोध करता हूं ।

मैं सरकार तथा सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस देश में इस तरह की स्थिति पैदा की जाये जिसमें इस तरह के अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

मुझे इस बात की हैरानी है कि अमरीका जैसे देश में, जहां बड़े पैमाने पर अपराध है, जहां अश्लीलता है, नंगापन है और ऐसी अनेक बुराइयां है, जिनको हम खराब समझते हैं, एक बड़े बाक्सर, माईक टायसन को, जिस पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था, न्यायालय ले जाया गया न्यायालय के सामने गवाही दी और उसे जेल की सजा हुई । उसे जेल की हवा खानी पड़ी। क्या हम इस देश में उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं ?

मैं तो सरकार से केवल यह अपील करता हूं कि इस तरह का वातावरण

पैदा किया जाये और इस तरह के कदम उठायें जायें ताकि इस तरह की कोई घृणास्पद घटनाएं हों तो उन अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । केवल उसी अवस्था में हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीति के उस अपराधीकरण का अंत होगा ।

मैं कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी पर दोष नहीं लगा रहा हूं । हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जो अपराधी हैं, जो कई बार, विशेषरूप से हमारे सीमावर्ती राज्यों में समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं । उन स्थानों पर ऐसे संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से भारी पैसा जमा करने की अनुमति दी जाती है या फुसलाया जाता है और फिर उस पैसे का उपयोग इस देश में जनता के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध करने के लिये किया जाता है ।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री को वोहरा समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ ।

सभापति महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू

कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें । आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें । मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय से आदेश मिल रहे हैं ।

श्री दत्तात्रेय बन्डारू (सिकंदराबाद) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ।

यह ठीक ही कहा गया है कि "ताकत भ्रष्ट करती है और असीम ताकत तो सर्वथा भ्रष्ट करती है ।" कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने ठीक ही उल्लेख किया है कि यदि नैना साहनी हत्याकांड न हुआ होता तो शायद वोहरा समिति की रिपोर्ट संसद के सदनों के पटल पर न रखी गई होती । वोहरा समिति की रिपोर्ट शीत गृह में रख दी गई थी । मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता । मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि वोहरा समिति रिपोर्ट ने अपना प्रभाव उक्त माफिया तथा अपराध सिंडिकटों पर दिखाया है जो सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों पर असर तथा दबाव डालते हैं । इस रिपोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में विद्यमान स्थिति को अपना आधार बनाया है । उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सबसे अधिक उम्मीदवार चुन कर भेजते हैं । तथापि, वोहरा समिति रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश राज्य में हो रही जघन्य गतिविधियों का भेद खोलने में असफल रही हैं । मैं उनका यहां पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं ।

राजनीति के अपराधीकरण के मामले पर मेरे मित्र श्री के. पी. रेड्डय्या यादव ने अपने विचार रखे हैं । हालांकि वह इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है परंतु वह ठीक ढंग से उल्लेख नहीं कर सके । उन्होंने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाया है । मैं इस बात से सहमत हूं कि आन्ध्र प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण के साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है । आन्ध्र प्रदेश पिछले एक दशक व उससे अधिक समय से गुण्डागर्दी की ताकत की गिरफ्त में है । इस गुण्डागर्दी की शक्ति का प्रत्यक्ष असर सरकारी प्रशासन और उसकी मशीनरी पर पड़ रहा है । राजनेताओं और विधायकों की वाहियात हत्याएं अर्थात्.... *(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया नाम न लें ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जिनकी हत्याएं की गईं वे सभी विधायक थे । वे किसी न किसी पार्टी के सदस्य थे ।

सभापति महोदय : वे सभा में उपस्थित नहीं हैं ।

....(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं । उन सब की हत्या कर दी गई है ।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : उनके अनुसार उन विधायकों की हत्या हो चुकी है ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : वे या तो तेलुगुदेशम के सदस्य थे या कांग्रेस के सदस्य थे । मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है ।

सभापति महोदय : वे यहां अपना बचाव नहीं कर सकते । रिकार्ड में नामों का उल्लेख नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं ? जब श्री रवि राय ने दो नामों का उल्लेख किया और जब श्री राम नाईक ने उन दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनको अनुमति दी गई ।

सभापति महोदय : श्री रवि राय ने जिनके नाम लिये थे वह मर चुके हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : वह राजनीति के अपराधीकरण के अपने मामले में उदाहरण देना चाहते हैं ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : प्रश्न इसके पीछे किसी उद्देश्य का नहीं है । मैंने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

पार्टियों का नाम नहीं लिया है । मैंने उन विधायकों का नाम लिया है । उन विख्यात नेताओं और मंत्रियों का नाम लिया है जिनकी हत्या कर दी गई है । उनमें से कुछ तेलुगु देशम के थे और कुछ कांग्रेस पार्टी के थे । मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं तो शासक दल के बारे में बता रहा हूं वह जो भी पार्टी हो....(व्यवधान) इन सबके परिणामस्वरूप हाल ही में ईरा सत्यम की हत्या हुई जिससे इस बात का पता चलता है कि इन नेताओं की हत्याएं उनके राजनीतिक कार्यकाल के दौरान की गईं जिसके कारण इस बात में शक का कोई कारण नहीं रह जाता कि उनकी हत्याओं का कारण उनकी राजनैतिक गतिविधियां थीं । यही बात मैं बताना चाहता हूं ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दो दशकों में राज्य में दो प्रमुख राजनैतिक दलों का शासन रहा है-एक है । तेलुगु देशम और दूसरी है कांग्रेस जो राज्य में सत्ता की दावेदार है । आन्ध्र प्रदेश में अपराध सिंडीकेटों ने, जिनमें नकली शराब बनाने वाले, नशीली दवाओं के व्यापारी, जमीन हथियाने वाले तथा भाड़े पर नृशंस हत्याएं करने वालों जैसे समाज विरोधी और अनैतिक ग्रुप सम्मिलित हैं कभी एक पार्टी और कभी दूसरी पार्टी को अपने प्रति आकर्षित किया है और उन पार्टियों ने इन ग्रुपों को खुले आम संरक्षण दिया है । तथापि, हाल के सालों में सत्ता के स्तम्भ जब मजबूत बने तो सत्ता की दावेदार राजनैतिक पार्टियों में से मजबूत पार्टी ने अपराधियों और सिंडीकेट ग्रुपों की मदद ली जो ग्रुप अब तक दावेदार दूसरे दल को संरक्षण दे रहे थे । अत: यह देखा जा सकता है कि चोरों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती । गुण्डागर्दी की ताकत तथा अन्य अपराध सिंडीकेट अपनी निष्ठा उसी दल के प्रति रखते हैं जो राज्य में शासन कर रही होती है ।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्र, तेलगांना के कुछ क्षेत्र तथा कृष्णा जिले गहरी राजनीति के लिये प्रशिक्षण केन्द्र बन गये हैं । ठेके, टैण्डर, भरक व्यापार, जमीन के झगड़ों आदि में राजनीतिज्ञों की मिलीभगत रहती है । जो लोग इन अपराध सिंडीकेटों को नियन्त्रित करते थे स्वयं सरकार ने उनको सरकारी संरक्षण और अंगरक्षक देकर गौरवान्वित किया । इससे बड़ी बुराई की कल्पना भी नहीं की जा सकती । बदनाम ''रंगा हत्याकांड'' के बाद विभिन्न अपराधियों के खिलाफ अनेक मुकदमें दर्ज किये गये । परंतु आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इन सभी मुकदमों को वापस ले लिया ।

श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क गई । प्रमुख औद्योगिक यूनिटों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया और हत्याएं, लूट तथा मारकाट की घटनाएं हुईं । इसमें कोई शक नहीं कि अनेक लोगों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये थे परंतु एक बार फिर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने सारे मुकदमे वापस ले लिये ।

एक विधान सभा सदस्य के दोहरे मानदंडों का उल्लेख उसका नाम लिये बिना करना चाहता हूं । वह व्यक्ति जिला कुरनूल के एक भूतपूर्व विधायक का पुत्र है । उन्होंने खुले तौर पर नन्दयाल लोक सभा चुनाव क्षेत्र में प्रधान मंत्री का समर्थन किया और धोखाबाजी की । उस समय तेलुगुदेशम पार्टी सत्ता में नहीं थी । परंतु अब गहरे दुख की बात यह है कि वही व्यक्ति जो नामी अपराधी है अब तेलुगु देशम पार्टी का विधायक है । राजनीति की इस विडम्बना का मैं इस सभा में उल्लेख करना चाहता हूं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरे मित्र आन्ध्र प्रदेश का उल्लेख कर रहे हैं । परंतु वह उत्तर प्रदेश राज्य को आसानी से भुला रहे हैं । हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे एक समाचार के अनुसार 106 ज्ञात अपराधियों में से 44 भाजपा से हैं, 33 समाजवादी पार्टी के हैं, 15 बी. एस. पी. के हैं, आठ कांग्रेस के हैं, पांच जनता दल के हैं और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है । यह हिन्दुस्तान टाइम्स का समाचार है ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा । (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह भारत की संसद है, आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा नहीं है । आप इस मामले को संसद में क्यों उठा रहे हैं ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री राव से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की जांच कर लें कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह ठीक है अथवा मैं गलत कह रहा हूं । यदि जो कुछ मैंने कहा है वह गलत हुआ तो मैं संसद को अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा (व्यवधान)

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आन्ध्रप्रदेश में स्थिति इतनी गिर गई है कि पुराने तथा नामी अपराधियों को पुलिस द्वारा सलाम किया जाता है । अत: हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि पुलिस को कौन नियन्त्रित कर रहा है । यहां तक कि जेल में भी कुख्यात अपराधियों और नजरबन्द लोगों के साथ भी जेल अधिकारियों के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है ।

महोदय मेरे मित्र, श्री राव उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे । मैं एक बार फिर से यह कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति के अनुसार वर्तमान तेलुगु देशम सरकार में तीन ऐसे मंत्री है जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं । यदि यह सच नहीं हो तो मैं निश्चित रूप से संसद की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उत्तर प्रदेश के बारे में भी बतायें ।

सभापति महोदय : सभा में इस तरह आपस में बातें न करें ।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जानकारी के क्षेत्र में गला दबाने की घटना का एक और उदाहरण हमारे राज्य के एक सांसद द्वारा ''उडयम'' दैनिक के सम्पादक

को पद से हटाया जाना है । यह मामला तस्करी और विस्फोटकों की बरामदगी से है ।

सभापति महोदय : इसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : खदानों में विस्फोट करने के काम में इस्तेमाल किये जाने वाली डायनामाइट छडें तथा विस्फोटक तथा कुछ ग्रेनेड राजस्थान में एक ट्रक से बरामद किये गये । उन हथियारों पर अंकित चिन्हों से पता चलता था कि वे आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में तैयार हुए थे । जब ''उडयम'' के सम्पादक ने इस घोटाले का भंडाफोड़ करने की कोशिश की तो एक विख्यात सांसद के द्वारा उसे अपने लेख की तीसरी कड़ी को प्रकाशित न करने के लिये कहा गया । परंतु जब सम्पादक ने इसे मानने से इन्कार कर दिया तो उसे नौकरी से हटा दिया गया । प्रेस को आजादी से काम नहीं करने दिया गया । जैसा कि वोहरा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है जमीन हथियाना, दवाएं नेचना और अन्डरवर्ल्ड की गतिविधियां आन्ध्र प्रदेश राज्य में पैसे का स्रोत बन गई हैं ।

मैं अंत में चुनावों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चुनाव सुधार किये जायें । जब तक चुनाव सुधार नहीं किये जाते तब तक गुण्डागर्दी की ताकत वाले व्यक्ति शक्तियां हासिल करने की कोशिश करता रहेगा । वे विधान सभाओं और संसद में प्रवेश करना चाहते हैं । पहले सभी अपराधी तत्व राजनीतिज्ञों के पीछे से अपनी गतिविधियां चला रहे थे । परतु आज उन्होंने सत्ता का स्वाद चख लिया है और वे समझते हैं कि वे खुद राजनीतिज्ञ बन कर राज्य का शासन चला सकते हैं । आज यह स्थिति है । इसी कारण मैं यह कहता हूं कि सभी राजनैतिक दल एक आचार संहिता बनायें । कोई भी राजनैतिक दल किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी चुनाव के लिये टिकट न दे जिसका अपराधी रिकार्ड है । राजनैतिक पार्टियां इस मानदंड का कठोरता से पालन करें । अब हम संविधान की बात करते हैं ।

दूसरा, बहुत से सदस्यों ने चुनाव सुधारों की बात की है । अन्ततः चुनाव आयोग ने भी कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है । उनको भी शक्ति मिलनी चाहिये । संसद को इस बारे में कानून का संशोधन करना चाहिये । चुनाव आयोग नामाकनों की समीक्षा करें और यह देखे कि उनका पिछले वर्षों में कोई आपराधिक रिकार्ड तो नहीं है । चुनाव आयोग को इस तरह की शक्तियां दी जानी चाहिये । ताकि चुनाव आयोग कठोर कदम उठा सके । मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है । जैसा कि एक माननीय मंत्री महोदय ने कहा है हमें अपने दिलों में झांकना चाहिये । स्वयं पार्टियां ही ऐसे लोगों को संरक्षण देती है । जब तक कि पार्टियां साफ रूप से सामने नहीं आती इस मसले को हल नहीं किया जा सकता ।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हम इस चर्चा के अन्तिम चरण के करीब हैं और आपके निदेशों के अनुरूप मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लूंगा ।

राजनीति के अपराधीकरण की बात कई वर्षों से की जा रही है । परंतु इस सरकार की इस बात के लिये प्रशंसा करनी होगी कि इसने इस प्रश्न पर विचार करने का एक साहसिक निर्णय लिया और एक समिति नियुक्त करके उस समस्या के बारे में सिफारिशें देने के लिए कहा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह कोई सामान्य समिति नहीं थी जैसा कि हम इसे समझते हैं । यह एक आन्तरिक समिति थी और यदि हम रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें बैठकें बुलाना और चर्चा करना जैसी सामान्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया । रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्वयं सदस्य इस सारे मामले पर विचार करने में हिचकिचा रहे थे और इस कारण उन्होंने लिखित में विचार प्रकट किये और उन विचारों के आधार पर अन्तिम सिफारिशें की गई हैं । वास्तव में यह गृह मंत्रालय की एक आन्तरिक रिपोर्ट थी और गृह मंत्रालय के लिये इसे हर किसी को उपलब्ध कराना जरूरी नहीं था । इस में की गई टिप्पणियां तथा इसके निष्कर्ष सरकार के आन्तरिक कार्यकरण के लिये थे । परंतु मैं गृह मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं कि अन्ततः इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया है । उनके लिये ऐसा करना जरूरी नहीं था । यह किसी सामान्य समिति की रिपोर्ट नहीं थी । यह गृह मंत्रालय की आन्तरिक रिपोर्ट थी और आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट सरकार के बाहर के लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जातीं । अतः उस दृष्टिकोण से मैं केवल इन दो बातों के लिये सरकार की प्रशंसा ही नहीं करना चाहता अपितु आगे बढ़ कर मैं यह कहना चाहता हूं कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने तत्परता से स्वीकार भी कर लिया है । जैसा कि 2 अगस्त के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा । सरकार ने समिति की अन्तिम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक नोडल एजेन्सी का गठन भी कर दिया उस एजेन्सी में अन्य सदस्य राजस्व सचिव, रॉ के निदेशक, आसूचना विभाग के निदेशक और केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निदेशक हैं जैसा कि समिति ने स्वयं सुझाव दिया था । समिति ने कई सिफारिशें की हैं और निसन्देह वास्तविक स्थिति को उजागर किया है और इसके अनेक तथ्य बहुत ही दुखदायी और चौकाने वाले हैं और सरकार द्वारा उन पर आगे विचार करने की भी जरूरत है जैसे कि इन एजेन्सियों के द्वारा समानान्तर सरकार चलाई जा रही है । यह एक बहुत ही चौकाने वाली बात है जो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है । परंतु इन सभी सिफारिशों में एक बात आपस में मिलती है और वह यह है कि एक नोडल एजेन्सी बनाई जाये क्योंकि केन्द्रीय जांच एजेंसी, आई. बी. और अन्य एजेन्सियां अलग-अलग जो जानकारी एकत्र करती हैं वह किसी केन्द्रीय एजेन्सी को उपलब्ध नहीं कराई जाती और इसलिये कोई समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है । अतः इन सभी एजेन्सियों का मुख्य सुझाव यह था कि गृह सचिव के अधीन एक नोडल एजेन्सी बनाई जाये । उसके द्वारा सारी जानकारी एकत्र की जाये उसकी निगरानी की जाए और सरकार उस जानकारी पर कार्यवाही करे ताकि इस समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सके । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया और अन्ततः उस एजेन्सी की स्थापना कर दी गई है । अतः एक तरह से मेरे विचार में, श्री रामविलास पासवान के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव व्यर्थ है । उन्होंने कहा है :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर अविलम्ब कार्यवाही करे ।"

कार्यवाही क्या थी ? वोहरा समिति रिपोर्ट ने नोडल एजेन्सी की स्थापना की सिफारिश की और उसको स्वीकार कर लिया गया है और उस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है । वास्तव में जहां तक वोहरा समिति की रिपोर्ट का संबंध है आगे और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । यह प्रस्ताव बेकार है । परंतु कुछ भी हो अनेक गंभीर बातों का उल्लेख किया गया है और यह जरूरी है कि सभी राजनैतिक दल उन पर विचार करें और अपने विचार बतायें । अत: मैं अब सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि इस बारे में केवल कांग्रेस पार्टी की ओर उंगली उठाने का कोई लाभ नहीं होगा । विपक्ष के कई सदस्यों ने भी इन तथ्यों का उल्लेख किया है कि अनेक राज्य विधान सभाओं में, कई ऐसे स्थानों पर जहां विपक्षी दल भी सत्तारूढ़ हैं अनेक लोग अपराधियों से जुड़े पाये गये हैं । अत: यह एक राष्ट्रीय मसला है । आप अपने आप को केवल यह कह कर धोखा मत दें कि सुशील कुमार शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं । कांग्रेस पार्टी क्या है ? आप कहते हैं कि केवल सुशील शर्मा ही है । यह अपने आप को धोखा देना है । आप जनता को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं । परंतु आप उसके साथ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और जहां तक अपराधीकरण का संबंध है आप वास्तविक समस्या को नहीं देख रहे हैं । अत: मेरी सभी दलों से अपील है कि इस मसले को राष्ट्रीय मसला समझा जाये । इस मसले को मिल कर हल किया जाना चाहिये । जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम उसे हल नहीं कर सकेंगे ।

मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले चुनाव सुधार इस ढंग से किये जायें कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिये पैसा दिये जाये ताकि उनको चुनाव लड़ने के लिये गुन्डों तथा अपराधियों के धन बल की जरूरत न पड़े । दूसरे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस तरह संशोधन किया जाये कि अपराधी रिकार्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति न मिले । ऐसा किस तरह से किया जा सकता है ? यह बहुत ही मुश्किल सवाल है । यह कोई साधारण मसला नहीं है क्योंकि इस बात की व्याख्या करना बहुत मुश्किल काम है कि अपराधी रिकार्ड वाला व्यक्ति कौन है ? यदि सतारूढ़ दल की मंशा ठीक न हो तो वह बहुत से लोगों को प्रतिबन्धित कर सकते हैं । अत: यह एक बहुत ही नाजुक मसला है । हमें इस ढंग से कानून बनाना चाहिये ताकि वास्तव में उन लोगों को प्रतिबन्धित किया जा सके । परंतु जैसा कि मैंने कहा है केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है । अन्तत: राजनैतिक पार्टियों को इस समस्या को हल करने का निर्णय करना चाहिये । वे ऐसे लोगों को चुनाव के लिये टिकट न दें जिनका आपराधिक रिकार्ड हो । सर्व सम्मति से यह फैसला किया जाये कि अपराधी रिकार्ड वाले लोगों को टिकट न दिया चाहे उनके जीतने के आसार कितने भी बेहतर क्यों न हों । संसद व विधान सभा में अधिक स्थान जीतने के प्रयोजन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित न करें । पार्टी के हित में उनको चुनाव में खड़ा न करें । ऐसा करके आप देश के साथ वास्तविक न्याय नहीं कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त में यह कहूंगा कि अन्तत: हमें वास्तव में जनता में जागरुकता पैदा करनी होगी । क्योंकि मैंने देखा है और आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि जिन बहुत से अपराधियों को राजनैतिक दलों ने पार्टी टिकट नहीं दिये थे उन्होंने स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी गये । वह किस तरह से चुने गये ? लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है । वे उनका समर्थन करते हैं । मैं महाराष्ट्र में कम से कम दो ऐसे मामले जानता हूं जिनमें अपराधी रिकार्ड होने के कारण उनको टिकट नहीं दिये गये और वे लोग जेल में थे । परंतु वे फिर भी चुन लिये गये । वह अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं । आप क्या कर सकते हैं ? अत: जनता को जागरूक करना और जनता की मंजूरी भी जरूरी है । अत: कानून के साथ-साथ राजनैतिक दल की इच्छा शक्ति और जनता की मंजूरी भी लेनी होगी और उनमें जागरूकता भी पैदा करनी होगी ।

मैं अन्त में केवल इतनी चेतावनी दूंगा कि राजनैतिक दलों को इस मसले को इस हद तक नहीं खींचना चाहिये कि हम अपने आप को भी बरबाद कर लें । सारे विश्व में राजनैतिक दल ही एक ऐसी दल है जो स्वयं अपने आपको बरबाद करता है । हम आपस में लड़ाई करते हैं और अपनी अच्छी संस्थाओं को भी नष्ट करते हैं । अत: ऐसा वातावरण न पैदा करें कि यह लगे कि सभी राजनीतिज्ञों की अपराधियों के साथ मिलीभगत है । यदि जनता के मन में यह बात बैठ गई तो हम अपने आप को बरबाद कर लेंगे, अपनी लोकतन्त्रीय संस्थाओं को बरबाद कर लेंगे । और तब हर कोई हर किसी की ओर उंगली उठाने लगेगा क्योंकि हम दुर्बल हैं । चुने हुए नुमाइन्दे के रूप में आप अनेक लोगों की अनेक सिफारिशें करते हैं । आप लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं । आप इन बातों से बच नहीं सकते । और अगर वह फोटो पेश करके यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अपराधी है तब जनता आपकी ओर उंगली उठायेगी । अत: इस दृष्टि से भी हमें इस तरह का वातावरण नहीं बनाना चाहिये कि सभी की अपराधियों के साथ मिलीभगत है । हमें यह भी देखना चाहिये कि केवल विशेष लोगों की ही पहचान हो, केवल उन्हीं लोगों की पहचान हो जिनके अपराधियों के साथ संबंध हैं । हम सब मिल कर यह कोशिश करें कि राष्ट्र के हित में अन्तत: इसको समाप्त किया जा सके ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरचिनकिल) : सभापति महोदय जैसा कि पहले भी कहा गया है कि यदि नैना साहनी की घटना न घटित हुई होती तो इस रिपोर्ट पर भी यहां चर्चा न हुई होती । जब मैंने माननीय शरद दिघे के विचार सुने तो मैंने यह महसूस किया कि उन्होंने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा है । उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट पर जब कार्यवाही कर दी गई है तो फिर इसे संसद में उठाने की क्या जरूरत है ? अब आप अन्य राजनैतिक दलों से बात करना चाहते हैं ।

मैंने प्रधान मंत्री का एक भाषण पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा "सुशील शर्मा की यह घटना अकेली घटना नहीं है । यह सभी पार्टियों में होता है ।" क्या उनके जैसे बड़े नेता को इस तरह की बात करनी चाहिये । वह स्थिति से किस तरह से निपटेंगे ? यदि आपकी पार्टी में इस तरह की स्थिति है आप केवल यह कहकर उसको नजरंदाज नहीं कर सकते कि अन्य पार्टियों में भी यह मौजूद है । क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करने या यही ढंग है ? (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चियूर) : उन्होंने इस की निंदा की है । यह कहना गलत है....(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : वह यह दिखाना चाहते थे कि सभी पार्टियां ऐसा कर रही है । उन्होंने कहा....(**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो यह बहुत गलत है । मैं यह कह सकती हूं क्योंकि उनको ही इन बातों को रोकना है । यदि अन्य पार्टियों में भी यह सब बातें है तो प्रतिक्रिया जाहिर करने का यह तरीका नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा नहीं है तो मुझे दुख है । मैंने समाचार पत्रों में इनका खंडन नहीं देखा । खैर यह तो समाचार पत्र की रिपोर्ट है ।

आप यह कहना चाहते हैं कि अन्य पार्टियों में भी ऐसा ही सब कुछ हैं । इसी कारण यह रिपोर्ट इस समय लाई गई है । अन्यथा यह रिपोर्ट न लाई गई होती । इसकी गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि यह कैंसर हर जगह फैल रहा है । ऐसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया है । अत: इस प्रकार की स्थिति में संसद में इस पर काफी पहले चर्चा होनी चाहिये थी । यह रिपोर्ट सरकार को दो साल पहले 1993 में पेश की गई थी । इस पर उस समय चर्चा होनी चाहिये थी । इसका कारण यह है कि देश में अपराधीकरण फैल रहा है । अन्य पार्टियों को इसके बारे में बताया जाना चाहिये था और इस पर काबू पाने के तरीके ढूंढे जाने चाहिये थे । परंतु जरूरत पड़ने पर ही आपने इसे यहां पेश किया है ।

9.42 म. प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

कांग्रेस ने इस में क्या भूमिका अदा की है ? मुझे कुछ अप्रिय बातें कहनी हैं । सत्ता में बने रहने के लिये आप गुंडागर्दी को इस्तेमाल करना चाहते थे और आपने अपराधीकरण को बढ़ावा दिया ।

मुझे याद है कि यह सब सन 1957 में शुरु हुआ जब भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी केरल में सत्ता में आई । मेरे मित्र श्री चाको तथा उनके मित्र श्री एन्टनी ने मुक्ति आन्दोलन शुरू कर दिया । हमारा अपराध केवल इतना ही था कि हमने बेदखली को रोका । वह श्री एन्टनी के साथ मिल कर इस मुक्ति आन्दोलन के राजनैतिक मैदान में उतरें । हमने बेदखली को रोकने का अपराध किया और फिर शिक्षा विधेयक तथा भू-विधान विधेयक लाये । (**व्यवधान**)

श्री पी. सी. चाको (त्रिचूर) : वह मुक्ति आन्दोलन नहीं था अपितु जन आंदोलन था....(**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब हमारी महिला मंत्री केरल में पहाड़ी इलाकों में गई तो क्या हुआ ? नंगे पुरुषों ने उनकी कार के सामने प्रदर्शन किया और इस तरह की गुण्डागिरी हर जगह की गई । पश्चिम बंगाल में 1970 में क्या हुआ था जब समुचित रूप से निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया । सैंकड़ों महिलाएं यहां आई जिनके साथ वास्तव में बलात्कार किया गया और जिन पर हमला किया गया और अनेक लोग मारे गये । वे वहां संसद के समक्ष प्रदर्शन करने के लिये आये थे । मैं भी उनके साथ थी । श्री ज्योति बसु भी हमारे साथ थे ।....(**व्यवधान**) मैं उसका भी उल्लेख करूंगी । पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-फासिस्जम आतंक के दौरान कितने लोग मारे गए ? हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती थी । परंतु अन्त में कांग्रेस को सत्ता से हटाया गया और आज 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी यह पुन: सत्ता में नहीं आ पाई है । पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में उद्विग्नता है । श्रीमती ममता बनर्जी तथा अन्य लोग क्या कर रहे हैं ? यदि कोई व्यक्ति....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : महोदया, अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : ये नगरपालिकाएं और नगर निगम कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थीं (**व्यवधान**) क्योंकि आपके माफिया गिरोह और अन्य निहित स्वार्थ विद्यमान हैं । मैं आपसे पूछती हूं क्या श्रीमती ममता बनर्जी के समर्थक तथा सोमेन मित्रा के समर्थक साथ मिल कर बैठ सकते हैं और इकट्ठे काम कर सकते हैं । उनमें ऐसा करने पर आपस में मारपीट होती रहेगी । अत: आप की पार्टी भी अपराधी हैं....(**व्यवधान**) सोमेन मित्रा के अनुयायी तथा ममता बनर्जी के अनुयायी इकट्ठे मिल कर नहीं बैठ सकते । वहां कोई कुर्सी नहीं बचेगी । सब टूट फूट हो जायेगी । वहां यह हालत हैं ।

त्रिपुरा में देखें क्या हुआ ? मैंने स्वयं देखा है कि सैंकड़ों महिलाओं के साथ उनके बच्चों के सामने बलात्कार किया गया और उनको मार दिया गया । अब भी आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं । वहां पर आपका सहयोगी कौन है ? टी. एन. यू. है । क्या यह सच नहीं है ? आप ऐसी आतंकवादी पार्टियों के साथ गठबन्धन करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं । हमारे देश में अपराध कौन कर रहा है ? मुख्य दोषी तो कांग्रेस पार्टी है । आप बड़ी पार्टी है और आप दावा करते हैं कि आपने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी । आप इसका गर्व करते हैं परंतु इसकी भावना के विपरीत काम करते हैं । हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी । यह न समझें कि केवल आपने ही आजादी के लिये लड़ाई लड़ी थी । इन सभी सालों में आपने क्या किया है ? मैं आप से यह बात पूछना चाहती हूं । अब भी आप त्रिपुरा में क्या कर रहे हैं ?....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : महोदया, कृपया वोहरा समिति की रिपोर्ट पर बोलें । कृपया इधर-उधर की बात न करें । अब बहुत देर हो चुकी है....

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : राजनीति का अपराधीकरण मुख्य मुद्दा है हमारे देश में यह कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है । 1984 में यहां पर क्या हुआ ? मैंने अपनी आंखों से वह सब देखा था, मेरे घर के सामने एक कार पंजाब से आई और सेवा दल के कार्यकर्त्ता वहां पर आए और उस कार पर पेट्रोल छिड़का तथा उसको जला दिया । मैंने अपनी आँखों से यह देखा । डेढ़ दिन तक

दिल्ली में क्या हुआ? हमारे प्रधान मंत्री उस समय गृह मंत्री थे । श्रीमती प्रमिला दंडवते और मैं उनसे कई बार मिले । हम कैम्पों में गए । उस समय क्या हुआ? अगले दिन मैं मंत्रियों को खोज रही थी क्योंकि हत्याओं के बारे में समाचार मिल रहे थे । मैं अंत में श्री प्रवण मुखर्जी को ढूंढने में सफल हुई और मैंने उनसे पूछा कि यह क्या हो रहा है और कितने हजार लोग मारे गये हैं । मैंने उनको बताया कि पुलिस निष्क्रिय हो गई है और आप सेना को क्यों नहीं बुलाते । तब उन्होंने कहा कि हम इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं । हजारों लोगों को मारा जा रहा था और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी? मेरा आरोप है कि आप यह चाहते थे कि यह सब कुछ कुछ समय तक जारी रहे । अन्यथा इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती थी ।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब भी, 11 वर्षों के बाद भी, क्या उसके लिये किसी एक को भी दण्डित किया गया है? मैं आपसे पूछती हूं "क्या एक व्यक्ति को भी दण्डित किया गया है?" उन परिवारों के क्या विचार हैं जिनके साथ यह सब हुआ? हमारे देश में क्या हो रहा है । क्या किसी को आरोप पत्र जारी किया गया है? 13 जगहों पर बम फटे और कितने लोगों की मृत्यु हुई । 270 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 750 लोग आहत हुए और आप 20 करोड़ रु. की सम्पत्ति को क्षति पहुंचने के मामले में इस गति से जांच कर रहे हैं । आपका उत्तरदायित्व क्या है? आप किस तरह से कार्यवाही कर सकते हैं? आपकी कार्यवाही करने में रुचि नहीं है । इसका कारण यह है कि आपके कुछ लोगों का ही उसमें हाथ था ।

श्री शरद दिघे : बम्बई बम कांडों के बारे में टाडा आदालतों में मुकदमे चल रहे हैं ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब भी, मैं यह कह रही हूं कि हमारे देश में राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है । कृपया अपने दिल के भीतर झांकें । इसकी वास्तव में जरूरत है । श्रीवास्तव के मामले; जिनका जासूसी के मामलें में हाथ है, उनको बहाल किस तरह किया गया? किस न्यायाधिकरण ने ऐसा कहा है? हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री राज्य सभा को गुमराह करते हैं । मैं चुनौती देकर कहती हूं कि किसी भी न्यायाधिकरण का इस बारे में कोई निदेश नहीं था । एक व्यक्ति जो जासूसी के मामले में फंसा हो-जब मामले चल रहा हो-उसे संवेदनशील इलाके में किस कारण वापस नियुक्त किया जाये? वह पुलिस के महानिरीक्षक हैं?

दो वर्ष पूर्व मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था । उन्होंने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में मुझे लिखा कि वे मामले को देख रहे हैं । बाद में उनसे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला । मैंने उनको इस कारण लिखा था क्योंकि राकेट छोड़ने जैसे संवेदनशील मामले में यदि किसी निजी पार्टी को ठेका दिया गया तो भेद खुलने की आशंका रहेगी क्योंकि राकेट छोड़ने के बारे में हम चुनौती का सामना कर रहे हैं....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं ।(**व्यवधान**) तब भी, क्या इस बारे में गंभीरता दिखाई गई? मुझे प्रधान मंत्री से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला कि कोई भेद नहीं खुला है अथवा क्या मैं गलत तो नहीं कह रही हूं, क्योंकि वे कुछ भी कह सकते हैं । मैं जानती हूं कि क्यों? वे ठेकेदार कौन थे? कांग्रेस पार्टी के साथ अनेक लोग जुड़े हुए हैं । हैदराबाद में अनेकों छोटी-छोटी कम्पनियां बन गई हैं । उनको अनेक ठेके मिले हुए हैं । मैं ब्यौरे में उनका उल्लेख नहीं कर रही हूं । इस तरह जासूसी के मामले में फंसे इस व्यक्ति को संवेदनशील पद पर बहाल कर दिया गया है । इस स्थिति में उन पर मुकदमे के चलते रहने का क्या औचित्य है?

श्री पी. सी. चाको : पूरे ब्यौरे बतायें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : ब्यौरे । वे ब्यौरे जानते हैं ।

श्री पी. सी. चाको : किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है ।...(**व्यवधान**) कुछ ब्यौरे बतायें । यह बहुत अनुचित है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : राज्य सभा में यह सब कहा गया था । उनको न्यायाधीकरण के निदेश के कारण बहाल किया गया । वह ठीक नहीं है.... (**व्यवधान**) । उनको कैसे बहाल कर दिया गया? यह मैं पूछना चाहती हूं ।

श्री पी. सी. चाको : उस अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला नहीं है । आप उसका उल्लेख क्यों कर रही है?

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह उत्तर क्यों दिया गया? वह यह कह सकते थे "किसने कहा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था । उच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस चरण पर यह नहीं कहना चाहिये था कि मुकदमा चल रहा है । वह मुख्य दोषियों में से एक था और उनको बहाल कर दिया गया । हम इन सब बातों को जानते हैं ।"

*....का क्या हुआ जिन्होंने *....को मारने की कोशिश की । उस मामले का क्या हुआ? यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है । पुलिस उस समय उनको गिरफ्तार करना चाहती थी ।

श्री पी. सी. चाको : वे लोग यहां आकर अपने आप को बचा नहीं सकते । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।...(**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इस बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है । वह एक ही बात को दोहरा रही हैं । यह अनुचित है....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती गोपालन, कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : *....कौन है ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : ....*....(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने उनकी कई बार हत्या करने की कोशिश की....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म करें । अभी दस सदस्यों को और बोलना है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मुझे कुछ समय दिया गया है....(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सभापति महोदय आप ऐसा न करें । कल हमें कुछ अप्रिय अनुभव हुए थे । कृपया अपने आपको सीमित रखें । मेरा आपसे अनुरोध है....(व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, आप मुझे संबोधित करें और अपनी बात खत्म करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : उन पर उस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था । जब उनको जमानत पर कुछ समय के लिये छोड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी ने उनके लिये स्वागत समारोह आयोजित किया । मैं नहीं जानती कि आपके लोग सुशील शर्मा के लिये स्वागत समारोह का आयोजन कब करेंगे । ऐसा हो सकता है । इस तरह अनेक अपराधी हैं । क्या आप इन लोगों की पृष्ठ भूमि की जांच करने को तैयार हैं ?

चीन में भ्रष्टाचार को किस तरह से नियन्त्रित किया जा रहा है । समाजवादी बाजार अर्थ व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है । चीन में उच्चपदासीन लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जा रही है । क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं ? अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है । आप उनको क्यों बचायें ?

सभापति महोदय : अब अपनी बात खत्म करें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं यह कहना चाहती हूं कि राजनीति का अपराधीकरण केवल तभी रोका जा सकता है यदि कांग्रेस पार्टी उस बारे में विचार करने को तैयार हो । उनके खिलाफ कार्यवाही करें और तब दूसरी पार्टियों की बात करें । यदि हमारी पार्टी में अपराधी होंगे तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं चर्चा के इन अन्तिम क्षणों में इस बात की कोशिश करूंगी कि बातों को दोहराने के स्थान पर केवल उन मुद्दों का उल्लेख करूं जिनका उल्लेख कुछ सदस्यों ने किया तो जरूर होगा परंतु मैं उनमें कुछ आगे सुझाव देना चाहूंगी । यह सच है कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों, अफसरों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ तथा भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है । यह भी सच है कि इसका अन्यों पर भी असर पड़ता है किन्तु महिलाओं पर अधिक पड़ता है । यह पहली बात है जो मैं कहना चाहती हूं ।

अनेक बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं । जैसा कि मैंने कहा है मैं उनको दोहराना नहीं चाहती । जहां तक वोहरा समिति की रिपोर्ट का संबंध है अनेक सहयोगियों ने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है । मेरा भी विचार है कि यह पर्याप्त नहीं है । श्री अर्जुनसिंह जी ने राजनीतिज्ञों की जिस आचार संहिता का उल्लेख किया है वह मेरे विचार से नितान्त आवश्यक है और इसके अन्तर्गत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अपराधों तथा अन्य सभी तरह के अपराधों को लिया जाना चाहिये । इस आचार संहिता को इसी दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिये ।

जहां तक आचार संहिता के पालन की निगरानी का संबंध है मैं नहीं समझती कि इसे केवल राजनीतिज्ञों पर छोड़ा जाना चाहिये । इसमें ईमानदारी वाले अन्य लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिये । यह बहुत जरूरी है ।

महोदय शासन संहिता का भी बहुत महत्व है । उदाहरण के रूप में क्या पुलिस सहित अफसरशाही को कानून के अनुसार डर एवं पक्षपात के बिना काम करने की अनुमति दी जायेगी ? मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें ऐसा नहीं करतीं । यह मेरा दुखद अनुभव है । क्या आप डर एवं पक्षपात के बिना उनको काम करने की अनुमति देंगे अथवा क्या हम उन्हें काम करने की अनुमति दें ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है ।

दूसरे, अपने लिये इस आचार संहिता को तय करते समय, जिसकी बात

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

की गई है और मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहती जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है । अनेक आवश्यक बातें उठाई गई हैं । परंतु यहां इस शासन में क्या हम ईमानदार अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं को कुछ विशेष प्रोत्साहन देंगे? यह बहुत ही जरूरी है । इस पर यहां विचार करना है ।

जहां तक काले धन का संबंध है मैं कहना चाहती हूं कि हम राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये तथा राजनैतिक दलों के स्वास्थ्य के लिये इस समस्या को निपटाने में सफल नहीं हो पाये हैं ।यह बहुत ही जरूरी है ।

मैं महिलाओं के संबंध में यहां पर सभी राजनैतिक दलों से अपील करना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में अपने रवैये को आमूल चूल बदलें । यह सच है कि स्वयं मेरी पार्टी सहित किसी भी राजनैतिक दल में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है । मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं । जितनी बड़ी पार्टी उतना ही उसमें अन्याय है । जो शासन कर रहे हैं वह महिलाओं के प्रति अधिक अन्यायी हैं । यह मेरा विचार है । अत: मैं समझती हूं कि महिलाओं के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना जरूरी है ।

जहां तक महिलाओं के साथ अत्याचार का संबंध है जब तक राजनैतिक दल छोटी छोटी बातों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इस प्रवृत्ति से लड़ना संभव नहीं है ।

10. 00 म. प.

राजनैतिक दलों को यह फैसला करना होगा कि महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों में वे छोटे-छोटे राजनैतिक आधारों से ऊपर उठेंगे । अनेक कानूनों में भी संशोधन करने की जरूरत है । चुनाव सुधार भी करने पड़ेंगे । इन सभी बातों का उल्लेख किया जा चुका है परंतु अन्तिम शब्द तो जनता द्वारा कहा जायेगा।

अत: आत्मचिन्तन करने के बाद जागरूकता लाने के लिये एक संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है । मैं कह सकती हूं कि आप दोषी हैं,आप मुझे कह सकते हैं कि मैं दोषी हूं । परंतु आप और मैं यह जानते हैं कि हम दोषी हैं अथवा नहीं । अत: सब राजनीतिज्ञ अपने दिलों में झांके और यह सोचें कि क्या करने की जरूरत है । यदि हम वैसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम जनता को प्रेरित हैं कि हममें विश्वास करें और हम जनता को अपने साथ चला सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय में बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

महोदय मैं नहीं जानता कि वोहरा समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में सत्तारूढ़ पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है । मेरा विचार है कि सत्तारूढ़ पार्टी को इसे अपने पर सबसे बड़े लांछन के रूप में लेना चाहिये । आप इसके आदी हैं और विपक्षी दल के रूप में सरकार के विरुद्ध, सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध आरोप लगाना हमारी भी आदत है । यह तो लोकतन्त्र का खेल है । परंतु जब स्वयं आपकी सरकार के ही उच्च अधिकारी आप की निन्दा करें और पूरे तथ्यों के साथ आपकी भर्त्सना करें तो मैं समझता हूं कि देश के लौकतन्त्रीय स्वरूप को तभी बनाए रखा जा सकता है, तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब सत्ताधारी पार्टी इस वोहरा संमिति की रिपोर्ट से उचित सबक लें ।

हम इस संसद के लिये इसी बात पर चुने गये हैं कि हम चुनाव के समय किये वायदों तथा अपने चुनाव घोषणा पत्रों के आधार पर सरकार की आलोचना करें । निश्चित रूप से सारी आलोचना हानिकारक ही नहीं होती । आपको इसी रूप में उसे लेना चाहिये । आलोचना रचनात्मक सलाह के रूप में भी की जाती है । इस अवस्था पर मैं इस संबंध में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

. महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है । यह वास्तव में सरकार के गलत काम-काज तथा कार्यवाही न करने के बारे में सरकार परं दोषारोपण है । सरकार हमारे द्वारा की गई आलोचना की जरा भी परवाह नहीं करती । अब क्या आप स्वयं आपके अफसरों द्वारा, स्वयं आपके लोगों के द्वारा की गई आलोचना की ओर ध्यान देंगे? मुझे विश्वास है कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप यह सबक जरूर सीखेंगे ।

महोदय, माफिया ग्रुपों, सरकार, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के बीच जो मिली भगत है वह लोकतन्त्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है । यदि लोकतन्त्र नहीं बचेगा तो मेरे विचार से हमारी सभ्यता, या भारत इतने बड़े विशाल इलाके तथा भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के साथ जिन्दा नहीं रह सकेगा । अत: इन सिफारिशों को तुच्छ न समझें ।

मैंने श्री शरद दिघे द्वारा दिये गये तर्क सुने हैं । तकनीकी दृष्टि से वह ठीक कह रहे हैं । इस समिति की केवल एक सिफारिश थी । वह सिफारिश थी कि अफसरों की एक नोडल एजेन्सी बनाई जाए जिसे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके । आपने उस 'केवल एक' सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पांच-छह व्यक्तियों की एक समिति गठित कर दी है ।

महोदय यदि इस रिपोर्ट का यही विश्लेषण है तो इस देश की भगवान ही रक्षा करें । महोदय केवल इतनी बात ही नहीं है । गृह मंत्री महोदय केवल विभिन्न विभागों के बीच जानकारी के आदान प्रदान के लिये, अफसरशाही में आपस में बातचीत के लिये ही यह रिपोर्ट नहीं है । इसमें इससे भी अधिक कुछ बातें कही गई हैं ।

महोदय, आपने घंटी बजा दी है अत: मैं विस्तार में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु मैं लोकतन्त्र के लिये इस गंभीर संकट से बाहर निकलने के बारे में कुछ सुझाव देना अपना कर्तव्य समझता हूं । कुछ सुझाव तो पहले दिये जा चुके हैं और उनमें मैं अपने कुछ सुझाव जोड़ना चाहता हूं । मेरा एक सुझाव यह है कि

इस सभा के सत्ता पक्ष तथा विरोधी पक्ष के सदस्यों के व्यवहार के बारे में एक स्थायी आधार संबंधी समिति बनाई जानी चाहिये । दूसरे देशों में बहुत-सी संसदों में इस तरह की समिति अथवा आयोग बनाया जाता है । यह केवल विशेषाधिकार समिति नहीं है । यहां पर हम केवल इस समिति की ओर देखते हैं । यदि मेरे साथ कोई अन्याय होता है तो मेरे पास उससे मुक्ति के लिये केवल विशेषाधिकार समिति ही है परंतु हर बार तो विशेषाधिकार समिति में नहीं जाया जा सकता । मेरा आचरण, मेरे अधिकार और सदन में मेरे व्यवहार की जांच स्वयं सदन की समिति का काम होना चाहिये । अत: इसी तरह की कोई स्थायी समिति अथवा आयोग होना चाहिये ।

महोदय, इस रिपोर्ट में जिस तरह के कदाचारों अथवा विचारों का उल्लेख किया गया है उनसे लड़ने के लिये कोई संविधानिक और कानूनी संरक्षण होने चाहियें । पार्टियों की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में और पार्टी की ओर से चुने गये व्यक्ति के रूप में राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में अपने उत्तरदायित्व से अपने आप को मुक्त नहीं कर रहा हूं । अत: महोदय भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनैतिक अभियान इस तरह के गठजोड़ और उनके बाहुबल और पैसे की ताकत के विरुद्ध राजनैतिक अभियान मोहल्ले के स्तर तक चलाया जाना चाहिये । इन माफिया ग्रुपों, राजनैतिक भ्रष्टाचार तथा उन अन्य बुरी ताकतों के विरुद्ध जो लोकतन्त्र को नष्ट करती है हमें यहां पर लड़ना है और साथ ही मोहल्ले के स्तर पर लड़ना होगा । महोदय राजनैतिक दलों के लेखाओं की लेखा परीक्षा होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म करें ।

श्री चित्त बसु : क्योंकि चयन का स्त्रोत ही राजनीतिक भ्रष्टाचार का फव्वारा है....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया रुकिए नहीं, ऐसी टिप्पणियों को नजरंदाज कर दीजिए ।

श्री चित्त बसु : सभी राजनैति दलों के लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने के लिये व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिये । अनेक सदस्यों ने व्यापक चुनाव सुधारों का उल्लेख किया है । मैं भी उन पर जोर देना चाहता हूं । महोदय मैं समझता हूं कि जब तक आप काले धन के चलन को रोक नहीं सकते काला धन फैलता रहेगा । अत: समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकने पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाये ।

सरकार के विरुद्ध मेरा आखिरी आरोप यह है कि यह गंभीर नहीं है । सरकार ने इस रिपोर्ट से उचित सबक नहीं सीखा है, उसने इस रिपोर्ट के गूढ़ अर्थ को नहीं समझा है । यदि सरकार अभी भी नहीं जागी तो यह स्वयं अपनी कब्र खोदने के समान होगा ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्री के हस्तक्षेप तथा श्री राम विलास पासवान के उत्तर को कल की कार्यसूची में पहले स्थान पर रखा जा सकता है ॥

सभापति महोदय : जी नहीं ।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति जी, देश में से भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण समाप्त करने हेतु आज का दिन सदन के लिए एक परीक्षा की घड़ी है । मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ दो सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारे देश में आज के तंत्र में अपराधियों को संरक्षण के कारण तथा पुलिस व जिला स्तर पर ज्यूडिशरी के व्यापक भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता को न्याय नहीं मिलता, दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं मिलती तथा कई बार निर्दोष लोगों का बेवजह उत्पीड़न हो जाता है । इससे अपराध बढ़ते हैं । इस स्थिति को बदलने के लिए मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में स्काटलैंड की तरह प्राइवेट डिटेक्टिव प्रणाली लागू कर दी जाये जिस तरह पुलिस चार्जशीट, सरकारी वकील की दलील तथा बचाव पक्ष एवम् उसके वकील की दलीलों को न्यायालय सुनते हैं, उसी प्रकार प्राइवेट डिटेक्टिव की चार्जशीट को तथा उसके वकील की दलील को सुनने की व्यवस्था हो । कोई भी एक पक्ष प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवायें लेने के लिए स्वतंत्र हो । प्राइवेट डिटेक्टिव के सदस्यों की रजिस्ट्रेशन से पूर्व उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच हो । मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे देश की 10 प्रतिशत जनता ही आर्थिक दृष्टि के कारण इस व्यवस्था का उपयोग कर सकेगी । एक व्यवस्था के लागू होने के बाद दोषी लोगों को सजा मिलेंगी तथा निर्दोष का उत्पीड़न बचेगा, कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा तथा राजनैतिक, प्रशासनिक लोगों को अपराधियों को संरक्षण देने का पर्दाफाश होगा तथा ज्यूडिशरी एवम् पुलिस के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा । इससे 10 प्रतिशत लोगों को परोक्ष रूप से लाभ होगा बाकी के 90 प्रतिशत लोगों को अपरोक्ष रूप से न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजनीतिज्ञ व बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार व अपराधियों को संरक्षण देने में तथा मुख्य मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री व केन्द्र के उच्चाधिकारी स्थानान्तरण में पैसा लेने में लिप्त हैं, उसके लिए मेरा सुझाव है कि पार्लियामेंट में सर्वशक्तिमान स्टेंडिंग कमेटी का गठन हो जो भारत के राजनीतिज्ञों व अधिकारियों से अपराधीकरण व भ्रष्टाचार समाप्त कराने हेतु निर्णय ले सके । इस स्टेंडिंग कमेटी के अधीन आई. बी. के अधिकारियों की टीम का गठन कमेटी के निर्देश पर हो तथा आई. बी. की टीम का विस्तार इतना व्यापक हो जो पूरे देश पर निगाह रख सकें । इस टीम के अधिकारियों की पदोन्नति इसी संसदीय कमेटी के अधीन हो तथा इस आई. बी. टीम का स्टेटस एटोनोमस हो और इस टीम का समस्त खर्चा वहन करने के लिए केन्द्र सरकार बाध्य हो । आई. बी. की टीम की रिपोर्ट जिस व्यक्ति के खिलाफ स्टेंडिंग कमेटी को मिले, स्टेंडिंग कमेटी भी एक माह के अंदर विटनेस बाक्स में टीम के अधिकारियों तथा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनने के बाद निर्णय अवश्य दें

। अगर यह कमेटी सम्बन्धित व्यक्ति को बहुमत से दोषी मानती हैं तो उसे सिर्फ तीन अधिकार हों । पहला तो यह कि यदि व्यक्ति अधिकारी हो तो उसे बरखास्त किया जाये । दूसरा यह कि यदि मंत्री या मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री हो तो उसे उसके पद से बरखास्त करने तथा उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार हो। तीसरा यह कि यदि व्यक्ति संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य हो तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार हो ।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । हम लोग अपने को कुछ धोखे में रख रहे हैं । इस देश में भ्रष्टाचार है, इस देश में काले धन की राजनीति चलती है, इस देश में हवाला का भारी रैकेट है ।

10.15 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके लिए न वोहरा कमेटी की रिपोर्ट की जरूरत थी, न बम ब्लास्ट की आवश्यकता थी और न जो काण्ड दिल्ली में हुआ है जिसमें एक महिला की हत्या के सिलसिले में जो कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता थी । इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग अपने को धोखे में रख रहे हैं । काला धन इस देश की राजनीति में खुलकर घुस गया है और हम लोग उसके शिकार हैं । कांग्रेस पार्टी जो सरकारी पार्टी है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता आज काले धन के प्रभाव से अछूता नहीं रह गया है । यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारी व्यवस्था के लिए दुर्भाग्य की बात है और इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए ।

आज इस देश में इस विषय पर चर्चा हो रही है और इस पर हम लोग ईमानदारी से चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण के तौर पर चर्चा कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात है । जहां तक सरकार की कार्रवाही का प्रश्न उठता है, वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 9 पर पैरा 2 में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कितनी अक्षम है कोई काम करने के लिए । वोहरा कमेटी ने पैरा 2 में कहा-

[अनुवाद]

"अपराध सिंडिकेटों के द्वारा जो संबंध बना लिये हैं उनकी पुष्टि प्राय: तब होती है जब सम्बद्ध एजेन्सियों पर यह दबाव डाला जाता है कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न की जाये या उनके खिलाफ मुकदमों में धीमा चला जाये । इस तरह का दबाव छापा मारने के तुरंत बाद डाला जाता है या उस समय डाला जाता है जब कानूनी कार्यवाही आरंभ की जाने वाली होती है । उस समय भी दबाव डाला जाता है जब कभी भ्रष्ट और अवांछित अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाया जाता है । (हवाई अड्डों पर निवारक सीमाशुल्क डिवीजनों से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में संवेदन-शील समाहर्त्तालयों से, आदि)"

[हिन्दी]

अब इसके बाद बाकी क्या रह जाता है । क्या गृह मंत्री जी जो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस बात से अपरिचित हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं और क्रिमिनल गैंग्ज, माफिया तथा अंडरवर्ल्ड की किस तरह की सांठ-गांठ है ? मैं नहीं समझता कि उनके जैसा सक्षम व्यक्ति और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, जो स्वतंत्रता सेनानी भी है, इससे अपरिचित होगा । इसलिए आज सवाल है कि सरकार क्या करना चाहती है, यह सदन इस दिशा में कितना सक्षम नेतृत्व दे सकता है । इस बारे में मैं मांग करता हूं कि अर्जुन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसको मानना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं तो देश में यह संदेश जाएगा कि दसवीं लोक सभा का जो अंतिम चरण था, उसमें जब ऐसे अहम मुद्दे आए जो देश की स्वाधीनता से, देश की रक्षा से, देश की मर्यादा से, देश की एकता से संबंधित हैं, जो संसदीय परंपरा से संबंधित हैं, उसमें हम लोग कुछ करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । इसलिए सरकार अभी भी कुछ नहीं कर पाई है । सरकार वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर दो साल तक चुप रही । गृह मंत्री जी से यह सदन जरूर जानना चाहेगा कि वह जबाव दें कि सरकार दो साल इस पर चुप क्यों रही । ब्लैक मैजिक, ब्लैक पोलिटिक्स और ब्लैक सेण्ट्स इस देश में बहुत प्रचिलित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है या नहीं जो आज "ट्रिब्यून" में छपी है । इसमें लिखा है कि 'एक गवर्नमेंट', मैं इसके स्थान पर साधु कहूंगा, -'कि वह साधु के सत्ता जो दलाल हैं जिनका नाम चन्द्रास्वामी है, उन पर भारत सरकार की ऐजेन्सी इनक्वायरी कर रही है ।'

एक एन. आर. आई. के करोड़ों रुपयों के संबंध में, यह समाचार छपा है । मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह बात सत्य है या नहीं ?....(व्यवधान) वहां मंत्रियों का तांता लगता रहता है और प्रधान मंत्री के करीब अपने को मानते हैं । उनकी कार को प्रधान मंत्री के निवास पर आने-जाने की छूट है । यह समाचार छपता रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि यह बात सही है या नहीं।

मुझे आश्चर्य है, गृह राज्य मंत्री, आंतरिक सुरक्षा, इस विवाद के समय, इस चर्चा के समय में सदन में अनुपस्थित हैं और इसका क्या रहस्य है ।

एक माननीय सदस्य : आ रहे हैं ।

श्री हरि किशोर सिंह : ढाई बजे से यह चर्चा चल रही है और अनुपस्थित हैं । हम लोग जानना चाहेंगे, वे अनुपस्थित क्यों हैं ? क्या गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सद्भावना का द्योतक है....(व्यवधान) इसलिए आज यह देश इस सदन की ओर देख रहा है, अध्यक्ष जी आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि आप इस सदन की गरिमा और मूल्यों के कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं, कि सदन के देश को क्या संदेश जा रहा है या एथिक्स कमेटी का गठन हम लोग करते हैं या नहीं। दूसरे देशों में तो यह है हम दूसरे देशों की चर्चा करते रहते हैं । सुरक्षा एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट तमाम सामग्री सामने रख कर यह प्रतिवेदन तैयार किया है । यह सुविधा अमरीका में भी है, सिनेट की एक इंटेलिजेंस कमेटी है । जब सारी

चीजें उसके समक्ष आती हैं, तो फिर इस देश में क्या है । क्या इस सदन की कमेटी रहेगी और उसके समक्ष सुरक्षा एजेंसियां और उनके लोगों से प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं ? सदन को कोई अधिकार नहीं है कि आई. बी. जो एजेंसी है और दूसरी जैसे रिवेन्यु इन्टैलिजेंस है, उसकी क्या रिपोर्ट है और किस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, नाम बिना दिए हुए? यह सदन को जानने का अधिकार है । हमारा यह हक बनता है और हमसे यह चीज क्यों छिपाई जा रही है ? सब चीजें सदन के समक्ष पारदर्शी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे देश को विश्वास हो सके कि हम लोग जो इस समस्या के शिकार हो रहे हैं और हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो इतना संकट गहराया है, उस संकट का समाधान किस तरह से होगा, यह हमको जानने का अधिकार है । यह संदेश इस सदन से देश को यह संदेश जाना चाहिए ।

महोदय, राम विलास जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं इस सदन से चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि अर्जुन सिंह जी के भी संशोधन को स्वीकार करें ।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय मुझे उम्मीद थी कि इस विषय पर चर्चा बहुत उग्र व तीव्र होगी विशेष रूप से इस संदर्भ में जिसमें हम इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं । मुझे इस बारे में कुछ असंमजस था कि क्या इस तरह की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये यह समय उचित है अथवा नहीं क्योंकि बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं । मुझे विश्वास है कि अधिकतर माननीय सदस्य राजनीतिक आधार से ऊपर उठ कर बात करेंगे । चुनाव जीतने के लिये ही यह जरूरी नहीं है । परंतु यह एक ऐसी बात है जो हमारी प्रणाली में बहुत गहरी पैठ बना चुकी है । मुझे इस बारे में अधिक रुचि थी कि मुख्य उद्देशय यह होना चाहिये कि हम किस तरीके से इस बुराई को दूर करें । इसी कारण दो बजे से मैं लगातार यहां बैठा हुआ हूं । परंतु मैंने अनुभव किया है कि सारी बात को राजनीति का रंग दिया जा रहा है । हर कोई मेरी ओर उंगली उठाने, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहा था । वास्तव में रिपोर्ट इस उद्देश्य को लेकर यहां प्रस्तुत नहीं की गई है ।

वास्तव में मै बड़ी उत्सुकता से वरिष्ठ सदस्यों के बोलने की प्रतिक्षा कर रहा था । दुर्भाग्य से उन्होंने ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है । उन्होंने भी वही रुख अपनाया जो अन्य सभी सदस्यों ने उठाया । अब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मिलकर बैठ सकेंगे, सारी बात पर विचार कर सकेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्थिति को सुधारा जाये और देश की राजनीति में किस तरह से स्पष्ट बदलाव लाया जाये । यही मूल बात है जिस पर हमें विचार करना है । लोकतन्त्र का जिन्दा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसके बारे में क्या रवैया अपनाते हैं । यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सत्ता में यह दल है अथवा वह दल है । इस बात का कोई महत्त्व नहीं है । वास्तव में इससे सारी प्रणाली नष्ट हो जायेगी । यही बात वोहरा समिति ने भी कही है ।

मैं वोहरा समिति के बारे में एक बार फिर से यह कहूंगा कि कोई अधिकारी क्या कर सकता है जब गृह मंत्री या श्री चव्हाण यह आदेश देने के लिए विद्यमान हों । यह मुद्दा उठाया गया है ।

मैं वास्तव में श्री चटर्जी जी का बहुत सम्मान करता हूं । इस बात के बावजूद कि उन्होंने रिपोर्ट को देखा था और यदि मैंने उनकी बात ठीक तरह सुनी है तो उन्होंने कहा कि कुछ जानकारी सरकार के पास भी वास्तव में कुछ पैरा रिपोर्ट में शामिल नहीं किये गये हैं । सदन में इस तरह की आशंकाएं व शक व्यक्त किये गये हैं और इसी कारण से मैंने अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उनको रिपोर्ट की मूल प्रति दिखाई थी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने इस बात को स्वीकार किया है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने मूल प्रति दिखा दी थी । मैंने उसकी एक प्रति भी दिखाई और अभी भी यदि उनका विचार है कि कोई ऐसी बात है जिसे सरकार छिपा रही है....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा नहीं कहा है (**व्यवधान**)

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि आपने ऐसा नहीं कहा है तो मैं अपनी टिप्पणी को वापस लेता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कहा था कि गृह मंत्री ने उस कमरे में जो रिपोर्ट की मूल प्रति हमारे सामने रखी थी...मुझे इस बारे में कोई संशय नहीं है- कि वह वही प्रति थी जो श्री वोहरा ने मंत्री महोदय को पेश की थी । मैंने यह कहा था । मैं शायद चौथी बार यह दोहरा रहा हूं ।

श्री एस. बी. चव्हाण : बाद में....

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने बाद में नहीं कहा । मैंने उस से पहले कहा था। स्पष्ट है कि रिपोर्ट के पहले प्रारूप में कुछ और बातें रही होंगी क्योंकि संख्याओं से ऐसा लगता है । मैंने यह नहीं कहा है कि माननीय मंत्री ने पेश किये जाने के बाद उससे छेड़खानी की है । मंत्री महोदय इस तरह के शब्द मेरे नाम न डालें । मैंने ऐसा नहीं कहा । मुझे संशय है कि पहले प्रारूप में कुछ अन्य बातें थीं । क्योंकि उनके जैसा वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की गल्ती नहीं कर सकता। पैरा. 3.7 के बाद पैरा 6.1 आ गया । मुझे खुशी है कि जब अन्तर्निहित और यथार्थ साक्ष्य शायद उनको मालूम है कि यथार्थ साक्ष्य से क्या तात्पर्य है ? श्री वोहरा के समक्ष कुछ ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट लिखवायी थी ।

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का बहुत सम्मान करता हूं । मैं कुछ भी कर सकता हूं किन्तु झूठ नहीं बोलूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ।

श्री एस. बी. चव्हाण : कृपया मेरी बात सुनें । आप समझते हैं कि पहली रिपोर्ट जो मैंने पेश की थी वह सम्पादित थी । यदि आप रिकार्ड देखेंगे, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं-यह सुनी सुनाई बात नहीं है रिपोर्ट मुझे पेश किये जाने से पहले....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही तो मैंने कहा है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : यही मैं कह रहा हूं । आप मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनकी रिपोर्ट ठीक करने को कहा था । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत ध्यान से चर्चा सुनी है और मैं नहीं जानता कि उनके वक्तव्य का क्या अर्थ निकाला जाये परंतु मेरा विचार यह था कि वह कोई आरोप नहीं लगा रहे थे ।

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है । मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने वास्तव में रिपोर्ट पेश कर दिये जो के बाद देखी थी । मैंने इसे श्री वोहरा द्वारा....के पहले नहीं देखा था....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि श्री चव्हाण ने इसे बदल दिया है या इसे फाड़ दिया है । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । गृह मंत्री इसे अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं ?....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : पांचवीं बार मैं यह कह रहा हूं । मैं मराठी भाषा नहीं जानता नहीं तो मैं मराठी में भी उनको बता देता ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता जितनी आप जानते हैं ।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारी इंगलिश ठीक नहीं है, इसलिये आपको समझा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं । कितनी दफा एक बात को बोलेंगे ।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : आप इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं जिसे मैं समझ नहीं सकता । चूंकि आप इन्कार कर रहे हैं....

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं आरोप लगाना चाहूंगा तो मैं प्रत्यक्ष रूप से लगाऊँगा । मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि जो मूल रिपोर्ट हमें दिखाई गई थी वह ठीक दस्तावेज दिखाई देता था । उसमें पृष्ठों की संख्या साफ और ठीक थी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि आपने इसे बदला है । मुझे ऐसा लगता है कि वह रिपोर्ट आपको पेश किये जाने से पहले एक अन्य प्रारूप था । यही मैंने कहा है। तब आपकी क्या भूमिका थी ? श्री वोहरा ने यह रिपोर्ट आपको पेश नहीं की । आपको मंत्रालय की उसमें क्या भूमिका है ? श्री चव्हाण तब आप क्यों उसे अपने सिर ले रहे हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने श्री वोहरा को मिलने के लिये बुलाया ताकि उनसे पता कर सकूं कि क्या कोई गल्ती हुई थी या यदि उनके पास कोई मूल प्रारूप है । जिसमें वास्तव में शुद्धियां की गई हों । श्री वोहरा ने कहा "मैं एक ऐसा अधिकारी हूं जिसने सरकार के खिलाफ कई बातें कहीं हैं ।" मैं आपको कह सकता हूं कि यह मूल प्रारूप है । वास्तव में, चूंकि यह आपको दी गई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

इस तरह यह मामला साफ हो जाता है ।(**व्यवधान**) । मैं केवल इस बात से चिंतित था कि यह धारणा नहीं बननी चाहिये कि सरकार ने कुछ किया है और इसी कारण मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था ।(**व्यवधान**) मेरे मन में इस बारे में कोई संशय नहीं है कि वोहरा समिति ने कई बातों का उल्लेख किया है । निश्चय ही, मेरे माननीय मित्र श्री शरद दिघे ने जो महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहे हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । उन्होंने कहा कि केवल मात्र सिफारिश वही थी और यदि उसे ही कार्यान्वित कर दिया जाता है तो यह प्रस्ताव निरर्थक बन जाता है । तकनीकी दृष्टि से उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है । परंतु हम केवल तकनीकी बातों में ही नहीं जा सकते । वास्तव में यह बहुत ही गंभीर मामले हैं । दल की ओर ध्यान दिये बिना-चाहे कांग्रेस पार्टी हैं अथवा विपक्षी दल-मैं एक के बाद एक उदाहरण देकर बता सकता हूं कि यहां पर स्थानीय राजनीति पर भी विचार किया गया है । मैं श्रीमती सुशीला गोपालन से अपील करूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी का संबंध उनके साथ उनके मतभेद हो सकते हैं परंतु मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं "पहले यह करें और तब हम ऐसा करेंगे ।" मैं नहीं समझता कि इन दोनों बातों में आपस में कोई मिलीभगत है, हम यहां पर "मिलीभगत" शब्द का उपयोग राजनीतिज्ञों और अन्डरवर्ल्ड के बीच संबंधों के लिए कर रहे हैं । अत: मेरे मन में इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि कम से कम इस बारे में हमें जनमत तैयार करना है । केवल इसका यही हल है । कानून बन हुए हैं और मैं अपने अधिकार के साथ यह कह सकता हूं कि सी. बी. आई. के पास जितने मामले हैं वह कुल मामलों के केवल एक प्रतिशत ही है । 99 प्रतिशत मामले राज्य सरकारों के हाथों में है । परंतु हमें प्रणाली को बदलना है । जब हम पूरी तरह यह जानते हुए कि यह बहुत गंभीर मामला है राज्य सरकार की सहमति मांगते हैं तो हमें उसकी सहमति नहीं मिलती । हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को राजनैतिक मामला और पार्टी का मसला मानने के स्थान पर वे विशेषरूप से गंभीर मामलों

में, घृणीत अपराधों के बारे में, जो पूरे समाज के विरुद्ध किये गये हों राज्य सरकारों के इस बात से सहमत कराने के प्रयास करें कि वे अपनी सहमति दें अन्यथा हमें ऐसा कानून बनाने पर सोचना पड़ेगा जिसके साथ यह अनिवार्य कर दिया जायेगा कि इन सभी मामलों में हम राज्य सरकारों की सहमति नहीं मांगेंगे। परंतु वह बहुत ही कठोर कदम होगा । वास्तव में संघीय ढांचे में हम किसी तरह का कोई अन्य कदम उठाने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेना चाहेंगे ।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने राज्य की सरकारों को इस बात से सहमत करायें विशेषरूप से जहां अनेक गंभीर मामले अन्तर्ग्रस्त हों....(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप जानते हैं कि श्री किरिप चालिहा ने क्या कहा है ? अब वे कहां हैं ? गृह मंत्री महोदय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध उनकी शिकायत क्या है ? क्या आपने अपनी ही पार्टी के सदस्य की बात सुनी थी ? गुवाहाटी, असाम में क्या हो रहा है ? श्री चालिहा तो आपकी पार्टी के सदस्य हैं । अब वे कहां हैं ? आप उनको बतायें....(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मंत्री महोदय, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर एक पूरा अध्याय है । समिति ने हर्षद मेहता के मामले की जांच के बारे में सी. बी. आई. पर टिप्पणियां की हैं । क्या आपने उस अध्याय को पढ़ा है ? उसमें आरोप लगाया गया है कि वे ऐसा नहीं कर रहे और उन कारणों के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है । यह सर्वसम्मत रिपोर्ट का भाग है....(**व्यवधान**) मैं इस बात पर बल दे रहा हूं । यह सर्वसम्मत रिपोर्ट का भाग है ।...(**व्यवधान**)

श्री एस. बी. चव्हाण : परंतु इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आप अपनी राज्य सरकार से कुछ कहने के पक्ष में नहीं है....(**व्यवधान**)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : दिल्ली के दंगों के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से आपको किसने रोका है । उस घटना के बाद कई साल गुजर गये हैं....(**व्यवधान**)

श्री एस. बी. चव्हाण : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ? (**व्यवधान**) । आन्ध्र प्रदेश सरकार से मेरा प्रश्न यह होगा "यदि कोई ऐसा घृणित अपराध है जो कुछ लोगों ने किया है तो क्या उस मामले में यदि हम आपको सहमति देने को कहते हैं तो क्या आप फिर भी समझते हैं कि आप मामले की जांच करेंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती । क्या कोई यह कह सकता है कि जिस तरह के आरोप आप सी. बी. आई. पर लगा रहे हैं किसी भी राज्य में उस तरह की स्थिति नहीं है । अधिकारी अच्छे भी हैं और अधिकारी खराब भी हैं । आप निश्चित रूप से अच्छे अधिकारियों को नियोजित करें । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु इसके साथ ही वास्तव में जब सारे देश की सुरक्षा का प्रश्न हो तो राज्य सरकारें फिर भी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहेगी और कहेंगी "यह केवल हमारा अधिकार है, हम जांच करेंगे और केन्द्रीय सरकार को जांच की अनुमति नहीं देंगे" तब हमें इस बारे में विचार करना होगा ।

हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि वोहरा समिति ने यह कहा है कि हमारी जो कानून प्रणाली है उसे बदलने की जरूरत है । अनेक न्यायालयों की नियुक्ति की जानी होगी । सारी प्रक्रिया को इस ढंग से सरल करना होगा कि इन मामलों में सजा जल्दी से दी जा सके । यही सारी बात का निचोड़ है । यह देखना होगा कि दस साल फैसला होने में न लगें । यह ठीक है कि वे लोग जानते हैं कि मुकदमों को किस तरह से लम्बा खींचा जाये । वे अच्छे से अच्छे वकील नियुक्त करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं कि किसी न किसी तरह से अच्छे प्रयास सफल हों । भाग्य अथवा दुर्भाग्य से वे कई मामलों में जीत ही जाते हैं । मुझे ऐसे कई मामलों की जानकारी है । यह इस समस्या के इन सभी पहलुओं पर नजर डालने का समय नहीं है ।

वास्तव में हमें सबसे पहले यह करना होगा कि इस तरह के अपराध करने वाले सभी लोगों को, जिन अपराधों का देश भर पर असर पड़ता है, सजा मिले । हमें न्यायालय बनाने होंगे और शीघ्र कार्यवाही करनी होगी ताकि दूसरे भी इस बात को ध्यान में रखें कि यदि उन्होंने भी इस तरह का काम किया तो उन्हें भी इसी तरह सजा मिलेगी । लोगों के दिल में इस तरह का ख्याल होना चाहिये ।

एक बात यह भी उठाई गई कि इसमें इतना समय लगा या कि बहुत अधिक समय लगा है और सरकार इस बारे में अब तक क्या कर रही थी । वास्तव में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है यह एक विभागीय रिपोर्ट है और वास्तव में इसे सभा पटल पर रखने में हमारी रुचि नहीं थी । परंतु रिपोर्ट में जो बातें कही गई थीं उनसे यह स्पष्ट था कि कुछ बातें हुई हैं । मैं इस माननीय सभा को एक बात बताना चाहता हूं । वह उस पैरा के बारे में हैं जिसमें श्री वोहरा ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों में समन्वय की बात का उल्लेख किया है । यह सच है । इन एजेन्सियों के बीच समन्वय जरूरी है ।

परंतु इसके साथ ही इस पर भी विचार करना है कि उनके मन में एक तरह की हिचकिचाहट क्यों थी । उन्हें इसका कारण पता था । मैं भी जानता हूं । उस तरह की जानकारी के साथ इस तरह की बात भी हो जाती है । उसे यह फैसला करना है किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है । श्रेय उसी को मिलना चाहिये किसी दूसरे को नहीं । इसके साथ ही जब समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है तो जानकारी के 'लीक' होने की भी संभावना है । इस विचार का एक यह भी कारण था । मैंने देखा है कि कुछ सदस्य सभा में रिपोर्ट दिखा-दिखा कर इस तरह कह रहे थे कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है । मैंने कहा, "कृपया भगवान के लिए ऐसा मत करें ।" उन्होंने यहां तक कहा कि वे उस रिपोर्ट को सत्य प्रमाणित तक कर सकते हैं । मैंने कहा, "ठीक है, आप जो भी कहना चाहें करें, आप को छूट है ।" परंतु वास्तव में यह भी एक बात है जो गुप्त सूचनाएं एकत्र करने वालों के सामने होती है ।

महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब राजस्व संबंधी गुप्त सूचनाएं

एकत्र करने का प्रश्न हो तो वे केवल उसी दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे; वे उस बारे में किसी अन्य दृष्टिकोण से विचार नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है । परंतु सम्पूर्ण देश के लिये उसका महत्व है । इस तरह की जानकारी नोडल एजेन्सी को दिया जाना जरूरी है । यदि रिपोर्ट इस तरह तैयार की जा रही हो और सूचना इस ढंग से एकत्र की गई हो तो सरकार उस मामले पर विचार कर सकती है । यह उत्तरदायित्व नोडल एजेन्सी का है कि कोई इस तरह का तंत्र बनाया जाये जिसके द्वारा वे जांच कर सकें ।

अत: सबसे पहले गुप्त सूचना एकत्र की जानी चाहिये, फिर उसकी जांच होनी चाहिये और तीसरा चरण अभियोग चलाना है । इन तीनों चरणों का होना जरूरी है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि इस तरह की जानकारी हासिल करने के बाद कोई भी वह जानकारी किसी को नहीं बताना चाहता । इसी कारण सरकार ने नोडल एजेन्सी बनाई है । यदि किसी अन्य एजेन्सी के गठन का सुझाव दिया जाता है तो मुझे डर है कि उससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा । हम इन सभी लोगों के विरुद्ध, जो वास्तव में इन बातों के लिये जिम्मेदार हैं,उस तरह की कार्यवाही करने में सफल नहीं हो सकेंगे जो हम करना चाहते हैं ।

महोदय एक और भी बात है । वह यह है कि कुछ लोग संविधान के प्रति आस्था की शपथ ले लेंगे परंतु शपथ लेने के बाद उसका उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे । उन लोगों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे । हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है । और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा । यदि यह कोई छोटी बात होती तो मैं इसका उल्लेख न करता । परंतु यदि धार्मिक जातिवादी या अन्य किसी प्रकार की भावनाओं को उछाला जाता है और उनके द्वारा उस पवित्र शपथ का उल्लंघन किया जाता है जो आपने ली है तो यह स्थिति भी इस देश के लिये एक प्रमुख गंभीर समस्या पैदा करेगी । हमें बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना है कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने की जरूरत है । हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है । यही एक पहलू था जिसके बारे में सदन को मैं अपने विश्वास में लेना चाहता था ।

महोदय माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं । मैं उनके लिये उनका आभारी हूं । परंतु इन सारी बातों का सारांश केवल यह है कि हम सभी दलों के साथ मिल बैठ कर एक तरह की आचार संहिता तय करें । यह राजनीतिक दलों को करना होगा । मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई भी इस बारे में कोई भी प्रयास सफल हो सकता है ।

यदि हम इस मामले में वास्तव में ईमानदार हैं तो सभी राजनैतिक दलों को एक बैठक आयोजित करके निर्णय करना चाहिये कि हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि किसी भी अपराधी रिकोर्ड वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाये और उसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता नहीं की जायेगी । मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जिनके बारे में मेरा विशेषरूप से विचार था कि उनको चुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाना चाहिये । पहले चुनाव में उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया था । दूसरे चुनाव में उनको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया । परंतु उन्होंने चुनाव लड़ा और मैं जानता हूं कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने में उनकी मदद की । मैं सभी राजनैतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इस तरह का वातावरण बनाये जिसमें हमारी ईमानदारी जनता पर सिद्ध हो सके । जनता इस बात को स्वीकार करे कि जब हम यह कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को किसी भी राजनैतिक दल द्वारा समर्थन किया जायेगा तो हम ईमानदारी से यह कह रहे हैं । इस बात को दिल से करने की जरूरत है । अन्यथा अगला कदम वही होगा जिसका मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि हर क्षेत्र में कुछ ईमानदार लोग हैं मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है । चार-पांच ईमानदार व्यक्तियों का पता लगाया जाये और वे लोग जनता के पास जायें और जनता को कहें कि चुनाव में खड़ा होने वाला उम्मीदवार यदि भ्रष्ट है, चाहे व किसी भी पार्टी का हो, उसे वोट नहीं दिया जाये । आवश्यक वातावरण बनाने के लिये यह आखिरी कदम है कि केवल ईमानदार लोगों को चुनने के लिये जनता का सहयोग लिया जाये ।

संभवत: आप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन कर सकते हैं । अन्यथा हमारे चुनावों में धन और बाहुबल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । यदि हम इसको खत्म करने के बारे में गंभीर हैं तो हमें चुनाव आयोग द्वारा खर्चे के लिये तय सीमा के अनुसार खर्चा करना चाहिये । धन तथा बाहुबल के प्रभाव को रोकने का यही तरीका है । एक दूसरे पर आरोप लगाने से ही यह समस्या हल नहीं होने वाली है ।

इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है । कुछ अन्य बातें है जिनके बारे में माननीय अध्यक्ष से मैं बात करूंगा और उसके बाद उनकी जो भी सलाह होगी उसे मैं मानूंगा और सरकार भी मानेगी । अत: मैं उनके साथ उन पर चर्चा करूंगा और उसके बाद जो कुछ भी कार्यवाही करने की जरूरत होगी की जायेगी । परंतु मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि आसूचना बिल्कुल किसी को नहीं बताई जायेगी । यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है । वे सुझाव दे सकते हैं । परंतु मैं मशीनरी के बारे में माननीय अध्यक्ष से चर्चा करूंगा और उसके बाद हम आवश्यक कदम उठायेंगे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने शासन संहिता का मुद्दा उठाया था । उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा है कि यदि सभी राजनैतिक दल आचार संहिता का पालन करेंगे तो शासन संहिता भी स्वत: ही व्यवहार में आ जायेगी । आखिर किसी न किसी पार्टी का ही तो शासन होगा । जो भी पार्टी शासक दल होगी उसे भी तो उसका पालन करना होगा । वह उससे बच नहीं सकती ।

श्री अर्जुन सिंह : मैंने माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था । शायद अन्य बातों की ओर ध्यान देते हुए वह उनके ध्यान से निकल गया है । मैंने रिपोर्ट के पैरा 15 (2) और 15 (3) का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह

रिपोर्ट 5-10-1993 को सरकार को दी गई थी । सरकार ने विशेष रूप से श्री वोहरा के द्वारा दिये गये विशिष्ट सुझाव को देखते हुए इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की । श्री वोहरा 30-5-1994 को सेवानिवृत्त हो गये । रिपोर्ट 5-10-1993 को पेश की गई थी । वह आठ महीने तक गृह सचिव के पद पर बने रहे । परंतु उनके इस सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया गया कि उनको आरंभिक बातचीत के लिये बुलाया जाये और कुछ कार्यवाही की जाये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैंने भी गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि हमें बताया जाये कि क्या पैरा 15.2 में दिये गये सुझाव के अनुसार वित्त मंत्री अथवा आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री और गृह मंत्री के बीच कोई बातचीत हुई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उपरोक्त सुझाव के संदर्भ में कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री के सामने रखा गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया गया था और कब किया गया था ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं यह दोनों काम नहीं कर सका अत: प्रधान मंत्री के साथ बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमने कोशिश की थी कि इस सारी डिबेट को, आप भी उस समय थे, मैंने कहीं भी डिबेट को नीचे स्तर पर लाने का काम नहीं किया और मैंने शुरू की स्टेज में ही कोशिश की थी कि इसका स्टेण्डर्ड ऐसा हो कि जिसमें देश में बढ़ते हुए अपराधीकरण, न सिर्फ पोलिटिक्स में, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह हो गया है । राजनीति गंगोत्री है और मैंने पहले कहा था कि गंगोत्री गंदी हो जाए तो गंगा का पानी शुद्ध नहीं रहता है । इसलिए हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही है । हम लोगों ने अपने भाषण में, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि बहुत से साथियों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सजेशन देने का काम किया है । लेकिन हमको होम मिनिस्टर साहब के जवाब से निराशा हुई है । लेकिन हम लोग इतनी ही अपेक्षा करते थे कि आप इतना ही बोलेंगे । अभी 11 बजने के लिए चले हैं और 2.30 बजे से शुरू हुआ है, मगर इस 8.30 घण्टे के डिबेट में देखें तो निकला क्या ? इतना तो आप यदि जीरो हावर में भी 5 मिनट कोई बोल देता है तो इतनी बात तो उस पर भी कह देते हैं । शुरू में हम लोगों के ऊपर भी आरोप लगा था और हम लोगों ने जो रिज्यूलेशन दिया था तो हमने उस समय भी कहा था कि रिज्यूलेशन बहुत पाक है, इसमें सरकार के ऊपर जवाबदेही सौंपी गई है कि सरकार बढ़ते हुए अपराधीकरण को देखते हुए कदम उठाए । क्या कदम उठाए ? हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि इसमें दांत नहीं हैं, तो हम लोगों ने कहा कि दांत आ जाएंगे, जब माननीय सदस्यों के विचार आएंगे तो दांत आएंगे । हमें इस बात की खुशी है, हालांकि वे भी पूरे के पूरे दांत नहीं हैं ।

अर्जुन सिंहजी ने जो संशोधन दिया वह संशोधन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने कुछ नाम दिया था और कुछ किया । उन्होंने स्पीकर साहब के ऊपर अधिकार छोड़ा कि स्पीकर साहब 10 या 11 आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करें और जो कमेटी रिपोर्ट देगी, जो आपने नोडल एजेंसी बनाई है, उस नोडल एजेंसी को मोनिटरिंग करने का काम करें । उसका नाम स्टेण्डिंग कमेटी था और कोई कहें, मैं उसके नाम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कमेटी आपने होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई है, नोडल एजेन्सी बनाई है, तो होम सेक्रेट्री की एक मर्यादा रहती है, उसकी अपनी एक दूरी रहती है, उस मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को वह पार नहीं कर सकता । यदि उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते हैं तो फिर जो बड़ी कमेटी है, जिसमें व्यापक लोग रहेंगे, हर क्षेत्र के लोग उसमें रह सकते हैं, उसमें ज्युडिसियरी के लोग भी रह सकते हैं, पोलिटिकल पार्टी के लोग भी रह सकते हैं,जो इमिनेंट लोग हैं वे रह सकते हैं, जो उसको सुपरवाइज करने का काम करें । मैं समझता हूं कि यह ऐसा सुझाव था जो बिलकुल निष्पक्ष और बेदाग सुझाव था । मैं समझता हूं कि हर पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस के जो साथी हैं उनको भी पूछा जाए तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन हो जिसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति कर सकता हो । रिज्यूलेशन के एज ए मूवर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम उसका स्वागत करते हैं । चेयर के द्वारा लीगलिटी का यह मामला हो सकता है उस स्तर पर आये या नहीं वह अलग बात है, लेकिन हम जरूर अनुभव कर रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब के नोलेज में जब बात आई है और जब इतना बड़ा सुझाव आया है तो होम मिनिस्टर जरूर करेंगे कि यह सुझाव स्वागत योग्य है । यदि उसे अभी मान लेते हैं, रिज्यूलेशन में कमेटी एड कर सकते हैं । यह आपके दायरे में है, आप कर सकते हैं । इसमें टेक्निकलिटी का मामला है, लीगली हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन हम इस दिशा में कार्रवाई करेंगे । मैं समझता हूं इसको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि डिसकसन का कुछ निष्कर्ष निकले तो उस डिसकसन के निष्कर्ष को देखते हुए आपको इस सुझाव को जरूर मानना चाहिए ।

गृह मंत्री जी, आप देखिये कि क्या होता है । जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत ही चाव से 1985 में इसी सदन में लोकपाल विधेयक मूव किया था । चूंकि वे नये-नये आये थे और उनके मन में था कि कुछ न कुछ रिफौर्म्स होने चाहिये इसीलिये लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया । लेकिन उसके तीन साल बाद, उस विधेयक को वापस ले लिया गया । चिदम्बरम साहब यहां नहीं हैं । अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी पार्टी के एक साथी, रेड्डी साहब उसके मैम्बर थे । अब कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इस अमैंडमेंट को आप उनके लिये ही छोड़ दीजिये ।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, यदि वे बोलेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

मुझे खुशी है कि सदन में राजेश पायलट जी आ गये हैं । हम लोगों ने चार्ज लगाया था कि यहां प्राईम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल, प्रेजीडेंट से भी

ज्यादा पावरफुल कई लोग है, कई स्वामी जी महाराज है, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं । उनके संबंध में ट्रिब्यून में यह समाचार छपा है-"गॉडमैन फेसज प्रोब" इसमें आपका नाम है । आपने ईक्वायरी के आर्डर किये हैं....(व्यवधान) हम उसे डिनाई नहीं कह रहे हैं ।

श्री हरि किशोर सिंह : आपने इंक्वायरी के आर्डर किये हैं या नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस मामले में ईक्वायरी के आदेश दिये हैं या नहीं । यदि आदेश दिये हैं तो बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है, उसकी मैं सराहना करता हूं । मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिये हम बैठ जाते हैं ।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यही प्रश्न दूसरे सदन में भी उठाया गया था और मैंने वहां पर स्पष्टीकरण दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : हमें कैसे पता चल सकता है कि उन्होंने वहां पर क्या स्पष्टीकरण दिया है । हमें भी बताया जाये....(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, श्री जगमोहन ने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली हैं । मैंने कहा "हां" सरकार को श्री चन्द्रास्वामी की गतिविधियों के बारे में शिकायत मिली है । हमने तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच के आदेश दिये हैं । कानून से ऊपर कोई भी नहीं है चाहे वह चन्द्रास्वामी हो या कोई और हो । हर एक के साथ कानून के अनुसार निपटा जाता है और उनको दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : चूंकि यह मामला होम मिनिस्ट्री का नहीं है बल्कि भारत सरकार का मामला है इसलिये आपने अच्छा काम किया है । आप डरिये मत । यदि आपने एक्शन लेना है तो जमकर एक्शन लीजिये । चुपचाप क्यों कहते हैं-"कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी"

मैं सरकार से मांग करूंगा कि लोकपाल विधेयक के संबंध में भी सरकार को बतलाना चाहिये कि सरकार के दिमाग में क्या है । सरकार लोकपाल विधेयक लाने का विचार रखती है या नहीं क्योंकि गंगोत्री यदि गंदी होगी तो गंगा का पानी भी शुद्ध नहीं होगा । केन्द्र में सरकार आपकी है लेकिन सरकार किसी की भीहो, लोकपाल विधेयक सदन में लाना चाहिये । अभी हमारे एक साथी टाडा के संबंध में कह रहे थे । मैं जानना चाहता हूं कि जहां टाडा का इस्तेमाल आपने 77 हजार लोगों के खिलाफ किया, क्या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी इकौनोमिक औफेंडर हैं, जिसको आपने टाडा में बंद किया हो? आपने टाडा का इस्तेमाल गरीब लोगों के खिलाफ, माइनोरिटी के लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ किया लेकिन उन्होंने वास्तव में क्राईम किया था, जिन्हें बंद करना चाहिये था....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जैना : हर्षद मेहता के तीन एकाउंट दो दिन पहले स्पेशल कोर्ट से भी निकल गये ।....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिसके लिये हम लोग आज चिन्तित हैं, यह किसी पार्टी का मामला नहीं है बल्कि देश का मामला है । यदि आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, डैमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं और ईमानदारी को जीवन के हर क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो आपने ठीक काम किया । अगर सब पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर जवाबदेही हो जाये, हर व्यक्ति के ऊपर जवाबदेही हो जाये तो फिर सरकार किस काम के लिये है । आप सब व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दीजिये । सब लोग अपने अपने ढंग से काम करेंगे । लेकिन जब सरकार होती है...(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : रास्ता आपने बहुत अच्छा निकाला हुआ है ।

श्री राम विलास पासवान : अभी 1984 के दंगों का सवाल आया, क्या वह कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था जिसमें 5 हजार लोग मारे गये और प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाई गयी क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस समय होम मिनिस्टर थे । उस समय प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो चुका था और सारी की सारी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के ऊपर थी । दिल्ली में 5 हजार लोग मारे गये थे ।

11.00 म. प.

अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं और 11 साल व्यतीत हो चुके हैं और 11 साल में एक आदमी को भी सजा नहीं होती है । आप क्या सिगनल देना चाहते हैं ? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यदि पार्टी एज ए होल, क्रिमिनल एक्ट करे, चाहे कोई पार्टी हो, भा. जा. पा. हो, कांग्रेस हो, सी. पी. आई. हो, सी. पी. आई. एम. हो या जनता दल हो कोई भी हो, जिसने गड़बड़ी की है पार्टी एज ए होल क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वाल्व है, आप एक क्रिमिनल को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी इन्वाल्व है और उसके खिलाफ कार्रवाही नहीं होती है, तो उसको कौन रोक सकता है । इसलिए आपके ऊपर जवाबदेही है । आपने अपने पूरे जवाब में इकनोमिक आफेंडर की बात नहीं कही है । इन्होंने तो कह दिया है कि फायनेंस मिनिस्टर से बात नहीं की है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों बात नहीं की ?

श्री राम विलास पासवान : क्यो नहीं की ? इन्होंने तो कह दिया कि नहीं की । क्यों नहीं की, यही तो हम कह रहे हैं कि ये सिंसीयर नहीं हैं । यही तो हमारा आपके ऊपर चार्ज है । हमको इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है । हम इस सदन में इस गूंगी-बहरी सरकार को सुनाने के लिए इन मुद्दों का मामला

लेकर नहीं आए हैं, हम तो इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को सुनाने के लिए इस मामले को लेकर आए हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोपरि है । मैं कहना चाहूंगा कि इकनौमिक आफेंडर के सम्बन्ध में, यहां अन्तुले जी बैठे हुए हैं, हाजी मस्तान ने एक बार कहा था कि बम्बई का 75 प्रतिशत कालाधन है और उन्होंने कहा था कि लोग हमको छेड़ने का काम न करें । बाथरूम में सब नंगे हैं । यह कहा था कि नहीं ? क्या हुआ आज तक ? यह आज नहीं 20 साल पहले कहा था । 20 साल में क्या कार्रवाई की गई ? यदि आप नहीं रोकेंगे, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि फिर इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहने वाला है । प्रजातंत्र का ढांचा रहेगा । नाम रहेगा, सारी चीज रहेगी, लेकिन डैमोक्रेसी का दिल जो है, जो आत्मा है, वह खत्म हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो जो सुझाव आया है, उसके ऊपर राय जाहिर करें । 1984 के दंगों के ऊपर राय जाहिर करें । कलप्रिट के सम्बन्ध में, जो इकनौमिक आफेंडर हैं उनके सम्बन्ध में राय जाहिर करें । (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हर्षद मेहता के बारे में नहीं कहेंगे क्या ?

श्री राम विलास पासवान : हर्षद मेहता, तो हीरो बन गया । आप हर्षद मेहता का नाम क्यों बार-बार लेते हैं ।

*(व्यवधान)....

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप क्या बोल रहे हैं ? जो कुछ आपके मन में आएगा क्या आप वह बोलेंगे ? आपको होश है आप क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह बेबुनियाद आरोप है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : *(व्यवधान)....

श्री विद्या चरण शुक्ल : बिलकुल असत्य बात है । आप जो मन में आए वह बोले, यह नहीं चलेगा ।

श्री राम विलास पासवान : आप रिकार्ड में से निकलवा दीजिए । बैंक स्कैम हुआ कि नहीं हुआ ? शुगर स्कैम हुआ कि नहीं हुआ ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बोलता हूं कि *(व्यवधान)....

श्री राम विलास पासवान : आप मुझे जेल में बन्द करवा दीजिए । (व्यवधान)

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि

(व्यवधान)....

श्री पवन कुमार बंसल : यदि सारे इकट्ठे कर लिए जाएं, तो इतने तो बन जाएंगे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है । (व्यवधान)*

वे इसे या तो सिद्ध करें या आप इसे विशेषाधिकार समिति को निर्देशित करें । (व्यवधान) क्या इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने आरोप लगाया है कि....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे भी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा रहा है ।

....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप मंत्री हैं, कृपया सुने

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह संसदीय कार्य मंत्री हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान आप तथा अन्य बहुत से सदस्य और आप भी धीरे बोलें ।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, मैंने थैली की बात छोड़ दी है । मैं लास्ट में सिर्फ यह कह रहा हूं कि भारत सरकार को और मुझे चव्हाण जी, हमारे भाई पायलट जी और सईद जी के प्रति बड़ी आस्था है और मैंने शुरू में कहा कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है । यह एक सरकार का मामला है । वह सिस्टम का मामला है और इस सिस्टम को सुधारने के लिए चूंकि हम लोग मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं वे जो 10वीं लोक सभा है, उसमें एक सैशन में रहेंगे और हो सकता है एकाध और सैशन में बैठना पड़े ।

लेकिन सिस्टम को सुधारकर कुछ ऐसा काम करके जाईये जिससे कि आने वाले भविष्य के लिए एक राह दिखाने का काम हो सके, एक स्वच्छ इमेज देने का काम करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को विधिवत् पेश करता हूं ।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव के रूप में लिखकर दिया है, मैंने पहले भी कहा कि वे किस रूप में व कैसे आयेगा, वह आपके विवेक पर निर्भर करता है । उसके पीछे जो उद्देश्य था, वह केवल इतना था कि इस रिपोर्ट के पैरा 2 में लिखा है :

[अनुवाद]

"चर्चा के दौरान मैंने अनुभव किया कि कुछ सदस्य खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में हिचक अनुभव कर रहे हैं और इसको मानने को तैयार नहीं थे कि सरकार का ऐसे मामलों में आगे कार्यवाही करने का विचार है ।"

[हिन्दी]

यह लेख इस बात का संकेत है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें इस के बारे में हिचक थी । उस हिचक को मि. वोहरा ने उन लोगों के साथ पर्सनली इनटरेक्ट करके दूर किया । आज अगर फिर उन्हीं अधिकारियों के हाथ में नोडल कमेटी के रूप में जिम्मेदारी दे देंगे, वह पूरे खुले दिल और दिमाग से काम कर सकेंगे, इसमें थोड़ा सा सन्देह है । साथ-साथ इस वजह से कि उनके जो भी सुझाव होंगे, जो भी उनकी तरफ से एक्शन होगा, उसके ऊपर शासन क्या करेगा,यह मैं नहीं कहना चाहता स्वयं गृह मंत्री ने ही जवाब दिया है कि 5.10.95 के बाद कोई कदम नहीं उठाया जायेगा । इसलिए मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं कि संसद का कहीं न कहीं दवाब, उसका असर, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए किस रूप में हो, यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मैं यही कहना चाहता हूं । मैंने इसे नोट कर लिया है । मैं इसे पढ़ दूंगा ।

हमने देश में अपराधीकरण की समस्या को हल करने, मिटाने और यदि संभव हो तो उसे हल करने के लिये सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के लिये यह चर्चा रखी थी । माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । उनको किस तरह से कार्यान्वित किया जाये इस पर हममें से कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं । आचार समिति का गठन करने का भी सुझाव दिया गया है । विभिन्न दलों के नेता इस पर भी विस्तार से विचार कर सकते हैं । श्री अर्जुन सिंह द्वारा पेश किये गये संशोधन के 2 भाग हैं । एक सुझाव उन सुझावों के बारे में हैं जो सदस्यों की समिति द्वारा सरकार को दिये जा सकते हैं दूसरा भाग उस तरह की गई कार्यवाही की निगरानी के बारे में हैं । पहला भाग तो स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह चर्चा इसीलिये ही आयोजित की गई थी कि कार्यवाही करने के लिये सुझाव मिल सकें । दूसरा भाग स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि आप कार्यवाही की निगरानी की जिम्मेदारी सदस्यों को दिया जायेगा तो....

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कार्यवाही कर लिये जाने के बाद उस पर विचार करने की जिम्मेदारी....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब उनको गुप्तचर्चा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होगा । इसके साथ नई समस्याएं पैदा हो सकती है । संक्षेप में पहला भाग स्वीकार किये जाने योग्य लगता है । दूसरा भाग स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह संशोधन तकनीकी दृष्टि से स्वीकार किये जा सकने योग्य हो या न हो परंतु हम इस मामले को तकनीकी दृष्टि से नहीं निपटा रहे हैं । तकनीकी दृष्टि से तो मैं कह सकता था कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और कोई यह तर्क दे सकता था कि तकनीकी आधार पर इसे स्वीकार किया जाना चाहिये । मैं इस मामले पर नेताओं के साथ सरकार के साथ बात करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है । परंतु शायद इसके पहले भाग के बारे में निश्चित रूप से विचार करूंगा । यदि कुछ सदस्य सहयोग करना चाहते हैं तो वे अपने सुझाव लिख कर सरकार को यहां पर व्यक्ति किये गये विचारों के संदर्भ में दे सकते हैं । इस तरह के सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । फिर भी मैं तत्काल यह नहीं कहना चाहता कि यह किया जायेगा या वह किया जायेगा । इसका कारण यह है कि इस तरह के महत्वपूर्ण मसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा । मैं निश्चत रूप से इसके बारे में सरकार के साथ तथा नेताओं के साथ बातचीत करूंगा । हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है । मैं आचार समिति के बारे में भी सरकार के साथ तथा नेताओं के साथ बातचीत करूंगा क्योंकि इससे भी अनेक बातें जुड़ी हुई हैं । सारी बातों को स्पष्ट करने के बाद ही हमें इस मामले के बारे में निर्णय करना चाहिये ।

इसको देखते हुए मैं श्री अर्जुन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सूचना की ग्राह्यता तथा संशोधन को स्वीकार करने पर जोर न दें क्योंकि मूल रूप से आप जो सुझाव दे रहे हैं उस पर विचार करने की जरूरत है तथा उस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा परंतु उसके पीछे जो भावना है उसे समझा जा सकता है ।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैंने बहुत शुरू में कहा था कि मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूं । अत: मेरे द्वारा उस पर जोर देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे अनुरोध की भावना को ले लिया है । और मुझे विश्वास है कि यथा शीघ्र इसे कार्यान्वित भी किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों की ओर से इस बात को ध्यान में रख कर सुझाव दिये गये थे कि यदि यह एक समस्या है तो हमें देखना चाहिये कि इसे किस तरह से हल किया जाये और मेरा विचार है कि किसी ने भी अपने आप को कुछ कहने में, अपनी पार्टी की आलोचना करने से परहेज नहीं की है और अनावश्यक रूप से अन्य दलों पर छींटाकशी नहीं की है । मैं समझता हूं कि यह सारी चर्चा अच्छी भावनाओं से की गई है और इसी भावना के साथ हमें इस चर्चा को समाप्त करना चाहिये ।

....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा क्योंकि मैं समझता हूं इस पर किसी को आपत्ति नहीं है । क्या इस तरह के संकल्प के बारे में किसी को कोई आपत्ति है ।

....(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोई आपत्ति नहीं है....(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : मुझे एक कठिनाई है ।(**व्यवधान**) मैंने शुरू में यह कहा था । मैं नहीं समझता कि यह एक दूसरे के खिलाफ बोलने की ही कोशिश मात्र थी ।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ऐसा नहीं है ।

....(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : यह एक दूसरे पर छींटाकशी की कोशिश नहीं थी और इस सारी चर्चा के अंत पर मुझे डर है कि मैं खाली सा अनुभव कर रहा हूं । मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे इस संकल्प के बारे में कुछ दिक्कत है । परंतु मैंने इस उम्मीद के साथ उसमें हिस्सा लिया था कि सरकार द्वारा इस बारे में कोई प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त की जायेगी ।

इस सारी चर्चा के बाद जो प्रभावी बात है वह केवल आपकी टिप्पणी है। मैं पूरी तरह से भौंचक्का हूं....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न मानें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा ?

गृह मंत्री तथा सरकार के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस मामले पर उनके साथ बातचीत की थी और उनको इस मामले पर मंत्री मंडल में भी विचार करना है । परंतु मैंने देखा है कि मूल रूप से कोई मतभेद नहीं था । सत्य बात तो यह है कि हर बात पर तो चर्चा नहीं हो सकती थी । मैंने अन्य सदस्यों से भी बातचीत की थी । यदि हम समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे और केवल मशीनरी की ही आलोचना करते रहेंगे तो भी उसके जो परिणाम निकलेंगे वह हमारा ध्यान वास्तविक समस्या से किसी दूसरी ओर ले जायेंगे । वह भी नहीं होना चाहिये ।

आप तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इसका उल्लेख किया था और मेरी धारणा यह है कि यह एक बहुत ही मुश्किल जटिल और उलझा हुआ मामला है और ऐसी समस्या है जिसका हमें तथा अन्यों को भी सामना करना पड़ रहा है । वे इसके लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं । अत: हमें मुख्य समस्या से विमुख नहीं होना चाहिये ताकि लक्ष्य पर कोई असर न पड़े । मुझे विश्वास है जसवन्त सिंह जी....

श्री जसवन्त सिंह : इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यदि मेरे मतभेद भी हैं तो मेरे लिये यह संभव नहीं है कि....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पासवान जी का....

(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी स्पष्टवादिता के आगे हम निरुत्तर हैं । परंतु सरकार के फैसले के आगे नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां.....(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह : हम सभी अध्यक्ष महोदय की स्पष्टवादिता के आगे निरुत्तर हैं....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या अब मैं औपचारिकता के रूप में प्रस्ताव मतदान के लिये रखूं ?

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वोहरा समिति के प्रतिवेदन पर बिना कोई विलम्ब किये कार्यवाही करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : एक बात और है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चर्चा बहुत उच्च स्तर की चर्चा रही है । सभी सदस्यों को उनके द्वारा दिखाई गई जिम्मेदारी के लिये बधाई दी जानी चाहिये । हम उम्मीद करते हैं कि सभा में दिये गये स्वीकार किये जाने योग्य सुझावों के बारे में कुछ कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

11.16 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1995-96 के लिये कम्प्यूटर मेंटीनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड और इलैक्ट्रानिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) वर्ष 1995-96 के लिए कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8029/95]

(दो) वर्ष 1995-96 के लिए ई. टी. एण्ड टी. कारपोरेशन लि. और इलैक्ट्रानिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8030/95]

नावधिकरण विषयक अधिकारिता, 1994 के बारे में विधि आयोग का एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन; अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण, 1994 के बारे में विधि आयोग का एक सौ तिरपनवा प्रतिवेदन, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं श्री एच. आर. भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

(1) नावधिकरण विषयक अधिकारिता, 1994 के बारे में विधि आयोग के एक सौ इक्यावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8031/95]

(2) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, 1994 के बारे में विधि आयोग के एक सौ तिरपनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8032/95]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ग्लूकोन्टे इंडिया लिमिटेड, इंडियन हैल्थ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एण्ड ग्लूकोनेट हेल्थ लिमिटेड अमलगमेशन आर्डर, 1994 जो 1 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 73(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) का. आ. 698(अ) जो 2 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या का. आ. 73(अ) में कतिपय संशोधन किए गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8033/95]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा. का. नि. 388(अ), जो 15 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की छठी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गये हैं ।

(दो) सा. का. नि. 389(अ), जो 15 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की पांचवीं अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गये हैं ।

(तीन) का. आ. 565(अ), जो 21 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की दसवीं अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8034/95]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कंपनी (शेयर सर्टिफिकेटों का निर्गम) संशोधन नियम, 1995 जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 जो 26 मई, 1995, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8035/95]

(6) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1995 जो 10 मई, 1995, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 385 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8036/95]

(7) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8037/95]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 319(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1995, जो 31 मार्च, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1995, जो 10 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 277 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्यों संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 10 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 278 में प्रकाशित हुए थे ।

(6) सा का. नि. 294, जो 24 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 4 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 91 का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8038/95]

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-

(1)	विवरण संख्या 41	-	दसवां सत्र, 1988	आठवीं लोक सभा
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8039/95]			
(2)	विवरण संख्या 39	-	ग्यारहवां सत्र, 1988	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8040/95]			
(3)	विवरण संख्या 32	-	तीसरा सत्र, 1990	नौवीं लोक सभा
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8041/95]			
(4)	विवरण संख्या 27	-	छठा सत्र, 1990	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8042/95]			
(5)	विवरण संख्या 25	-	तीसरा सत्र, 1992	दसवीं लोकसभा
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8043/95]			
(6)	विवरण संख्या 20	-	पांचवां सत्र, 1992	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8044/95]			
(7)	विवरण संख्या 19	-	छठा सत्र, 1993	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8045/95]			
(8)	विवरण संख्या 15	-	सातवां सत्र, 1993	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8046/95]			
(9)	विवरण संख्या 14	-	आठवां सत्र, 1993	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8047/95]			
(10)	विवरण संख्या 12	-	नौवां सत्र, 1994	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8048/95]			
(11)	विवरण संख्या 7	-	ग्यारहवां सत्र, 1994	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8049/95]			
(12)	विवरण संख्या 5	-	बारहवां सत्र, 1994	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8050/95]			
(13)	विवरण संख्या 3	-	तेरहवां सत्र, 1995	
	[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8051/95]			

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रमीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) वसा विस्तारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1994, जो 15 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 186 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सुगन्ध तेल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1993, जो 27 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 259 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8052/95]

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर होर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर होर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 8053/95]

[अनुवाद]

गुर्दा प्रतिरोपण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 8020 के 31 मई 1995 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनीक) : डा. सी. सिल्वेरा की ओर से मैं गुर्दा प्रतिरोपण के बारे में डा. ए. के. पटेल और श्री सैयद शहाबुद्दीन के आतरांकित प्रश्न संख्या 8020 के 31 मई, 1995 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गये । देखिये संख्या एल. टी. 8054/95]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 जो 22 फरवरी, 1995, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 106(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 8055/95]

11.19 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :-

(1) "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे राज्य सभा ने 22 अगस्त 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है ।"

(2) "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे राज्य सभा ने 22 अगस्त 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है ।"

11.19 1/2 म. प.

विधेयक-राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित दो विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995

(2) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1995

11.19 3/4 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (टुमकुर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

[अनुवाद]

11.20 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान खामियों को, तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में दूर करने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री पी. पी. कालिया पेरूमल (कुड्डालोर) : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य सामान्य उपभोक्ताओं को और विशेष रूप से मेहनतकश जनता तथा दलितों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सुगमता से मुहैया कराना है ।

परंतु इन आशयित लाभार्थियों को दलितों तथा मेहनतकश जनता को उस हद तक इन से लाभ नहीं मिल सका है जितनी इन प्रणालियों के बनाने वालों ने सोचा था ।

देश में खाद्यान्नों का प्रर्याप्त भंडार है । पी. डी. एस. से खाद्यानों, चावल और गेहूं के उठान वर्ष 1991 की 187 लाख टन से कम होकर 1994 में 130 लाख टन रह गई है । यह गिरावट खाद्यान्नों के भरपूर उत्पादन और पी. डी. एस. के खुदरा भाव तथा खुला बाजार के भावों में अन्तर कम होने के कारण नहीं है अपितु खाद्यान्नों तक अपर्याप्त पहुंच न हो पाने के कारण है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनतकश जनता तथा दलितों अर्थात् कृषि मजदूर तथा गैर-संगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों को पूरी तरह से राशनकार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं । राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में अनेकों की उपेक्षा की जा रही है ।

उचित दर दुकानें नजदीक के क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं और उपभोक्ताओं को अपनी उचित दर दुकानों तक पहुंचने के लिये 2 से 3 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है ।

उचित दर दुकानों के काम का समय जो 10 बजे सुबह से 4 बजे सायं तक है, कृषि मजदूरों तथा अन्य ग्रामीण श्रमिकों जैसे मेहनतकश लोगों के लिये उपयुक्त नहीं है ।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यों को आवश्यक आदेश जारी किए जायें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाये ।

(दो) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर उम्बराज, कराड़, पीठ और कामेरी में भूमिगत पारपथों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (करड़) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर विशेषरूप से पुणे और कोल्हापुर के बीच के हिस्से पर वाहन यातायात का घनत्व कई गुणा बढ़ गया है । इसके साथ ही राजमार्ग के दोनों ओर रिहाइश में भी वृद्धि हो गई है । भारी संख्या में लोग, विशेषरूप से स्कूल जाने वाले बच्चे राजमार्ग को पार करते हैं । इसके कारण हर साल अनेक घातक घटनाएं होती हैं जिनसे बचा जा सकता है । कई स्थानों पर और विशेषरूप से उम्बराज, कराड़, (मल्खापुर के निकट) पीठ और कामेरी में काफी समय से भूमिगत पारपथ बनाये जाने की मांग की जा रही है । इन भूमिगत पारपथों का उनमें दुकानें बनाकर वाणिज्यिक काम्प्लैक्सों के रूप में विकास किया जा सकता है जिससे इनका रख-रखाव व सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी ।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उक्त स्थानों पर तत्काल भूमिगत पारपथ बनाये जायें ।

(तीन) उड़ीसा में तालचेर में भारी जल संयंत्र को बंद करने के निर्णय की पुनरीक्षा और पुनर्गठित करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, सरकार का विचार तालचेर में भारी जल संयंत्र को बन्द करने का है जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में भारी असन्तोष तथा संयंत्र के कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा हो रही है । परमाणु ऊर्जा विभाग ने संयंत्र को बन्द करने का निर्णय इस आधार पर किया है कि भारतीय खाद्य निगम के उर्वरक संयंत्र का पोषक यूनिट निरन्तर आधार पर पर्याप्त मात्रा में कच्चामाल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है और आपूर्ति किये गये कच्चे माल अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की दृष्टि से अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होते । चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त उर्वरक संयंत्र को कोयला आधारित प्रौद्योगिकी के स्थान पर नाप्था आधारित प्रौद्योगिकी उपयोग में लाने के लिये उसका पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । उसके अनुसार पोषक यूनिट अपेक्षित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार निरन्तर आधार पर कच्चे माल की आपूर्ति कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, पुनर्गठन की तीन सालों की अवधि के दौरान संयंत्र चालू रहेगा । इस प्रयोजन के लिये उर्वरक मंत्रालय ने पहले ही 193 करोड़ रु. की राशि मंजूर कर दी है ।

इस पृष्ठभूमि में अब तालचेर के भारी जल संयंत्र को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है विशेषरूप से जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी जल की मांग में भी वृद्धि हो रही है ।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले पर पुनर्विचार किया जाये और तालचेर के भारी जल संयंत्र को पूरी तरह से चालू रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें । इस बीच संयंत्र के कर्मचारियों को भी परेशान न किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 24 अगस्त, 1995 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

11.23 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 अगस्त, 1995 । 2 भाद्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

पी. एल. एस.-48/44/13/95 (एन.)
250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
एस. नारायण एंड संस, बी-88, औखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस- II, नई दिल्ली- 110 020 द्वारा मुद्रित ।